



॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open
University, Prayagraj

CGST

GOODS AND SERVICES TAX

**U.P. RAJARSHI TANDON OPEN
UNIVERSITY, PRAYAGRAJ**

Reviewer Committee

1. Dr. Ajay Agrawal
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.
2. Dr. Anil Shivani
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.
3. Dr. J.K. Parmar
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
Hon'ble Vice Chancellor,
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
Bhopal.
 2. Dr. L.S. Solanki
Registrar,
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
Bhopal.
 3. Dr. Ratan Suryavanshi
Director,
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
Bhopal.
 4. Dr. Ajay Agrawal
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.
 5. Dr. Anil Shivani
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.
 6. Dr. J.K. Parmar
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.
-

COURSE WRITERS

Dr. Nisha Bano Siddiqui, Assistant Professor, IMS, DAVV.

Shailendra Choudhary, Assistant Professor, Sapphire Group of Institutions.

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. (Developed by Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.) and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020



Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.

E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)

Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999

Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44

• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

Published on behalf of the on MP Bhoj University (Open University), Bhopal, Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Prayagraj by Vinay Kumar, Registrar, U.P.R.T. Open University, Prayagraj – 2024

Printed by – Chandrakala Universal Pvt. Ltd. 42/7 Jawahar Lal Neharu Road Prayagraj.

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क

Syllabi	Mapping in Book
इकाई-1 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, वस्तु एवं सेवा कर के आधारभूत तत्व, पूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र, कर का उदग्रहण एवं संग्रहण।	इकाई 1 : केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (पृष्ठ 3-36)
इकाई-2 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/राज्य वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति का समय एवं मूल्य, निवेश कर जमा, संधिकाल हेतु प्रावधान, केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण, कर विवरणी जमा करना, कर निर्धारण, कर भुगतान, विपरीत प्रभार के आधार पर कर भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर वापसी।	इकाई 2 : केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति (पृष्ठ 37-120)
इकाई-3 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर: लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव, सम्मिश्रण योजना, उपकार्य एवं प्रक्रिया, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत विभिन्न छूटें, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत मांग एवं वसूली, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत विविध प्रावधान।	इकाई 3 : केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव (पृष्ठ 121-196)
इकाई-4 एकीकृत एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत कर शब्दावली एवं परिभाषाएँ, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर उदग्रहण एवं संग्रहण, पूर्ति के स्थान निर्धारण के सिद्धान्त वस्तु एवं सेवा की पूर्ति का स्थान, शून्य दर से सम्बन्धित पूर्ति।	इकाई 4 : एकीकृत सेवा कर अधिनियम 2017 (पृष्ठ 197-232)
इकाई-5 तटकर का आशय एवं इतिहास, महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, माल, करयोग्य माल, व्यक्ति, भारतीय तटकर सीमा, तटकर शुल्क के प्रकार, तटकर शुल्क का मूल्यांकन, तटकर में शामिल एवं न शामिल होने वाली वस्तुएँ, तटकर की गणना एवं मूल्यांकन।	इकाई 5 : तटकर : एक परिचय (पृष्ठ 233-290)

विषय—सूची

परिचय	1—2
-------	-----

इकाई 1 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	3—36
---	------

1.0 परिचय	
1.1 उद्देश्य	
1.2 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधि 2017 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ	
1.2.1 एक वाक्य में "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017/राज्य वस्तु एवं सेवा कर" अधिनियम 2017 की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ एवं शर्तें	
1.3 वस्तु एवं सेवाकर के आधारभूत तत्व	
1.3.1 भारत में जीएसटी की उत्पत्ति	
1.3.2 जीएसटी के लिए संवैधानिक संशोधन	
1.3.3 वैधानिक ढाँचा	
1.3.4 जीएसटी की संरचना	
1.3.5 जीएसटी के फायदे	
1.4 आपूर्ति के अर्थ और स्कोप	
1.4.1 माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति	
1.4.2 आपूर्ति के लिए विचार	
1.4.3 कर योग्य आपूर्ति	
1.4.4 कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति	
1.4.5 इंटर/इंट्रा स्टेट सप्लाई	
1.4.6 मिश्रित/मिश्रित आपूर्ति	
1.5 सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत लेवी और संग्रहण कर	
1.5.1 सीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 9)	
1.5.2 आईजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 5)	
1.5.3 यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 7)	
1.6 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर	
1.7 सारांश	
1.8 मुख्य शब्दावली	
1.9 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास	
1.10 सहायक पाठ्य सामग्री	

इकाई 2 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति	37—120
---	--------

2.0 परिचय	
2.1 उद्देश्य	
2.2 CGST (Central Goods and Service Tax) एवं SGST (State Goods or Service Tax) के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्ति का समय, स्थान और मूल्य	
2.2.1 समय, स्थान और आपूर्ति के मूल्य का महत्व	
2.2.2 आपूर्ति का समय स्थान और मूल्य महत्वपूर्ण क्यों हैं?	
2.2.3 जीएसटी के तहत माल की आपूर्ति का समय समझना	
2.2.4 आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाए?	
2.2.5 विपरीत प्रभार के तहत आपूर्ति का समय	
2.2.6 वाउचर के लिए आपूर्ति का समय	
2.2.7 जब आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है	

- 2.3 GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और यह दावा कैसे करें?
 - 2.3.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट
 - 2.3.2 जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट का दावा कैसे करें?
 - 2.3.3 आईटीसी का दावा कौन कर सकता है?
 - 2.3.4 ITC के रूप में क्या दावा किया जा सकता है?
- 2.4 जीएसटी में बदलाव
 - 2.4.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट
 - 2.4.2 वापसी और बकाया
 - 2.4.3 अन्य मामले
 - 2.4.4 आईटीसी का सामंजस्य
 - 2.4.5 आईटीसी का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
 - 2.4.6 आईटीसी के विशेष मामले
- 2.5 संक्रमणकालीन (सन्धिकालीन) प्रावधान
 - 2.5.1 धारा 142 की उप-धारा (11) के तहत क्लॉज (सी) के तहत किए जाने की घोषणा
 - 2.5.2 प्रिंसिपल और जॉब-वर्कर द्वारा स्टॉक हेल की घोषणा
 - 2.5.3 स्वीकृत आधार पर भेजे गए सामान का विवरण
 - 2.5.4 गलत तरीके से ऋण की वसूली
- 2.6 जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण
 - 2.6.1 परिचय
 - 2.6.2 GST पंजीकरण अनिवार्य है
 - 2.6.3 जीएसटी के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया
- 2.7 जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज
 - 2.7.1 जीएसटी पंजीकरण रद्द करना
 - 2.7.2 जीएसटी पंजीकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रूप
- 2.8 जीएसटी रिटर्न
 - 2.8.1 जीएसटी रिटर्न को समझना
 - 2.8.2 सामान्य करदाताओं द्वारा दायर किए जाने वाले जीएसटी रिटर्न के प्रकार
- 2.9 जीएसटी के तहत मूल्यांकन
 - 2.9.1 अर्थ और प्रकार के आकलन
 - 2.9.2 रिटर्न न भरने वालों का आकलन
 - 2.9.3 सारांश मूल्यांकन
 - 2.9.4 जीएसटी के तहत गैर अनुपालन के परिणाम और दंड
 - 2.9.5 निष्कर्ष
 - 2.9.6 कर संग्रहण व वसूली सम्बन्धी प्रावधान
- 2.10 GST भुगतान प्रक्रिया
 - 2.10.1 ITC के उपयोग और क्रॉस-उपयोग के बारे में जानकारी
 - 2.10.2 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज
 - 2.10.3 जीएसटी भुगतान प्रपत्र
- 2.11 जीएसटी भुगतान और रिफंड
 - 2.11.1 भुगतान
 - 2.11.2 रिफंड
- 2.12 सभी जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज
 - 2.12.1 रिवर्स चार्ज क्या है?
 - 2.12.2 रिवर्स चार्ज कब लागू होता है?
 - 2.12.3 रिवर्स चार्ज के तहत आपूर्ति का समय
 - 2.12.4 स्व.चालान क्या है?

- 2.13 टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटी के तहत रिफंड के दावे
 - 2.13.1 रिफंड क्लेम फाइल करने की समय सीमा
 - 2.13.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों और अपवादों का रिफंड
 - 2.13.3 आवेदक को धनवापसी के भुगतान के लिए स्थिति
- 2.14 रिफंड के लिए आवेदन करना
 - 2.14.1 स्वीकृति
 - 2.14.2 अन्तिम वापसी का अनुदान
 - 2.14.3 रिफंड मंजूर करने का आदेश
 - 2.14.4 अस्वीकृत रिफंड दावे की राशि का क्रेडिट
 - 2.14.5 विलम्बित धनवापसी पर ब्याज स्वीकृत करने का आदेश
 - 2.14.6 भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर भुगतान का रिफंड
 - 2.14.7 उपभोक्ता कल्याण कोष
- 2.15 आंकिक उदाहरण
- 2.16 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 2.17 सारांश
- 2.18 मुख्य शब्दावली
- 2.19 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 2.20 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 3 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव

121—196

- 3.0 परिचय
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 GST उपकार्य एवं प्रक्रिया
 - 3.2.1 वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
 - 3.2.2 जी एस टी कैसे काम करेगा?
 - 3.2.3 जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होता है
 - 3.2.4 जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी?
- 3.3 सीजीएसटी एवं एसजीएसटी
 - 3.3.1 सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति और स्मारक
 - 3.3.2 सीजीएसटी अधिनियम 2017 का उद्देश्य
 - 3.3.3 सीजीएसटी अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएँ
 - 3.3.4 SGST अथवा राज्य माल और सेवा कर
 - 3.3.5 CGST और SGST के बीच अन्तर
- 3.4 जीएसटी शासन के तहत लेखों और अभिलेखों का रखरखाव
- 3.5 GST सम्मिश्रण योजना (कम्पोजिशन स्कीम)
 - 3.5.1 कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प कौन चुन सकता है?
 - 3.5.2 कौन कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकता है?
 - 3.5.3 कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं?
 - 3.5.4 कम्पोजिशन स्कीम को एक करदाता कैसे चुन सकता है?
 - 3.5.5 कम्पोजिशन डीलर को बिल कैसे उठाना चाहिए?
 - 3.5.6 कम्पोजिशन डीलर के लिए जीएसटी की दरें क्या हैं?
 - 3.5.7 कम्पोजिशन डीलर द्वारा जीएसटी भुगतान कैसे किया जाना चाहिए?
 - 3.5.8 कम्पोजिशन डीलर द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न क्या हैं?
 - 3.5.9 कम्पोजिशन स्कीम के क्या फायदे हैं?
 - 3.5.10 कम्पोजिशन स्कीम के नुकसान क्या हैं?

- 3.6 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न छूट
 - 3.6.1 जीएसटी से छूट प्राप्त सेवाओं की सूची
 - 3.6.2 जीएसटी से छूट के तहत आने वाले अन्य सामान और सेवाएँ
- 3.7 वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत मांग और वसूली (डिमांड और रिकवरी)
 - 3.7.1 डिमांड नोटिस जारी करना
 - 3.7.2 नियम 142 – आदेश और सूचना की सूचना
 - 3.7.3 नियम 143 – जब बकाया राशि में से रकम घटाकर टैक्स वसूला जाता है
 - 3.7.4 नियम 144 – नीलामी द्वारा कर की वसूली
 - 3.7.5 नियम 145 – तीसरे व्यक्ति से कर की वसूली
 - 3.7.6 नियम 146 – कर की वसूली के लिए डिक्री का निष्पादन
 - 3.7.7 नियम 147 – कर की वसूली के लिए चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की
 - 3.7.8 नियम 155 – कलेक्टर द्वारा कर की वसूली, आदि
 - 3.7.9 नियम 156 – एक आपराधिक अदालत द्वारा वसूली
 - 3.7.10 नियम 157 – ज़मानत से वसूली
 - 3.7.11 नियम 158 – मासिक किस्तों में कर भुगतान और अन्य राशि का भुगतान
 - 3.7.12 नियम 159 – अस्थायी रूप से सम्पत्ति की कुर्की
 - 3.7.13 निष्कर्ष
- 3.8 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान
- 3.9 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 3.10 सारांश
- 3.11 मुख्य शब्दावली
- 3.12 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 3.13 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 4 एकीकृत सेवा कर अधिनियम 2017

197–232

- 4.0 परिचय
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 IGST क्या है?
 - 4.2.1 आईजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति और शुरुआत
 - 4.2.2 IGST अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएँ
- 4.3 आईजीएसटी कानून का वर्गीकरण
 - 4.3.1 आईजीएसटी उदाहरण
 - 4.3.2 IGST मॉडल के प्रमुख लाभ
- 4.4 IGST अधिनियम 2017 के तहत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
 - 4.4.1 IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 का उद्धरण
- 4.5 आईजीएसटी के तहत लेवी और टैक्स का संग्रह
 - 4.5.1 आईजीएसटी की लेवी
 - 4.5.2 इंटर-स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स
 - 4.5.3 लेवी और संग्रह
- 4.6 IGST अधिनियम की धारा 5 के तहत IGST की छूट
- 4.7 IGST के तहत सेवा की आपूर्ति का निर्धारण
 - 4.7.1 सेवाओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करना
 - 4.7.2 GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान
- 4.8 शून्य रेटेड आपूर्ति
 - 4.8.1 परिचय
 - 4.8.2 जीएसटी में शून्य रेटेड आपूर्ति का रिफंड
 - 4.8.3 माल के निर्यात के लिए रिफंड प्रक्रिया
 - 4.8.4 सेज को सेवाओं और आपूर्ति के निर्यात के लिए रिफंड प्रक्रिया

- 4.8.5 अनन्तिम वापसी
- 4.8.6 शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट
- 4.8.7 शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य वापसी
- 4.9 निल रेटेड, छूट, शून्य रेटेड और गैर-जीएसटी आपूर्ति के बीच अन्तर क्या है?
 - 4.9.1 निल रेटेड
 - 4.9.2 छूट दी गई
 - 4.9.3 गैर-जीएसटी
- 4.10 CGST, SGST और IGST के बीच अन्तर
- 4.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 4.12 सारांश
- 4.13 मुख्य शब्दावली
- 4.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 4.15 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 5 तटकर : एक परिचय

233—290

- 5.0 परिचय
- 5.1 उद्देश्य
- 5.2 सीमा शुल्क का इतिहास
 - 5.2.1 भारतीय सीमा शुल्क का इतिहास
 - 5.2.2 कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य
 - 5.2.3 सीमा शुल्क की लेवी की विधि
 - 5.2.4 ई-संचित
- 5.3 कस्टम एक्ट, 1962 अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
- 5.4 सीमा शुल्क के प्रकार
 - 5.4.1 अवधारणा की पृष्ठभूमि
 - 5.4.2 हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड
 - 5.4.3 भारत के सीमा शुल्क टैरिफ
 - 5.4.4 आठ अंकों का कोड
 - 5.4.5 मूल सीमा शुल्क (BCD)
 - 5.4.6 अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD)
 - 5.4.7 विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (SAD)
 - 5.4.8 एंटी-डम्पिंग ड्यूटी/सेफगार्ड ड्यूटी
 - 5.4.9 शिक्षा उपकर
 - 5.4.10 एकीकृत माल और सेवा कर (IGST)
 - 5.4.11 जीएसटी मुआवजा उपकर (GCC)
 - 5.4.12 समाज कल्याण अधिभार (SWS)
 - 5.4.13 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी
 - 5.4.14 सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर
 - 5.4.15 सुरक्षात्मक कर्तव्य
 - 5.4.16 सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर
 - 5.4.17 काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD)
- 5.5 सीमा शुल्क मूल्यांकन
 - 5.5.1 सीमा शुल्क की गणना कैसे की जाती है?
 - 5.5.2 सीमा शुल्क मूल्यांकन पर तकनीकी जानकारी
 - 5.5.3 लघु ऐतिहासिक अवलोकन
 - 5.5.4 मूल सिद्धान्त तथा विधियाँ
 - 5.5.5 नमूना सीमा शुल्क गणना
 - 5.5.6 आयात के मूल्यांकन योग्य मूल्य के लिए सीमा शुल्क की गणना

5.6 सीमा शुल्क मूल्य

- 5.6.1 सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित करने के तरीके
- 5.6.2 परिभाषाएँ
- 5.6.3 मूल्यांकन की विधि का निर्धारण
- 5.6.4 समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य
- 5.6.5 समान सामानों का लेनदेन मूल्य
- 5.6.6 मूल्य का निर्धारण जहाँ नियमों 3, 4 और 5 के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- 5.6.7 डिडक्टिव वैल्यू
- 5.6.8 संगणित मूल्य
- 5.6.9 अवशिष्ट विधि
- 5.6.10 लागत और सेवाएँ
- 5.6.11 आयातक द्वारा घोषणा
- 5.6.12 घोषित मूल्य की अस्वीकृति

5.7 आंकिक उदाहरण

5.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर

5.9 सारांश

5.10 मुख्य शब्दावली

5.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

5.12 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय (Introduction)

परिचय

टिप्पणी

इस पुस्तक को अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यह पुस्तक बी. कॉम. के छात्रों के लिए “वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क” (Goods and Service Tax & Custom Duty) विषय पर आधारित है।

इस पुस्तक में हमने बी. कॉम. तृतीय वर्ष के “वस्तु एवं सेवाकर तथा सीमा शुल्क” (Goods and Service Tax & Custom Duty) के संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करने का प्रयास किया है। यह पुस्तक हमने बी.कॉम के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की है। इस पुस्तक को वर्ष 2019 में GST के नवीन संशोधन के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे भी GST की वेबसाइट पर विजिट कर अपने ज्ञान का विस्तार करें।

पुस्तक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

- बी. कॉम. के संशोधित पाठ्यक्रम का पूर्ण कवरेज।
- अध्याय में शामिल विषयों का बर्ड आई व्यू देने के लिए प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में अध्याय की रूपरेखा।
- अध्याय में प्रत्येक विषय की बिंदुवार व्याख्या।
- सिलेबस के अनुसार विषय को व्यवस्थित किए गया है।
- अध्याय के अंत में प्रस्तावित प्रश्न।
- संवादी और सरल भाषा।

प्रस्तुत बुक में हमने नए अध्याय और जी.एस.टी. कानून की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के सार को सम्मिलित करने का हमने प्रयास किया है। इस पुस्तक की भाषा इतनी सरल रखी गई है कि यह आसानी से समझ आने वाली है। इसे पढ़ें, समझें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।

यह पुस्तक उन पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो इस विषय में रुचि रखते हैं। पाठकों को विषय के अधिक से अधिक नवीनतम और प्रामाणिक मार्शल प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। हमें आशा है कि यह पुस्तक हमारे पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगी।

मैं प्रकाशक और मेरी शिक्षक एवं संरक्षक डॉ. निशा बानो सिद्दीकी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, उनके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए यह पुस्तक लिख पाना संभव नहीं था। हमारी आशा है कि पुस्तक के विषय छात्रों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी साबित होंगे।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

परिचय

पाठकों के सुझावों का स्वागत है और सभी सुझावों को आभार के साथ स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी

शुभकामनाओं सहित।

डॉ. निशा बानो सिद्दीकी

असि. प्रोफेसर,
प्रबंध अध्ययन संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

शैलेन्द्र चौधरी

असि. प्रोफेसर, सफायर ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशंस

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

इकाई 1 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (Central/State Goods and Services Tax Act)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम

टिप्पणी

संरचना (Structure)

- 1.0 परिचय
- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधि 2017 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
 - 1.2.1 एक वाक्य में "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017/राज्य वस्तु एवं सेवा कर" अधिनियम 2017 की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ एवं शर्तें
- 1.3 वस्तु एवं सेवाकर के आधारभूत तत्व
 - 1.3.1 भारत में जीएसटी की उत्पत्ति
 - 1.3.2 जीएसटी के लिए संवैधानिक संशोधन
 - 1.3.3 वैधानिक ढाँचा
 - 1.3.4 जीएसटी की संरचना
 - 1.3.5 जीएसटी के फायदे
- 1.4 आपूर्ति के अर्थ और स्कोप
 - 1.4.1 माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति
 - 1.4.2 आपूर्ति के लिए विचार
 - 1.4.3 कर योग्य आपूर्ति
 - 1.4.4 कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति
 - 1.4.5 इंटर/इंट्रा स्टेट सप्लाई
 - 1.4.6 मिश्रित/मिश्रित आपूर्ति
- 1.5 सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत लेवी और संग्रहण कर
 - 1.5.1 सीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 9)
 - 1.5.2 आईजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 5)
 - 1.5.3 यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 7)
- 1.6 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 1.7 सारांश
- 1.8 मुख्य शब्दावली
- 1.9 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय (Introduction)

1 जुलाई, 2017 को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर उसके स्थान पर एकरूपता लाने के लिए और "एक राष्ट्र एक कर" के सिद्धान्त को अपनाते हुए माल एवं सेवाकर प्रारंभ किया गया। इस कर के द्वारा 23 उपकर भी समाप्त कर दिए गए। जी.एस.टी. के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार एवं दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

भारत में वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, क्रय-विक्रय एवं वितरण पर अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य बिक्री कर, प्रवेश कर आदि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाते थे। भारत सरकार ने इन सभी-उपकरणों, शुल्क एवं दरों को समाप्त कर एकीकृत कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से “माल एवं सेवा कर” के रूप में की।

भारत में “माल एवं सेवा कर” से आशय ऐसे कर से है जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर निविशित दरों से वसूला जाता है। यह कर संघीय कर है, अर्थात् इस कर का विभाजन राज्य और केंद्र के राज्य समान रूप से होता है। यह एक बहुबिन्दु कर है जो माल एवं वस्तु के प्रत्येक चरण के मुख्य संवर्धन पर लगता है, जिसका भार अन्तिम उपभोक्ता पर पड़ता है।

वस्तु एवं सेवा कर की आवश्यकता :

(I) व्यवसायों के लिए आवश्यकता :

1. व्यवसायों को या उपभोक्ताओं को कराधान प्रणाली की प्रक्रिया का पालन करना आसान होगा। क्योंकि यह एक समग्र आईटी प्रणाली द्वारा क्रियान्वित है।
2. करों की एक समान दर का अर्थ है एक तरह के सामानो पर एक समान टैक्स लगाया जायेगा।
3. छिपी लागत को कम करती है।
4. करों की दरों में कमी और एकरूपता से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

(II) सरकारों के लिए आवश्यकता :

1. पूरे देश में एक समान कर दर और प्रणाली के साथ एक कुशल आईटी प्रणाली के साथ समर्पित, कराधान प्रक्रिया को प्रशासित करने के कार्य को सरल बनाया जायेगा।
2. करों का गैर अनुपालन सरलता से पकड़ा जायेगा।
3. करों को एकत्र करने की लागत में कमी आयेगी।

(III) अन्तिम उपभोक्ता के लिए आवश्यकता :

1. एकल कराधान संरचना और दर स्तर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ माल के मुख्य निर्धारन में पारदर्शिता सम्भव है जिससे अन्तिम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान प्राप्त होगा।
2. कुल कर का बोझ जो अन्तिम उपभोक्ता पर लगता है उसमें राहत मिलेगी।

1.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर को समझ पाएंगे;
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर को समझ पाएंगे;
- वस्तु एवं सेवा कर के आधारभूत तत्वों से परिचित हो पाएंगे;
- पूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना कर पाएंगे; एवं
- कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे।

टिप्पणी

1.2 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधि 2017 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definition under Central Goods and Services Tax Act 2017)

CGST अधिनियम 2017 की धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

(1) सीजीएसटी अधिनियम के अनुसार, “डिलिवरी का पता” (According to CGST Act “Address of Delivery”)

“डिलिवरी का पता” (“Address of Delivery”) का अर्थ है—माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता का पता या दोनों ऐसे सामान या सेवाओं की डिलीवरी के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए गए कर चालान पर या दोनों पर इंगित किया गया।

वितरण का पता माल या सेवाओं के खरीददार के पते या कर चालान में उल्लिखित दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके माल का खरीददार मुंबई में स्थित है, लेकिन आप उसके बंगलौर पते पर माल पहुंचा रहे हैं, तो इस स्थिति में डिलीवरी का पता बंगलौर होगा।

आपको खरीददार के पते के साथ कर चालान पर डिलिवरी के पते का उल्लेख करना चाहिए।

(2) सीजीएसटी अधिनियम के अनुसार “एजेंट” का अर्थ (According to CGST Act Meaning of “Agent”)

“एजेंट” (“Agent”) का अर्थ है—एक व्यक्ति, जिसमें एक कारक, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आर्हतिआ, डेल क्रेडर एजेंट, एक नीलामीकर्ता या कोई अन्य व्यापारिक एजेंट शामिल है। जो माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर वहन करता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

एजेंट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दूसरों की ओर से व्यापार करता है। आयोग के एजेंट, दलाल आदि इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

(3) "सकल कारोबार" का मतलब (Meaning of "Gross Turnover")

"सकल कारोबार" ("Gross Turnover") का अर्थ है—सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है), छूट की आपूर्ति, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और अंतर-राज्य समान स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों की आपूर्ति, अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, लेकिन इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ-राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर शामिल नहीं हैं।

सकल कारोबार में सभी कर योग्य आपूर्ति, रियायती आपूर्ति, निर्यात, अंतर-राज्यीय आपूर्ति का कुल मूल्य शामिल है। कुल कारोबार में जीएसटी कृत्यों के तहत लगाए गए कर शामिल नहीं हैं।

(4) "कृषक" का अर्थ ("Farmer" Means)

"कृषक" का अर्थ है—एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार, जो भूमि की खेती करता है— (क) स्वयं के श्रम से, या (ख) परिवार के श्रम से, या (ग) नौकरों द्वारा नकद या इस तरह देय मजदूरी पर या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या परिवार के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत किराए पर श्रम द्वारा;

कृषक के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत खेती की भूमि से उत्पादों से बने आपूर्ति पर कर से छूट दी गई है। कृषक को किसी भी व्यक्ति या एचयूएफ के रूप में विस्थापित किया जाता है, जो अपने परिवार या अन्य साधनों के श्रम से भूमि पर खेती करता है।

(5) मूल्यांकन का अर्थ (Meaning of Evaluation)

"मूल्यांकन" ("Valuation") का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत कर देयता का निर्धारण है और इसमें स्व-मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, अनन्तिम मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन और सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शामिल हैं।

सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर गणना करते समय स्व-मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, अन्तिम मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन सरल शब्दों में किया जाता है।

(6) ऑडिट का मतलब (Meaning of Audit)

ऑडिट का अर्थ है कि GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति के व्यवसाय के लिए बनाये गए रिकार्ड, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की शुद्धता का सत्यापन।

(7) व्यवसाय का अर्थ (Meaning of Business)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम

“व्यापार” (“Business”) में शामिल हैं—

- (क) व्यवसाय या कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, साहस या उसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप जिसका उद्देश्य धन कमाना हो या ना हो;
- (ख) उपखंड (क) के सम्बन्ध में या आकस्मिक या सहायक के सम्बन्ध में कोई गतिविधि या लेनदेन;
- (ग) उपखंड (क) की प्रकृति में कोई गतिविधि या लेनदेन, इस तरह के लेनदेन की मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता है या नहीं;
- (घ) व्यापार शुरू करने या बंद करने के सम्बन्ध में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं सहित माल की आपूर्ति या अधिग्रहण;
- (ङ) अपने सदस्यों को सुविधाओं या लाभों के लिए एक क्लब, एसोसिएशन, समाज, या किसी भी निकाय (सदस्यता या किसी अन्य विचार के लिए) द्वारा प्रावधान;
- (च) प्रवेश, विचार के लिए, किसी भी परिसर के व्यक्तियों के लिए;
- (छ) किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय के धारक के रूप में आपूर्ति की जाने वाली सेवाएँ, जो उसके व्यापार, पेशे या व्यवसाय के पाठ्यक्रम या उसके द्वारा स्वीकार की गई हैं;
- (ज) कुल क्लब के माध्यम से रेस क्लब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ या ऐसे क्लब में पुस्तक निर्माता के लिए लाइसेंस; तथा
- (झ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि या लेनदेन, जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में लगे हुए हैं।

टिप्पणी

(8) बिजनेस वर्टिकल (व्यापार कार्यक्षेत्र) का अर्थ (Meaning of Business Vertical)

“बिजनेस वर्टिकल” का अर्थ है—एक उद्यम का एक अलग-अलग घटक, जो व्यक्तिगत वस्तुओं या सेवाओं या सम्बन्धित वस्तुओं या सेवाओं के समूह की आपूर्ति में लगा होता है, जो जोखिम और रिटर्न के अधीन होता है, जो अन्य व्यवसाय वर्टिकल से भिन्न होते हैं।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जो माल या सेवाओं से सम्बन्धित हैं—

- (क) माल या सेवाओं की प्रकृति;
- (ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;
- (ग) वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों का प्रकार या वर्ग;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(घ) सेवाओं के सामान या आपूर्ति को वितरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ; तथा

(ङ) बैंकिंग, बीमा या सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित नियामक वातावरण (जहाँ भी लागू हो) की प्रकृति।

(9) पूँजीगत वस्तुओं का अर्थ (Meaning of Capital Goods)

अचल सम्पत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त की गई सामग्री एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य पूँजीगत माल।

(10) समग्र आपूर्ति का मतलब (Overall Supply Means)

“समग्र आपूर्ति” का अर्थ किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सेवा या दो या दो से अधिक कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले किसी करदाता द्वारा की गई आपूर्ति से है, जो –

स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के साथ मिलकर निर्मित या बेची जाती है और आपूर्ति की जाती है। उदा. – जहाँ सामानों को बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, माल की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा एक समग्र आपूर्ति है और माल की आपूर्ति एक प्रमुख आपूर्ति है।

(11) विचार का अर्थ (Meaning of Thought)

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में “विचार” या दोनों में शामिल हैं –

(क) किसी भी प्रकार से या किसी के भी द्वारा भुगतान किया जा सकता है, चाहे पैसे में या अन्यथा, के सम्बन्ध में, के जवाब में, या की अनिच्छा के लिए, माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों, चाहे प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी शामिल नहीं होगी;

(ख) किसी अधिनियम या प्रतिबन्ध के मौद्रिक मूल्य के सम्बन्ध में, के जवाब में, या के लिए, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों, चाहे प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी शामिल नहीं है।

(12) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ (ई-कॉमर्स) (Meaning of Electronic Commerce or e-Commerce)

इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से आशय धारा 49(1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता है। इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अन्य माध्यम से कर, पेनल्टी, ब्याज, या अन्य कोई राशि के लिए किए गए प्रत्येक जमा को इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ वही में क्रेडिट किया जायेगा।

(13) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अर्थ (Meaning of Electronic Commerce Operator)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम

“इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर” का अर्थ है—कोई भी व्यक्ति जो व्यापार के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का प्रयोग करता है।

टिप्पणी

(14) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का अर्थ (Meaning of Electronic Credit Ledger)

इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते से आशय धारा 49(2) में निदिष्ट इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते से है। एक रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा स्वयं द्वारा निर्धारित इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में जमा की जाएगी।

(15) स्थिर स्थापना का अर्थ (Stable Installation Means)

“निश्चित स्थापना” का अर्थ है—एक स्थान (व्यवसाय के पंजीकृत स्थान के अलावा), जो कि सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए, या इसके लिए सेवाओं को प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के संदर्भ में स्थायित्व है।

(16) माल का मतलब (Meaning of Goods)

“माल” का अर्थ है कि पैसे और प्रतिभूतियों के अलावा हर तरह की चल-अचल संपत्ति, लेकिन इसमें कार्रवाई योग्य दावा, बढ़ती हुई फसलें, घास और जमीन से जुड़ी या बनाने वाली चीजें शामिल हैं, जिन्हें आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबन्ध के तहत अलग करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है।

माल से अभिप्राय मुद्रा और प्रतिभूतियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की चल सम्पत्ति से है।

माल शब्द कि परिभाषा में सम्मिलित है —

1. वे चल सम्पत्ति जिनका हस्तान्तरण या विनिमय किया जा सके।
उदा. — मशीन, फर्नीचर, दवाइयाँ, कपड़ा आदि।
2. मुद्रा (Money) और प्रतिभूतियों (Securities) को माल में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
3. माल में वे वस्तुएँ या सामग्री जो चल या अचल सम्पत्ति के निर्माण और सुधार या मरम्मत के कार्य में प्रयोग की जाती हैं सम्मिलित हैं।
4. वे समस्त वस्तुएँ जिन्हें विक्रय के पूर्व या विक्रय अनुबन्ध के अंतर्गत पृथक कर दिया जायेगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(17) इनपुट का अर्थ (Meaning of Input)

“इनपुट का अर्थ” है कि इस्तेमाल किए गए पूंजीगत सामानों के अलावा कोई भी सामान, जिसका उपयोग व्यवसाय के समय या आगे किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाए;

(18) इनपुट सेवा का अर्थ (Meaning of Input Service)

“सेवाएँ” शब्द को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इसका आशय किसी भी चीज से है जो माल, मुद्रा या प्रतिभुतियाँ नहीं है।

“सेवाओं” में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो कि मुद्रा के प्रयोग एवं उसके रोकड़ या अन्य किसी रूप में, एक करेंसी से दूसरी अथवा एक डिनोमिनेशन से दूसरे में परिवर्तनीय है जिसके लिए प्रतिफल वसूल किया जाता है। अतः एक डिनोमिनेशन से दूसरे में किसी करेंसी का विनिमय किया जाता है उसे सेवा माना गया है।

(19) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब (Input Service Distributor Means)

“इनपुट सेवा वितरक” का अर्थ वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के कार्यालय से है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए धारा 31 के तहत जारी कर चालान प्राप्त करते हैं और केंद्रीय कर के ऋण के वितरण के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज जारी करते हैं।

(20) इनपुट टैक्स का अर्थ (Meaning of Input Tax)

किसी पंजीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में “इनपुट टैक्स” का अर्थ, किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति या दोनों पर लगाया गया केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, जिसमें शामिल हैं –

- (क) एकीकृत माल और माल के आयात पर लगाया जाने वाला सेवा कर;
- (ख) धारा 9 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर;
- (ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धाराओं (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर;
- (घ) सम्बन्धित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धाराओं (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर; या
- (ङ) केंद्रशासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर, लेकिन संरचना लेवी के तहत चुकाए गए कर को शामिल नहीं करता है;

(21) इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ (Meaning of Input Tax Credit)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम

“इनपुट टैक्स क्रेडिट” (“Input Tax Credit”) का अर्थ यह क्रेडिट माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदाय पर पूर्तिकर्ता द्वारा चार्ज किए गए Input Tax (खरीदे गए माल या सेवा पर चुकाया गया) के सम्बन्ध में मिलेगी।

जीएसटी की द्वारा 2(62) के अनुसार इनपुट टैक्स से आशय किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला केंद्रीय कर (CGST), राज्य कर (SGST), या एकीकृत कर (TGST) सम्मिलित है।

टिप्पणी

(22) व्यवसाय के स्थान का अर्थ (Meaning of Place of Business)

“व्यवसाय का स्थान” शामिल है –

1. एक ऐसा स्थान, जहाँ से व्यवसाय को सामान्य रूप से चलाया जाता है और इसमें एक गोदाम या कोई अन्य स्थान शामिल होता है, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति अपने सामानों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है।
2. एक ऐसी जगह, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति अपने खाते की किताबें रखता है; या
3. एक जगह, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति एक एजेंट के माध्यम से व्यापार में लगा हुआ है।

(23) आपूर्ति के स्थान का मतलब (Meaning of Place of Supply)

“आपूर्ति के स्थान” का अर्थ है वह स्थान जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को प्राप्त किया जाता है।

(24) माल निकालने का मतलब (Meaning of Unloading of Goods)

माल के सम्बन्ध में “हटाने”, का अर्थ है –

1. आपूर्तिकर्ता के द्वारा या ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वितरण के लिए माल का प्रेषण; या
2. प्राप्तकर्ता के द्वारा या ऐसे प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रह;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(25) रिवर्स चार्ज का मतलब (Meaning of Reverse Charge)

“रिवर्स चार्ज” का आशय ऐसी स्थिति से है, जिसमें प्राप्त किए गए माल या सेवा पर कर चुकाने का दायित्व माल या सेवा को प्राप्त करने वाले पंजीकृत व्यक्ति अर्थात् प्राप्तकर्ता पर होता है।

(26) आपूर्तिकर्ता का अर्थ (Meaning of Supplier)

“आपूर्तिकर्ता”, का अर्थ वह व्यक्ति जो माल या सेवा प्रदान करने का कार्य करता है।

(27) काम के अनुबन्ध का अर्थ (Meaning of Contract of Work)

“वर्क कॉन्ट्रैक्ट” का अर्थ भवन निर्माण, स्थापना, फिटिंग आउट, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण, परिवर्तन या किसी अचल संपत्ति के कमीशन के लिए है;

1.2.1 एक वाक्य में “केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017/राज्य वस्तु एवं सेवा कर” अधिनियम 2017 की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ एवं शर्तें (Important Definitions and Conditions of the Central Goods and Services Tax Act 2017/State Goods and Services Tax Act 2017)

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (1) प्राधिकृत करना (“Authorizing”) का अर्थ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्णय या आदेश लेने के लिए किसी प्राधिकारी को नियुक्त करना।
- (2) “कुल कारोबार” (“Total Turnover”) का मतलब सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य है (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स पर देय है प्रभारी आधार), छूट की आपूर्ति, माल या सेवाओं के निर्यात या दोनों और अंतर-राज्य सभी पर एक ही स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों की आपूर्ति की जाती है।
- (3) “अपीलीय प्राधिकारी” (“Appellate Authority”) का अर्थ है—एक प्राधिकारी, जिसे सुनने के लिए धारा 107 में उल्लिखित अपील, नियुक्त या अधिकृत किया जाता है;
- (4) “मूल्यांकन” (“Valuation”) का अर्थ है कर की देयता का निर्धारण जिसमें स्व-मूल्यांकन पुनः मूल्यांकन, अन्तिम मूल्यांकन और सारांश मूल्यांकन सम्मिलित है।
- (5) “अधिकृत बैंक” (“Authorized Bank”) का अर्थ होगा—बैंक या प्राधिकृत बैंक की शाखा जो देय कर या किसी अन्य राशि को एकत्र करती है।

टिप्पणी

- (6) "कन्वेयन्स" ("Conveyance") में एक जहाज, एक विमान और एक वाहन शामिल हैं जिसका प्रयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- (7) "क्रेडिट नोट" ("Credit Note") अधिक्य राशि की वापसी प्राप्तकर्ता को होना दर्शाता है। माल या सेवा कम मात्रा में होने पर या प्राप्तिकर्ता माल वापस लौटाए तो पूर्तिकर्ता क्रेडिट नोट जारी करता है।
- (8) "डेबिट नोट" ("Debit Note") जमा पत्र की विपरीत परिस्थितियाँ होने पर नामे (नोट) पत्र लिखा जाता है। यह सामान्यतः माल का और कर का मूल्य कम लगने पर जारी किया जाता है। इसे भी पूर्तिकर्ता ही जारी करता है।
- (9) "दस्तावेज" ("Documents") में किसी भी प्रकार और इलेक्ट्रॉनिक का लिखित या मुद्रित रिकॉर्ड शामिल है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (टी) में परिभाषित किया गया है;
- (10) ऐसे सामान जिनके निर्माण में घरेलू इनपुट या सेवाएँ प्रयुक्त होती हैं उन्हें आयातित सामान पर कर या उपक्रम में छूट दी जा सकती है।
- (11) "परिवार" ("Family") का अर्थ है, —
(अ) जीवनसाथी और व्यक्ति के बच्चे, और
(ब) यदि वे व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी, भाई और बहन जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर निर्भर हैं;
- (12) "इनपुट" ("Input") का मतलब है कि कोई भी सामान जिसे व्यवसाय के पाठ्यक्रम में एक आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है;
- (13) "इनपुट सेवा" ("Input Service") का अर्थ है किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली या उपयोग की जाने वाली कोई भी सेवा;
- (14) "इनपुट सेवा वितरक" ("Input Service Distributor") का अर्थ है सामानों के आपूर्तिकर्ता का कार्यालय या सेवाओं या दोनों जो धारा 31 के तहत जारी किए गए कर चालान प्राप्त करते हैं। इनपुट सेवाओं की प्राप्ति और प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है।
- (15) "इनपुट टैक्स क्रेडिट" ("Input Tax Credit") का अर्थ यह क्रेडिट माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदाय पर पूर्तिकर्ता द्वारा चार्ज किए गए Input Tax (खरीदे गए माल या सेवा पर चुकाया गया) के सम्बन्ध में मिलेगी।
जीएसटी की धारा 2(62) के अनुसार इनपुट टैक्स से आशय किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला केंद्रीय कर (CGST), राज्य कर (SGST), या एकीकृत कर (IGST) सम्मिलित है।
- (16) "माल की इंट्रा-स्टेट सप्लाई" ("Intra-State Supply of Goods") का अर्थ है जब माल का प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता दोनों एक ही राज्य में है।

टिप्पणी

उदा. — जबलपुर का राम ग्वालियर के महेश को 5 लाख का सामान बेचता है।

- (17) “इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज” (“Intra-State Supply of Services”) का अर्थ है जब सेवा का आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता एक ही राज्य में हो।

उदा. — जबलपुर का सी.ए. अपने इन्दौर के क्लाइंट को 1 लाख कि सर्विस प्रदान करता है।

- (18) “इनवॉइस” या “टैक्स इनवॉइस” (“Invoice” or “Tax Invoice”) का अर्थ है धारा 31 में निर्दिष्ट कर चालान;

- (19) “नौकरी का काम” (“Job Work”) का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया कार्य जिसके बदले में वो कोई फीस या धन चार्ज करता है।

- (20) “स्थानीय प्राधिकारी” (“Local Authority”) का अर्थ है —

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में परिभाषित “पंचायत”;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में परिभाषित “नगर पालिका”;

(ग) एक नगर समिति, एक जिला परिषद, एक जिला बोर्ड और कोई अन्य कानूनी तौर पर अधिकार केंद्र सरकार या किसी राज्य द्वारा दिया जाता है या सौंपा जाता है नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्धन के साथ सरकार;

(च) संविधान के अनुच्छेद 3(1) के तहत गठित एक विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 3(1) ए के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद;

- (21) “सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान” (“Place of Recipient of Service”) का अर्थ है, —

(क) व्यवसाय का ऐसा स्थान, जहां व्यापार की जगह पर एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है जिसके लिए “ए” पंजीकरण प्राप्त किया गया है;

(ख) जहां व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है।

(ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर आपूर्ति प्राप्त होती है, चाहे व्यवसाय या निश्चित स्थापना का स्थान, स्थापना का स्थान आपूर्ति की प्राप्ति से सीधे सम्बन्धित; तथा

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता का निवास के सामान्य स्थापना का स्थान।

- (22) “सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान” (“Place of Supplier of Service”) का अर्थ है, —

(क) जहां व्यापार की जगह से एक आपूर्ति की जाती है जिसके लिए “ए” पंजीकरण प्राप्त किया गया है, व्यवसाय के ऐसे स्थापना का स्थान;

टिप्पणी

- (ख) जहां व्यापार की जगह के अलावा अन्य जगह से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित स्थापना कहीं और), या ऐसी निश्चित स्थापना का स्थान;
- (ग) जहाँ एक से अधिक प्रतिष्ठान से आपूर्ति की जाती है, चाहे व्यवसाय या निश्चित स्थापना का स्थान, स्थापना का स्थान सीधे आपूर्ति के प्रावधानों से सम्बन्धित; तथा
- (घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता का निवास के सामान्य स्थापना का स्थान।
- (23) "निर्माण" ("Construction") का अर्थ है किसी भी तरीके से कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्करण एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग होने वाले एक नए उत्पाद के उद्भव के परिणामस्वरूप और "निर्माता" शब्द तदनुसार भर्ती किया जाएगा;
- (24) "बाजार मूल्य" ("Market Value") का अर्थ है वह पूर्ण राशि जो आपूर्ति का प्राप्तकर्ता माल या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है। वह लागत जो माल के विक्रेता को वस्तु को बेचने पर प्राप्त होती है उसे बाजार मूल्य कहते हैं।
- (25) "मिश्रित आपूर्ति" ("Mixed Supply") का अर्थ है—माल या सेवाओं की दो या अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति, या किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर बनाया गया कोई भी संयोजन एकल मूल्य के लिए जहां ऐसी आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति का गठन नहीं करती है।
- (26) "पैसा" ("Money") का अर्थ है भारतीय कानूनी निविदा या कोई विदेशी मुद्रा, चेक, वचन पत्र, विनिमय बिल, ऋण पत्र, ड्राफ्ट, वेतन आदेश, यात्री जांच, मनी ऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या किसी अन्य उपकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- (27) "अनिवासी कर योग्य व्यक्ति" ("Not Resident Taxable Person") का अर्थ है कोई व्यक्ति जो कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से सम्बन्धित लेनदेन करता है।
- (28) "गैर-कर योग्य आपूर्ति" ("Non-taxable Supply") का अर्थ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है जो इस अधिनियम के तहत या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत कर लगाने योग्य नहीं है;
- (29) "गैर-कर योग्य क्षेत्र" ("Non-taxable Area") का अर्थ उस क्षेत्र से है, जो कर योग्य क्षेत्र से बाहर है;
- (30) "अधिसूचना" ("Notification") का अर्थ है – आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।
- (31) एक कर योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में "उत्पादन कर" ("Manufacturing Tax"), का अर्थ है कर के तहत कर माल या सेवाओं की कर योग्य

टिप्पणी

आपूर्ति या उसके या उसके एजेंट द्वारा दोनों पर यह अधिनियम लेकिन
रिवर्स चार्ज आधार पर उसके द्वारा देय कर को बाहर करता है;

- (32) एक कर योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में "बाहरी आपूर्ति" ("External Supply") का अर्थ है माल की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों, चाहे बिक्री, स्थानांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराये, पट्टे द्वारा निपटान या किसी अन्य मोड, पाठ्यक्रम में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए बनाई गई या सहमत हुई या व्यवसाय का आगे बढ़ना;
- (33) "व्यक्ति" ("Person") में शामिल हैं –
- (1) एक व्यक्ति;
 - (2) एक हिंदू अविभाजित परिवार;
 - (3) एक कंपनी;
 - (4) एक फर्म;
 - (5) एक सीमित देयता भागीदारी;
 - (6) व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक संगठन, चाहे शामिल हो या नहीं, भारत में या भारत के बाहर;
 - (7) किसी भी केंद्रीय अधिनियम, या राज्य अधिनियम के तहत किसी भी निगम की स्थापना, प्रांतीय अधिनियम, या धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित एक सरकारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013;
 - (8) किसी देश के कानूनों के तहत या उसके द्वारा निगमित किसी भी निकाय कॉरपोरेट भारत के बाहर;
 - (9) सहकारी समिति से सम्बन्धित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति।
 - (10) एक स्थानीय प्राधिकरण;
 - (11) केंद्र सरकार या राज्य सरकार;
 - (12) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत परिभाषित के रूप में;
 - (13) विश्वास; तथा
 - (14) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, उपरोक्त में से किसी में नहीं आता हो;
- (34) "व्यवसाय का स्थान" ("Place of Business") में शामिल है –
- (क) एक ऐसा स्थान है जहां से व्यापार सामान्य रूप से किया जाता है, और इसमें शामिल है गोदाम, एक गोदाम या कोई अन्य जगह जहां एक कर योग्य व्यक्ति अपने स्टोर करता है या माल, आपूर्ति माल और सेवाएँ दोनों प्राप्त करता है;
 - (ख) एक ऐसा स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति अपनी पुस्तकों की लेखा रखता है; या

(ग) एक ऐसा स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसे एजेंट नाम से भी पुकारा जाता है;

टिप्पणी

(35) "प्रिंसिपल" ("Principal") का अर्थ है एक व्यक्ति जिसकी ओर से एक एजेंट व्यवसाय करता है।

(36) "व्यवसाय का प्रमुख स्थान" ("Business Location") का अर्थ है, पंजीकरण के प्रमाण पत्र में व्यवसाय का प्रमुख स्थान;

(37) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में "उचित अधिकारी" ("Proper Officer"), का अर्थ है आयुक्त या केंद्रीय कर का अधिकारी जिससे वह कार्य किया जाता है;

(38) "तिमाही" ("Quarterly") का अर्थ होगा लगातार तीन कैलेंडर महीनों में एक अवधि, कैलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन

(39) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के "प्राप्तकर्ता" ("Receiver"), का अर्थ है –

(क) जहां माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक विचार देय है या दोनों, वह व्यक्ति जो उस विचार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई विचार देय नहीं है, व्यक्ति जिन पर माल पहुँचाया या उपलब्ध कराया जाता है, जिनके कब्जे में

(ग) वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की गई है, और जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है।

(40) "पंजीकृत व्यक्ति" ("Registered Person") का अर्थ है एक व्यक्ति जो धारा 25 के तहत पंजीकृत है लेकिन एक विशिष्ट पहचान संख्या वाले व्यक्ति को शामिल नहीं करता है;

(41) "वापसी" ("Returned") का अर्थ है किसी भी वापसी को निर्धारित या अन्यथा आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना;

(42) "रिवर्स चार्ज" ("Reverse Charge") का अर्थ है आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करना।

(43) "सेवाओं का अर्थ" ("Meaning of Services") माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न कोई वस्तु जिसके लिए प्रतिफल चार्ज किया गया है, सेवाओं के अंतर्गत आता है।

सेवाओं में सम्मिलित नहीं है –

1. विक्रय, उपहार या अन्य रूप में अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण
2. माल या वस्तुओं का विक्रय या हस्तांतरण
3. कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के लिए किया गया कार्य

टिप्पणी

4. न्यायालय द्वारा ली जाने वाली फीस

5. मुद्रा या वाद योग्य वादों का व्यवहार

उदा. — एक इंजीनियर द्वारा मकान के नक्शे के डिजाइन के लिए फीस चार्ज करना।

(44) “राज्य” (“State”) में विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है;

(45) “राज्य कर” (“State Tax”) का अर्थ है किसी भी राज्य माल और सेवा कर के तहत लगाया गया कर अधिनियम;

(46) “आपूर्तिकर्ता” (“Supplier”) किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में, इसका मतलब होगा उक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति और एजेंट शामिल होंगे।

(47) “कर अवधि” (“Tax Period”) का अर्थ उस अवधि से है, जिसके लिए रिटर्न की आवश्यकता होती है;

(48) “कर योग्य व्यक्ति” (“Taxable Person”) का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो पंजीकृत हो या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी हो।

(49) “दूरसंचार सेवा” (“Communication Service”) का अर्थ है, किसी भी विवरण की सेवा (सहित) इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉयस मेल, डेटा सेवाओं, ऑडियो पाठ सेवाओं, वीडियो पाठ सेवाओं, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं) जिसे उपलब्ध कराया गया है।

(50) “सामान्य निवास स्थान” (“Normal Residential Place”) का अर्थ है —

(ए) एक व्यक्ति के मामले में, वह स्थान जहाँ वह आमतौर पर रहता है;

(बी) अन्य मामलों में, वह स्थान जहाँ व्यक्ति को शामिल किया जाता है या अन्यथा कानूनी रूप से गठित;

(51) “केंद्र शासित प्रदेश” (“Union Territories”) का अर्थ है —

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;

(ख) लक्षद्वीप;

(ग) दादरा और नगर हवेली;

(घ) दमन और दीव;

(ड) चंडीगढ़; तथा

(च) अन्य क्षेत्र।

स्पष्टीकरण। — इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र

उप-खंड (ए) से (एफ) को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा;

(52) “वाउचर” (“Voucher”) का अर्थ है एक प्रलेख जिसे पूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं की पूर्ति करने पर प्राप्तकर्ता को दिया जाता है।

टिप्पणी

- (53) "अनुबन्ध कार्य करता है" ("Contract Job") का अर्थ भवन, निर्माण, निर्माण के लिए एक अनुबन्ध है, पूर्णता, निर्माण, स्थापना, फिटिंग आउट, सुधार, संशोधन, मरम्मत, किसी अचल संपत्ति का रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन या कमीशन माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में), इस तरह के अनुबन्ध के निष्पादन में शामिल हैं।
- (54) इस अधिनियम में परिभाषित और इस्तेमाल नहीं किए गए शब्द और भाव लेकिन में परिभाषित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम और माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम समान होगा।
- (55) इस अधिनियम का कोई संदर्भ जो जम्मू राज्य में लागू नहीं है और उस राज्य के सम्बन्ध में कश्मीर को एक संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- CGST अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था?
(क) 2016 (ख) 2017
(ग) 2018 (घ) 2015
- CGST अधिनियम के अनुसार कृषक का अर्थ है –
(क) स्वयं के श्रम से
(ख) परिवार के श्रम से
(ग) नौकरों द्वारा नकद या इस तरह देय मजदूरी पर
(घ) उपरोक्त सभी

1.3 वस्तु एवं सेवाकर के आधारभूत तत्व (Basic Elements of Goods and Services Tax)

माल और सेवा कर (GST) को स्वतंत्रता के बाद के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक के रूप में पहचाना गया है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर सुधार को तोड़ने वाला एक मार्ग है, जो अंतर-राज्य व्यापार बाधाओं को दूर करके एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा। जीएसटी ने केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को सब्सक्राइब (अवशोषित या शामिल) किया है।

किसी भी कर को वसूलने की शक्ति भारत के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 255 के अनुसार किसी भी कानून के अधिकार को छोड़कर कोई कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। चार्जिंग सेक्शन के टैक्स (लगान) और कर के भुगतान (भुगतान) के लिए किसी भी कर कानून में आवश्यक है। किसी भी कर संविधि में कर के प्रभार के लिए बहुत ही मूल है कर

टिप्पणी

योग्य घटना, अर्थात् उस समय की बात जब कर लगाया जाएगा। प्री जीएसटी शासन के तहत, प्रत्येक अप्रत्यक्ष करों में अलग-अलग कर योग्य घटना होती है (जैसे उत्पाद शुल्क के मामले में निर्माण, सेवा कर के मामले में सेवाओं का प्रावधान, वैट/सीएसटी के मामले में माल की बिक्री, आदि) जीएसटी शासन के तहत कर योग्य घटना, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है।

जीएसटी ने निम्नलिखित करों को अवशोषित किया है –

1. केंद्रीय कर, राज्य कर
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क/मनोरंजन कर
4. सेवा कर/प्रवेश कर
5. सरचार्ज और सेस लगजरी टैक्स
6. केंद्रीय बिक्री कर/खरीद कर
7. राज्यों के बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर VAT

जीएसटी को पहली बार फ्रांस में वर्ष 1954 में पेश किया गया था। इसकी शुरुआत के 62 वर्षों के भीतर दुनिया भर के लगभग 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया है। आमतौर पर जीएसटी सिंगल मॉडल के लिए लोकप्रिय है लेकिन कनाडा और ब्राजील में भी जीएसटी का दोहरा मॉडल है। भारत ने दोहरे जीएसटी को अपनाया है जो केंद्र और राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लागू किया गया है।

1.3.1 भारत में जीएसटी की उत्पत्ति (Origin of GST in India)

2004 केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश से भारत में जीएसटी के विचार का उद्गम हुआ था, 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने केंद्रीय बजट (2007-08) पेश करते हुए भारत में जीएसटी लागू करने की घोषणा की। 2014 में एनडीए सरकार ने संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक को पेश किया (2016)। इसे 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 बना, जिसने भारत में जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।

1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया।

1.3.2 जीएसटी के लिए संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendment for GST)

संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए 8/09/2016 को लागू किया गया था।

(क) कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं पर समवर्ती (एक साथ) शक्ति, वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने के लिए।

टिप्पणी

- (ख) मानव उपभोग के लिए मादक शराब को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की सभी आपूर्ति पर कर लगाया जाएगा।
- (ग) संसद के पास अंतर-राज्य के माल और सेवा कर (एक राज्य से दूसरे राज्य) आपूर्ति के सम्बन्ध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।
- (घ) संसद आपूर्ति की जगह निर्धारित करने के लिए सिद्धान्तों का फैसला करेगी।
- (ङ.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 9 ए का स्पष्टीकरण यह प्रदान करता है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।
- (च) निम्नलिखित मदों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क उनके उत्पादन पर लगाया जाएगा और सम्बन्धित राज्य अपनी बिक्री पर बिक्री कर लगाएंगे।
- (i) पेट्रोलियम क्रूड
 - (ii) उच्च गति डीजल
 - (iii) मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है)
 - (iv) प्राकृतिक गैस
 - (v) विमानन टरबाइन ईंधन
 - (vi) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद
- (छ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 2)9 भारत के राष्ट्रपति को वस्तु और सेवा कर परिषद (जीएसटी परिषद) के अध्यक्ष के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार देता है।
- (i) जीएसटी की दर
 - (ii) मूल्यांकन और अन्य मौलिक नियम
 - (iii) छूट
 - (iv) भविष्य में परिवर्तन
 - (v) वापसी
 - (vi) पंजीकरण

1.3.3 वैधानिक ढाँचा (Statutory Framework)

भारत में कुल 35 GST अधिनियम हैं –

1. केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 इंटर-माल और सेवाओं की राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने के लिए।
2. वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सम्बन्धित राज्य द्वारा एसजीएसटी लगाने के लिए राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017।

माल और सेवाओं की अंतर-क्षेत्रीय आपूर्ति पर राज्य विधानसभाओं के बिना 5 केंद्र शासित प्रदेशों में UTGST लगाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश माल और

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

IGST लगाने के लिए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने के लिए वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017।

1.3.4 जीएसटी की संरचना (GST Structure)

1. पूरे भारत (जम्मू और कश्मीर सहित) में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है। यह निर्माता से उपभोक्ता के लिए सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। जीएसटी के तहत पिछले चरणों में भुगतान किए गए करों का क्रेडिट आउटपुट टैक्स से ऑफ-सेट के रूप में उपलब्ध है।
2. जीएसटी गंतव्य आधारित उपभोग कर है। कर (एस जी एस टी/यूटीजीएसटी) का लाभ लेने वाले राज्य को मिलेगा।
3. केंद्र और राज्य एक साथ वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाएंगे। केंद्र अब राज्य के भीतर माल की बिक्री पर कर लगा सकता है और राज्य सेवाओं पर कर लगा सकते हैं।
 - (अ) वस्तुओं और सेवाओं की इंटर-स्टेट आपूर्ति। केंद्र सरकार को CGST- देय Union एसजीएसटी/यूटीजीएसटी-राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देय (जहां लागू हो) उनका उपभोग किया जाता है
 - (ब) वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति Pay IGST - केंद्र सरकार को देय
4. केंद्र सीजीएसटी और आईजीएसटी लेवी प्रशासन करेगा जबकि सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसजीएसटी/यूटीजीएसटी लगाएंगे और प्रशासन करेंगे।
5. आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और IGST मूल सीमा शुल्क के साथ प्रभार्य होगा।
6. हालांकि, जीएसटी में निर्यात को जीरो रेटेड आपूर्ति माना जाएगा और कोई आईजीएसटी देय नहीं है।
7. जीएसटी की दरें 0.1%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। इसके अलावा, पान मसाला, कोयला, वातित पानी और मोटर कार (सिन सेस) पर मुआवजा उपकर देय होगा। जीएसटी पर कोई शिक्षा उपकर या स्वच्छ भारत उपकर या कृषि कल्याण उपकर नहीं है।
8. जीएसटी की गणना वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य पर की जाएगी, जो लेनदेन मूल्य है। (कुछ अपवादों के अधीन)।
9. जीएसटी के तहत, हर आपूर्तिकर्ता जिन्होंने कर योग्य आपूर्ति की है, को जीएसटी कानून के तहत खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

10. एक पंजीकृत व्यक्ति आउटपुट टैक्स से भुगतान किए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट (कटौती) लेने का हकदार है (यदि कोई भी हो) निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन है –

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम

टिप्पणी

- (अ) आईजीएसटी का उपयोग: पहले आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है फिर शेष राशि का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान की ओर किया जा सकता है
- (ब) सीजीएसटी का उपयोग: पहले सीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है फिर शेष राशि का उपयोग आईजीएसटी के भुगतान की ओर किया जा सकता है।
- (स) एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का उपयोग: पहले एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है फिर शेष राशि का उपयोग आईजीएसटी के भुगतान की ओर किया जा सकता है।
11. जीएसटी शासन के तहत अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में एक सहज (बिना किसी बाधा के) ऋण प्रवाह है, जो पूर्व जीएसटी अवधि में संभव नहीं था। खरीदार द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के लिए कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। जीएसटी शासन के तहत निर्बाध ऋण प्रवाह निम्नानुसार होगा –
- (अ) निर्यात करने वाले राज्य में अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ता को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी में उसके द्वारा की गई अंतर-राज्य आपूर्ति पर देय आईजीएसटी के खिलाफ उपलब्ध क्रेडिट सेट करने की अनुमति है।
- (ब) अंतर-राज्य आपूर्ति में आयात करने वाले राज्य का खरीदार आउटपुट कर से खरीद पर भुगतान किए गए IGST का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।
- (स) निर्यातक राज्य IGST के भुगतान के लिए उपयोग किए गए SGST/ UTGST का क्रेडिट केंद्र को हस्तांतरित करता है।
- (द) केंद्र एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान में उपयोग किए जाने वाले आईजीएसटी के क्रेडिट को आयात करने वाले राज्य में स्थानांतरित करता है।
12. एक सामान्य पोर्टल या प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर सके और दावों का सत्यापन कर सके और सम्बन्धित सरकार को धन हस्तांतरित करने के लिए सूचित कर सके। यह एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे की मदद से संभव है। तदनुसार, सरकार ने कर और भुगतान करने वालों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा प्रबन्धित एक वेबसाइट जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (www.gst.gov.in) की स्थापना की है, जो केन्द्रीय और राज्यों के लिए

स्क. अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

सामान्य आईटी अवसंरचना है। मुख्य रूप से, GSTN करदाताओं को तीन सेवाएँ प्रदान करता है।

- (क) पंजीकरण की सुविधा।
- (ख) केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेषित करना।
- (ग) IGST की संगणना और निपटान।
- (घ) बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरण का मिलान।
- (ङ.) करदाताओं की प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना।

1.3.5 जीएसटी के फायदे (Benefits of GST)

जीएसटी पूरे देश के लिए एक जीत की स्थिति है। यह उद्योग, सरकार और ग्राहकों के सभी हितधारकों को लाभ प्रदान करता है। जीएसटी के महत्वपूर्ण लाभों की यहां चर्चा की गई है –

- (अ) एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण: जीएसटी का लक्ष्य भारत को एक आम कर दरों और अनुपालन (प्रक्रियाओं) के साथ एक साझा बाजार बनाना है और राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।
- (ब) कैस्केडिंग के बुरे प्रभावों का शमन: जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के अधिकांश करों को एक कर में अप्रत्यक्ष कर दिया और पूरे मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया में लेनदेन के लिए आउटपुट कर से भुगतान किए गए कर के क्रेडिट की अनुमति दी। “कर पर कर” का उन्मूलन उद्योग को लाभ देता है।
- (स) सरकारी राजस्व में वृद्धि: जीएसटी से कर आधार को चौड़ा करने और करदाता अनुपालन में सुधार से सरकार के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

3. “केंद्रशासित प्रदेश” है—
 - (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
 - (ख) दमन और दीव
 - (ग) उपरोक्त सभी
 - (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. भारत में कुल GST अधिनियम हैं—

(क) 35	(ख) 36
(ग) 37	(घ) 38

1.4 आपूर्ति के अर्थ और स्कोप (Meaning and Scope of Supply)

टिप्पणी

जीएसटी में कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति है, जो परिक्रमा करती है। विभिन्न कर योग्य घटनाओं जैसे कि निर्माण, बिक्री, खरीद, राज्य के एक क्षेत्र में प्रवेश आदि के साथ ही एक ही घटना अर्थात् आपूर्ति के पक्ष में किया गया है। संविधान "माल और सेवा कर" को माल की किसी भी कर आपूर्ति के रूप में परिभाषित करता है, या सेवाओं या दोनों, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर।

केंद्र और राज्य सरकारों को इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर GST लगाने के लिए एक साथ अधिकार होगा। हालांकि, परमपद के पास इंटर-स्टेट सप्लाई पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के लिए कानून बनाने के लिए विशेष शक्ति होगी।

"आपूर्ति" शब्द को अधिनियम में सम्मिलित रूप से परिभाषित किया गया है। जीएसटी के तहत आपूर्ति का दायरा छह मानकों का पालन करते हुए समझा जा सकता है, जिसे आपूर्ति के रूप में लेनदेन को प्राप्त करने के लिए अपनाया जा सकता है:

1. माल या सेवाओं की आपूर्ति किसी भी अन्य सामान या सेवाओं की आपूर्ति जीएसटी को आकर्षित नहीं करती है।
2. आपूर्ति एक विचार के लिए की जानी चाहिए।
3. आपूर्ति पाठ्यक्रम या आगे के व्यवसाय में की जानी चाहिए।
4. आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।
5. आपूर्ति एक कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए।
6. कर योग्य क्षेत्र के भीतर आपूर्ति की जानी चाहिए।

जबकि ये छह पैरामीटर आपूर्ति की अवधारणा का वर्णन करते हैं, एक विचार के लिए और या व्यवसाय में आपूर्ति की आवश्यकता के लिए कुछ अपवाद हैं। बिना किसी विचार के माल या सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी लेन-देन कोई आपूर्ति नहीं है, कुछ धारणाओं को छोड़कर, जिसमें लेनदेन को बिना विचार किए एक आपूर्ति माना जाता है। इसके अलावा, सेवाओं का आयात, पाठ्यक्रम में या आगे नहीं किया गया है या आपूर्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है।

1.4.1 माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति (Supply of Goods or Services or Both)

वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं को जीएसटी कानून में परिभाषित किया गया है। प्रतिभूतियों को सेवाओं के सामानों की परिभाषा से बाहर रखा गया है। धन को सामानों के साथ-साथ सेवाओं से भी हटा दिया जाता है, हालांकि, धन या इसके रूपांतरण को नकदी या बयानी अन्य विधा द्वारा उपयोग करना, एक रूप,

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

मुद्रा या संप्रदाय, अमानवीय रूप, मुद्रा या संप्रदाय से अलग करना, जिसके लिए एक पृथक्करण है, शुल्क सेवाओं में शामिल हैं।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची II में कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, माल में शीर्षक का कोई भी हस्तांतरण एक आपूर्ति सामान होगा, जबकि माल के अधिकार के किसी भी हस्तांतरण को शीर्षक के बिना सेवाओं के रूप में माना जाएगा।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लिए आगे की अनुसूची 2017 में गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि न तो माल की आपूर्ति की जाएगी और न ही सेवाओं की आपूर्ति या जीएसटी के दायरे से बाहर यह भी शामिल है –

1. एक कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के सम्बन्ध में नियोक्ता को पाठ्यक्रम में सेवाएँ।
2. मृतक के अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर परिवहन के लिए सेवाएँ।
3. भूमि की बिक्री और भवन की बिक्री, जहां पूरा होने के बाद या उसके पहले कब्जे के बाद पूरे परिसर को प्राप्त किया गया है।

कार्रवाई के दावे माल की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, हालांकि, अनुसूची III प्रदान करता है कि कार्रवाई योग्य दावा अन्य लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के लिए न तो सामान सेवा प्रदान करेगा।

1.4.2 आपूर्ति के लिए विचार (Consideration for Supply)

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में विचार को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। यह धन में या प्रकार में हो सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी भी सब्सिडी पर विचार नहीं किया जाता है। यह सारहीन है कि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार, नीचे उल्लिखित गतिविधियों को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, भले ही वह विवादास्पद हो –

1. व्यावसायिक परिसंपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण या निपटान जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों पर कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया है।
2. सामान या सेवाओं की आपूर्ति या सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच या अलग-अलग व्यक्तियों के बीच निर्दिष्ट शिलालेख 25 के रूप में, जब पाठ्यक्रम या अग्रिम में बनाया गया हो: बशर्ते कि एक नियोक्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक बेरोजगार को माल अथवा सेवा या दोनों के रूप में दिए जाने वाले उपहार 50000 रु. से अधिक नहीं हो।
3. माल की आपूर्ति – (ए) एक प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से इस तरह के सामान की आपूर्ति करने का वचन देता है; या

(बी) एक एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को, जहां प्रिंसिपल की ओर से इस तरह के सामान को प्राप्त करने का उपक्रम करता है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम

4. एक सम्बन्धित व्यक्ति से या उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान से एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा सेवाओं का आयात, व्यवसाय के दौरान या आगे।

टिप्पणी

1.4.3 कर योग्य आपूर्ति (Taxable Supplies)

माल की पूर्ति का ऐसा मुल्य होगा जो कि माल की उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या किया जाता है। Invoice (बीजक) में पूर्ति किए गए माल के कर योग्य मुल्य पर देय जीएसटी की राशि का उल्लेख होता है

उदा. – एक टी.वी. निर्माता कम्पनी द्वारा अपनी उत्पादित टी.वी. के एक विशिष्ट मॉडल को 8000 रु. प्रति टी.वी. मुल्य दर पूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त पैकिंग पर 400 रु. एवं ट्रक भाड़ा 600 रु. प्रति मशीन वसूलती है तो परिस्थिती में जीएसटी $8000 + 400 + 600 = 9000$ रु. पर देय होगा।

1.4.4 कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति (Supply in Taxable Area)

जीएसटी को आकर्षित करने के लिए आपूर्ति के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर आपूर्ति का स्थान भारत में होना चाहिए। किसी भी सामान या सेवाओं की प्लेस ऑफ आपूर्ति IGST अधिनियम 2017 के आधार पर 10, 11, 12 और 13 के आधार पर निर्धारित की जाती है।

1.4.5 इंटर/इंट्रा स्टेट सप्लाई (Inter/Intra State Supply)

जब वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता दोनों एक समान राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में होते हैं तब इस प्रकार की आपूर्ति को इंटरा स्टेट आपूर्ति कहते हैं।

जब वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता एवं आपूर्तिकर्ता दो भिन्न-भिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश से होते हैं तो उसे अंतराज्यीय आपूर्ति कहा जाता है।

1.4.6 मिश्रित/मिश्रित आपूर्ति (Mixed/Mixed Supplies)

एक समग्र आपूर्ति का मतलब एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली आपूर्ति से है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं या सामानों की आपूर्ति शामिल होती है, जो स्वाभाविक रूप से व्यापार के मूल पाठ्यक्रम में एक-दूसरे के साथ मिलकर आपूर्ति की जाती है, जिनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है। उदाहरण के लिए, मुंबई से दिल्ली के लिए यात्रा टिकट में बोर्ड पर दिए जाने वाले भोजन, मुफ्त बीमा और हवाई अड्डे के लाउंज का उपयोग शामिल हो सकता है। इस संदर्भ में, यात्री का परिवहन कंपोजिट सप्लाई के पूर्व-प्रमुख तत्व का गठन करता है, और इसे प्रमुख आपूर्ति के रूप में माना जाता है और अन्य सभी सहायक होते हैं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

जीएसटी कानून निम्नलिखित तरीके से एक समग्र आपूर्ति पर कर देयता को कम करता है।

टिप्पणी

1. समग्र आपूर्ति जिसमें दो या दो से अधिक आपूर्ति शामिल हैं, जो एक प्रमुख आपूर्ति है, को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा जैसे कि मुख्य आपूर्ति।
2. मिश्रित आपूर्ति जिसमें दो या अधिक आपूर्ति शामिल हैं, उस विशेष आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में धोखा देती है, जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

5. आपूर्ति क्या है?
(क) जीएसटी में कर योग्य घटना (ख) वैध रिटर्न
(ग) सुसज्जित रिटर्न (घ) गोदाम।
6. इंट्रा स्टेट सप्लाई का अर्थ है—
(क) आपूर्तिकर्ता के स्थान की आपूर्ति और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
(ख) आपूर्तिकर्ता के स्थान की आपूर्ति और आपूर्ति का स्थान भिन्न हो
(ग) उपरोक्त सभी
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

1.5 सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत लेवी और संग्रहण कर (Levy and Collection of Tax under CGST Act, IGST Act and UTGST Act)

सीजीएसटी अधिनियम/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 9 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 जीएसटी के लागू करने के प्रयोजनों के लिए चार्जिंग अनुभाग हैं।

सीजीएसटी और एसजीएसटी को वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी इंटर-स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाएगा और आईजीएसटी को क्रमशः माल और/या सेवाओं की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा।

1.5.1 सीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 9) (Levy and Collection under GST under CGST Act. (Section 9))

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम

टिप्पणी

1. केंद्रीय माल और सेवा कर की धारा (धारा 9(1)) (Section of central goods and services tax [Section 9 (1)]):

सीजीएसटी अधिनियम के तहत, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) के रूप में कहा जाने वाला केंद्रीय कर मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, सभी वस्तुओं या सेवाओं की सभी इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाएगा।

यह धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर लगाया जाएगा, जो 20% से अधिक नहीं है, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है और निर्धारित तरीके से एकत्र किया जा सकता है और कर योग्य द्वारा भुगतान किया जाएगा। (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के तहत समान दरें निर्धारित की गई हैं)

2. पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय कर अधिसूचित होने की तिथि से लगाया जाएगा (धारा 9 (2)) Central taxes on petroleum products shall be levied from the date of notification [Section 9 (2)]:

पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की आपूर्ति पर केंद्रीय कर ऐसी तारीख से लागू किया जाएगा, जिसे सरकार को परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

3. रिवर्स चार्ज के आधार पर देय कर (धारा 9 (3)) (Tax payable on reverse charge basis [Section 9 (3)]):

सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना के द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है या दोनों, जिस पर ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे सामानों या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

4. यदि अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, तो रिवर्स चार्ज पर कर देय होता है (धारा 9 (4)) If supplied by unregistered person to registered person, then tax is payable on reverse charge [Section 9 (4)]:

कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में केंद्रीय कर या एक आपूर्तिकर्ता द्वारा, जो पंजीकृत नहीं है, एक पंजीकृत व्यक्ति को प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे। इस तरह के प्राप्तकर्ता के रूप में अगर वह ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। (धारा 9 (4) को 30.6.2018 तक टाल दिया गया है)

5. अधिसूचित सेवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर देय कर (धारा 9 (5)) (Tax payable on intra-state supply by electronic commerce operator on notified services) [Section 9 (5)]:

CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 (45) के अनुसार, "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर" का अर्थ है, कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है, संचालित करता है या उसका प्रबन्धन करता है।

इसके अलावा, "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" का अर्थ है माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद शामिल हैं।

इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स (ECO), जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, uber, makemy, डिस्ट्रे उत्पादों के साथ-साथ ऐसी सेवाएं जो वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता को उनके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर आपूर्ति की जाती हैं। उपभोक्ता इन पोर्टलों के माध्यम से ऐसे सामान/सेवाओं को खरीदते हैं। किसी विशेष उत्पाद/सेवा के लिए ऑर्डर देने पर, वास्तविक आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को चयनित उत्पाद/सेवा की आपूर्ति करता है। उत्पाद/सेवा के लिए मूल्य/विचार ECO द्वारा उपभोक्ता से एकत्र किया जाता है और ECO द्वारा कमीशन की कटौती के बाद वास्तविक आपूर्तिकर्ता को दिया जाता है।

सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं की श्रेणियों को इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर निर्दिष्ट कर सकती है, जिसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) द्वारा किया जाएगा, यदि ऐसी सेवाएँ इसके माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं।

इसके अलावा, इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्ता के लिए उत्तरदायी है।

हालांकि, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) कर योग्य क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं रखता है, तो कर योग्य क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर (ईसीओ) का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जहां एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के पास कर योग्य क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है और साथ ही उसके पास उक्त क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर कर का भुगतान करने के उद्देश्य

से एक व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में नियुक्त करेंगे और ऐसा व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम

Tax Rate under GST

टिप्पणी

शून्य दर (Zero Rate)

इनमें वे वस्तुएँ शामिल होती हैं, जो करमुक्त हैं। इनमें निम्न प्रमुख हैं –

1. अण्डे, मांस, हड्डियाँ, सींग, पशु आहार, कुक्कुट आहार, मछली आहार, भूसी।
2. पशु और मानव द्वारा संचलित कृषि उपकरण।
3. स्लेट, पैन्सिल, चॉक, ड्राईंग पुस्तकें।
4. पापड़, परमल, चिवड़ा, ब्रेड, डबल रोटी, ताजा दूध, दही, पनीर, छाछ।
5. अनब्राण्डेड गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजार, जौ आदि।
6. अनब्राण्डेड दालें और दलहन।
7. नमक, काला नमक, सेंधा नमक, गुड़, खाण्डसारी शक्कर।
8. सभी प्रकार की ताजी सब्जियाँ, आलू, लहसून, अदरक आदि और ताजे फल।
9. पुस्तकें, सामाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, नक्शे, ग्लोब।
10. अनब्राण्डेड आटा, मैदा, रवा, बेसन, सूजी, प्राकृतिक शहद (अनब्राण्डेड)।
11. काँच की चूड़ियाँ, कुमकुम, सिन्दूर, आल्टा, काजल और राखियाँ।
12. ताजे फूल, झाड़ू, पौधे, बीज, जलाऊ लकड़ी, कोयला।
13. खादी के वस्त्र और सूत।
14. निरोध एवं गर्भ निरोधक।

(I) 0.25% की दर (0.25% Tax Rate)

इसमें कच्चे हीरे और रत्न सम्बन्धी माल रखा जाता है, अन्य नहीं।

(II) 3% की दर (3% Tax Rate)

इसमें बहुमूल्य धातुएँ और आभूषण को शामिल किया जाता है –

1. सोना, चाँदी, बहुमूल्य धातुएँ और इनसे बने आभूषण।
2. इमीटेशन ज्वेलरी, सिक्के, हीरे, रत्न, माणिक-मोति।
3. डायमण्ड ज्वेलरी बहुमूल्य धातुओं के बर्तन, मूर्तियाँ आदि।

(IV) 5% की दर (5% Tax Rate)

इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएँ आती हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्न शामिल हैं।

1. ब्राण्डेड अनाज, दाल, चावल, आटा, मैदा, रवा शक्कर और मीठा दूध।
2. कपास, कपास का धागा दियासलाई, मोमबत्तियाँ।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

3. चमड़ा खालें और रासायनिक उर्वरक।
4. चायपत्ती, काफी, सूखे मेवे (बादाम—पिश्ता छोड़कर)।
5. सभी प्रकार के तिलहन और तेल—सोयाबीन, मूँगफली, राई, अलसी, तिल और इनके तेल।
6. एक हजार रुपये तक के जूते, रेडीमेड कपड़े, होजयरी और ऊनी स्वेटर।
7. सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत केरोसिन।
8. ब्राण्डेड शहद, अगरबत्ती, धूपबत्ती, नमकीन सेंव, भुजिया और गजक।
9. कृत्रिम अंग, नेत्रहीन व्यक्तियों के उपकरण।
10. सब्जी और फल जो फ्रोजन हो तथा हैंड पंप।

(V) 12% की दर (12% Tax Rate)

मध्यम वर्ग द्वारा प्रयुक्त सामान्य वस्तुएँ इसमें शामिल हैं —

1. खिलौने, मोबाइल फोन, पुर्जे, एल.ई.डी. लैम्प, सिलाई मशीन, ट्राइसाइकल, बिजली चलित वाहन।
2. टूथपेस्ट, टूथपाउडर, कांटेक्ट लेंस, कागज पेपर बोर्ड, अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं बुक्स।
3. देशी घी, बटर क्रीम, सोया दुग्ध पेय।
4. फीडिंग बाटल्स और निपल्स।
5. साइकल और उसके पार्ट्स, कालीन, कारपेट, रस्सियाँ।
6. दवाइयाँ, कैलेण्डर, छपे हुए कार्ड, फाउण्टेन पेन, बाल पेन और इनकी स्याही।
7. ज्यामेट्री बॉक्स, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर किचन उपकरण और फर्नीचर।

(VI) 18% की दर (18% Tax Rate)

इसमें आरामदायक और सुविधाजनक वस्तुओं को शामिल किया जाता है —

1. चाकलेट, बिस्किट, वेफर्स, च्यूइंगम, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, टॉफीज।
2. साबुन, शेम्पू, हेयरडाई, टायलेट परफ्यूम, कास्मेटिक एवं अन्य सौन्दर्य प्रसाधन।
3. मशीन निर्मित दियासलाई, एलपीजी स्टोव।
4. बीड़ी का रैपर (तेंदूपत्ता), आतिशबाजी, कृत्रिम फलावर।
5. फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों, बिजली का सामान, तार केबल, वाशिंग मशीन, फ्रीज, वेक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, टाइपराइटर, कैलक्यूलेटर, अन्य मशीनें।
6. गद्दे, तकिये, मेट्रेस, पॉलिश, क्रीम, व्यायाम और जिमनास्टिक के साधन।
7. लेखा पुस्तकें, फाइल्स, रजिस्टर, फाइल कवर।
8. घड़ियाँ और उनके उपकरण, ट्रेक ब्रीफकेस, सूटकेस।

9. 500 रु. से अधिक मूल्य के जूते।
10. पेन्ट, वार्निश और पुट्टी, सेंट, स्प्रे, टायलेट स्प्रे।
11. टेलीविजन सेट, रेडियो, टेप रिकार्डर, कम्प्यूटर, कटलरी सामान, स्टेशनरी आदि।
12. टाइल्स, ब्लॉक पैवर्स, मार्बल, सेनेटरी सामान, ग्लास वेअर और बाथरूम उपकरण।
13. आयरन और स्टील से बने उपकरण।

टिप्पणी

(VII) 28% की दर (28% Tax Rate)

इस वर्ग में विलासिता और उच्च मध्यम वर्ग द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को रखा है। इसमें निम्न प्रमुख वस्तुएँ शामिल हैं –

1. मोटर कार, एसयूवी, मोटर साइकल, दो पहिया वाहन, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, वायुयान, हेलीकाप्टर आदि वाहन।
2. वाहनों के टायर्स, पुर्जे, एसेसरीज, ट्रैक्टर, रोलर्स, जेसीबी।
3. तम्बाकू, सिगरेट, चुरुट, शीतल पेय (पेप्सी, स्पाइट आदि)
4. वीडियो गेम्स, एयर कंडिशनर, वीडियो कैमरा आदि उपकरण।
5. रिवाल्वर, पिस्तौल।

उपकर (Cess)

जीएसटी से राज्यों को होने वाले राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ विलासिता की वस्तुओं एवं स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद वस्तुओं पर उपरोक्त 28% की दर के अलावा उपकर (Cess) भी लगाया गया है। मोटर कारों, सिगरेटों, पान मसालों, तम्बाकू पदार्थों, पेयों पर यह उपकर लगाया गया है।

1.5.2 आईजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 5) (Levy and Collection under GST under IGST Act. (Section 5))

IGST अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रावधान CGST अधिनियम की धारा 9 के समान हैं –

1. सीजीएसटी शब्द को IGST अधिनियम के तहत IGST द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है
2. IGST अधिनियम के तहत, एकीकृत कर कहा जाने वाला कर सभी इंटरस्टेट आपूर्ति और भारत में आयात होने वाले सामान पर लगाया जाना है।
3. IGST अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत अधिकतम दर 40% (यानी 20% CGST + 20% UTGST) है।

टिप्पणी

1.5.3 यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत लेवी और संग्रहण। (धारा 7) (Levy and Collection under GST under UTGST Act. (Section 7))

UTGST अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रावधान CGST अधिनियम की धारा 9 के समान हैं –

1. शब्द CGST को UTGST अधिनियम के तहत UTGST शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
2. यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत, यूटी टैक्स नामक कर सभी इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाता है,
3. UTGST अधिनियम की अधिकतम दर 7 (1) 20% है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

7. लेवी और संग्रह के अंतर्गत नहीं आता है—
(क) राज्य के भीतर आपूर्ति (ख) अंतर राज्य आपूर्ति
(ग) देश के भीतर आपूर्ति (घ) उपरोक्त सभी।
8. "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर" CGST अधिनियम 2017 की किस धारा के अंतर्गत आते हैं?
(क) धारा 5 (45) (ख) धारा 7 (45)
(ग) धारा 9 (45) (घ) धारा 2 (45)।

1.6 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (ख)
2. (घ)
3. (ग)
4. (क)
5. (क)
6. (क)
7. (ग)
8. (घ)

1.7 सारांश (Summary)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम

टिप्पणी

2004 केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश से भारत में जीएसटी का विचार का उद्गम हुआ था। 2007 में केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने केंद्रीय बजट (2007-08) पेश करते हुए भारत में जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी। 2014 एनडीए सरकार ने संविधान (122 वाँ संशोधन) विधेयक को पेश किया (2016)। इसे 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और संविधान (101 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 बना, जिसने भारत में जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। भारत (जम्मू और कश्मीर सहित) में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है। यह निर्माता से उपभोक्ता के लिए सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है।

भारत में कुल 35 GST अधिनियम हैं –

1. केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 इंटर-माल और सेवाओं की राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने के लिए।
2. वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सम्बन्धित राज्य द्वारा एसजीएसटी लगाने के लिए राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017।

जीएसटी में कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति है जो परिक्रमा करती है। विभिन्न कर योग्य घटनाओं जैसे कि निर्माण, बिक्री, खरीद, राज्य के एक क्षेत्र में प्रवेश आदि के साथ ही एक ही घटना अर्थात् आपूर्ति के पक्ष में किया गया है। संविधान "माल और सेवा कर" को माल की किसी भी कर आपूर्ति के रूप में परिभाषित करता है, या सेवाओं या दोनों, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर।

केंद्र और राज्य सरकारों को इंटर-स्टेट आपूर्ति पर GST लगाने के लिए एक साथ अधिकार होगा। हालांकि, परमपद के पास इंटर-स्टेट सप्लाय पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के लिए कानून बनाने के लिए विशेष शक्ति होगी।

सीजीएसटी अधिनियम/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 9 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 जीएसटी के लागू करने के प्रयोजनों के लिए चार्जिंग अनुभाग हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी को वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी इंटर-स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाएगा और आईजीएसटी को क्रमशः माल और/या सेवाओं की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा।

जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब हैं, जिनमें हर एक स्लैब में वस्तुएँ और सेवाएँ निर्धारित की गयी हैं, जिसके अनुसार टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी के आने से अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में क्रांति आ गयी है अब यह कर व्यापारी स्वयं ही भर सकता है और रिफंड भी प्राप्त कर सकता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

1.8 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- वैध रिटर्न: सुसज्जित रिटर्न जिस पर स्व-मूल्यांकन कर का पूरा भुगतान किया गया है
- वाउचर: वैध दस्तावेज
- स्लैब: भाग, लेवल

1.9 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. आपूर्ति क्या होती है? आपूर्ति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए।
2. लेवी और संग्रहण कर कैसे कार्य करता है?
3. ECO कंपनियों के लिए GST प्रक्रिया को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के आधारभूत तत्वों को समझाइए।
2. जीएसटी की संरचना तथा फायदे लिखिये।
3. जीएसटी के अंतर्गत लेवी और संग्रहण को समझाइए।

1.10 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. मेहरोत्रा एवं अग्रवाल, "माल और सेवा कर", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो. श्रीपाल सकलेचा, "जीएसटी एवं कस्टम कानून", सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, इंदौर।

इकाई 2 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति (Central/State Goods and Services Tax Act: Supply of Goods and Services)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

संरचना (Structure)

- 2.0 परिचय
- 2.1 उद्देश्य
- 2.2 CGST (Central Goods and Service Tax) एवं SGST (State Goods or Service Tax) के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्ति का समय, स्थान और मूल्य
 - 2.2.1 समय, स्थान और आपूर्ति के मूल्य का महत्व
 - 2.2.2 आपूर्ति का समय स्थान और मूल्य महत्वपूर्ण क्यों हैं?
 - 2.2.3 जीएसटी के तहत माल की आपूर्ति का समय समझना
 - 2.2.4 आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाए?
 - 2.2.5 विपरीत प्रभार के तहत आपूर्ति का समय
 - 2.2.6 वाउचर के लिए आपूर्ति का समय
 - 2.2.7 जब आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- 2.3 GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और यह दावा कैसे करें?
 - 2.3.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट
 - 2.3.2 जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट का दावा कैसे करें?
 - 2.3.3 आईटीसी का दावा कौन कर सकता है?
 - 2.3.4 ITC के रूप में क्या दावा किया जा सकता है?
- 2.4 जीएसटी में बदलाव
 - 2.4.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट
 - 2.4.2 वापसी और बकाया
 - 2.4.3 अन्य मामले
 - 2.4.4 आईटीसी का सामंजस्य
 - 2.4.5 आईटीसी का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
 - 2.4.6 आईटीसी के विशेष मामले
- 2.5 संक्रमणकालीन (सन्धिकालीन) प्रावधान
 - 2.5.1 धारा 142 की उप-धारा (11) के तहत क्लॉज (सी) के तहत किए जाने की घोषणा
 - 2.5.2 प्रिंसिपल और जॉब-वर्कर द्वारा स्टॉक हेल की घोषणा
 - 2.5.3 स्वीकृत आधार पर भेजे गए सामान का विवरण
 - 2.5.4 गलत तरीके से ऋण की वसूली
- 2.6 जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण
 - 2.6.1 परिचय
 - 2.6.2 GST पंजीकरण अनिवार्य है
 - 2.6.3 जीएसटी के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया
- 2.7 जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज
 - 2.7.1 जीएसटी पंजीकरण रद्द करना
 - 2.7.2 जीएसटी पंजीकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रूप

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- 2.8 जीएसटी रिटर्न
 - 2.8.1 जीएसटी रिटर्न को समझना
 - 2.8.2 सामान्य करदाताओं द्वारा दायर किए जाने वाले जीएसटी रिटर्न के प्रकार
- 2.9 जीएसटी के तहत मूल्यांकन
 - 2.9.1 अर्थ और प्रकार के आकलन
 - 2.9.2 रिटर्न न भरने वालों का आकलन
 - 2.9.3 सारांश मूल्यांकन
 - 2.9.4 जीएसटी के तहत गैर अनुपालन के परिणाम और दंड
 - 2.9.5 निष्कर्ष
 - 2.9.6 कर संग्रहण व वसूली सम्बन्धी प्रावधान
- 2.10 GST भुगतान प्रक्रिया
 - 2.10.1 ITC के उपयोग और क्रॉस-उपयोग के बारे में जानकारी
 - 2.10.2 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज
 - 2.10.3 जीएसटी भुगतान प्रपत्र
- 2.11 जीएसटी भुगतान और रिफंड
 - 2.11.1 भुगतान
 - 2.11.2 रिफंड
- 2.12 सभी जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज
 - 2.12.1 रिवर्स चार्ज क्या है?
 - 2.12.2 रिवर्स चार्ज कब लागू होता है?
 - 2.12.3 रिवर्स चार्ज के तहत आपूर्ति का समय
 - 2.12.4 स्व.चालान क्या है?
- 2.13 टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटी के तहत रिफंड के दावे
 - 2.13.1 रिफंड क्लेम फाइल करने की समय सीमा
 - 2.13.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों और अपवादों का रिफंड
 - 2.13.3 आवेदक को धनवापसी के भुगतान के लिए स्थिति
- 2.14 रिफंड के लिए आवेदन करना
 - 2.14.1 स्वीकृति
 - 2.14.2 अनन्तिम वापसी का अनुदान
 - 2.14.3 रिफंड मंजूर करने का आदेश
 - 2.14.4 अस्वीकृत रिफंड दावे की राशि का क्रेडिट
 - 2.14.5 विलम्बित धनवापसी पर ब्याज स्वीकृत करने का आदेश
 - 2.14.6 भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर भुगतान का रिफंड
 - 2.14.7 उपभोक्ता कल्याण कोष
- 2.15 आंकिक उदाहरण
- 2.16 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 2.17 सारांश
- 2.18 मुख्य शब्दावली
- 2.19 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 2.20 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय (Introduction)

किसी भी कर व्यवस्था के तहत उस तिथि को जानना महत्वपूर्ण है, जब कर देयता उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय के आधार पर, हम कर की दर, मूल्य और करों के भुगतान के लिए नियत तारीखों की गणना करने में सक्षम होंगे।

तदनुसार, जीएसटी के तहत कराधान को निर्देशित करने के लिए, **आपूर्ति के समय** को निर्धारित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 माल की आपूर्ति के समय से सम्बन्धित प्रावधानों का पालन करती है और अधिनियम की धारा 13 सेवाओं की आपूर्ति के समय के लिए दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित है।

माल की आपूर्ति के समय जीएसटी के तहत कर का भुगतान करने की देयता उत्पन्न होती है। यह कहना है कि GST के तहत कराधान का बिंदु उस समय का है, जब वस्तुओं या सेवाओं को आपूर्ति करने के लिए समझा गया है।

इस प्रकार, जीएसटी के तहत समय में इस तरह के एक बिंदु कर की दर, मूल्य के साथ-साथ करों के भुगतान के लिए नियत तारीखों को निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

2.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- जीएसटी में पंजीकरण से अवगत हो पाएंगे;
- जीएसटी के मूल्यांकन को समझ पाएंगे;
- जीएसटी की गणना करने की प्रक्रिया से अवगत हो पाएंगे; एवं
- जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया को समझ पाएंगे।

2.2 CGST (Central Goods and Service Tax) एवं SGST (State Goods or Service Tax) के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्ति का समय, स्थान और मूल्य (Time, Location and Price of Goods and Service under CGST (Central Goods and Service Tax) and SGST (State Goods and Service Tax))

जीएसटी के अंतर्गत “आपूर्ति” की अवधारणा माल की बिक्री पर मौजूदा/पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित कर, योग्य सेवाओं का प्रावधान और निर्माण करेगी। इसलिए, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य घटना है और जीएसटी के तहत कर योग्य व्यक्ति के लिए श्रेणियों को परिभाषित करती है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

हम 'आपूर्ति' के तहत तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं –

- वह स्थान, जहाँ सामान और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है,
- वह समय, जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, तथा
- माल और सेवाओं का मूल्य।

जीएसटी के समय, स्थान और आपूर्ति के आधार पर कर की घटना को इन तीन अवधारणाओं द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें कर लगाने की आवश्यकता शामिल है या नहीं, यदि हाँ, तो किस प्रकार के कर लगाने की आवश्यकता है यानी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी आदि।

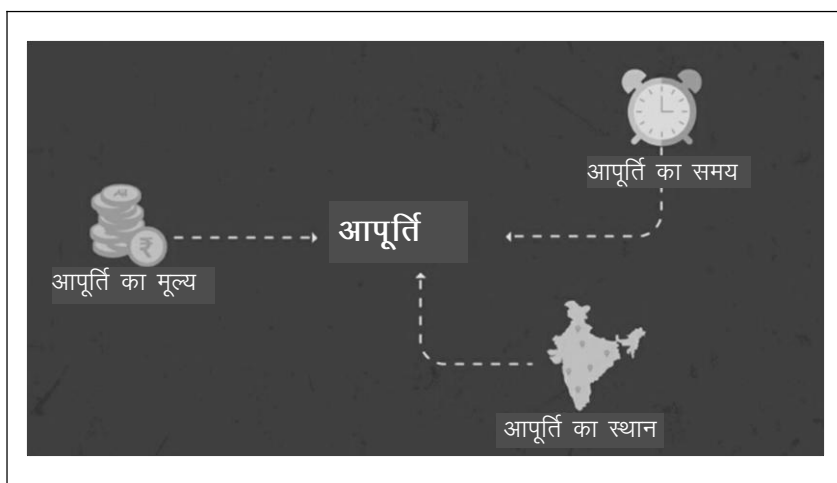
जीएसटी के तहत, इनवॉइस में 3 तरह के टैक्स वसूले जा सकते हैं। अंतरराज्यीय लेनदेन के मामले में एसजीएसटी और सीजीएसटी और अंतरराज्यीय लेनदेन के मामले में आईजीएसटी।

होटल सेवाओं के मामले में कहें, जहाँ रिसीवर के पास दूसरे राज्य में कार्यालय हो सकता है और केवल अस्थायी रूप से होटल का दौरा किया जा सकता है, और जहाँ विभिन्न राज्यों से गुजरने वाली ट्रेन यात्रा पर सामान बेचा जाता है।

इन स्थितियों में से कुछ को सम्बोधित करने में मदद करने के लिए, IGST अधिनियम कुछ नियमों का पालन करता है, जो परिभाषित करते हैं कि क्या लेन-देन अन्तर्राज्यीय है।

2.2.1 समय, स्थान और आपूर्ति के मूल्य का महत्व (Importance of Time, Place and Price of Supply)

1. आपूर्ति का समय
 - (अ) माल की आपूर्ति
 - (ब) सेवाओं की आपूर्ति
 - (स) रिवर्स चार्ज
2. आपूर्ति का स्थान
 - (अ) माल की आपूर्ति
 - (ब) सेवाओं की आपूर्ति
 - (स) माल/सेवा की आपूर्ति का मूल्य



चित्र क्र. 2.1: समय, स्थान और आपूर्ति के मूल्य का महत्व

2.2.2 आपूर्ति का समय स्थान और मूल्य महत्वपूर्ण क्यों हैं?

(Why Time Location and Price of Supplies are Important?)

आपूर्ति के समय का अर्थ उस समय से है, जब वस्तुओं/सेवाओं को आपूर्ति की जाती है। जब विक्रेता 'समय' को जानता है, तो यह उसे करों के भुगतान के लिए नियत तारीख की पहचान करने में मदद करता है।

चालान पर वसूले जाने वाले सही कर के निर्धारण के लिए आपूर्ति का स्थान आवश्यक है, चाहे IGST या CGST/SGST लागू होंगे।

आपूर्ति का मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी की गणना बिक्री के मूल्य पर की जाती है। यदि मूल्य की गणना गलत तरह से की जाती है तो जीएसटी की राशि भी गलत होगी।

1. आपूर्ति का समय (Time of Supply)

आपूर्ति के समय का अर्थ उस समय से है, जब वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। जब विक्रेता 'समय' को जानता है तो यह उसे करों के भुगतान के लिए नियत तारीख की पहचान करने में मदद करता है।

आपूर्ति के समय CGST/SGST या IGST का भुगतान किया जाना चाहिए। आपूर्ति के समय की पहचान करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का एक अलग आधार है। आपूर्ति के समय को दो भागों में बाँटा गया है।

(अ) माल की आपूर्ति का समय (Supply Time of Goods)

माल की आपूर्ति का समय निम्न में से जो तिथि पहले हो –

1. चालान जारी करने की तारीख
2. अंतिम तिथि, जिस पर चालान जारी किया जाना चाहिए था
3. अग्रिम/भुगतान की प्राप्ति की तारीख*।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

उदाहरण के लिए –

मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1,00,000 रुपये में सामान बेचा। चालान 15 जनवरी को जारी किया गया था। 31 जनवरी को भुगतान प्राप्त हुआ था। 20 जनवरी को माल की आपूर्ति की गई थी।

***नोट:** जीएसटी GST के तहत अग्रिमों पर लागू नहीं है। चालान जारी करने के समय अग्रिम में जीएसटी देय है। अधिसूचना संख्या 66/2017-15.11.2017 को केन्द्रीय कर जारी किया गया

आइए हम इस मामले में आपूर्ति के समय का विश्लेषण करें और पहुंचें।

आपूर्ति का समय सबसे पहले है –

1. चालान जारी करने की तिथि = 15 जनवरी
2. अंतिम तिथि जिस पर चालान जारी किया जाना चाहिए था = 20 जनवरी

इस प्रकार आपूर्ति का समय 15 जनवरी है।

क्या होगा यदि, उसी उदाहरण में 1 जनवरी को श्री एक्स द्वारा 50,000 रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की जाती है?

50,000 रुपये की अग्रिम के लिए आपूर्ति का समय 1 जनवरी होगा (चूंकि अग्रिम की प्राप्ति की तारीख चालान जारी होने से पहले है) शेष 50,000 रुपये के लिए, आपूर्ति का समय 15 जनवरी होगा।

(ब) सेवाओं के लिए आपूर्ति का समय (Supply Time for Services)

सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्न में से जो तिथि पहले हो

1. चालान जारी करने की तारीख
2. अग्रिम/भुगतान की प्राप्ति की तिथि
3. सेवाओं के प्रदान करने की तिथि (यदि निर्धारित अवधि के भीतर चालान जारी नहीं किया जाता है)।

आइए इसे एक उदाहरण का उपयोग करके समझते हैं –

श्री ए 1 जनवरी को श्री बी को 20000 रुपये की सेवाएं प्रदान करता है। 20 जनवरी को चालान जारी किया गया था और उसी के लिए भुगतान 1 फरवरी को प्राप्त हुआ था।

यदि वर्तमान में निर्धारित समय के भीतर चालान जारी किया गया था, तो वर्तमान स्थिति में, हमें जांच की आवश्यकता है। निर्धारित समय आपूर्ति की तारीख से 30 दिन पहले यानी 31 जनवरी है। 20 जनवरी को चालान जारी किया गया था। इसका मतलब यह है कि चालान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया था।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

आपूर्ति का समय जल्द से जल्द होगा –

1. चालान जारी करने की तारीख = 20 जनवरी
2. भुगतान की तारीख = 1 फरवरी

इसका मतलब है कि सेवाओं की आपूर्ति का समय 20 जनवरी होगा।

2. आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)

चालान पर लगाए जाने वाले सही कर के निर्धारण के लिए 'आपूर्ति की जगह' शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

यहाँ एक उदाहरण है –

सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान	आपूर्ति का स्थान	आपूर्ति की प्रकृति	जीएसटी लागू
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	इंट्रा-राज्य	CGST + SGST
महाराष्ट्र	केरल	अंतर-राज्यीय	IGST

(अ) माल की आपूर्ति का स्थान (Place of Supply of Goods)

सामानों के मामले में, आमतौर पर आपूर्ति का स्थान वह होता है, जहाँ माल पहुँचाया जाता है।

तो, माल की आपूर्ति का स्थान वह स्थान है, जहाँ माल का स्वामित्व बदलता है।

अगर माल की आवाजाही नहीं है तो क्या होगा? इस मामले में, आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय माल का स्थान है।

उदाहरण के लिए: सुपरमार्केट में बिक्री के मामले में, आपूर्ति का स्थान सुपरमार्केट ही है।

उदाहरण के लिए, कोलकाता स्थित एक आपूर्तिकर्ता दिल्ली में प्राप्तकर्ता को मशीनरी की आपूर्ति करता है। मशीनरी कानपुर में प्राप्तकर्ता के कारखाने में स्थापित है। इस मामले में, मशीनरी की आपूर्ति का स्थान कानपुर होगा।

(ब) सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान (Place of Supply of Services)

आम तौर पर, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होता है।

ऐसे मामलों में जहाँ अपंजीकृत डीलर को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और उनका स्थान उपलब्ध नहीं होता है, सेवा प्रदाता का स्थान सेवा के प्रावधान का स्थान होगा।

निम्नलिखित सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं –

- अचल संपत्ति से सम्बन्धित सेवाएँ
- रेस्तरां सेवाएँ

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- घटनाओं के लिए प्रवेश
- माल और यात्रियों का परिवहन
- दूरसंचार सेवाएँ
- बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाएँ।

अचल संपत्ति से सम्बन्धित सेवाओं के मामले में, संपत्ति का स्थान सेवाओं के प्रावधान का स्थान है।

उदाहरण 1

दिल्ली के श्री अनिल, श्री अजय (मुंबई) को आंतरिक डिजाइनिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। संपत्ति ऊटी (तमिलनाडु) में स्थित है।

इस मामले में, आपूर्ति का स्थान अचल संपत्ति यानी ऊटी, तमिलनाडु का स्थान होगा।

3. वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य

आपूर्ति के मूल्य का अर्थ उस धन से है, जो आपूर्तिकर्ता आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के स्थान पर प्राप्त करता है।

विक्रेता द्वारा खरीदार से एकत्र की गई राशि **आपूर्ति का मूल्य** है।

लेकिन जहां पार्टियां सम्बन्धित हैं और उचित मूल्य नहीं लिया जा सकता है, या लेनदेन एक वस्तु विनिमय या विनिमय के रूप में हो सकता है; जीएसटी कानून यह बताता है कि जिस मूल्य पर जीएसटी वसूला जाता है, वह उसका 'लेनदेन मूल्य' होना चाहिए। यह वह मूल्य है, जिस पर असम्बन्धित पक्ष व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लेन-देन करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी पूरी तरह से वसूल किया जाता है, भले ही पूरा मूल्य न दिया गया हो।

2.2.3 जीएसटी के तहत माल की आपूर्ति का समय समझना (Understanding Time of Supply under GST)

कराधान के बिंदु का अर्थ उस समय से है, जब माल की आपूर्ति करने के लिए माना जाता है या सेवाओं को प्रदान करने के लिए माना जाता है। कराधान की बात हमें कर की दर, मूल्य और करों के भुगतान के लिए नियत तारीखों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं।

जीएसटी के तहत कराधान के बिंदु, यानी, सीजीएसटी/एसजीएसटी का भुगतान करने की देयता, आपूर्ति और वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्धारित समय के अनुसार उत्पन्न होगी। माल के लिए आपूर्ति के समय और सेवाओं के लिए आपूर्ति के समय के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

2.2.4 आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाए? (How can We Determine the Time of Supply?)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

माल की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पहले होगा –

(अ) चालान जारी करने की तारीख (या चालान जारी करने का अंतिम दिन जिसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए)

या

(ब) भुगतान की प्राप्ति की तारीख—जो भी पूर्व हो।

यदि आपूर्तिकर्ता को रु. 1000 तक की राशि प्राप्त होती है। चालान राशि से अधिक 1000, अतिरिक्त राशि के लिए आपूर्ति का समय चालान जारी करने की तारीख (आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर) होगा।

(अ) और (ब) के लिए – आपूर्ति यह माना जाएगा कि चालान या भुगतान द्वारा कवर किया गया है (जैसा भी मामला हो)।

(ब) के लिए – भुगतान की प्राप्ति की तारीख पहले की होगी—

1. वह तिथि, जिस पर उसने अपनी पुस्तकों में भुगतान दर्ज किया है,

या

2. वह तिथि, जिस पर भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया गया है

उदाहरण –

(क) Invoice की तिथि 15 मई 2018

(ख) पेमेंट receiept की तिथि 10 जुलाई 2018

(ग) Supplier द्वारा पेमेंट की एंट्री करने की तिथि 11 जुलाई 2018

उपरोक्त परिस्थितियों में सप्लाय (आपूर्ति) का समय 15 मई 2018 होगा।

2.2.5 विपरीत प्रभार के तहत आपूर्ति का समय (Reverse Charge under Supply of Time)

रिवर्स चार्ज का मतलब है कि कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता के बजाय माल/सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा है। विपरीत प्रभार के मामले में, आपूर्ति के समय गणना इस प्रकार की जाती है –

(क) माल की प्राप्ति की तारीख या

(ख) भुगतान की तारीख

(ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी किए जाने के तीस दिनों के भीतर (सेवाओं के लिए 60 दिन)

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

यदि आपूर्ति का समय (क), (ख) या (ग) के तहत निर्धारित करना संभव नहीं है, तो आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रवेश की तारीख होगी।

क्लॉज़ (ख) के लिए – भुगतान की तारीख पहले की होगी –

(ए) वह तारीख जिस पर प्राप्तकर्ता ने अपनी किताबों में भुगतान दर्ज किया है या

(बी) वह तारीख जिस पर भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया गया है।

उदाहरण:

(क) माल की प्राप्ति की तिथि 15 मई 2018

(ख) पेमेंट की तिथि 15 जुलाई 2018

(ग) चलन दिनांक 1 जून 2018

(घ) रिसीवर द्वारा बुक्स में एंट्री 18 मई 2018

उपरोक्त स्थितियों में मॉल की आपूर्ति का समय 15 मई 2018

2.2.6 वाउचर के लिए आपूर्ति का समय (Time of Supply for Vouchers)

वाउचरों की आपूर्ति के मामले में आपूर्ति का समय है –

(अ) वाउचर जारी करने की तारीख, अगर उस बिंदु पर आपूर्ति की पहचान की जा सकती है, या

(ब) वाउचर के मोचन की तारीख, अन्य सभी मामलों में;

2.2.7 जब आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है (When Time of Supply can not be Determined)

यदि उपरोक्त प्रावधानों द्वारा आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, तो यह होगा –

(अ) जिस तारीख को समय-समय पर रिटर्न दाखिल करना होता है, या

(ब) किसी अन्य मामले में जिस तारीख को सीजीएसटी/एसजीएसटी का भुगतान किया जाता है।

जीएसटी शासन में, कर संग्रह की घटना उपरोक्त तारीखों से जल्द से जल्द होगी। वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के मामले में चालान जारी करना/ भुगतान करना या कर लीवी को ट्रिगर करने वाली सेवा की आपूर्ति के मामले में पूरा करना, इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर को जल्द से जल्द एकत्रित किया जाए।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- चालान पर वसूले जाने वाले सही कर के निर्धारण के लिए ----- का स्थान आवश्यक है—
(क) आपूर्ति (ख) मूल्य
(ग) विनिमय (घ) व्यवसाय
- सेवाओं की आपूर्ति का स्थान ----- का स्थान होता है—
(क) आपूर्तिकर्ता (ख) सेवा प्राप्तकर्ता
(ग) भुगतान (घ) वस्तुओं

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

2.3 GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और यह दावा कैसे करें? (What is Input Tax Credit and How to Claim It?)

2.3.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit)

इनपुट कर क्रेडिट का दावा और उसकी स्वीकृति – धारा 41 (Claim of Input Tax Credit and Provisional Acceptance thereof - Sec. 41)

- प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यक्ति स्वनिर्वाहन के आधार पर ली जाने योग्य इनपुट कर क्रेडिट का पात्र होगा। ऐसी रकम अस्थाई आधार पर उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा बटी में जमा की जाएगी।
- उपरोक्त इनपुट क्रेडिट का उपयोग केवल निर्दिष्ट विवरण के अनुसार स्व-निर्धारित आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जाएगा।

इनपुट कर क्रेडिट का मिलान, उलटाव और वापस लेना – धारा 42 (Matching, reversal, and reclaim of Input Tax - Sec. 42)

“प्राप्तिकर्ता” द्वारा किसी कर अवधि के लिए निर्धारित रीति और निर्धारित अवधि के भीतर किए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे –

- “प्रदायकर्ता” द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमाम्य वितरणी में दी गई जावक पूर्ति से सम्बन्धित ब्यौरे के साथ।
- उसके द्वारा आयतित माल के सम्बन्ध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन भुगतान एकीकृत माल और सेवा कर के साथ।
- इनपुट कर क्रेडिट के दावों के अनुलिपिकरण के लिए मिलान किया जाएगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

अगर जीएसटीआर – में चालान या बिल के विपरीत पक्ष के GSTR-1 के चालान या बिल के साथ मिलान नहीं होता है तब इस विसंगति के बारे में आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाता है। यदि दोनों पक्षों को सूचित करने के बाद भी यदि त्रुटि में सुधार नहीं किया जाता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को Reverse कर दिया जाता है। कई मामलों में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

2.3.2 जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट का दावा कैसे करें? (How to Claim Input Credit under GST?)

जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए –

- आपके पास पंजीकृत डीलर द्वारा जारी कर चालान होना चाहिए।
ध्यान दें: जहां माल बहुत सारी किशतों में प्राप्त होता है, अंतिम लॉट या किस्त की प्राप्ति पर टैक्स चालान क्रेडिट उपलब्ध होगा।

- आपको सामान/सेवाएँ प्राप्त होनी चाहिए।

नोट: जहाँ प्राप्तकर्ता चालान जारी करने के 3 महीने के भीतर सेवा या कर के मूल्य का भुगतान नहीं करता है और उसने पहले ही चालान के आधार पर इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया है, उक्त क्रेडिट को ब्याज के साथ अपने आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा।

खरीद पर इनपुट क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देने के लिए आपके सभी आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी का अनुपालन करना चाहिए।

- अस्पष्ट/लावारिस इनपुट टैक्स होना संभव है। यदि खरीद पर कर बिक्री पर कर से अधिक होता है तो कर को आगे बढ़ाने या धन वापसी का दावा करने की अनुमति है।

यदि इनपुट पर टैक्स आउटपुट पर टैक्स से कम है तो (इस परिस्थिति में शेष टैक्स देय होगा।)

सरकार द्वारा इनपुट टैक्स बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

- इनपुट टैक्स क्रेडिट की खरीद चालान पर नहीं की जा सकती है जो एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। अवधि की गणना कर चालान की तारीख से की जाती है।
- चूंकि वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जीएसटी वसूला जाता है, इसलिए इनपुट क्रेडिट का लाभ वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लिया जा सकता है।
- पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए इनपुट टैक्स की अनुमति नहीं है।

- वित्तीय वर्ष के अन्त के बाद सितम्बर के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल किए जाने के बाद कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो कि इस तरह के चालान सम्बन्धित वार्षिक रिटर्न से सम्बन्धित है या दाखिल करना है, जो भी पहले हो।

यदि एक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, एजेंट, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर, व्यक्ति जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत है तो वह अपने Purchase पर अपने द्वारा किए गए भुगतान के लिए Input Credit (किसी वस्तु में पूर्व पर किए गया कर भुगतानों की माँग कर सकता है)।

जब आप एक पंजीकृत डीलर से उत्पाद या सेवा खरीदते हैं, जिसके लिए हमें खरीद पर कर का भुगतान करना होता है। जब हम कोई वस्तु का विक्रय करते हैं तो हमें विक्रय कर देना होता है। जब हम बिक्री पर कर के साथ, विक्रय कर को समावेशित करते हैं तो इसे इनपुट टैक्स Credit कहा जाता है। इससे हमें किसी वस्तु या सेवा पर बार बार कर नहीं देना होता है।

2.3.3 आईटीसी का दावा कौन कर सकता है? (Who can Claim ITC?)

आईटीसी का दावा जीएसटी के तहत पंजीकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जब वह निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है।

- (क) कर चालान डीलर के कब्जे में होना चाहिए।
- (ख) उक्त माल/सेवाएँ प्राप्त हुई हैं।
- (ग) रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
- (घ) आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को लगाए गए कर का भुगतान किया गया है।
- (ङ) जब सामान किशतों में प्राप्त किया जाता है तो आईटीसी का दावा केवल अंतिम लॉट प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है।
- (च) अगर किसी पूंजी के कर घटक पर मूल्य-हास का दावा किया गया है तो किसी भी आईटीसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

GST में कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यक्ति ITC का दावा नहीं कर सकता है।

2.3.4 ITC के रूप में क्या दावा किया जा सकता है? (Can Anyone Claim in Form of ITC?)

ITC को केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दावा किया जा सकता है। ITC उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो विशेष रूप से इसके लिए उपयोग की जाती हैं –

(अ) व्यक्तिगत उपयोग

(ब) छूट आपूर्ति

(स) आपूर्ति, जिसके लिए आईटीसी विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

3. कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता के बजाय माल/सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा है। यह कथन सम्बोधित करता है –

(क) आपूर्ति

(ख) मूल्य

(ग) विनिमय

(घ) रिवर्स चार्ज

2.4 जीएसटी में बदलाव (Changes in GST)

जीएसटी एक में कई करों को समेकित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों को लागू करना महत्वपूर्ण है कि एक पंजीकृत व्यवसाय जीएसटी में सुचारु रूप से स्थानांतरित हो।

संक्रमणकालीन प्रावधानों के 3 प्रकार हैं –

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट,
2. रिफंड और एरियर, एवं
3. अन्य मामले : नौकरी कार्य, इनपुट सेवा वितरक, संरचना योजना।

2.4.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit)

वैट, उत्पाद शुल्क या सेवा कर से जीएसटी के तहत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के सुचारु परिवर्तन के लिए प्रावधान किए गए हैं। कंपोजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत एक पंजीकृत डीलर पिछले सालों में उपलब्ध आईटीसी को आगे बढ़ाने के लिए पात्र नहीं होगा।

यहां कुछ मामले हैं, जहां आईटीसी संक्रमण प्रावधान लागू होंगे –

1. इनपुट पर क्रेडिट का समापन (Closing of Input Credit)

जीएसटी से पहले दायर अन्तिम रिटर्न के अनुसार आईटीसी के समापन शेष को जीएसटी शासन में क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।

क्रेडिट तभी मिलेगा, जब पिछले 6 महीने यानी जनवरी 2017 से जून 2017 तक के रिटर्न पिछले शासन में दाखिल किए गए थे (यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे)।

इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए 27 दिसंबर 2017 तक फॉर्म टीआरएएन 1 दाखिल किया जाना है। इसके अलावा, TRAN 1 को केवल एक बार ठीक किया जा सकता है।

2. पूंजीगत वस्तुओं पर ऋण (Credit on Capital Goods)

जीएसटी से पहले, कैपिटल गुड्स पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स का केवल एक हिस्सा क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि वर्ष 2016-17 में खरीदे गए कैपिटल गुड पर ITC 10,000 रु।

50% यानी 5,000 रुपये उसी साल ITC के रूप में और शेष 5000 रुपये का दावा किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध अप्रयुक्त ऋण की कुछ राशि उपलब्ध हो सकती है। फॉर्म TRAN 1 में विवरण दर्ज करके इस क्रेडिट को GST में अग्रेषित किया जा सकता है।

3. स्टॉक पर क्रेडिट (Credit on Stock)

एक निर्माता या एक सेवा प्रदाता, जिसके पास माल स्टॉक में पड़ा है, जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया है, वह भी उसी के लिए क्रेडिट ले सकता है। डीलर को जीएसटी पोर्टल पर इस तरह के सामान का स्टॉक घोषित करना होगा।

डीलर के पास इस क्रेडिट का दावा करने के लिए चालान होना चाहिए। साथ ही, चालान 1 साल से कम पुराना होना चाहिए।

यदि आपके पास चालान नहीं है तो क्या होगा?

ऐसे निर्माता या सेवा प्रदाता, जिनके पास शुल्क का भुगतान करने का चालान नहीं है, वे जीएसटी व्यवस्था के तहत क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते।

4. पंजीकृत व्यक्ति जो पिछले कानून के तहत पंजीकृत नहीं थे

(Registered Person Who were not Registered under Previous Law)

प्रत्येक व्यक्ति जो है –

- एक पंजीकृत डीलर जो पिछले कानून के तहत अपंजीकृत था।
- जो छूट वाले सामान के निर्माण या छूट वाली सेवाओं के प्रावधान में संलग्न था।
- जो कार्य अनुबन्ध सेवा प्रदान कर रहा था और घृणा का लाभ उठा रहा था।
- पहला स्टेज डीलर या दूसरा स्टेज डीलर।
- एक पंजीकृत आयातक।

1 जुलाई को आयोजित स्टॉक में इनपुट के आईटीसी का भी आनंद ले सकते हैं।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए –

- इनपुट या सामान का उपयोग कर योग्य आपूर्ति करने के लिए किया जाता है।
- इस तरह के लाभ को प्राप्तकर्ता को कम कीमतों के माध्यम से पारित किया जाता है।
- कर योग्य व्यक्ति, ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र हैं।
- व्यक्ति के पास कानून के तहत ड्यूटी के भुगतान का सबुत देने वाले चालान है।
- चालान 12 महीने से अधिक पुराने नहीं हैं।
- सेवाओं का आपूर्तिकर्ता जीएसटी के तहत किसी भी निरस्तता के लिए पात्र नहीं है।

5. 1 जुलाई से पहले भेजे गए माल पर आईटीसी (ITC on Sent Items before 1 July)

नियत दिन के बाद प्राप्त माल के लिए निर्माता/डीलर द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है, जिस पर पिछले कानून के तहत पहले ही कर चुकाया जा चुका है।

2.4.2 वापसी और बकाया (Refund and Arrears)

कोई भी दावा/अपील सेनवैट क्रेडिट, कर या ब्याज 1 जुलाई से पहले भुगतान की देय राशि पर वापसी के लिए लम्बित कर का पिछले नियमों के अनुसार निपटारा किया जाएगा।

पिछले कानून के तहत देय कोई भी राशि जीएसटी के बकाया के रूप में मानी जाएगी और जीएसटी प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाएगी।

2.4.3 अन्य मामले (Other Matters)

1. नौकरी का काम (Job Work)

जॉब वर्क से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति के सामान या माल पर कोई अन्य शोधन या प्रसंस्करण करने का दायित्व लेने से है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के माल शोधन या प्रसंस्करण करता है उसे जॉब वर्कर कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा माल जॉब वर्क के लिए भेजा जाता है, उसे प्रधान या प्रमुख कहते हैं।

2. इनपुट सेवा वितरक द्वारा क्रेडिट वितरण (Distribution of Input Credit Service)

आईएसडी जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने के लिए पात्र होगा।

3. कम्पोजर डीलर (Composer Dealer)

- इनपुट का उपयोग कर योग्य आपूर्ति के लिए किया जाता है।
- पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी के तहत आईटीसी के लिए पात्र है।
- चालान या अन्य शुल्क भुगतान दस्तावेज उपलब्ध हैं।
- इस तरह के चालान बारह महीने से अधिक पुराने नहीं हैं।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

2.4.4 आईटीसी का सामंजस्य (Reconciliation of ITC)

आईटीसी ने दावा किया कि व्यक्ति को अपने सप्लायर द्वारा अपने जीएसटी रिटर्न में निर्दिष्ट विवरण के साथ मेल/सत्यता रखना है। किसी भी बेमेल के मामले में, आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को जीएसटीआर – 3 बी भरने के बाद विसंगतियों के बारे में सूचित किया जाएगा।

2.4.5 आईटीसी का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required to Claim ITC)

आईटीसी का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –

1. माल बिक्री के दस्तावेज।
2. प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को जारी किया गया डेबिट नोट।
3. प्रवेश का बिल।
4. कुछ परिस्थितियों में जारी किया गया चालान जैसे कर चालान के बजाय जारी की गई आपूर्ति का बिल यदि राशि 200 रुपये से कम है या उन स्थितियों में जहां रिवर्स चार्ज जीएसटी कानून के अनुसार लागू है।
5. जीएसटी के तहत चालान नियमों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक।
6. वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया आपूर्ति का बिल या दोनों।

2.4.6 आईटीसी के विशेष मामले (Special Cases of ITC)

(अ) कैपिटल गुड्स के लिए आई.टी.सी. (Capital Goods for ITC)

जीएसटी के तहत पूंजीगत वस्तुओं के लिए आईटीसी उपलब्ध है।

पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग विशेष रूप से छूट वाले सामानों को बनाने के लिए किया जाता है।

(ब) जॉब वर्क पर ITC (ITC on Job Work)

एक प्रमुख निर्माता निर्माण की प्रक्रिया के लिए सामान को एक चरण से दूसरे चरण में भेजते हैं, जिस पर निर्माता इनपुट क्रेडिट का लाभ ले सकता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

जब दोनों मामलों में नौकरी करने वाले को माल भेजा जाता है तो आईटीसी की अनुमति दी जाएगी –

1. व्यवसाय के प्रमुख स्थान से,
2. सीधे ऐसे सामानों के आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति के स्थान से।

(स) इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा प्रदान की गई आईटीसी (ITC Provided by Input Services Distributor (ISD))

एक इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) प्रधान कार्यालय (अधिकतर) या एक शाखा कार्यालय या जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय हो सकता है। आईएसडी सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या उपकर जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत सभी प्राप्तकर्ताओं (शाखाओं) को किए गए सभी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एकत्र करता है और इसे वितरित करता है।

(द) व्यापार के हस्तान्तरण पर आईटीसी (ITC on Transfer of Business)

यह समामेलन/विलय/व्यापार के हस्तान्तरण के मामलों में लागू होता है। ट्रांसफर करने वाले के पास आईटीसी उपलब्ध होगा, जो व्यापार के हस्तान्तरण के समय पारित किया जाएगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

4. इनपुट क्रेडिट का मतलब –
 - (क) आपूर्ति से है।
 - (ख) आउटपुट पर टैक्स चुकाने के समय से है।
 - (ग) विनिमय से है।
 - (घ) चालान से है।
5. ITC को केवल ----- उद्देश्यों के लिए माल और सेवाओं पर लिया जा सकता है –

(क) आपूर्तिकर्ता	(ख) सेवा प्राप्तकर्ता
(ग) भुगतान	(घ) व्यावसायिक

2.5 संक्रमणकालीन (सन्धिकालीन) प्रावधान (Transitional (Terminal) Provisions)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

2.5.1 धारा 142 की उप-धारा (11) के तहत क्लॉज (सी) के तहत किए जाने की घोषणा (Section 142 of Sub-Section (11) of under Clause (c) of were to be Announced)

प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 के उपधारा (11) के खंड (ग), नियत दिन के नब्बे दिनों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से FORM GST TRAN-1 में आपूर्ति के अनुपात को प्रस्तुत करते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जिस पर मूल्य वर्धित कर या सेवा कर का भुगतान नियत दिन से पहले किया जाता है, लेकिन आपूर्ति नियत समय के बाद की जाती है।

2.5.2 प्रिंसिपल और जॉब-वर्कर द्वारा स्टॉक हेल की घोषणा (Principal and Jobs-workers by Stock Hale's Announcement)

प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर धारा 141 के प्रावधान लागू होते हैं, नियत दिन के नब्बे दिनों के भीतर, FORM GST TRAN-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें निर्दिष्ट किया जाता है, इनपुट का स्टॉक, नियत दिन पर उसके द्वारा आयोजित कर जैसा लागू हो।

2.5.3 स्वीकृत आधार पर भेजे गए सामान का विवरण (Approved by the Replies of the Storage of Details)

नियत दिन, FORM GST TRAN-1 में अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे सामानों का विवरण प्रस्तुत करें।

2.5.4 गलत तरीके से ऋण की वसूली (Wrong Ways of Debt of Recovery)

नियम 117 के उपनियम (3) के तहत जमा की गई राशि को सत्यापित किया जा सकता है और धारा 73 के तहत कार्यवाही की जा सकती है या, जैसा कि मामला हो सकता है, धारा 74 किसी भी क्रेडिट के गलत तरीके से शुरू किए जाने के सम्बन्ध में पहल की जाए, चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

6. इनपुट टैक्स का श्रेय लेने का हकदार है –

(क) पंजीकृत व्यक्ति

(ख) अपंजीकृत व्यक्ति

(ग) परिषद

(घ) कोई नहीं

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

7. प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर धारा 141 के प्रावधान लागू होते हैं, नियत दिन के कितने दिनों के भीतर, FORM GST TRAN-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होता है?

(क) 60

(ख) 80

(ग) 90

(घ) 120

2.6 जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण (Registration under GST)

2.6.1 परिचय (Introduction)

कई करों का जीएसटी संरचना के तहत विलय किया जाता है, उदाहरण के लिए एक्साइज, एन्ट्री टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट आदि। पहले करदाता जटिल कर संरचना के बोझ के नीचे थे और इस प्रकार वे अन्ततः ऐसे कर पर कर का भुगतान कर रहे थे, इसलिए अप्रत्यक्ष को सरल बनाने के लिए कराधान प्रणाली, जीएसटी पेश की गई है। सरकार इस कराधान प्रणाली को वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स के रूप में पेश करती है, इसलिए यह सभी राज्यों में समान कर प्रणाली के लिए एक समान कराधान प्रणाली को जन्म देगी। इस प्रकार राज्यवार अलग-अलग कर दरें अब नहीं हैं। यह देश में व्यापार करने में आसानी की गोपनीयता को भी बढ़ावा देगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया को जीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी पंजीकरण के रूप में जाना जाता है। जीएसटी पंजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको जीएसटी शासन के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों का लाभ उठाने में सक्षम करेगा, साथ ही, समय पर पंजीकरण आपको कर अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के इंटरफ़ेस से बचने में मदद करेगा। जीएसटी के तहत एक सामान्य करदाता व्यक्ति के रूप में सरल शब्दों में, माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यवसाय के लिए अनिवार्य है जिसका कारोबार विभिन्न राज्यों के लिए लागू सीमा 20 लाख। 10 लाख से अधिक है। जीएसटी पंजीकरण के बिना एक व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों/उपभोक्ताओं से जीएसटी एकत्र कर सकता है और न ही उसकी खरीद पर उसके द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। इसलिए एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ सहज इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना है।

2.6.2 GST पंजीकरण अनिवार्य है (GST Registration is Mandatory)

- कोई भी व्यवसाय जिसका वित्तीय वर्ष में कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है, धारा 22 (1)।

(नोट: यदि टर्नओवर केवल छूट प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं का है, जो जीएसटी के तहत छूट दी गई हैं, तो यह खंड लागू नहीं होता है)।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

- प्रत्येक व्यक्ति, जिस दिन नियत दिन से पहले तुरंत, पंजीकृत है या एक मौजूदा कानून के तहत एक लाइसेंस रखता है, तो इस अधिनियम के तहत नियत दिन से प्रभावी होने के लिए पंजीकृत होना उत्तरदायी होगा (धारा 22(2))
- कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति;
- ऐसे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है;
- वह व्यक्ति जिसे धारा 9 की उपधारा (5) के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है;
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति जो कर योग्य आपूर्ति कर रहे हैं;
- जिन व्यक्तियों को धारा 51 के तहत कर में कटौती करनी है, वे इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हैं या नहीं;
- ऐसे व्यक्ति, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों कर योग्य व्यक्तियों की कर योग्य आपूर्ति करते हैं, चाहे वे एजेंट के रूप में हों या अन्यथा;
- इनपुट सेवा वितरक, इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत है या नहीं;
- ऐसे व्यक्ति जो सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करते हैं, धारा 9 के उपधारा (5) के तहत निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करते हैं, जिन्हें धारा 52 के तहत स्रोत पर कर जमा करना आवश्यक है;
- हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर;
- ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाओं की आपूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के बाहर एक जगह से भारत में एक पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को; तथा
- ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

निम्नलिखित व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे –

- कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के व्यापार में लगे हुए हैं या इस अधिनियम के तहत या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत कर से पूरी तरह छूट प्राप्त नहीं हैं।
- एक कृषक, भूमि की खेती से उपज की आपूर्ति की सीमा तक।
- परिषद की सिफारिशों पर सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

2.6.3 जीएसटी के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया (Process of Registration under GST)

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। पंजीकरण प्रक्रिया के साथ व्यवसायों की सहायता के लिए सरकार जीएसपी (जीएसटी सुविधा प्रदाता) भी नियुक्त करती है। जीएसटी के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए करदाताओं की सहायता के लिए सुविधा केंद्र भी उपलब्ध है।

जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया काफी सरल है और महत्वपूर्ण चरण निम्नानुसार हैं –

पहला चरण (First Stage)

- जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगऑन करें और नया पंजीकरण चुनें।
- आवेदक को GSTN पोर्टल पर फॉर्म GST REG-01 के भाग A में अपना पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पता जमा करना होगा। GST पोर्टल पर पैन सत्यापित है।
- अस्थायी संदर्भ संख्या को आवेदन के PART-A में प्रारंभिक विवरण सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद आवंटित किया जाएगा, जिसका उपयोग आवेदन के PART-B में विवरण भरने के लिए किया जा सकता है। TRN आम पोर्टल पर 15 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

दूसरा चरण (Second Stage)

- आवेदक को फॉर्म GST REG-01 के भाग-B को भरना होगा, फिर आवश्यक दस्तावेजों को लागू करने के बाद फॉर्म जमा किया जा सकता है।

तीसरा चरण (Third Stage)

- आपका आवेदन अब प्रस्तुत किया गया है और प्रक्रिया के तहत, GST अधिकारी अब आपके द्वारा आवेदन में दिए गए डेटा और विवरण के आधार पर आपके आवेदन को सत्यापित करेगा।

(यह प्रक्रिया तीन दिनों तक चलेगी अर्थात् अधिकारी को आपके अनुरोध को स्वीकार करना होगा या आगे की प्रक्रिया और स्पष्टीकरण के लिए उसकी सभी आपत्तियों को प्रस्तुत करना होगा।)

चौथा चरण (Fourth Stage)

- यदि सूचना और अपलोड किए गए दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं, तो राज्य और केंद्रीय अधिकारी आवेदन को मंजूरी दे देंगे और तीन सामान्य कार्य दिवसों के भीतर सामान्य पोर्टल पर अनुमोदन का संचार करेंगे। तब पोर्टल स्वतः पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म GST REG-06 उत्पन्न करेगा।

(यदि तीन सामान्य कार्य दिवसों के भीतर कर प्राधिकारियों द्वारा आवेदक को कोई कमी नहीं बताई जाती है, तो पंजीकरण को माना जाएगा)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

- आवेदक को जीएसटी सामान्य पोर्टल द्वारा ई – पंजीकरण अनिवार्य है।

टिप्पणी

चरण पाँच (Fifth Stage)

- यदि अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो फॉर्म GST REG-03 जारी किया जाएगा। आवेदक को फॉर्म GST REG-03 की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म GST REG-04 में जवाब देना होगा।

चरण छह (Sixth Stage)

- अधिकारी आगे विस्तार से प्रस्तुत आवेदन दस्तावेज़ प्राप्त करेगा और फिर सात दिनों में आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर देगा।
यदि मामले में पंजीकरण से इनकार कर दिया जाता है, तो आवेदक को एक आदेश के माध्यम से इस तरह के इनकार के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा। आवेदक को प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा।

अंतिम चरण (Final Stage)

- यदि आपने फॉर्म GST REG-01 या फॉर्म GST REG-04 के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है, तो फॉर्म GST REG-06 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को जारी किया जाएगा।

ध्यान दें (Pay Attention)

- यदि पंजीकरण की अनुमति दी जाती है, तो आवेदक जीएसटी सामान्य पोर्टल से पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकता है।
- पंजीकरण के लिए आवेदन भरने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- पंद्रह अंकों के जीएसटीआईएन में राज्य कोड के पहले दो अंकों में पैन और इकाई कोड के दो चरित्र और चेक कोड के चरित्र शामिल हैं।
- अधिनियम के तहत उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। एक बार दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक स्थायी होता है, जब तक कि उसे आत्मसमर्पण, रद्द, निलंबित या निरस्त नहीं कर दिया जाता।
- धारा 25 (3) के अनुसार, एक व्यक्ति, जो धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह स्वयं को स्वेच्छा से पंजीकृत करवा सकता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जो एक पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, वह FORM GST REG-01 के भाग ठ में धारा (10) उक्त धारा के तहत कर का भुगतान करने के लिए एक सूचना माना जाएगा।
- धारा 28 (3) के अनुसार, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत संशोधनों की कोई भी अस्वीकृति या अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत अस्वीकृति या अनुमोदन माना जाएगा।
- इस अधिनियम के तहत पंजीकरण की मांग करने वाले व्यक्ति को राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में एकल पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी, जो ऐसी शर्तों के अधीन है, निर्धारित किया जा सकता है। धारा 25 (5)।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

8. GST पंजीयन की अनिवार्यता के लिए एक वित्तीय वर्ष में कारोबार _____ लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।
- (क) 50 लाख (ख) 60 लाख
(ग) 20 लाख (घ) 40 लाख
9. GST की प्रक्रिया में व्यवसाय को प्रमाण-पत्र किस फॉर्म में प्रदान किया जाता है?
- (क) GST REG-06 (ख) GST REG-01
(ग) GST REG-05 (घ) GST REG-03

2.7 जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज (Original Documents Required for GST Registration)

- आवेदक की फोटो प्रति व्यावसायिक इकाई के अनुसार यानी Individual/ Partners/MD/Directors/Authorized person etc.
- पैन कार्ड नंबर।
- साझेदारी विलेख, संविधान का ज्ञापन (एमओए)/(एओए), सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्र को शामिल करने का प्रमाण पत्र।
- व्यवसाय के स्थान का विवरण और प्रमाण जैसे कि रेंट एग्रीमेंट/लीज डील।

- खाताधारक का नाम, MICR कोड, IFSC कोड और बैंक शाखा का विवरण दिखाते हुए आपके बैंक खाते की रद्द चेक/बैंक पासबुक।
- जीएसटी के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकरण पत्र।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

पंजीकरण की प्रभावी तिथि (Effective Date of Registration)

- जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन उस तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया है, जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि पंजीकरण के लिए उसकी देयता की तारीख होगी।
- जहाँ पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र आवेदक द्वारा पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बनने की तारीख से तीस दिनों के बाद जमा किया गया है, पंजीकरण की प्रभावी तारीख पंजीकरण के अनुदान की तारीख होगी।

डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन (Digitally Signed Application)

करदाताओं के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर या अन्य वैकल्पिक तंत्र का उपयोग करके प्रस्तुत आवेदन पर हस्ताक्षर करने का विकल्प होगा। इसके अलावा, कुछ निर्दिष्ट करदाताओं को अनिवार्य रूप से केवल डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे, विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं –

अनु क्रमांक	आवेदक का प्रकार	हस्ताक्षर का प्रकार आवश्यक है
1	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, असीमित कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, विदेशी कंपनी, विदेशी सीमित देयता भागीदारी	डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) – क्लास -2 और उससे ऊपर
2	ऊपर से अन्य	डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लास 2 और उससे ऊपर

पंजीकरण प्रमाणपत्र में और संशोधन की अनुमति है

धारा 28 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति और एक व्यक्ति, जिसे एक विशिष्ट पहचान संख्या सौंपी गई है, पंजीकरण के समय या उसके बाद दी गई सूचना में किसी भी बदलाव के उचित अधिकारी को सूचित करेगा, ऐसे रूप और तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर निर्धारित किया जा सकता है। उचित अधिकारी, उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर या उसके अनुसार पता लगाने के लिए, इस तरह से और इस अवधि के भीतर पंजीकरण विवरण में संशोधन को मंजूरी या अस्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि उचित अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे विशेष विवरणों के संशोधन के सम्बन्ध में, निर्धारित किया जा सकता है, बशर्ते कि उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पंजीकरण विवरणों में संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

2.7.1 जीएसटी पंजीकरण रद्द करना (Cancellation of GST Registration)

उचित अधिकारी या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, पंजीकरण रद्द कर सकता है, इस तरह से और इस तरह की अवधि के भीतर निर्धारित किया जा सकता है।

(क) व्यवसाय को बंद कर दिया गया है, किसी भी कारण से पूरी तरह से हस्तान्तरित किया जाता है, जिसमें प्रोप्राइटर की मृत्यु भी शामिल है, अन्य कानूनी इकाई के साथ समामेलित, ध्वस्त या अन्यथा निपटाया गया;

(ख) व्यवसाय के संविधान में कोई परिवर्तन है;

(ग) कर योग्य व्यक्ति, धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत पंजीकृत व्यक्ति के अलावा, धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

आगे के मामलों में उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण को पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द किया जा सकता है:

(घ) पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है;

(ङ) धारा 10 (समग्र योजना) के तहत कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न नहीं भरा है, और अन्य पंजीकृत व्यक्ति ने छह महीने की निरंतर अवधि के लिए रिटर्न नहीं भरा है;

(च) कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत स्वैच्छिक पंजीकरण लिया है, पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं किया है;

(छ) पंजीकरण धोखाधड़ी, विलफुल गलत बयानबाजी या तथ्यों के दमन द्वारा प्राप्त किया गया है: बशर्ते कि उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पंजीकरण रद्द नहीं करेगा।

इस धारा के तहत पंजीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के तहत कर और अन्य देयताओं का भुगतान करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति की देयता प्रभावित नहीं होगी।

राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकरण को रद्द करना, जैसा कि मामला हो सकता है, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के रूप में माना जाएगा।

2.7.2 जीएसटी पंजीकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रूप (Important Features Related to GST Registration)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

जीएसटी कानून के तहत प्रदान किए गए पंजीकरण और उसके रद्द होने से सम्बन्धित विभिन्न रूप नीचे दिए गए हैं –

टिप्पणी

जीएसटी के तहत पंजीकरण		
अनु क्रमांक	फार्म	विवरण
1.	GST REG-01	पंजीकरण के लिए आवेदन, एक व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन जानकारी और डेटा बेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करता है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट गैरऑनलाइन करयोग्य व्यक्ति, धारा 51 के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए आवश्यक व्यक्ति और धारा 52 के तहत स्रोत पर कर जमा करने के लिए आवश्यक व्यक्ति
2.	GST REG-02	स्वीकृति
3.	GST REG-03	पंजीकरण संशोधन के लिए आवेदन से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की सूचना/रद्द करने का स्पष्टीकरण
4.	GST REG-04	पंजीकरण रद्द करने स्पष्टीकरण/संशोधन सम्बन्धी जानकारी
5.	GST REG-05	पंजीकरण आवेदन अस्वीकार करने/संशोधन/का आदेश
6.	GST REG-06	पंजीकरण प्रमाण-पत्र
गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन		
अनु क्रमांक	फार्म	विवरण
1.	GST REG-09	गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन
पंजीकरण रद्द करना		
अनु क्रमांक	फार्म	विवरण
1.	GST REG-16	पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन
2.	GST REG-17	पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण सूचना दिखाएँ
3.	GST REG-18	रद्द करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दें
4.	GST REG-19	पंजीकरण रद्द करने का आदेश

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

5.	GST REG-20	पंजीकरण रद्द करने के लिए कार्यवाही छोड़ने का आदेश
6.	GST REG-21	पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन
7.	GST REG-22	पंजीकरण रद्द करने का आदेश

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- कोई भी व्यवसाय, जिसका वित्तीय वर्ष में कारोबार ----- से अधिक है, GST पंजीकरण अनिवार्य है –
 - 20 लाख रुपये
 - 30 लाख रुपये
 - 40 लाख रुपये
 - 50 लाख रुपये
- जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज हैं –
 - पैन कार्ड नंबर
 - आधार कार्ड नंबर
 - वैध मोबाइल नंबर
 - उपरोक्त सभी

2.8 जीएसटी रिटर्न (GST Returns)

भारत अपने सबसे बड़े कर सुधारों की ओर अग्रसर है। पूरी दुनिया इस भूमिका को देख रही है, क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक गन्तव्य आधारित कर-रिपोर्टिंग संरचना की ओर बढ़ रही है। प्रत्येक लेनदेन को अंतिम चालान के माध्यम से एक सामान्य चालान के साथ सूचित किया जाना चाहिए, जो विक्रेता को माल और सेवाओं के लिए पहचाना जा सकता है।

जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय एक ही स्थान पर ऐसे सभी चालानों को दर्ज करने और करदाता के लिए डेटा को एकत्र करने के लिए एक महान समाधान लेकर आए हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, और कई करों को हटा दिया गया है। पूरा देश एक ही संरचना का उपयोग करके रिपोर्ट करेगा कि आप अपना व्यवसाय कहाँ और कैसे करते हैं।

डेटा की इतनी बड़ी बाढ़ से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा एक व्यापक आईटी प्रणाली तैनात की गई है। इसे GSTN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) कहा जाता है, जो विक्रेताओं और खरीदारों की सभी सूचनाओं को एक साथ प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत किए गए विवरणों का सहयोग करेगा और यहां तक कि भविष्य के संदर्भ और कभी भी सामंजस्य के लिए आपके लिए रजिस्टर बनाए रखेगा।

स्क-अधिगम
पाठ्य सामग्री

2.8.1 जीएसटी रिटर्न को समझना (Understanding of GST Returns)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

चालान को ठीक से अपडेट करने के लिए, भारतीय करदाताओं और व्यवसायों को सरकार के साथ कुछ रिटर्न दाखिल करना होगा। इन रिटर्न को अनिवार्य रूप से दायर किया जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रति कोई भी गैर-अनुपालन, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति का कारण बन सकता है, इसके अलावा दंड और रुचियों को आकर्षित करना, आदि। सूचना का उचित रूप से दाखिल करना और रिटर्न भरने में सहजता के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

रिटर्न को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सभी लेनदेन एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और खरीदार और विक्रेता के बीच कोई लेन-देन नहीं हो पा रहा है। सारा डेटा जीएसटीएन में संग्रहित है, जिसे उपयोगकर्ता/करदाता कभी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

2.8.2 सामान्य करदाताओं द्वारा दायर किए जाने वाले जीएसटी रिटर्न के प्रकार (Filing of GST Returns by Different Taxpayers)

GSTR-1 को समझना (Understanding of GSTR-1)

जीएसटी ने एक समान और व्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया है जो शायद ही कहीं और पाया जाता है। यह लेन-देन-वार, गन्तव्य-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली एक बहुत प्रभावी क्रेडिट प्रवाह प्रदान करती है, भ्रष्टाचार और अवैध लेनदेन की संभावना को दूर करती है।

इसे हासिल करने के लिए, सरकार एक प्रभावी फॉर्म-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली लेकर आई है, जिसे डीलरों या निर्माताओं द्वारा मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से दर्ज किया जा सकता है। सभी डीलरों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के एकीकरण से डेटा का एक सामान्य भंडार हो जाएगा, जिसे या तो एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा, डीलर अपने क्रेडिट स्टेटमेंट या भुगतान को जीएसटी के सम्बन्ध में एक सामान्य इंटरनेट पोर्टल पर आसानी से देख सकते हैं।

GSTR-1 क्या है? (What is GSTR-1?)

यह सब GSTR-1 से शुरू होता है। यह वह जगह है, जहां आपूर्तिकर्ता रिपोर्टिंग माह के दौरान अपनी बाहरी आपूर्ति की रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे, सभी पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों को अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर -1 दाखिल करना आवश्यक है। यह डीलरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए पहला या शुरुआती बिंदु है।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

जीएसटीआर-1 फाइल करने की जरूरत किसे है? (Who is required to file GSTR-1?)

जीएसटीआर -1 को जीएसटी के तहत "सभी" कर योग्य पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाना है। हालांकि, ऐसे कुछ डीलर हैं जिन्हें GSTR-1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय, अन्य अलग-अलग GST रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है जैसा कि मामला हो सकता है। ये डीलर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत डीलर, नॉन-रेजिडेन्ट डीलर और टैक्स डिडक्टर्स हैं। यह उन मामलों में भी दर्ज किया जाना है, जहाँ रिपोर्टिंग महीने के दौरान कोई व्यवसाय संचालित नहीं किया गया है।

जीएसटीआर-1 में क्या भरना होगा? (What has to be filled in GSTR-1?)

जीएसटीआर-1 में 13 अलग-अलग प्रमुख हैं जिन्हें भरने की आवश्यकता है। प्रमुख यहाँ सूचीबद्ध हैं -

- रिटर्न भरने वाले कर योग्य व्यक्ति का जीएसटीआईएन पिन।
- पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए कर योग्य बाहरी आपूर्ति का विवरण एवं CGST और SGST भरा जाएगा, जबकि IGST केवल अंतर-राज्य कर की शून्य दर पर बिक्री या बिक्री की छूट का विवरण भी यहाँ उल्लेख किया जाएगा।
- ग्राहक को समाप्त करने के लिए किए गए बाहरी आपूर्ति का विवरण, जहाँ मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक है। ऐसी सभी आपूर्ति प्रकृति में वैकल्पिक हैं।
- उपभोक्ताओं को समाप्त करने के लिए किए गए सभी बाहरी आपूर्ति जहाँ मूल्य 2.5 लाख रु रुपये से अधिक नहीं है।
- डेबिट नोट्स या क्रेडिट नोट्स का विवरण।
- पिछली अवधियों की आपूर्ति में संशोधन, इस अनुभाग में GST चालान में किए गए किसी भी परिवर्तन का उल्लेख करना होगा।
- निर्यात बिक्री का विवरण, आपूर्ति की गई वस्तुओं के एचएसएन कोड का भी उल्लेख करना होगा।
- अग्रिम देयकों से उत्पन्न होने वाली कर देयता।
- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कर का भुगतान।
- कंपनी या एलएलपी के मामले में फॉर्म को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करना होता है, जबकि मालिकाना चिंता के मामले में, भौतिक रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

GSTR-1 दाखिल करते समय सामान्य गलतियाँ (Common Mistakes Committed while Filing of GSTR-1)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

गलत HSN कोड्स, सर्विस अकाउंटिंग कोड्स का उल्लेख करने के रूप में गलतियों को दंडित किया जा सकता है और गलत GSTIN का उल्लेख करने के लिए विस्तार कर सकते हैं, जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय आपूर्तिकर्ता इन सामान्य गलतियों को कर सकता है। उपरोक्त के अलावा, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि ग्राहक को सम्बोधित करने के लिए बदल सकता है। जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय इसे प्रायः पाया जाता है।

GSTR-1 में संशोधन कैसे करें? (How to Make Corrections in GSTR-1?)

ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आपूर्तिकर्ता द्वारा उल्लिखित विवरण गलत हैं। इन मामलों में, जीएसटीआर-1 दाखिल करने के बाद डीलरों के लिए त्रुटियों या चूक में संशोधन करने की संभावना है। एक सामान्य परिदृश्य में, आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर किए गए विवरण को माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, फिर आपूर्तिकर्ता को उस प्रभाव के लिए एक सूचना प्राप्त होगी, जिसमें वह उसी में संशोधन कर सकता है। जहाँ प्राप्तकर्ता अनजाने में त्रुटि से अनजान चालान को स्वीकार करता है, तो आपूर्तिकर्ता को ऐसी त्रुटि और इसके सुधार का हवाला देते हुए न्यायिक प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। मामले के तथ्यों का पता लगाने के बाद, इस तरह की त्रुटि करने के लिए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को विकल्प देना होगा।

जहाँ एक अंतर-राज्यीय बिक्री को इंटर-स्टेट बिक्री के रूप में माना जाता है और बाद में, IGST पर CGST और SGST के बदले शुल्क लिया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को IGST की राशि मंत्रालय को अलग से भुगतान करना होगा और अतिरिक्त CGST के रिफंड के लिए दावा करना होगा।

कुछ मामलों में, आपूर्तिकर्ता को कर चालान में जानकारी बदलने की आवश्यकता हो सकती है, जो पहले से ही जीएसटीआर-1 में अपलोड है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि प्राप्तकर्ता जीएसटीआर-1 में उल्लिखित आपूर्तिकर्ता के विवरण को स्वीकार करता है, तो आपूर्तिकर्ता के पास इनवॉइस दस्तावेज़ में कोई भी बदलाव या संशोधन करने का कोई विकल्प नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता को उस चालान के खिलाफ एक पूरक चालान या क्रेडिट नोट जारी करना होता है, जिसमें वह कोई बदलाव करना चाहता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के दोहरे दावे के प्रभावों को नकारने के लिए, आपूर्तिकर्ता एक प्रणाली स्थापित करेंगे, जो वित्तीय वर्ष, चालान संख्या और जीएसटीआईएन का एक अनूठा संयोजन प्राप्त करता है। यदि सिस्टम में डुप्लिकेट इनवॉइस छिद्रित किया जा रहा है, तो सिस्टम स्वतः ही त्रुटि प्रदर्शित करेगा।

इस बात की संभावना हो सकती है कि किसी चालान में प्वाइंट ऑफ सप्लाई को उचित अवधि में बदल दिया जाए। आपूर्ति का यह नया बिंदु एक अलग स्थिति में हो सकता है। उस स्थिति में, एसजीएसटी भाग का शुल्क उलट कर नए राज्य में पारित कर दिया जाएगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

GSTR-2 को समझना (Understanding of GSTR-2)

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, भारत में होने वाले लेन-देन का विस्तार करने और आगे एक लाइन आइटम आधार पर उन्हें रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है। माना जाता है कि 8.4 मिलियन मूल्यांकनकर्ता जीएसटी के साथ पंजीकृत हैं, 6.2 मिलियन पहले ही जीएसटी पोर्टल में पंजीकृत हैं। इन आकलनकर्ताओं को लगभग 8 बिलियन लेनदेन दर्ज करने की उम्मीद है।

यह एक बहुत मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी वास्तुकला के कारण है। इसके अलावा, लेनदेन को ठीक से रिपोर्ट करना होगा, ताकि जब भी जानकारी सुचारु रूप से जारी रहे और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सके।

क्रेडिट के एक निशुल्क प्रवाह की यात्रा और लेनदेन वार जानकारी अपलोड करने की शुरुआत फॉर्म जीएसटीआर-1 से होती है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई सभी बाहरी आपूर्ति का विवरण है। इसी तरह, एक महीने के दौरान प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की सभी आवक आपूर्ति का विवरण फॉर्म GSTR-2 में दर्ज किया जाना चाहिए।

अंतिम परिणाम यह है कि किसी विशेष डीलर के लिए सभी इनपुट और आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रखा जाता है। यद्यपि उपरोक्त रूपों को काउंटर पार्टी द्वारा सत्यापित और स्वीकार किया जाना है, अर्थात् लेनदेन को आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। एक बार जब सभी लेन-देन स्वीकृत हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश डीलर उत्पन्न होता है, और क्रेडिट के रूप में देय या उपलब्ध राशि प्रदर्शित होती है।

GSTR-2 क्या है? (What is GSTR-2?)

एक बार आपूर्तिकर्ताओं ने फॉर्म GSTR-1 में एक कर माह के दौरान की गई बिक्री की अपनी जानकारी भर दी है, अब यह प्राप्तकर्ताओं का काम है कि वे फॉर्म GSTR-2 में माल या सेवाओं की रसीदें दाखिल करें। यह फॉर्म सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए सभी विवरणों की एक परिणति है और प्राप्तकर्ताओं के लिए सत्यापन के लिए उपलब्ध है।

जीएसटीआर-1 के दाखिल होने के 5 दिन बाद यानी अगले महीने की 15 तारीख तक इसे दाखिल करना होगा।

चूंकि आपूर्तिकर्ताओं के डेटा का विवरण पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए यह फॉर्म ऐसे विवरणों से स्वतः-प्रेरित है। डीलरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता प्राप्त करने के लिए एक-एक करके लेनदेन को मंजूर या संशोधन करना होगा।

जीएसटीआर-2 को समय पर दर्ज नहीं करने पर जुर्माना लगेगा।

जीएसटीआर-2 किसे फाइल करना चाहिए? (Who needs to file GSTR-2?)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

GSTR-2 को उन सभी डीलरों द्वारा दायर किया जाना है जो GST अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। जिन लोगों ने GSTR-1 दाखिल किया था, उन्हें GSTR-2 भी दाखिल करना होगा। इसी तरह, कम्पाउंडिंग स्कीम के तहत पंजीकृत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को जीएसटीआर-2 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यहां तक कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, टैक्स डिडक्टर्स और अनिवासी डीलरों को GSTR-2 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास फाइल करने के लिए एक अलग, सम्बन्धित प्रपत्र है।

GSTR-2 में क्या दर्ज करना होगा? (What has to be Registered under GSTR-2?)

जीएसटीआर-1 की तुलना में यह एक अधिक विस्तृत रूप है। आइए फार्म की सामग्री पर एक नज़र डालें।

- डीलर का नाम और पता फील्ड से यह GSTN पोर्टल पर लॉग इन करें।
- डीलर का 15 अंकों वाला जीएसटीआईएन फिल करे।
- डीलर द्वारा प्राप्त सभी आने वाली सामग्रियों और सेवाओं का विवरण GSTR-1 के विवरण के साथ यह फॉर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कर महीने के दौरान किए गए डीलर की खरीद को प्रदर्शित करता है। चालान की सूची में अंतर हो सकता है, जो डीलर द्वारा रिटर्न दाखिल करने से ठीक किया जा सकता है। ऐसे डीलर मैनुअल रूप से अतिरिक्त या अतिरिक्त विवरण भर सकते हैं। सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता के पास इस आशय की एक सूचना होगी, और वही GSTR-1A में परिलक्षित होगा, जिसे आपूर्तिकर्ता को अनुसार स्वीकार करना होगा।
- पिछली अवधियों से आने वाली सामग्रियों के विवरण में किए गए परिवर्तन उपरोक्त नाम के, जहाँ पिछली अवधियों से सम्बन्धित इनकमिंग आपूर्ति के विवरण में परिवर्तन किए गए हैं। डीलरों को इसे मैनुअल रूप से भरना होगा। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं को प्रासंगिक बदलावों को स्वीकार करना होगा।
- पूंजीगत वस्तुओं या वस्तुओं से बने सभी आयातों का विवरण चूंकि आयात को माल की अंतर-राज्यीय है इसलिए इस मामले में IGST का शुल्क लिया जाएगा।
- पिछली अवधियों के दौरान किए गए आयात के विवरण में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी।
- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त सेवाओं का विवरण तब जीएसटी का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- पिछली अवधियों के भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों से प्राप्त सेवाओं के विवरण में किए गए परिवर्तन पिछली अवधि के दौरान की गई सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन यहाँ अद्यतन किया जाना है।
- कर अवधि के दौरान उठाए गए डेबिट नोटों या क्रेडिट नोटों का विवरण।
- पिछले अवधियों के डेबिट या क्रेडिट नोट में किए गए परिवर्तनों का विवरण इस तरह का कोई भी बदलाव रिवर्स चार्ज करें को सीधे प्रभावित करेगा।
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण GSTR-5 फाइल करना आवश्यक है, जिसका विवरण इस हेडिंग में ऑटो पॉप्युलेट किया जाएगा। इस प्रकार का क्रेडिट तब उत्पन्न होता है, जब हेड ऑफिस अपने शाखा कार्यालयों को क्रेडिट वितरित करता है। परिणामस्वरूप, शाखा कार्यालय उसी से सम्बन्धित क्रेडिट का दावा कर सकता है।
- स्रोत पर काटे गए कर से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट का विवरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप स्रोत पर कर काटा जाता है, उसी का विवरण यहाँ उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र जीएसटीआर-7 से ऑटो पॉप्युलेट किया जाएगा।
- स्रोत पर लगाए गए कर से उत्पन्न क्रेडिट का विवरण – अपने व्यापारियों को भुगतान करते समय स्रोत पर कर जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा, GSTR-8 दर्ज करना आवश्यक है, जिसका विवरण इस क्षेत्र में आने वाली आबादी है।
- एक चालान के खिलाफ प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण – इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ता, कुछ कारणों से एक ही फाइल नहीं करता था, इस क्षेत्र में भरा जा सकता है।
- रिवर्स चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाले आउटपुट कर दायित्व का विवरण, भले ही कोई चालान प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन आपूर्ति के समय के प्रावधानों के कारण, जीएसटी निहितार्थ पहले आता है, फिर इस तरह के विवरण इस तरह के लेनदेन से उत्पन्न कर देयता का उल्लेख यहाँ किया जाना है।
- उपरोक्त क्षेत्रों में किए गए किसी भी संशोधन
- भुगतान किए गए कर का विवरण – रिवर्स चार्ज के कारण चुकाया गया कर और पिछली अवधि के लिए चुकाए गए कर शामिल हैं।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल का विवरण – इस फील्ड को भर दिया जाएगा। कारणों को चुनने के लिए एक ड्रॉप डाउन उपलब्ध है।

खरीद लेनदेन को दाखिल करने में आम त्रुटियाँ (Common Errors in Filing Purchase Transactions)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद भी, कुछ त्रुटियाँ या चूक हैं जो अंतिम रिटर्न दाखिल करते समय रह सकती हैं। फॉर्म भरते समय ये अनजाने में हो सकते हैं। कुछ सामान्य त्रुटियाँ जो सामने आ सकती हैं, परिणामस्वरूप खरीदार या रिसीवर दोनों के चालान की कमी हो सकती है।

क्रेता एक चालान रिकॉर्ड कर सकता है जो प्राप्तकर्ता के खरीद बहीखाता में गायब है। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता को इसकी वैधता साबित करने के बाद अतिरिक्त चालान स्वीकार करने के लिए कहेगा। प्राप्तकर्ता को GSTR-2A में समान स्वीकार करना होगा। इस तरह की स्वीकृति तक, अनन्तिम क्रेडिट आपूर्तिकर्ता को दिया जाएगा।

आपूर्तिकर्ता गलत विवरण जैसे क्रेता का गलत जीएसटीआईएन का उल्लेख कर सकता है। खरीदार के पास चालान को इस हद तक संशोधित करने या यहां तक कि उसी को हटाने का विकल्प होगा। GSTR-1A में आपूर्तिकर्ता फिर ऐसे बदलावों को स्वीकार करेगा।

अन्य आम बेमेल घटनाओं में दोनों पक्षों द्वारा गलत मात्रा में दायर की गई हैं। इस तरह के बेमेल चालान को संशोधित करने या हटाने का विकल्प आपूर्तिकर्ता और खरीदार दोनों के पास उनके सम्बन्धित रूपों में उपलब्ध है।

जहां एक खरीदार को एक ऐसा चालान मिलता है जो खातों में उपलब्ध नहीं होता है, यानी माल पारगमन में होता है, और उसी के लिए चालान प्राप्त नहीं हुआ है, खरीदार के पास कर महीने के लिए लंबित रखने का विकल्प होगा। दोनों पक्षों द्वारा उल्लिखित वस्तुओं या सेवाओं के लिए HSN/SAC कोड का एक बेमेल भी हो सकता है। दोनों मामलों में, काउंटर पार्टी चालान जानकारी को संशोधित कर सकती है।

GSTR-3

इसमें जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में सुसज्जित सामानों और सेवाओं की आवक के साथ-साथ सभी बाहरी विवरण भी होंगे। दोनों विवरणों पर विचार करने के बाद, GSTN आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता या देय कर की राशि का निर्धारण करेगा।

इसके निम्नलिखित विवरण होंगे –

- टैक्सेबल पर्सन का जीएसटीआईएन
- व्यक्ति का पता प्रमाण
- वह अवधि, जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जा रहा है
- कुल बिक्री

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

1. निर्यात टर्नओवर
 2. कर योग्य मोड़
 3. निल रेटेड या छूट दिया टर्नओवर
 4. कुल कारोबार (1-4 का योग)
- जावक आपूर्ति का विवरण
 1. ग्राहकों को समाप्त करने के लिए इंटर-स्टेट भेजा
 2. ग्राहकों को समाप्त करने के लिए इंट्रा-स्टेट भेजा
 3. पंजीकृत व्यक्तियों को इंटर-स्टेट भेजा
 4. पंजीकृत व्यक्तियों को इंट्रा-स्टेट भेजा
 5. निर्यात
 6. बिक्री चालान, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में संशोधन
 7. ऐसी बाह्य आपूर्ति पर कर देयता
 - आवक आपूर्ति का विवरण
 1. इंटर स्टेट प्राप्त किया
 2. इंट्रा स्टेट प्राप्त किया
 3. आयात
 4. चालान, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स खरीदने के लिए संशोधन
 5. ऐसे आवक आपूर्ति पर कर देयता
 6. इनपुट टैक्स क्रेडिट का उलटा
 - अवधि के लिए कुल कर देयता
 - अवधि के लिए टीडीएस प्राप्त हुआ
 - अवधि के लिए टीसीएस प्राप्त हुआ
 - अवधि के लिए आई.सी.टी. के उपर्युक्त विवरणों के अलावा, एक भाग बी को दायर किया जाना चाहिए, जिसमें विवरण शामिल हैं,
 - अवधि के दौरान भुगतान किए गए कोई कर, ब्याज, दंड या शुल्क
 - किसी भी रिफंड ने दावा किया कि पीरियड कैश कम्प्रेषन के दौरान है।

GSTR-9

यह वार्षिक प्रतिफल है जो करदाता द्वारा आने वाला वर्ष के 31 दिसम्बर के पहले प्राप्त होता है। यह करदाता के सभी 12 मासिक GSTR-3 के संचय के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें वर्ष के दौरान भुगतान किए गए कर की राशि भी शामिल होगी, जिसमें निर्यात या आयात का विवरण भी शामिल है।

उपरोक्त रूपों के अलावा, सरकार उन करदाताओं की सेवा करेगी, जो समय पर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, फॉर्म GSTR-3 में नोटिस करते हैं।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

जीएसटीआर-3 को महीने के लिए पूरी तरह से स्वीकार किए जाने के बाद, फिर अंतिम इनपुट टैक्स क्रेडिट को फॉर्म जीएसटी आईटीसी-1 के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा। उस महीने के लिए क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आईटीसी-1 के विवरण की पुष्टि की जानी चाहिए। यदि नियत समय में ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह महीने के लिए क्रेडिट को अस्वीकार कर देगा और महीने के बदले कर देयता के रूप में गणना की जाएगी।

कम्पोजिशन टैक्स पेयर्स द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाना (Filing of Returns by Composition Tax Payers)

GSTR-4A

ऊपर GSTR-2A के समान, GSTR-4A कम्पोजिशन स्कीम करदाताओं के लिए त्रैमासिक रूप से उत्पन्न होता है। इसमें GSTR-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बताई गई आवक आपूर्ति का विवरण है।

GSTR-4

जीएसटीआर-4 ए के ऑटो-populate वाले विवरण के साथ, करदाता अपनी सभी बाहरी आपूर्ति यहां प्रस्तुत कर सकता है। नियत तारीख अगले महीने की 18 वीं तारीख है और इसे त्रैमासिक रूप से दर्ज किया जाना है।

GSTR-9 ए

यह सभी रचना करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न है। यह करदाता द्वारा वित्तिय वर्ष 31 दिसम्बर और सभी तिमाही रचना करदाता द्वारा दायर किया जाता है।

विदेशी अनिवासी करदाता द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न (Returns to be Filed by a Foreign Non-resident Taxpayer)

GSTR-5

यह एक विस्तृत रूप है, जिसमें बाह्य आपूर्ति, आयात, कर भुगतान, इनपुट कर लाभ और शेष स्टॉक शामिल हैं। यह अगले महीने के 20 वें दिन के भीतर मासिक दर्ज किया जाना है या यदि पंजीकरण छोड़ दिया जाता है, तो पंजीकरण के ऐसे समर्पण या समाप्ति के 7 दिनों के भीतर।

इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाता है (Returns are Filed by the Input Service Distributor)

GSTR-6A

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अगले महीने के 10 वें दिन अपना GSTR-1 दाखिल करने के बाद यह फॉर्म अगले महीने के 11 वें दिन तक उत्पन्न हो जाएगा। यह उनके द्वारा

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

किए गए आवक आपूर्तिकर्ता के विवरण के साथ डेबिट होगी। इसे आईएसडी द्वारा मासिक आधार पर दायर किया जाना है।

GSTR-6

एक बार जब आईएसडी द्वारा विवरण की पुष्टि या सुधार कर लिया जाता है, तो जीएसटीआर-6 उत्पन्न हो जाएगा। यह भी एक मासिक फाइलिंग है।

कर कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल किया जाने वाला रिटर्न (Return to be Filed by Tax Deductor)

GSTR-7

महीने के दौरान किए गए कर कटौती का विवरण यहां प्रस्तुत करना होगा। नियत तारीख अगले महीने की 10 वीं है।

GSTR-7A

यह एक टीडीएस प्रमाणपत्र है, जो कर डिडक्टर द्वारा जीएसटीआर-7 दाखिल करने पर स्वतः उत्पन्न होता है। यह निर्धारितियों को डाउनलोड करने और रिकॉर्ड रखने के लिए उपलब्ध होगा। इसमें काटे गए कर और किए गए भुगतान की कुल राशि का विवरण होगा।

ई-कॉमर्स पोर्टल द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न (Return Filed by e-Commerce Portal)

GSTR-8

इस रिटर्न में ई-कॉमर्स विक्रेता द्वारा की गई सभी आपूर्ति और साथ ही एकत्रित कर की राशि शामिल होगी।

जहाँ निर्धारित एक सरकारी निकाय या संयुक्त राष्ट्र निकाय है, तो अगले महीने के 28 वें दिन तक मासिक फॉर्म GSTR-11 दाखिल करना होगा। इन निकायों में एक यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) है और इसलिए आवक आपूर्ति के विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति का पंजीकरण आत्मसमर्पण या रद्द कर दिया गया है, तो इस तरह के रद्दीकरण या पंजीकरण के 3 महीने के भीतर फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न दाखिल करना होगा। यह करदाता द्वारा रखे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और पूंजीगत वस्तुओं की घोषणा करेगा, कर देय और ऐसे समय में भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने करदाताओं के सामने वास्तविक समय के आधार पर समान विवरण लाकर सभी रूपों को एक साथ स्वचालित कर दिया है। यह आगे की सभी गतिविधियों का आधार बनेगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों में किसी भी तरह की कमियों या सूचनाओं को कम समय में प्राप्तकर्ताओं द्वारा सुधारा, बदला या हटाया जा सकता है। यह एक सहज प्रक्रिया है जो अंतिम क्रेडिट के आंकड़ों और यदि कोई हो तो देय कर प्राप्त करने के लिए सभी सूचनाओं से मेल खाती है।

भुगतान चालान सभी फाइलिंग प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके बिना, देय समय में कर भुगतान और बकाया को साफ़ करना संभव नहीं है और क्रेडिट का दावा भी करते हैं।

1. **पीएमटी 1** — करदाता के रिटर्न या देनदारियों से उत्पन्न एक ऑनलाइन कर देयता रजिस्टर।
2. **पीएमटी 2** — जीएसटीएन में क्रेडिट बैलेंस ऑनलाइन
3. **पीएमटी 3** — ऑनलाइन नकद खाता बही
नोट: उपरोक्त प्रपत्र प्रत्येक करदाता के लिए GSTN द्वारा निः शुल्क बनाए रखे गए हैं। इसे यूजर आईडी और पासवर्ड, 24x7 के माध्यम से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।
4. **पीएमटी 4** — जीएसटी के भुगतान के लिए चुनौती।
5. **पीएमटी 5** — अपंजीकृत करदाताओं के लिए भुगतान रजिस्टर।
6. **पीएमटी 6** — लापता क्रेडिट का दावा करने के लिए आवेदन।

जहाँ यह पाया जाता है कि करदाता के खाते में अतिरिक्त ऋण उपलब्ध है, तो करदाता के पास निर्धारित समय के भीतर इस तरह के अतिरिक्त ऋण की वापसी का दावा करने का विकल्प होता है। धनवापसी के आवेदन फॉर्म राज्य और केन्द्र सरकारों के लिए अलग-अलग हैं।

केन्द्र सरकार के लिए 10 फॉर्म निर्धारित हैं, जिनमें से केवल 5 राज्य के लिए लागू हैं। मुख्य रूप RFD-01 है, जहां धनवापसी के लिए आवेदन किया जाता है।

जीएसटीआर 3 बी रिटर्न

करदाताओं पर बोझ कम करने के लिए, कर अधिकारियों ने एक साधारण रिटर्न फॉर्म पेश किया है, जिसे GSTR 3B कहा जाता है। यह केवल जुलाई और अगस्त के महीने के लिए उपयोग किया जाना है। प्रत्येक पंजीकृत करदाता (कम्पोजीशन स्कीम को छोड़कर) को प्रत्येक GSTIN के लिए एक अलग GSTR 3B दाखिल करना होगा।

यह एक स्व-घोषणा रिटर्न की तरह है और करदाता को इस रूप में चालान स्तर की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए केवल कुल मूल्य प्रदान करना होगा।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

12. भारतीय करदाताओं और व्यवसायों को सरकार के साथ कुछ रिटर्न दाखिल करना होता है –
- (क) क्रेडिट का प्रवाह के लिये
 - (ख) बाढ़ से निपटने के लिए
 - (ग) तालमेल बिठाने के लिये
 - (घ) चालान को ठीक से अपडेट करने के लिए
13. आपूर्तिकर्ता रिपोर्टिंग माह के दौरान कहाँ अपनी बाहरी आपूर्ति की रिपोर्ट करेंगे?
- (क) GSTR-1
 - (ख) GSTR-2
 - (ग) GSTR-3
 - (घ) उपरोक्त सभी

2.9 जीएसटी के तहत मूल्यांकन (Evaluation Under GST)

जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर मदद करने के लिए एक मंच पर सभी करों को समेकित करता है। चूंकि मल्टीस्टेज में कर एकत्र किया जाता है इसलिए सरकार ने आसान गणना के साथ-साथ जीएसटी के भुगतान को भी आसान बनाया है। जीएसटी की गणना के लिए सरकार ने विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ मूल्यांकन के कई विकल्पों के साथ सुविधा प्रदान की है। इस लेख में आपको GST के आकलन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

2.9.1 अर्थ और प्रकार के आकलन (Meaning and Types of Assessment)

जीएसटी के तहत, "मूल्यांकन" शब्द का अर्थ इस अधिनियम के तहत कर देयता का निर्धारण है और इसमें स्व-मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, अनन्तिम मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन और सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शामिल हैं। आमतौर पर, जीएसटी पंजीकरण फाइल करने वाले व्यक्ति जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं और जीएसटी देयता के स्व-मूल्यांकन के आधार पर हर महीने जीएसटी का भुगतान करते हैं। हालाँकि, सरकार के पास हर समय यह आकलन करने का अधिकार होता है कि वह स्वयं मूल्यांकन करे या यह निर्धारित करे कि जीएसटी का भुगतान कम है या नहीं। इस लेख में, हम जीएसटी के तहत विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन को विस्तार से देखते हैं।

जीएसटी के तहत विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन निम्नानुसार हैं –

- धारा 59 – देय करों का स्व मूल्यांकन
- धारा 60 – अनन्तिम मूल्यांकन।
- धारा 61 – पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों द्वारा दायर कर रिटर्न की जांच।
- धारा 62 – पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति का आकलन जो कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं।
- धारा 63 – अपंजीकृत व्यक्तियों का आकलन।

धारा 64 – कुछ विशेष मामलों में सारांश मूल्यांकन

आकलन जीएसटी कानून के तहत करदाता की कर देयता की गणना है। ये यह पता लगाने कि प्रक्रिया है कि प्रत्येक महीने किसी व्यक्ति को कितना कर देना है।

जीएसटी के तहत विभिन्न प्रकार के आकलन हैं। वे इस प्रकार हैं –

- **सेल्फ असेसमेंट** – करदाता द्वारा स्वयं किया गया असेसमेंट धारा 59 के तहत आता है।
- **अनन्तिम मूल्यांकन** – धारा 60 के तहत कर अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- **स्कूटनी असेसमेंट** – कर अधिकारियों द्वारा की गई धारा 61 के तहत आता है।
- **सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन** – कर अधिकारियों द्वारा किया गया।
- **रिटर्न के गैर – फाइलकरो का मूल्यांकन** – धारा 62 के तहत आता है।
- **अपंजीकृत व्यक्तियों का आकलन** – धारा 63 के तहत आता है।
- **सारांश आकलन** – कर अधिकारियों द्वारा की गई धारा 64 के तहत आता है।

धारा 59 – स्व मूल्यांकन (आत्म मूल्यांकन)

कर योग्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन के आधार पर कर का भुगतान करना होता है। इसलिए, सभी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करदाता द्वारा स्व-मूल्यांकन पर आधारित हैं। अन्य शब्दों में, प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति स्वयं देय करों का आकलन करेगा और प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब है कि जीएसटी चालू कर व्यवस्था के तहत उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर की तरह ही स्व-मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। प्रत्येक व्यक्ति जो एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति है, वह अपने कर की देयता का आकलन कर सकता है। GST वर्तमान कर व्यवस्था के तहत वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे अन्य कर दायित्व की तरह ही आत्म-मूल्यांकन की अनुमति देता है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

स्व-मूल्यांकन करने के बाद, व्यक्ति को इस मूल्यांकन के आधार पर कर का भुगतान करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में जीएसटी अधिनियम की धारा 59 में कहा गया है –

“प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय करों का स्व-मूल्यांकन करेगा और धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा।”

अन्तिम मूल्यांकन (Final Evaluation)

धारा के तहत यदि कोई निर्धारिती अपने कर देयता मूल्य या दर का निर्धारण करने में असमर्थ है, तो वह अन्तिम मूल्यांकन के लिए अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यह आगे दो शर्तें देता है जिसके तहत यह मूल्यांकन किया जाता है –

- यदि करदाता वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण में कठिनाई के कारण कर की दर निर्धारित करने में असमर्थ है या कोई अधिसूचना लागू है या नहीं।

अन्तिम मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया (Process of Final Evaluation)

- निर्धारिती को लिखित में अन्तिम मूल्यांकन के लिए GST अधिकारी से अनुरोध करना होगा।
- इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर अधिकारी आवेदन की समीक्षा के बाद एक आदेश पारित करेगा। यह आदेश अन्तिम आधार पर या उसके द्वारा निर्दिष्ट जीएसटी दर या मूल्य पर कर के भुगतान की अनुमति देने के लिए है।
- अन्तिम आधार पर भुगतान करने वाले निर्धारिती को अस्थायी रूप से मूल्यांकन किए गए कर और अंतिम मूल्यांकन किए गए कर के बीच अंतर राशि का भुगतान करने का वादा करने वाली सुरक्षा के साथ एक बांड जारी करना होता है।
- जीएसटी अधिकारी अन्तिम भुगतान के आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अन्तिम मूल्यांकन पारित करेगा।
- अन्तिम मूल्यांकन के बाद अन्तिम मूल्यांकन किया जाएगा।

अन्तिम मूल्यांकन के लिए देय ब्याज (Interest Payable on Final Evaluation)

यदि किसी भी मामले में करदाता अन्तिम मूल्यांकन के समय भुगतान किए जाने की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन के बाद अधिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो व्यक्ति ऐसे कर भुगतानों पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कर की वास्तविक देय तिथि से की गई वास्तविक कर भुगतान तक की जाती है। ब्याज अधिकतम 18% की दर से लिया जाएगा।

अन्तिम मूल्यांकन के तहत वापसी (Return under Final Evaluation)

अगर किसी भी मामले में करदाता अन्तिम आकलन के बाद भुगतान किए गए अन्तिम मूल्यांकन के बाद कम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, तो व्यक्ति को उसी राशि के साथ वापस कर दिया जाएगा और साथ ही साथ धारा 56 के तहत इस तरह के रिफंड पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। भुगतान किया गया ब्याज अधिकतम 6% होगा।

अन्तिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा (Limits for Final Evaluation)

अन्तिम मूल्यांकन अन्तिम मूल्यांकन के 6 महीने के भीतर किया जाएगा। संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त द्वारा समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर आयुक्त इस समयावधि को 4 वर्ष तक भी बढ़ा सकते हैं।

संवीक्षा मूल्यांकन (Scrutiny Assessment)

- रिटर्न की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए, जीएसटी अधिकारी इसकी छानबीन करते हैं। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के प्रावधान के अनुसार उचित कार्यालय द्वारा रिटर्न की जांच की जाती है।
- कोई भी विसंगति पाए जाने पर, वह पंजीकृत व्यक्तियों को विसंगति के बारे में सूचना देगा और व्यक्ति से जवाब मांगेगा। नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर व्यक्ति उत्तर प्रस्तुत करेगा।
- पंजीकृत व्यक्ति नोटिस में उल्लिखित विसंगति को स्वीकार कर सकता है और देय करों, ब्याज और किसी अन्य राशि का भुगतान कर सकता है और उचित अधिकारी को सूचित कर सकता है।
- यदि उचित कार्यालय पाया गया तो सूचना स्वीकार्य है उचित कार्यालय पंजीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित करेगा।
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा विसंगति स्वीकार नहीं की जाती है, तो वह उचित अधिकारी को स्पष्टीकरण देगा।
- यह अधिकारी के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह कानूनी या न्यायिक कार्यवाही नहीं है। यदि कोई विसंगतियां नजर आती हैं तो उसी के लिए अधिकारी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। उसी के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:
- जब स्पष्टीकरण संतोषजनक हो – अधिकारी करदाता को सूचित करेगा और इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- जब स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है – करदाता ने 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया है या अधिकारी ने विसंगतियों को ठीक नहीं किया है।
- धारा 65 के तहत कर लेखा परीक्षा आयोजित करना।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- करदाता के व्यवसाय के स्थानों का निरीक्षण करें और खोजें।
- धारा 66 के तहत एक विशेष ऑडिट शुरू करें।
- मांग और वसूली प्रावधानों को शुरू करना।
- बकाया मांग या कमी के लिए नोटिस भेजें, जब धारा 73 के तहत धोखाधड़ी करने का कोई इरादा नहीं है।
- बकाया मांग या कमी के लिए नोटिस भेजें जब धारा 74 के तहत धोखाधड़ी का इरादा है।

कोई भी आदेश जांच के तहत पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कानूनी या न्यायिक कार्यवाही नहीं है।

बेस्ट जजमेंट असेसमेंट (Best Judgement Assessment)

इस मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी का दायित्व है कि वह करदाताओं की कुल आय का आकलन करे या निम्न मामलों में अपने निर्णय के अनुसार सबसे कम करे।

2.9.2 रिटर्न न भरने वालों का आकलन (Assessment of non-filers of Return)

धारा 62 के तहत, यदि करदाता धारा 46 के तहत नोटिस के बाद भी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मूल्यांकन करने के लिए एक जीएसटी अधिकारी की आवश्यकता होती है। इस मामले में जीएसटी अधिकारी करदाता की कर देयता तक पहुंचता है, जो उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले में सबसे अच्छा है। अधिकारी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकता है, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है। इस आदेश को प्राप्त करने के बाद, यदि सम्बन्धित करदाता ने मूल्यांकन आदेश जारी करने से 30 दिनों के भीतर एक वैध रिटर्न प्रस्तुत किया, तो आदेश वापस लिया जा सकता है।

इस मामले में करदाता धारा 47 के तहत देर से शुल्क और/या धारा 50 (1) के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अपंजीकृत व्यक्ति का मूल्यांकन (Evaluation of Unregistered Person)

धारा 63 के तहत, अगर कोई करदाता जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है या जिसका पंजीकरण धारा 29 (2) के तहत रद्द कर दिया गया है, भले ही वह पंजीकृत होने और कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, तो जीएसटी अधिकारी अपने कर दायित्व को संसाधित कर सकता है।

यह उस प्रासंगिक अवधि के लिए किया जाना है, जिसके लिए कर अवैतनिक है। अधिकारी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के तहत निर्दिष्ट तारीख से पांच साल के भीतर एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकता है जिसके लिए कर अवैतनिक हैं।

2.9.3 सारांश मूल्यांकन (Evaluation Summary)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

इस प्रकार का मूल्यांकन धारा 64 के तहत कहा गया है। इस मूल्यांकन को लेने के लिए प्राधिकृत कार्यालय को अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राजस्व के हितों की रक्षा के लिए, एक जीएसटी अधिकारी किसी भी सबूत के साथ कर देयता दिखाने वाले व्यक्ति के कर दायित्व का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अधिकारी मूल्यांकन आदेश आईडी भी जारी कर सकता है, जिसके पास यह प्रमाण है कि मूल्यांकन में देरी राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

टिप्पणी

2.9.4 जीएसटी के तहत गैर अनुपालन के परिणाम और दंड (Penalties and Results under Non-compliance with GST)

अनुपालन न होने पर जीएसटी के तहत ये परिणाम और दंड हो सकते हैं:

- 25000 रुपये तक का जुर्माना, जो दी गई परिस्थितियों में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सामान और सेवाओं को इस ज्ञान के साथ प्राप्त करते हैं या प्राप्त करते हैं कि यह जीएसटी अधिनियम का उल्लंघन है।
- अन्य व्यक्तियों को जीएसटी में धोखाधड़ी करने में मदद करें।
- व्यक्ति जीएसटी नियमों के अनुसार चालान जारी नहीं कर रहे हैं।
- व्यक्ति अपने खातों की पुस्तकों में इनवॉइस खाते में विफल रहता है।
- कर प्राधिकरण से अनुपस्थित है जहां सम्मन जारी किए जाते हैं।

यदि कर योग्य राशि में जुर्माने के साथ 3 वर्ष के 2 करोड़ से 5 करोड़ का कारावास शामिल है, तो देय है।

जहां कर योग्य राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और कम भुगतान किया जाता है, 10000 रुपये के न्यूनतम दंड के साथ कर राशि का 10% जुर्माना होगा।

2.9.5 निष्कर्ष (Conclusion)

कर दायित्व की गणना के लिए करदाता द्वारा जीएसटी का आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

आसान गणना के लिए निर्धारित को उसके आराम क्षेत्र के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं।

मूल्यांकन के हर विकल्प के साथ विचार करने के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं।

जीएसटी के तहत मूल्यांकन के अधिकांश प्रावधान वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के समान हैं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

2.9.6 कर संग्रहण व वसूली सम्बन्धी प्रावधान (Provision for Tax Collection and Recovery)

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति से कर के रूप में कोई राशि संग्रहित करता है और उसका भुगतान सरकार को नहीं करता है, तुरन्त उसका भुगतान सरकार को करेगा, तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए कि ऐसी पूर्तियाँ, जिनके सम्बन्ध में कर संग्रहित किया गया है, करयोग्य नहीं थी अथवा थी। किसी अपीलेंट प्राधिकरण या अपीलेंट ट्रिब्यूनल या न्यायालय के किसी निर्देश या आदेश और विधान के किसी प्रावधान में अथवा उसके अधीन किन्हीं नियमों के अधीन अथवा तत्समय प्रभावी किसी विधान के तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी अनुपालना की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए सम्यक् अधिकारी, दायी व्यक्ति के, कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करके उससे अपेक्षा कर सकता है कि क्यों नहीं यह राशि, समान राशि के अर्थदण्ड सहित उसके द्वारा भुगतान की जाए। सम्यक् अधिकारी सुनवाई का अवसर (यदि अनुरोधित हो) प्रदान करने के पश्चात् और जवाबी सफाई पर विचार करके, ऐसे व्यक्ति से देय राशि का निर्धारण कर सकता है, जिसका भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा कर संग्रहण की तिथि से उसके द्वारा सरकार को भुगतान की तिथि तक के ब्याज का दायी होगा।

नोटिस निर्गमन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर सम्यक् अधिकारी सम्बन्धित तथ्यों एवं निर्णय के आधारों का वर्णन करते हुए आदेश निर्गमित करेगा। यदि आदेश का पारित करना किसी न्यायालय का अपीलेंट ट्रिब्यूनल द्वारा रोक दिया गया है, तब ऐसे रहे की अवधि को एक वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

सरकार को भुगतान की गई राशि का समायोजना ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर (यदि कोई है) के विरुद्ध किया जाएगा, जिसका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई पूर्तियों से हो। ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने चुकता राशि का भार वहन किया है, वह उसकी वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।

कर के अशुद्ध संग्रहण पश्चात् सरकार को भुगतान (Tax Wrongfully Collected and Paid to Government)

राज्य के अन्दर पूर्ति का अन्तर्राज्यीय होना (Intra-State Supply Considered as Inter-State Supply)

किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए लेनदेन को राज्य के अन्दर पूर्ति विचार करके उस पर CGST/SGST का भुगतान के पश्चात् ऐसी पूर्ति अन्तर्राज्यीय निर्धारित होती है, तब विनिर्दिष्ट पद्धति एवं शर्तों के अधीन इस प्रकार चुकता राशि उसको वापस कर दी जाएगी और IGST की राशि पर किसी ब्याज का भुगतान अपेक्षित नहीं होगा।

अन्तर्राज्यीय पूर्ति का राज्य के अन्दर पूर्ति होना (Inter-State Supply Considered as Intra-State Supply)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

किसी पंजीकृत व्यक्ति ने किसी लेनदेन को अन्तर्राज्यीय पूर्ति मानते हुए IGST का भुगतान कर दिया है, तत्पश्चात् ऐसी पूर्ति राज्य के अन्दर पूर्ति निर्धारित होती है तब निर्धारित पद्धति एवं शर्तों के अधिन ऐसे व्यक्ति द्वारा चुकता IGST की राशि का रिफण्ड स्वीकृत किया जाएगा और CGST/SGST की राशि पर ब्याज का भुगतान अपेक्षित नहीं होगा।

वसूली प्रक्रियाएँ (Recovery Proceedings)

GST विधान के अनुसरण में पारित किसी आदेश के अधीन किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा देय कोई राशि, ऐसी आदेश की प्राप्ति के 3 माह के अन्दर भुगतान कर दी जाएगी तथापि राजस्व के हित में 3 महीने की उपर्युक्त अवधि को लिखित कारणों सहित सम्यक् अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है। भुगतान में असफल रहने पर वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

कर वसूली की सितियाँ (Modes of Recovery of Tax)

सम्यक् अधिकारी कर वसूली की प्रक्रिया निम्नांकित किसी एक सितियों से प्रारम्भ करेगा –

1. **सम्यक् अधिकारी अथवा निर्दिष्ट अधिकारी** के नियन्त्रण में, कोई राशि जो ऐसे व्यक्ति को देय है, उससे राशि की वसूली कर सकता है, अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा वसूली की अपेक्षा करेगा।
2. **सम्यक् अधिकारी स्वयं** अथवा अन्य किसी निर्दिष्ट अधिकारी को वसूली के लिए निर्देशित कर सकता है। वसूली के लिए ऐसे दोषी व्यक्ति से सम्बन्धित माल जो सम्यक् अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के नियन्त्रण में हो, उसको रोककर अथवा उसका विक्रय किया जा सकता है।
3. **तृतीय पक्षकार से वसूली** – सम्यक् अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है, जिससे ऐसे व्यक्ति को कोई राशि देय है अथवा देय हो सकती है अथवा जो ऐसे व्यक्ति के खाते में कोई राशि धारण करता है अथवा धारण करेगा, सरकार को अदत्त का भुगतान करें। ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित है कि राशि के देय होने के तुरन्त पश्चात् अथवा नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर (जो राशि के देय होने अथवा धारण करने से पूर्व की नहीं हो) भुगतान करे, तृतीय पक्षकारों सम्बन्धी इस वाक्य में सम्मिलित है बैंक डाकखाना, बीमाकर्ता, देनदार एवं ऋणी, जिन्हे साम्यता तृतीय पक्ष कहा जाता है।
4. **सम्पत्ति कुर्क करना** – सम्यक् अधिकारी ऐसी किसी चल अचल सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति की है अथवा उसके नियन्त्रण में है और उसे तब तक रोके रखे, जब तक कि देय राशि का भुगतान किया जाता है। यदि देय राशि का कोई भाग, अथवा सम्पत्ति कुर्की की लागत

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

अथवा सम्पत्ति को रोक रखने की लागत, ऐसी कुर्की के 30 दिनों तक अदत्त रहती है, वह ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करवा सकता है।

5. **वसूली प्रमाण पत्र** — सम्यक् अधिकारी, अपने हस्ताक्षर के अधीन एक प्रमाण — पत्र करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से देय राशि का उल्लेख होगा और उसे ऐसे जिले के कलेक्टर अथवा सरकार द्वारा को भेजेगा, जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी सम्पत्ति का स्वामी है, अथवा रहता है, अथवा व्यवसाय चलाता है।
6. **मजिस्ट्रेट को आवेदन** — अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए, सम्यक् अधिकारी द्वारा उपयुक्त मजिस्ट्रेट को आवेदन और ऐसा मजिस्ट्रेट, आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति से राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा, मानो यह उसके द्वारा आरोपित अर्थदण्ड है।
7. **राज्य सरकार द्वारा वसूली** — जब GST विधान के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय कोई कर, ब्याज अथवा अर्थदण्ड की कोई राशि अदत्त रहती है, राज्य का समुचित कर अधिकारी, उपर्युक्त अदत्त राशि की वसूली के दौरान, उपर्युक्त व्यक्ति से राशि की वसूली इस प्रकार कर सकता है, मानो यह राज्य के कर की अदत्त राशि है और इस प्रकार वसूली की राशि को सरकार के खाते में जमा करेगा।

कर का किस्तों में भुगतान (Payment of Tax in Instalments)

करयोग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, आयुक्त कारणों को लिपिबद्ध करते हुए भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है अथवा देय किसी राशि के किस्तों में भुगतान को स्वीकृत कर सकता है। तथापि, विवरणी में स्वयं निर्धारित कर के भुगतान में समय नहीं बढ़ाया जा सकता है।

आयुक्त निर्दिष्ट करेंगे कि राशि का भुगतान अधिकतम 24 मासिक किस्तों में 18% ब्याज भुगतान के शर्त के राशि स्वीकृत किया जा सकता है। यदि किसी किस्त की देय तिथि पर भुगतान में त्रुटि होती है, उस तिथि को देय सम्पूर्ण राशि तुरन्त देय हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को बिना किसी और नोटिस के जारी किए, राशि तुरन्त वसूल की जाएगी।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बिन्दु है —

1. आयुक्त को आवेदन
2. मासिक किस्तों में भुगतान
3. अधिकतम 24 किस्तें स्वीकार्य
4. ब्याज की दर 18% प्रतिवर्ष
5. समय पर किस्तों का भुगतान
6. स्वयं निर्धारण कर दायित्व के लिए नहीं।

करयोग्य माल की आपूर्ति का मूल्य निर्धारण – धारा 15 (Determination of Value of Taxable Supply of Goods - Sec. 15)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

व्यवहार मूल्य (Transaction value) माल की पूर्ति (supply) का ऐसा मूल्य होगा, जो कि माल की उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या किया जाना है। यह कीमत पूर्ति के लिए एक मात्रा प्रतिफल होगी। उत्पादक, वितरक, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी आदि पूर्तिकर्ताओं द्वारा की जाती है। इस बीजक में पूर्ति किए गए माल के करयोग्य मूल्य पर देय GST की राशि का उल्लेख होता है।

इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि पूर्तिकर्ता एवं प्राप्तिकर्ता एक-दूसरे से सम्बन्धित होने चाहिए।

उदाहरण (Example)

एक मोबाइल निर्माता ने अपने वितरक को 15,000 रुपये प्रति मोबाइल मूल्य पर मोबाइल की पूर्ति की। यहाँ पर $15,000 \times 100 = 15,00,000$ रुपये पूर्ति का व्यवहार मूल्य माना जाएगा। क्योंकि यह बीजक मूल्य है।

पूर्ति किए गए माल या सेवा का करयोग्य मूल्य उसका व्यवहार मूल्य (Transaction Value) होगा। यह मूल्य सामान्यतः ऐसा मूल्य होता है, जो बिल या बीजक में उल्लिखित होता है।

दूसरे शब्दों में, करयोग्य मूल्य वह व्यवहार मूल्य होगा, जो निम्न शर्तों की पूर्ति करे –

1. वह मूल्य जो कि पूर्तिकर्ता (Supplier) द्वारा प्राप्तिकर्ता (Recipient) से वसूला जाता है।
2. व्यवहार मूल्य में पूर्तिकर्ता द्वारा लिए गए मूल्य के अलावा कमीशन, उठाई-धराई के व्यय, पैकिंग चार्जस, पर्यवेक्षण, परीक्षण, डिझाइन चार्जस, लोडिंग चार्जस भाड़ा आदि भी शामिल होते हैं।
3. पूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्तिकर्ता द्वारा चुकाई गई कोई ऐसी राशि जिसे चुकाने के लिए पूर्तिकर्ता उत्तरदायी हो।
4. पूर्तिकर्ता एवं प्राप्तिकर्ता सम्बन्धित व्यक्ति (Related Person) नहीं होना चाहिए।
5. मूल्य पूर्ति का एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

व्यवहार मूल्य में जोड़ी जाने वाली मदें (Items Added to Transaction Value)

अथवा

जीएसटी हेतु करयोग्य मूल्य में शामिल की जाने वाली मदें (Items Inclusions in Taxable Value for GST)

GST अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के आधार पर निम्न व्ययों या मदों को वस्तु या सेवा का करयोग्य मूल्य निकालते समय जोड़ा जाएगा, यदि ये व्यय पृथक् से चार्ज किए गए हैं, अर्थात् व्यवहार मूल्य में शामिल नहीं हैं –

- 1. पैकिंग (Packing)** – पैकिंग का अर्थ है कोई रेपर, कन्टेनर, बॉबिन, रील आदि जिसमें शुल्क योग्य माल को पैक किया गया है। यदि माल को निर्माता द्वारा पैक शुद्ध स्थिति में विक्रय किया जाता है, तो पैकिंग लागत करयोग्य मूल्य का अंश होगी।
- 2. डिजाइन एवं इंजीनियरिंग (Design and Engineering)** – डिजाइन तथा इंजीनियरिंग व्यय उत्पाद हेतु अनिवार्य होते हैं, अतः इनको करयोग्य मूल्य में शामिल किया जाएगा। ये उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए अनिवार्य होते हैं। मशीनों के आलेखन डिजाइनिंग तथा तकनीकी विशिष्टीकरण मशीन की लागत के अभिन्न तत्व हैं। वस्तुतः ये निर्माण के प्रथम चरण हैं। अतः इनको करयोग्य मूल्य में शामिल किया जाएगा।
- 3. माल की तुलाई, लदाई, निरीक्षण, व्यय (Weightiest Loading, Inspection, Expenses)** – माल की पूर्ति के पूर्व माल का वजन करने या कारखाने या गोदाम में से लदाई करने, माल का निरीक्षण या परीक्षण करने के लिए पूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तिकर्ता से कोई राशि चार्ज की जाती है तो ऐसी राशियाँ करयोग्य मूल्य ज्ञात करने के लिए व्यवहार मूल्य में शामिल की जाएगी।
- 4. बीमा एवं बाह्य भाड़ा (Insurance and Outward Weight)** – यदि पूर्तिकर्ता माल को प्राप्तिकर्ता तक पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करता है तो उसे रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत बाह्य भाड़े पर कर चुकाना होगा। ऐसी स्थिति में वह बीजक में भाड़े या किराए की राशि चार्ज कर सकता है। इस प्रकार भाड़ा या किराया या परिवहन व्यय जीएसटी के अन्तर्गत माल के मूल्य का अंग होगा। इसके साथ ही माल का मार्गस्थ बीमा प्रीमियम भी माल के मूल्य में शामिल की जाएगी।
- 5. ब्याज, विलम्ब शुल्क या हर्जाना (Interest, Late Fee or Penalty for Delayed Payment)** – GST के अन्तर्गत करयोग्य मूल्य की गणना में नया प्रावधान यह किया गया है कि यदि पूर्तिकर्ता (supplier) देरी से भुगतान की दशा में कोई ब्याज, विलम्ब शुल्क या जुर्माना-हर्जाना वसूल करता है तो उसे मूल्य में शामिल किया जाएगा।

6. **पूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान (Amount Paid by Recipient on behalf of Supplier)** – यदि माल या सेवा के सम्बन्ध में ऐसा कोई भुगतान है, जो कि पूर्तिकर्ता को करना या लेकिन प्राप्तिकर्ता ने किया है तो ऐसी राशि मूल्य में शामिल की जाएगी। उदाहरण के लिए, एक कार निर्माता द्वारा अखबार में दिए गए विज्ञापन व्यय का भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर कार निर्माता पूर्तिकर्ता (supplier) है और वितरक प्राप्तकर्ता (Recipient) है। ऐसी दशा में वितरक द्वारा किया गया भुगतान मूल्य (Value) में शामिल होगा।
7. **अनुषांगिक व्यय या सहायक व्यय (Incidental Expenses Incurred)** – किसी माल या सेवा की प्रदाय के पूर्तिकर्ता में पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय कोई अनुषांगिक व्यय (Incidental Charges) चार्ज किए हो, जिसके अन्तर्गत कमीशन और पेक करना भी शामिल है, तो ऐसी चार्ज की गई राशियाँ भी मूल्य में शामिल की जाएगी।
8. **सब्सिडी (Subsidies)** – सरकारी सहायताओं (subsidies) के अलावा यदि पूर्तिकर्ता ने माल या सेवा के सम्बन्ध में कोई सब्सिडी या सहायिका या प्रोत्साहन उपलब्ध कराया हो तो इसकी राशि भी मूल्य में शामिल की जाएगी। जैसे एक निर्माता पूर्तिकर्ता अपने माल के क्रेता अर्थात्, प्राप्तकर्ता को यह ऑफर देता है कि आग्रिम भुगतान की दशा में एक हजार रुपये पूर्ति वस्तु मूल्य कम किया जाएगा तो यहाँ एक हजार रुपये की सब्सिडी या प्रोत्साहन बिल में चार्ज किए गए कम मूल्य में जोड़ी जाएगी।
9. **अन्य करों की राशि (Value including Other Taxes)** – यदि पूर्तिकर्ता द्वारा बिल में जीएसटी के अलावा अन्य कोई कर, ड्यूटी शुल्क आदि अलग से चार्ज करता है तो ऐसी राशि मूल्य का हिस्सा होगी, अर्थात् करयोग्य मूल्य की गणना में इसे शामिल किया जाएगा।
10. **कारखाने के भीतर ढुलाई (Loading Charges within the Factory)** – माल निकासी के पूर्व अर्थात् कारखाने के अन्दर पूर्ति किए जाने वाले निर्मित माल की आन्तरिक ढुलाई का व्यय करयोग्य मूल्य में शामिल किया जाएगा।
11. **विक्रयोपरान्त सेवा (After Sales Service in Warranty Period)** – ऐसी सेवाओं की लागत उत्पाद के मूल्य में जुड़ी रहती है। अतः इनको करयोग्य मूल्य की गणना में अलग नहीं किया जाएगा। यदि वारण्टी अवधि में ऐसी फ्री सेवा के लिए अलग से कोई राशि चार्ज की गयी है तो उसे मूल्य में जोड़ा जाएगा। यदि विक्रयोपरान्त सेवा स्वैच्छिक (Optional) है तो इसकी लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।
12. **स्थापित करने के व्यय (Installation Charges)** – यदि पूर्तिकर्ता ने किसी मशीन या प्लांट या अन्य माल को प्राप्तिकर्ता के कारखाने या वर्कशॉप या अन्य स्थान पर स्थापित करने की जबाबदारी ली है तो ऐसी

टिप्पणी

स्थापना (Installation) के लिए चार्ज की गई राशि भी करयोग्य मूल्य का अंग होगी।

- 13. वारण्टी चार्ज (Warranty Charges)** – यदि निर्माता किसी माल के सम्बन्ध में आश्वासन शुल्क (वारण्टी चार्ज) अलग से वसूल करता है तो ऐसी राशि व्यवहार मूल्य में जोड़ी जाएगी।

मूल्यांकन हेतु बनाए गए नियमों के अन्तर्गत भी यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी वस्तु के व्यवहार मूल्य को ज्ञात करने के लिए उसको प्रभावित करने वाले सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रतिफल को जोड़ा जाना चाहिए।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

14. धारा 59 के तहत आता है –

- (क) स्कूटनी असेसमेंट
- (ख) रिटर्न के गैर-फाइलरों का आकलन
- (ग) सेल्फ असेसमेंट
- (घ) अनन्तिम मूल्यांकन

15. धारा 63 के तहत, अगर कोई करदाता जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है तो –

- (क) जीएसटी अधिकारी अपने कर दायित्व को संसाधित नहीं कर सकता है।
- (ख) जीएसटी अधिकारी अपने कर दायित्व को संसाधित कर सकता है।
- (ग) उपरोक्त सभी
- (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2.10 GST भुगतान प्रक्रिया (GST Payment Procedure)

भारतीय व्यवसाय एक सीखने की अवस्था के लिए है – माल और सेवा कर (GST) के तहत भुगतान प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रियाओं से काफी भिन्न होती है। अर्थात्, प्रक्रिया का प्रत्येक चरण – जैसे GST के अन्य सभी पहलू अब GST पोर्टल के भीतर ऑनलाइन होते हैं।

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा प्रकाशित नियमों के साथ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49, नई भुगतान प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह उन बातों का अवलोकन प्रदान करता है जो वे दर्ज करते हैं और निम्नलिखित को देखते हैं –

- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के उपयोग और क्रॉस प्रबन्धन
- विलम्बित भुगतानों पर ब्याज
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रपत्र
- प्रत्येक लेनदेन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों (Electronic Producers)

जीएसटी पोर्टल में, एक कर योग्य व्यक्ति अपनी कर देनदारियों को तीन बही-खातों में ट्रैक कर सकता है, प्रत्येक वास्तविक समय में बनाए रखा जाएगा:

1. **इलेक्ट्रॉनिक देयता खाताकर्ता (Electronic Liability Accountant):**
(इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है –
सकल कर देयता के लिए खाते GST PMT-01 का गठन करें।
2. **इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (Electronic Credit Ledger):** (इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के रूप में भी जाना जाता है –
सकल कर देयता के लिए खाते GST PMT-02 का गठन करें।
3. **इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता (Electronic Cash Bookkeeping):**
करदाता द्वारा भुगतान की गई सभी राशियाँ यहाँ परिलक्षित होती हैं –
GST PMT-05
आइए प्रत्येक का विस्तार से विश्लेषण करें।

इलेक्ट्रॉनिक देयता बही (Electronic Liability Book)

यह खाता बही के कर योग्य व्यक्ति की सभी देनदारियों को रिकॉर्ड करता है –

- कर, ब्याज, देर से शुल्क, या करदाता या किसी भी कार्यवाही से सुसज्जित प्रति वापसी के लिए देय कोई अन्य राशि।
- आईटीसी या आउटपुट टैक्स देनदारी के किसी भी बेमेल से उत्पन्न होने वाला कर और ब्याज।
- कोई ब्याज जो समय-समय पर प्राप्त हो सकता है।
- आईटीसी या विपरीत प्रभार।

करदाताओं को अपनी देनदारियों को निम्नलिखित क्रम में निपटाना चाहिए –

1. ब्याज, जुर्माना, शुल्क, या पिछली कर अवधि के रिटर्न से सम्बन्धित कोई अन्य राशि।
2. वर्तमान कर अवधि से सम्बन्धी देय राशि।
3. अधिनियम नियमावली, कार्यवाही आदि से उत्पन्न देयता।

टिप्पणी

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही खाता (Electronic Credit Ledger Account)

करदाता द्वारा स्व-मूल्यांकन किए गए आईटीसी के प्रत्येक दावे को इस खाताधारक को श्रेय दिया जाएगा। इस खाता बही में उपलब्ध राशि का उपयोग केवल आउटपुट कर की ओर भुगतान के लिए किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में सीधे प्रवेश नहीं किया जा सकता है।

इस खाता बही में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं –

- पंजीकृत करदाताओं से आवक आपूर्ति पर आईटीसी।
- इनपुट सेवा वितरक से वितरण के आधार पर उपलब्ध आईटीसी।
- स्टॉक के इनपुट पर आईटीसी।

जिस दिन करदाता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया, उस तारीख से पहले दिन, बशर्ते वह उत्तरदायी बनने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करे।

- स्टॉक में रखे गए इनपुट्स पर उपलब्ध आईटीसी, जो कंपोजीशन स्कीम से रेगुलर टैक्स स्कीम में रूपांतरण के दिन स्टॉक में रखे गए हैं।
- रिवर्स चार्ज आधार पर किए गए भुगतान पर पात्र आईटीसी।

इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाता (Electronic Cash Ledger)

करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि इलेक्ट्रॉनिक नकद बही में परिलक्षित होगी। इस खाता बही में उपलब्ध राशि का उपयोग कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क, या किसी अन्य राशि के लिए किसी भी भुगतान को अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित समय और तरीके से करने के लिए किया जा सकता है। यह दोहराया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में किसी भी क्रेडिट का उपयोग केवल आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

भुगतान शुरू करने के लिए, करदाता फॉर्म GST PMT-06 का उपयोग करके ऑनलाइन एक चालान तैयार करते हैं, जो 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। भुगतान तब निम्न में से किसी भी माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है:

- इंटरनेट बैंकिंग (केवल अधिकृत बैंक),
- क्रेडिट या डेबिट कार्ड (केवल अधिकृत बैंक),
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एवं

भुगतान के कारण करदाता किसी भी कमीशन के लिए जिम्मेदार है।

भुगतान की तारीख को दर्ज किया जाएगा क्योंकि भुगतान उपयुक्त सरकारी खाते में जमा किया जाता है। तिथि, भुगतान करदाता के खाते से डेबिट है, प्रासंगिक नहीं है।

कर भुगतान करने की आवश्यकता वाले अपंजीकृत करदाताओं को अभी भी ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल का उपयोग करना होगा लेकिन पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न एक अस्थायी पहचान संख्या के साथ।

2.10.1 ITC के उपयोग और क्रॉस-उपयोग के बारे में जानकारी (Information about Use and Cross-use of ITC)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

इनपुट टैक्स पर	उपयोग (दिखाए गए क्रम में)
IGST	IGST, CGST, SGST/UTGST
सीजीएसटी	सीजीएसटी, आईजीएसटी
एसजीएसटी/UTGST	SGST/UTGST, IGST

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्य कर के भुगतान की ओर नहीं किया जाएगा; और राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग केंद्रीय कर के भुगतान की ओर नहीं किया जाएगा।

2.10.2 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज (Interest on Delayed Payments)

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, भुगतान देय होने के अगले दिन विलम्बित भुगतान पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। यह पूरी तरह से नहीं किए गए भुगतान और भुगतान दोनों छूट पर लागू होता है।

ब्याज का भुगतान स्वचालित है और इसे स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, यहां तक कि बिना मांग के भी। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर ब्याज दर, 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आईटीसी के अनुचित या अधिक दावे के मामले में, या आउटपुट कर देयता में अनुचित या अतिरिक्त कमी के मामले में, ब्याज सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए, उच्च दर (24% से अधिक नहीं) पर भुगतान किया जाएगा।

2.10.3 जीएसटी भुगतान प्रपत्र (GST Payment Form)

अनु क्रमांक	फॉर्म नं	संक्षिप्त वर्णन	उद्देश्य
1	जीएसटी पीएमटी-01	इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर	इस कर पर कोई कर, ब्याज, जुर्माना, देर से शुल्क, या किसी अन्य राशि पर डेबिट किया जाएगा
2	जीएसटी पीएमटी-02	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही	ITC के प्रत्येक दावे को इस खाता बही में जमा किया जाएगा।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

3	जीएसटी पीएमटी-03	पुनर्विचार किया जाना है	रिफंड अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र से डेबिट की गई राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, एक उचित अधिकारी के आदेश द्वारा फिर से प्राप्त किया जाएगा।
4	जीएसटी पीएमटी-04	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में विसंगति	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में विसंगति, इस फॉर्म के माध्यम से एक अधिकारी को सूचित किया गया।
5	जीएसटी पीएमटी-05	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही	किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना, देर से शुल्क, या नकद में जमा की जाने वाली किसी भी अन्य राशि को इस खाता बही में जमा किया जाता है।
6	जीएसटी पीएमटी-06	कर जमा करने की चुनौती	जनरेट करें और चालान का भुगतान करें।
7	जीएसटी पीएमटी-07	भुगतान से सम्बन्धित विसंगति को सूचित करने के लिए आवेदन	आवेदन कर दाता के लिए होता है, जहां भुगतान की जाने वाली राशि उसके खाते से डेबिट की जाती है, लेकिन CIN को बैंक द्वारा कॉमन पोर्टल या CIN को सूचित नहीं किया गया है, लेकिन सम्बन्धित बैंक द्वारा सूचित नहीं किया गया है (24 घंटे के भीतर)।

प्रत्येक लेनदेन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number for Each Transaction)

ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के भीतर, प्रत्येक डेबिट या क्रेडिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लीडर के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न होगी, जैसा भी मामला हो। यह संख्या इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर पर सम्बन्धित प्रविष्टि में इंगित की जाएगी।

निष्कर्ष निकालने के लिए, जिस तरह से हम आदी हो गए हैं, उन तरीकों की तुलना में जल्द ही लागू होने वाले जीएसटी में कर भुगतान किया जाएगा। यह शिफ्ट जीएसटी के लक्ष्य का समर्थन करने में मदद करता है, ताकि पूरी कर प्रक्रिया को न्यूनतम सरकारी भागीदारी के साथ सुचारु रूप से चलाया जा सके।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

16. करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि _____ में परिलक्षित होगी।
- (क) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही खाता
- (ख) आकलन बही खाता
- (ग) असेसमेंट बही खाता
- (घ) इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाता

स्क-अधिगम
पाठ्य सामग्री

17. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, भुगतान देय होने के अगले दिन विलम्बित भुगतान पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा –

(क) धारा 50

(ख) धारा 41

(ग) धारा 36

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

2.11 जीएसटी भुगतान और रिफंड (GST Payment and Refund)

वर्तमान जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए आवश्यक है कि हर महीने, एक बार जीएसटीआर-1 को बिक्री की रिपोर्ट करने के लिए दायर किया जाए, तो आईटीसी को रिपोर्ट करने और आवश्यक जीएसटी भुगतान करने के लिए जीएसटीआर-3 बी दाखिल करना होगा। यदि रिफंड की आवश्यकता है, तो भी दावा किया जा सकता है कि सम्बन्धित धनवापसी सम्बन्धित प्रपत्र दाखिल करके किया जा सकता है।

2.11.1 भुगतान (Payment)

1. जीएसटी के तहत किए जाने वाले भुगतान क्या हैं?

जीएसटी के तहत भुगतान किए जाने वाले कर को मुख्य रूप से 3 में विभाजित किया गया है –

- आईजीएसटी (केंद्र में भुगतान)
- CGST – राज्य के भीतर आपूर्ति करते समय भुगतान किया जाना
- एसजीएसटी (राज्य का भुगतान)

परिस्थिति	सीजीएसटी	एसजीएसटी	IGST
दिल्ली से बंबई तक सामान बेचा गया	नहीं	नहीं	हाँ
बंबई के भीतर बेचा जाने वाला सामान	हाँ	हाँ	नहीं
बंबई से पुणे तक सामान बेचा गया	हाँ	हाँ	नहीं

उपरोक्त भुगतानों के अलावा इन भुगतानों को करने के लिए एक डीलर की आवश्यकता होती है –

- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) टीडीएस एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने से पहले डीलर द्वारा कर काटा जाता है उदाहरण के लिए –
एक सरकारी एजेंसी एक बिल्डर को सड़क बिछाने का ठेका देती है। अनुबन्ध मूल्य 10 लाख रुपये है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

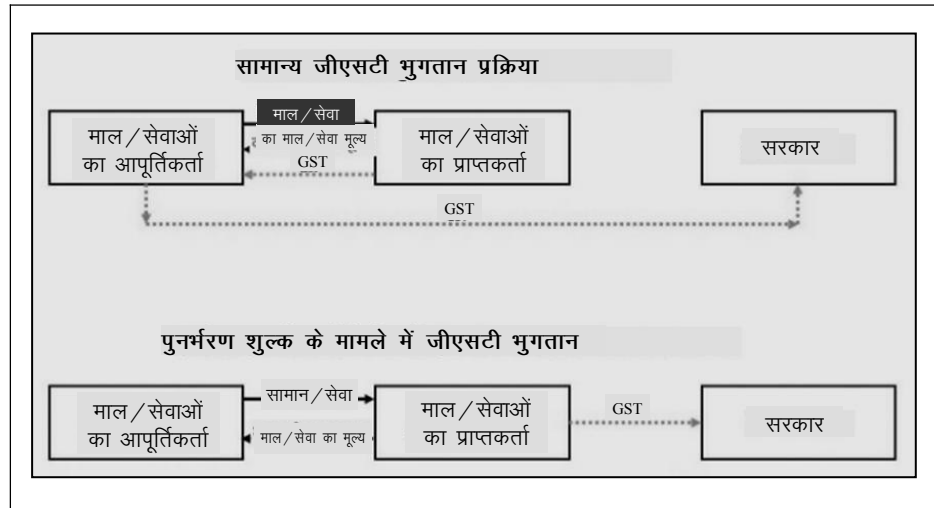
केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

जब सरकारी एजेंसी बिल्डर को भुगतान करती है तो TDS@1% (जिसकी राशि 10,000 रु है) काट ली जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह प्रावधान वर्तमान में शिथिल है और सरकार द्वारा अधिसूचित करने के लिए लागू नहीं होगा।

- ब्याज, जुर्माना, शुल्क और अन्य भुगतान।



चित्र क्र. 2.2

2. जीएसटी भुगतान की गणना कैसे की जाए?

आमतौर पर किए जाने वाले कुल जीएसटी भुगतान की गणना के लिए आउटकम टैक्स लायबिलिटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम किया जाना चाहिए।

शुद्ध देय आंकड़ा प्राप्त करने के लिए ब्याज और विलम्ब शुल्क जोड़ा जायेगा जिससे TDS/TGS कुल देय GST से कम हो जाएगा।

इसके अलावा, आईटीसी पर ब्याज और विलम्ब शुल्क का दावा नहीं किया जा सकता है। ब्याज और देर से शुल्क दोनों का भुगतान नकद में किया जाना आवश्यक है।

जिस तरह से गणना की जानी है वह विभिन्न प्रकार के डीलरों के लिए अलग है।

नियमित डीलर (Regular Dealer)

एक नियमित डीलर द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति पर GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसके द्वारा की गई खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा भी कर सकता है।

एक नियमित डीलर द्वारा देय जीएसटी बाहरी कर देयता और आईटीसी के बीच अंतर है।

स्क-अधिगम
पाठ्य सामग्री

(संयोजन डीलर) / (कम्पोजिशन डीलर) (Composition Dealer)

कंपोजिशन डीलर के लिए GST भुगतान तुलनात्मक रूप से सरल है। कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले डीलर को की गई कुल आपूर्ति पर जीएसटी का एक निश्चित प्रतिशत देना होता है।

कम्पोजिशन डीलर के व्यवसाय के प्रकार के आधार पर जीएसटी का भुगतान किया जाना है।

3. भुगतान किसे करना चाहिए? (Who should Pay?)

इन डीलरों को जीएसटी भुगतान करना आवश्यक है –

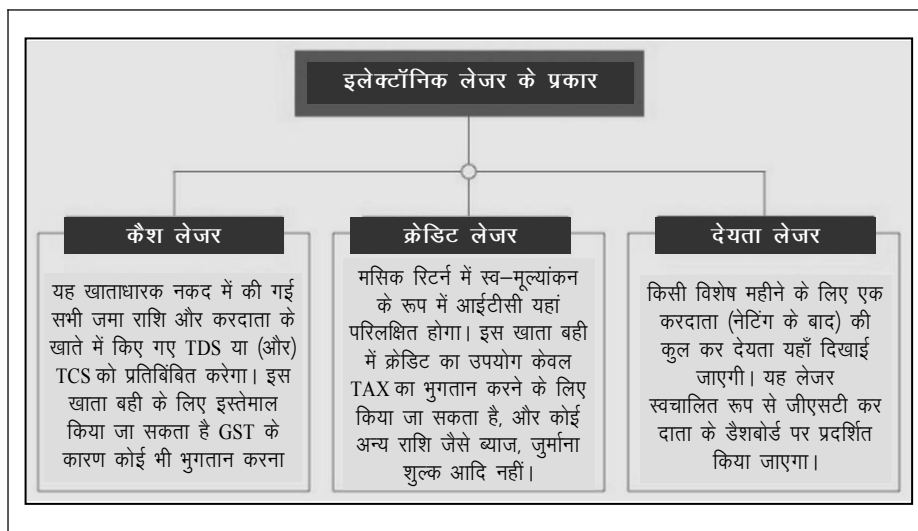
1. GST देयता होने पर GST भुगतान करने के लिए एक पंजीकृत डीलर की आवश्यकता होती है।
2. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) तहत कर का भुगतान करने के लिए पंजीकृत डीलर की आवश्यकता होती है।
3. TCS को इकट्ठा करने और भुगतान करने के लिए
4. डीलरों को टीडीएस काटने की आवश्यकता है

4. जीएसटी भुगतान कब किया जाना चाहिए?

जीएसटी भुगतान तब किया जाना है, जब जीएसटीआर 3 अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल किया जाता है।

5. इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या हैं?

ये उत्पादकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटी पोर्टल पर बनाए रखा गया है।



चित्र क्र. 2.3

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

6. GST भुगतान कैसे करें? (How to Make GST Payment?)

GST भुगतान 2 तरीकों से किया जा सकता है –

- **क्रेडिट लेजर के माध्यम से भुगतान (Payment through Credit Ledger) –**

जीएसटी भुगतान के लिए डीलरों द्वारा ITC का क्रेडिट लिया जा सकता है। टैक्स के भुगतान के लिए ही क्रेडिट लिया जा सकता है। आईटीसी का उपयोग करके ब्याज, जुर्माना और विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

- **कैश लेजर के माध्यम से भुगतान (Payment through Cash Ledger) –**

जीएसटी भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जीएसटी भुगतान दोनों के लिए चालान जनरेट करना होगा।

जहाँ कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है, ऑनलाइन कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

7. भुगतान न करने या विलम्बित भुगतान के लिए जुर्माना क्या है?

यदि जीएसटी कम भुगतान किया जाता है, तो 18% की दर से अवैतनिक या देर से चुकाया गया ब्याज डीलर द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है।

2.11.2 रिफंड (Refund)

1. जीएसटी रिफंड क्या है? (What is GST Refund?)

आमतौर पर जब जीएसटी का भुगतान जीएसटी देयता से अधिक होता है तो जीएसटी रिफंड का दावा करने की स्थिति उत्पन्न होती है। जीएसटी के तहत भ्रम से बचने के लिए रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया मानकीकृत है। प्रक्रिया ऑनलाइन है और उसी के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

2. रिफंड का दावा कब किया जा सकता है? (When can one Claim Refund ?)

ऐसे कई मामले हैं, जहां धन वापसी का दावा किया जा सकता है। ये उनमें से कुछ हैं –

- गलती या चूक के कारण कर का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।
- डीलर एक्सपोर्ट्स वादे के तहत छूट की मांग कर सकता है।
- आउटपुट में कर छूट।
- दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा की गई खरीद पर चुकाए गए कर का रिफंड।

- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कर वापसी।
- अनन्तिम मूल्यांकन को अन्तिम रूप देना।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

3. जीएसटी रिफंड की गणना कैसे करें? (How to Calculate GST Refund?)

आइए अधिक कर भुगतान का एक सरल मामला लें।

सितंबर के महीने के लिए श्री बी की जीएसटी देयता 50000 रुपये है। लेकिन गलती के कारण, श्री बी ने 5 लाख रुपये का जीएसटी भुगतान किया।

अब मिस्टर बी ने 4.5 लाख रुपये का अतिरिक्त जीएसटी भुगतान किया है जिसे उनके द्वारा रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। भुगतान की दावा करने की समय सीमा भुगतान की तारीख से 2 वर्ष है।

4. धनवापसी का दावा करने की समय सीमा क्या है? (What is the Time Limit to Claim a Refund?)

रिफंड का दावा करने की समय सीमा प्रासंगिक तिथि से 2 वर्ष है।

प्रासंगिक तारीख हर मामले में अलग है।

यहां कुछ मामलों के लिए प्रासंगिक तिथियां दी गई हैं –

जीएसटी रिफंड का दावा करने का कारण	प्रासंगिक तिथि
जीएसटी का अत्यधिक भुगतान	भुगतान की तिथि
माल या सेवाओं का निर्यात या डीमंड निर्यात	सीमा समाप्ति पर करने की तिथि
आईटीसी जमा होता है क्योंकि उत्पादन कर छूट या शून्य-रेटेड है	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि जिस पर क्रेडिट है
अनन्तिम मूल्यांकन को अन्तिम रूप देना	वह तिथि, जिस पर कर समायोजित किया जाता है

इसके अलावा अगर रिफंड का भुगतान देरी से किया जाता है तो सरकार द्वारा 24% प्रति वर्ष ब्याज देय है।

5. जीएसटी रिफंड का दावा कैसे करें? (How to Claim GST Refund?)

वापसी आवेदन प्रासंगिक तारीख से 2 साल के भीतर फार्म आरएफडी 01 में किया जाना चाहिए।

फॉर्म को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भी किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

18. कुल जीएसटी भुगतान की गणना के लिए आउटकम टैक्स लायबिलिटी से ----- को कम किया जाना चाहिए।
- (क) TDS (ख) GST
- (ग) ITC (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
19. जीएसटी रिफंड का दावा करने का कारण –
- (क) जीएसटी का अत्याधिक भुगतान
- (ख) माल या सेवाओं का निर्यात या डीमड निर्यात
- (ग) अनन्तिम मूल्यांकन को अन्तिम रूप देना
- (घ) उपरोक्त सभी

2.12 सभी जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज (Reverse Charge under all GST)

2.12.1 रिवर्स चार्ज क्या है? (What is Reverse Charge?)

रिवर्स चार्ज एक ऐसा मैकेनिज्म है, जहां सामान और/या सेवाओं का प्राप्तकर्ता सप्लायर के बजाय GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

आम तौर पर, माल या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता आपूर्ति पर कर का भुगतान करता है। रिवर्स चार्ज के मामले में, रिसीवर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, अर्थात्, प्रतिगामी उलट हो जाता है।

2.12.2 रिवर्स चार्ज कब लागू होता है? (When Reverse Charge will Apply?)

(अ) एक पंजीकृत डीलर को एक अपंजीकृत डीलर से आपूर्ति

यदि कोई विक्रेता जो GST के तहत पंजीकृत नहीं है, GST के तहत पंजीकृत व्यक्ति को माल की आपूर्ति करता है, तो रिवर्स चार्ज लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जीएसटी का भुगतान आपूर्तिकर्ता की बजाय सीधे सरकार को करना होगा।

रजिस्टर्ड डीलर को रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी का भुगतान करना होता है, जो की गई खरीद के लिए स्व-चालान करना होता है।

अंतर-राज्य खरीद के लिए खरीदार को IGST का भुगतान करना पड़ता है। खरीदे गए इंट्रा-स्टेट के लिए क्रेता द्वारा RCM और SGST का भुगतान RCM के तहत किया जाना है।

(ब) एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेवाएँ

यदि कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर सेवाओं की आपूर्ति करता है तो रिवर्स चार्ज ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होगा। वह जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उदाहरण के लिए, अर्बनक्लैप प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, शिक्षक, ब्यूटीशियन आदि की सेवाएँ प्रदान करता है। अर्बनक्लैप जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसे पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के बजाय ग्राहकों से एकत्र करना है।

यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के पास कर योग्य क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है, तो किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो ऑपरेटर एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा जिसे जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

(स) सीबीईसी द्वारा निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति

सीबीईसी ने माल की एक सूची और सेवाओं की एक सूची जारी की है जिस पर रिवर्स चार्ज लागू है।

2.12.3 रिवर्स चार्ज के तहत आपूर्ति का समय (Supply Time Under Reverse Charge)

(अ) माल के मामले में आपूर्ति का समय

रिवर्स चार्ज के मामले में, आपूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से सबसे पहले होगा:

- माल की प्राप्ति की तारीख
- भुगतान की तारीख*
- आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तारीख से 30 दिनों के तुरंत बाद की तारीख

यदि आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, तो आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रवेश की तारीख होगी।

* यह बिंदु इस अधिसूचना सं. 66/2017 के आधार पर अधिक लागू नहीं है – 15.11.2017 को जारी केंद्रीय कर

उदाहरण –

1. माल प्राप्ति की तिथि 15 मई 2018
2. चालान की तारीख 1 जून 2018
3. रिसीवर की पुस्तकों में प्रवेश की तिथि 18 मई 2018

इस मामले में, सेवा की आपूर्ति का समय 15 मई 2018 होगा

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(ब) सेवाओं के मामले में आपूर्ति का समय

रिवर्स चार्ज के मामले में, आपूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से सबसे पहले होगा –

- भुगतान की तारीख
- आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तारीख से 60 दिनों के तुरंत बाद की तारीख

यदि आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, तो आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रवेश की तारीख होगी।

उदाहरण –

1. भुगतान की तिथि 15 जुलाई 2018।
2. चालान जारी करने की तारीख से 60 दिनों के तुरंत बाद की तारीख (मान लीजिए कि चालान की तारीख 15 मई 2018 है, तो इस तारीख से 60 दिन 14 जुलाई 2018 तक होंगे)।
3. रिसीवर की पुस्तकों में प्रवेश की तिथि 18 जुलाई 2018

इस मामले में सेवा की आपूर्ति का समय 14 जुलाई 2018 होगा।

2.12.4 स्व-चालान क्या है? (What is Self-Invoice?)

स्व-चालान तब किया जाना चाहिए जब आपने किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से माल खरीदा हो और ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की खरीद रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत आती हो।

यह इस तथ्य के कारण है कि आपका आपूर्तिकर्ता आपको जीएसटी –अनुरूप चालान जारी नहीं कर सकता है, और इस प्रकार आप उनकी ओर से करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। इसलिए, इस मामले में, आत्म-चालान करना आवश्यक हो जाता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

20. रिवर्स चार्ज के मामले में, ————— कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है –
(क) आपूर्तिकर्ता (ख) रिसीवर
(ग) डीलर (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
21. जब आपने किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से माल खरीदा हो –
(क) स्व-चालान किया जाना चाहिए
(ख) माल या सेवाओं का निर्यात किया जाना चाहिए

- (ग) अनन्तिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए
(घ) उपरोक्त सभी

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

2.13 टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटी के तहत रिफंड के दावे (Refund Claims under GST for Tax and Input Tax Credit)

जीएसटी बिल 4 अप्रैल 2017 को राज्यसभा में पारित किया गया था और नवंबर में जारी संशोधित जीएसटी मॉडल कानून से काफी कुछ बदलाव किए गए थे। हम इस लेख में धन वापसी पर निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे –

- रिफंड क्लेम फाइल करने की समय सीमा
- इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों और अपवादों की वापसी
- आवेदक को धनवापसी के भुगतान के लिए स्थिति

2.13.1 रिफंड क्लेम फाइल करने की समय सीमा (Deadline to File Refund Claim)

कोई भी व्यक्ति जो GST कर की वापसी का दावा कर रहा है, या भुगतान किए गए ब्याज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GST RFD-01 का उपयोग करके सम्बन्धित तिथि से दो साल की अवधि के भीतर करना चाहिए। एक पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी के तहत उल्लिखित तारीखों के अनुसार रिटर्न दाखिल करके इलेक्ट्रॉनिक कैश बही में उपलब्ध शेष राशि का दावा कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन या किसी भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र के तहत अधिसूचित संगठनों की एक एजेंसी, वाणिज्य दूतावास या विदेशी दूतावास सभी वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आवक आपूर्ति पर कर की वापसी के हकदार हैं। तिमाही के अंतिम दिन से 6 महीने की समाप्ति से पहले रिफंड के लिए एक आवेदन दायर करना होता है, जिसमें इस तरह के सामान/सेवा प्राप्त होती थी।

2.13.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों और अपवादों का रिफंड (Refund of Input Tax Credit Cases and Exceptions)

जीएसटी के तहत निम्नलिखित दो मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा किया जा सकता है –

1. शून्य – जिस पर कर का कोई भुगतान नहीं किया गया था, धनवापसी के रूप में दावा किया जा सकता है।
2. आउटपुट आपूर्ति की तुलना में इनपुट पर उच्च कर की दर के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का संचय।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

नोट: अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी निम्नलिखित मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. यदि भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाता है, जो उत्पाद शुल्क को आकर्षित करता है।
4. यदि माल के आपूर्तिकर्ता ने भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क पर ड्यूटी ड्राबैक का लाभ उठाया है या ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए एकीकृत कर पर रिफंड का दावा करता है।
5. धनवापसी का दावा करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे –
 - (अ) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य जो यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं कि आवेदक के कारण धनवापसी हुई है, और
 - (ब) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य, जैसे कि कर चालान में उल्लिखित राशि, जैसा कि आवेदक कर और ब्याज की राशि स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा भुगतान किया गया हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति को कर का बोझ पारित नहीं किया हो।

यदि दावा की गई रिफंड की राशि 2 लाख रुपये से कम है, तो करदाता दस्तावेजी या अन्य साक्ष्यों के आधार पर आवेदन दायर कर सकता है, लेकिन केवल यह प्रमाणित करके कि किसी अन्य व्यक्ति पर इस तरह की कर की घटनाओं को पारित नहीं किया जाता है।

2.13.3 आवेदक को धनवापसी के भुगतान के लिए स्थिति (Condition for Applicant to Refund the Payment)

यदि आवेदक द्वारा दावा की गई धनवापसी राशि सम्बन्धित है –

- (क) वस्तुओं या सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति या दोनों पर या ऐसे शून्य आपूर्ति प्रदान करने में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं पर कर का रिफंड।
- (ख) आउटपुट पर कर की दर से अधिक होने पर इनपुट दर पर कर दर के मामले में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी।
- (ग) ऐसी वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया जो पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदान की गई थीं और चालान जारी नहीं किया गया था।
- (घ) लेन-देन में एक अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय होने के कारण अधिक कर का भुगतान किया गया।

- (ड) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि, अगर वह किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के कर और ब्याज की घटनाओं पर पारित नहीं किया था

या

- (च) अधिसूचना के अनुसार, काउंसिल की सिफारिशों पर, सरकार के रूप में आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा वहन कर या ब्याज, निर्दिष्ट कर सकते हैं

वर्तमान परिदृश्य की तुलना में जीएसटी के तहत कर और इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी एक सरल प्रक्रिया होगी।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

22. शून्य-रेटेड वस्तुओं/सेवाओं पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिस पर कर का कोई भुगतान नहीं किया गया था, धनवापसी के रूप में दावा –
- (क) किया जा सकता है
 - (ख) नहीं किया जा सकता
 - (ग) उपलब्ध शेष राशि का दावा किया जा सकता है
 - (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
23. यदि दावा की गई रिफंड की राशि ----- से कम है, तो करदाता दस्तावेजी या अन्य साक्ष्यों के आधार पर रिफंड आवेदन दायर कर सकता है।
- (क) 5 लाख रुपये
 - (ख) 4 लाख रुपये
 - (ग) 3 लाख रुपये
 - (घ) 2 लाख रुपये

2.14 रिफंड के लिए आवेदन करना (Application for Refund)

(1) कोई भी व्यक्ति धारा 55 के तहत जारी अधिसूचना के तहत कवर किए गए व्यक्तियों को छोड़कर, किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना, फीस या उसके द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य राशि के रिफंड का दावा करने के अलावा, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर के रिफंड के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन दायर कर सकते हैं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

फार्म जीएसटी RFD-01 आम पोर्टल के माध्यम से, सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से –

बशर्ते कि –

धारा 49 की उपधारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता में शेष राशि से सम्बन्धित रिफंड के लिए कोई भी दावा फॉर्म GSTR-3 या FORM GSTR- में सम्बन्धित कर अवधि के लिए सुसज्जित रिटर्न के माध्यम से किया जा सकता है– 4 या फार्म GSTR-7, जैसा भी मामला हो –

एक और आर्थिक क्षेत्र –

इकाई या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को आपूर्ति के सम्बन्ध में, वापसी के लिए आवेदन –

(अ) मॉल आपूर्तिकर्ता –

अधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से भर्ती कराया गया है, जैसा कि जोन के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समर्थन किया गया है;

(ब) क्षेत्र के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समर्थन के रूप में अधिकृत संचालन के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में इस तरह के सबूत के साथ सेवाओं के आपूर्तिकर्ता –

बशर्ते कि डीम्ड निर्यात के रूप में मानी जाने वाली आपूर्ति के सम्बन्ध में, आवेदन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लायर्स के प्राप्तकर्ता द्वारा दायर किया जाएगा:

बशर्ते कि पंजीकरण के समय धारा 27 के तहत उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा देय कर को समायोजित करने के बाद, किसी भी राशि की वापसी, उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक अंतिम रिटर्न में दावा किया जाएगा।

(2) उपनियम 1 के तहत आवेदन

फॉर्म GST RFD-01 में अनुलग्नक 1 में निम्नलिखित किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ होगा, जैसा कि लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक के कारण धनवापसी होगी –

(क) आदेश की संदर्भ संख्या और उचित अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय ट्रिब्यूनल या अदालत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वापसी या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट राशि के भुगतान की संदर्भ संख्या धारा 10 और उप-धारा 112 के तहत धन वापसी का दावा किया गया।

(ख) निर्यात बिलों की संख्या और तारीख और सम्बन्धित निर्यात चालानों की संख्या और तारीख, ऐसे मामले में जहां रिफंड माल के निर्यात के कारण होता है।

टिप्पणी

- (ग) एक बयान और चालान की संख्या और तारीख से सम्बन्धित बैंक साक्ष्य प्रमाण पत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र, जैसा कि मामला हो सकता है, एक मामले में जहां वापसी सेवाओं के निर्यात के कारण होती है।
- (घ) एक विशेष आर्थिक के लिए किए गए माल की आपूर्ति के मामले में दूसरे प्रोविज़ो में निर्दिष्ट एंडोर्समेंट के बारे में साक्ष्य के साथ नियम 46 में दिए गए चालानों की संख्या और तारीख का विवरण।
- (ङ) एक बयान, जिसमें चालान की संख्या और तारीख, एंडोर्समेंट के बारे में साक्ष्य और भुगतान का विवरण, सबूत के साथ, आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता द्वारा बनाया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत अधिकृत संचालन, ऐसे मामले में जहां रिफंड एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर को की गई सेवाओं की आपूर्ति के कारण होता है।
- (च) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं लिया है, इस मामले में एक वापसी की स्थिति में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर के लिए किए गए माल या सेवाओं की आपूर्ति।
- (छ) ऐसे मामले में जहाँ रिफंड डीमंड निर्यात के कारण होता है; इस तरह के अन्य साक्ष्यों के साथ चालान की संख्या और दिनांक युक्त एक बयान, इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जा सकता है।
- (ज) धारा 54 की उपधारा 3) के तहत किसी भी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापसी से सम्बन्धित है, जहां क्रेडिट है आउटपुट पर कर की दर से अधिक होने पर इनपुट पर कर की दर के कारण संचित आपूर्ति, नील-रेटेड या पूरी तरह से छूट वाली आपूर्ति के अलावा।
- (झ) एक चार्टर्ड द्वारा जारी किए गए FORM GST RFD-01 के अनुबन्ध 2 में एक प्रमाण पत्र।

2.14.1 स्वीकृति (Approval)

- (1) जहाँ आवेदन इलेक्ट्रॉनिक कैश बेज़र से रिफंड के लिए दावे से सम्बन्धित है, FORM GST RFD-02 में एक पावती आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जो स्पष्ट रूप से वापसी के लिए दावे के दाखिल होने की तारीख का संकेत देती है और धारा 54 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट समय अवधि को फाइलिंग की ऐसी तारीख से गिना जाएगा।
- (2) धनवापसी के लिए आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक कैश बेज़र से वापसी के लिए दावे के अलावा, उचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन दाखिल करने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की जाँच करेगा और कहाँ आवेदन उपनियम (2) (3) और (89)

टिप्पणी

नियम 89 के संदर्भ में पूर्ण पाया जाता है, FORM GST RFD-02 में एक पावती आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, स्पष्ट रूप से संकेत रिफंड के लिए दावा दायर करने की तारीख और धारा 54 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट समय अवधि को फाइलिंग की ऐसी तारीख से गिना जाएगा।

- (3) जहाँ किसी भी तरह की कमियों को देखा जाता है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर सामान्य पोर्टल के माध्यम से FORM GST RFD-03 में आवेदक की कमियों को बताएगा, जिससे उसे इस तरह की कमियों को सुधारने के बाद एक नया धनवापसी आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
- (4) जहाँ राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017 के तहत FORM GST RFD-03 में कमियों का संचार किया गया है, वहीं उप-नियम (3) के तहत संचारित कमियों के साथ इस नियम के तहत भी सूचित किया जाएगा।

2.14.2 अनन्तिम वापसी का अनुदान (Grant of Provisional Return)

- (1) रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति ने पांच साल की किसी भी अवधि के दौरान तुरंत कर अवधि से पहले कर दिया, जिसमें रिफंड का दावा सम्बन्धित है, अधिनियम के तहत या किसी मौजूदा कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है।

- (2) उचित अधिकारी, दावे की जांच के बाद और उसके समर्थन में प्रस्तुत सबूतों से संतुष्ट होने पर कि उपनियम 1 के तहत रिफंड के रूप में दावा की गई राशि आवेदक के कारण है –sec(6) की धारा 54,

उप-नियम (1) या उप-नियम के तहत पावती की तारीख से सात दिन से अधिक की अवधि के भीतर अनन्तिम आधार पर उक्त आवेदक के कारण धनवापसी की धनराशि को मंजूरी देते हुए FORM GST RFD-04 में एक आदेश दे सकता है (2) नियम 90 का।

- (3) उचित अधिकारी, उपनियम 2 के तहत स्वीकृत राशि के लिए FORM GST RFD-05 में भुगतान सलाह जारी करेगा और उसी के साथ उसके पंजीकरण विवरण में उल्लिखित आवेदक के किसी भी बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रेडिट किया जाएगा।

2.14.3 रिफंड मंजूर करने का आदेश (Order to Grant Refund)

- (1) आवेदन की जांच करने पर, उचित अधिकारी संतुष्ट हो कि धारा 54, वह FORM GST RFD-06 को मंजूरी देने का आदेश देगा। रिफंड की राशि, जिसके लिए आवेदक हकदार है, उसमें राशि का उल्लेख करना, यदि कोई हो, तो धारा 54 की उपधारा (6) के तहत अनन्तिम आधार पर उसे वापस कर दिया गया।

(2) जहां उचित अधिकारी या आयुक्त का विचार है कि धनवापसी की राशि उप-धारा (10) के प्रावधानों के तहत वापस ली जा सकती है या, जैसा कि मामला हो, उप-धारा (11) धारा 54, वह फार्म जीएसटी आरएफडी -07 के भाग बी में एक आदेश पारित करेंगे, जिससे उन्हें इस तरह के धन वापसी के कारणों को सूचित किया जा सके।

(3) जहाँ उचित अधिकारी संतुष्ट है,

लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कि रिफंड के रूप में दावा की गई राशि का पूरा या कोई भी हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को देय नहीं है, वह FORM GST RFD-08 में एक नोटिस जारी करेगा। आवेदक को, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर FORM GST RFD-09 में एक उत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और उत्तर पर विचार करने के बाद, FORM GST RFD-06 में एक आदेश दें, जो धनवापसी की राशि को मंजूरी देता है।

2.14.4 अस्वीकृत रिफंड दावे की राशि का क्रेडिट (Credit of Rejected Refund Claim Amount)

(1) जहां नियम 90 के उप-नियम (3) के तहत किसी भी कमियों का संचार किया गया है, नियम 89 के उप-नियम (3) के तहत डेबिट की गई राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में फिर से क्रेडिट किया जाएगा।

(2) नियम 92 के तहत, जहां किसी भी राशि को रिफंड के रूप में दावा किया गया है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए यदि किसी अपील को अन्तिम रूप से खारिज कर दिया जाता है या यदि दावेदार उचित अधिकारी को लिखित रूप में वचन देता है कि वह अपील दायर नहीं करेगा, तो धनवापसी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.14.5 विलम्बित धनवापसी पर ब्याज स्वीकृत करने का आदेश (Order to Accept Interest on Delayed Refund)

धारा 56 के तहत आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं और देय है, तो उचित अधिकारी फार्म जीएसटी आरएफडी-05 में भुगतान सलाह के साथ एक आदेश देगा, जिसमें धनवापसी की राशि निर्दिष्ट की जाएगी, जो है :

विलम्बित, विलम्ब की अवधि जिसके लिए ब्याज देय है और देय ब्याज की राशि और ब्याज की ऐसी राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक के किसी भी बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो उसके पंजीकरण विवरण में उल्लिखित है।

2.14.6 भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर भुगतान का रिफंड (Integrated Tax Refunds Paid on Exports of Goods)

- (1) एक निर्यातक द्वारा दायर शिपिंग बिल को भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी के लिए एक आवेदन माना जाएगा और इस तरह के आवेदन को केवल तभी दायर किया गया माना जाएगा –
 - (अ) निर्यात की घोषणा या निर्यात रिपोर्ट दर्ज करता है जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात बिल या निर्यात की तारीख शामिल होती है; तथा
 - (ब) आवेदक ने फॉर्म GSTR-3 या FORM GSTR-3B में एक वैध रिटर्न प्रस्तुत किया है।
- (2) FORM GSTR-1 में सम्मिलित प्रासंगिक निर्यात चालानों का ब्यौरा आम पोर्टल द्वारा कस्टम्स और उक्त प्रणाली द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाएगा जो एक पुष्टिकरण को प्रेषित करेगा, जिसके द्वारा माल कवर किया गया है।
- (3) FORM GSTR-3 या FORM GSTR-3B में एक वैध रिटर्न के प्रस्तुत होने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, जैसा कि मामला सामान्य पोर्टल से हो सकता है, सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली वापसी के लिए दावे की प्रक्रिया करेगी। प्रत्येक शिपिंग बिल या निर्यात बिल के सम्बन्ध में भुगतान किए गए एकीकृत कर के बराबर राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पंजीकरण विवरणों में उल्लिखित आवेदक के बैंक खाते में और सीमा शुल्क अधिकारियों को सूचित की जाएगी।
- (4) धनवापसी के दावे को रोक दिया जाएगा, –
 - (अ) उपधारा (10) के अनुसार रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति के कारण केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य कर के अधिकार क्षेत्र के कर के भुगतान को वापस लेने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। या
 - (ब) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि माल का निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया था।
- (5) जहाँ उपनियम (4) के खंड के प्रावधानों के अनुसार धनवापसी को रोक दिया गया है, सीमा शुल्क स्टेशन पर एकीकृत कर के उचित अधिकारी आवेदक और केंद्रीय कर, राज्य कर के न्यायिक आयुक्त को सूचित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कर, जैसा भी मामला हो, और इस तरह की सूचना की एक प्रति आम पोर्टल पर प्रेषित की जाएगी।
- (6) उपनियम (5) के तहत सूचना के प्रसारण पर, केंद्रीय कर या राज्य कर या संघ राज्य कर के उचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, FORM GST RFD-07 के भाग B में एक आदेश पारित करेगा।

(7) जहाँ आवेदक उपनियम (4) के तहत, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य कर के सम्बन्धित क्षेत्राधिकार अधिकारी, जैसा भी मामला हो, फार्म में एक आदेश पारित करने के बाद राशि वापस करने के लिए जीएसटी RFD-06 आगे बढ़ाया जायेगा।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

(8) केंद्र सरकार भूटान सरकार को भूटान को इस तरह के माल के वर्ग के लिए निर्यात पर एकीकृत कर की वापसी का भुगतान कर सकती है, जो इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जा सकता है और जहां भूटान सरकार को इस तरह के रिफंड का भुगतान किया जाता है, निर्यातक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एकीकृत कर की वापसी।

2.14.7 उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund)

(1) उपभोक्ता कल्याण कोष के सभी क्रेडिट नियम 92 के उप-नियम (5) के तहत किए जाएंगे।

(2) किसी भी राशि को, जो उचित अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेशों के अनुसार किसी भी दावेदार को देय या आदेशित निधि में जमा की जाएगी, को निधि से भुगतान किया जाएगा।

(3) धारा 5 की उप-धारा (9) के तहत उपभोक्ता कल्याण कोष से राशि का कोई भी उपयोग उपभोक्ता कल्याण निधि खाते से डेबिट करके और खाते को उस खाते में जमा करके किया जाएगा, जिसके उपयोग के लिए राशि हस्तान्तरित की जाती है।

(4) एक आदेश से, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों के साथ एक स्थायी समिति का गठन कर सकती है, और समिति द्वारा जमा किए गए धन के उचित उपयोग के लिए सिफारिशें करेगी।

(5) समिति जब और जितनी आवश्यक हो, गठित होगी, लेकिन तीन महीने में एक बार से कम नहीं।

(6) उपयोगी अनुसंधान गतिविधि, जिसने बड़े पैमाने पर खपत के उत्पादों के मानक चिह्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए आवेदन कर सकती है: बशर्ते कि कोई उपभोक्ता अपने अंतिम विवाद के बाद, उपभोक्ता विवाद में शिकायतकर्ता के रूप में उसके द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान के लिए सभी आवेदन आवेदक सदस्य सचिव द्वारा किए जाएंगे, लेकिन समिति एक आवेदन पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि उसके सामग्री विवरण में जांच न की गई हो और उसके अनुसार, सदस्य सचिव द्वारा विचार करने की सिफारिश की गई हो।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(8) समिति के पास अधिकार होंगे –

- (i) किसी भी आवेदक को उससे पहले या सरकार के विधिवत अधिकृत अधिकारी से पहले इस तरह की पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, उपकरणों, या वस्तुओं को हिरासत में लेने और आवेदक के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है, जैसा कि आवेदन के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो सकता है;
- (ii) किसी भी परिसर के प्रवेश और निरीक्षण की अनुमति देने के लिए किसी भी आवेदक की आवश्यकता होती है,
जिसमें से उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए दावा की जाने वाली गतिविधियों को केंद्र सरकार के विधिवत अधिकृत अधिकारी या, जैसा कि मामला हो, पर किया जा सकता है। ;
- (iii) अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, आवेदकों के खातों का लेखा-जोखा प्राप्त करना;
- (iv) किसी भी आवेदक की आवश्यकता, किसी भी डिफॉल्ट के मामले में, या उसकी ओर से सामग्री की जानकारी के दमन के लिए, एकमुश्त राशि वापस करने के लिए, समिति को स्वीकृत अनुदान, और अधिनियम के तहत अभियोजन के अधीन होने के लिए;
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आवेदक से किसी भी राशि की वसूली करने के लिए;
- (vi) आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी भी आवेदक, या आवेदकों के वर्ग की आवश्यकता होती है, जो अनुदान के उचित उपयोग को दर्शाता है;
- (vii) तथ्यात्मक असंगति, या सामग्री विशेष में अशुद्धि के कारण इसके सामने रखे गए आवेदन को अस्वीकार करना;
- (viii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रदान की गई वित्तीय सहायता गलत नहीं होगी, आवेदक को अनुदान के माध्यम से न्यूनतम वित्तीय सहायता की सिफारिश करने के लिए, उसकी वित्तीय स्थिति, और महत्व के तहत गतिविधि की प्रकृति की उपयोगिता के सम्बन्ध में;
- (ix) लाभकारी और सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, जहाँ उपभोक्ता कल्याण कोष से निवेश किया जा सकता है और तदनुसार सिफारिशें की जा सकती हैं;
- (x) एक आवेदक के उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में सगाई की अवधि के लिए आवश्यक शर्तों को आराम करने के लिए ;
- (xi) उपभोक्ता कल्याण कोष के प्रबन्धन, प्रशासन और लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाना।

मानक ब्यूरो, माल और सेवा कर परिषद को सलाह देंगे, उपभोक्ता कल्याण कोष से व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

24. धारा 56 के तहत आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं है, तो उचित अधिकारी फार्म जीएसटी आरएफडी - 05 में भुगतान सलाह के साथ एक आदेश देगा, जिसमें धनवापसी की राशि निर्दिष्ट की जाएगी जो है—

(क) आरएफडी - 07 (ख) आरएफडी - 02

(ग) आरएफडी - 05 (घ) आरएफडी - 08

2.15 आंकिक उदाहरण (Numerical Examples)

1. जबलपुर के धीरज लिमिटेड की सूचनाएँ इस प्रकार हैं —

	रूपये
माल का क्रय (Raw Material)	70,000
(राज्य के अन्दर से)	
संग्रहण लागत (Storage Cost)	7,000
परामर्श शुल्क (Consultation Fees)	8,750
श्रम लागत (Labour Cost)	21,875
परिवहन लागत (Transport Cost)	8,000
विक्रय मूल्य (Selling Price)	1,30,125
CGST की दर और SGST की दर 5% है।	

Sol. Step - I : Total Cost

Raw Material	70,000
Storage Cost	7,000
Consultation Fees	8,750
Labour Cost	21,875
Transport Cost	8,000
Total Cost	1,15,625

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

Step - II : Calculation of Net GST

	CGST	SGST
Tax Liabilities $1,30,125 \times 5\%$	6,506.25	6,506.25
Less: Input Tax Credit $1,15,625 \times 5\%$	(5,781.25)	(5,781.25)
Net GST	725	725

2. वशिष्ठ इंस्टीट्यूट, जो कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को सेवाएँ प्रदान करता है, 30.9.2020 को समाप्त तिमाही के लिए निम्न जानकारी प्रस्तुत करता है –

	रूपये
1. कॉन्वेंट स्कूल संचालित करने से प्राप्त शुल्क	1,64,000
2. एक हायर सेकण्डरी स्कूल को भवन किराये पर देने से आय	28,800
3. एक कोचिंग क्लासेस को हॉल किराए पर देने से आय	12,000
4. दोपहर भोजन (Mid Day Meal) केटरिंग सेवा उपलब्ध कराने से प्राप्तियाँ	36,000
5. हायर सेकण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा	17,200
6. प्री-नर्सरी के बच्चों को सुरक्षा एवं देखरेख सेवा	12,500
7. सी.ए. परिक्षाएँ संचालित करने से आय	35,000

उपरोक्त सेवाओं का मूल्य कररहित है, सेवाओं का करयोग्य मूल्य एवं देय सेवाकर ज्ञात कीजिए।

Sol. Computation of the value of taxable services and service tax

Service Supplied	Tax Free Sources	Taxable 18%
1. Fees received from running a convent school (not Taxable)	16,400	
2. Renting of building to Higher Secondary School (Taxable)		28,800
3. Renting of Hall to Commercial Coaching Centre (Taxable)		12,000
4. Mid day Meal Services Provided to educational institutions	36,000	
5. Transportation services provided to students of higher secondary school	17,200	
6. Security and care taker services provided to pre-nursery school	12,500	
7. Conduct of examination of ICAI		35,000
Total	2,29,700	75,800

स्क-अधिगम
पाठ्य सामग्री

Goods and Service Tax Payable @ 18%

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

(a) CGST @ 9%	6,822
(b) SGST @ 9%	6,822
Total GST	13,644

टिप्पणी

3. सितम्बर 2020 में सी. आर. आई. पम्पस् द्वारा 3,000 पम्पों का निर्माण किया गया। कंपनी की मूल्य सूची के अनुसार प्रति पम्प का मूल्य 600 रु. है। माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) अतिरिक्त है। निर्माता एवं थोक में पूर्ति किए गए माल पर 20% बट्टा (मूल्य सूची 600 रु. पर) दिया जाता है।

सितम्बर माह में 1500 पम्प थोक में एवं 1000 पम्प फुटकर में पूर्ति किए गए। शेष 500 पम्प माह के अंत में स्टॉक के रूप में रहे। जी. एस. टी. की निर्धारित दर 18% है।

सितम्बर, 2020 में सी.आर.आई. पम्पस् द्वारा भुगतान की गयी जी.एस.टी. की राशि बताइए। पम्प निर्माण के लिए क्रय की गई उत्पादन सामग्री अर्थात् इनपुट्स के मूल्य में 50,000 रु. चुकाए गए जी. एस. टी. में शामिल है।

Sol. Computation of Assessable Value and GST Payable

No. of Pumps removed from factory		
Wholesale	1,500 × 600	9,00,000
Retail	1,000 × 600	6,00,000
Transaction Value		15,00,000
Less: 20% discount allowed on wholesale ₹ 9,00,000		1,80,000
Taxable Value		13,20,000
GST payable @ 18% on 13,20,000		
(a) CGST @ 9%	1,18,000	
(b) SGST @ 9%	1,18,000	2,37,600
Less: Input tax credit on inward supply of material		(50,000)
Net GST Payable		1,87,600

नोट 1. बट्टा केवल थोक व्यापारियों को ही दिया गया है इसलिए 8,75,000 रु. पर ही छूट मिलेगी।

2. माल की करयोग्य पूर्ति पर देय जी.एस.टी. में से पूर्व में चुकाए गए कर की इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाने के बाद शेष देय जी.एस. टी. की राशि होगी।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

4. मोहिनी ब्यूटी पार्लर पुरुषों एवं महिलाओं को सौन्दर्य उपचार सेवाएँ और उनके लिए चार्ज की गई राशियाँ निम्न प्रकार है –

	रु.
1. मुख श्रृंगार, नख श्रृंगार, एवं प्रसाधन	7,870
2. दुल्हन मेकअप चार्जेस	31,760
3. केश कर्तन एवं शेविंग चार्जेस	7,220
4. प्लास्टिक सर्जरी एवं कास्मेटिक सर्जरी चार्जेस	23,650
5. मुख एवं सौन्दर्य उपचार शुल्क	46,830
6. ग्राहकों को सौन्दर्य प्रसाधनों की पूर्ति	47,235
7. केश रंगाई चार्जेस	8,325
8. सौन्दर्य परामर्श सेवा शुल्क	3,420
9. फेस केयर एवं मेकअप चार्जेस	10,740

पार्लर को उपरोक्त सेवाएँ प्रदान करने में निम्नलिखित व्यय करना पड़े –

1. प्रयुक्त सौन्दर्य प्रसाधनों एवं अन्य सामग्री की लागत 16,850 रु.
2. पार्लर का किराया 10,800 रु.
3. प्रकाश व्यय 1,870 रु.
4. सौन्दर्य उपचारकों को वेतन 17,800 रु.
5. टेलीफोन बिल 1,850 रु.

ब्यूटी पार्लर द्वारा प्रदान की गई करयोग्य सेवाओं एवं माल का करयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए एवं सेवाओं पर 18% से तथा कास्मेटिक पर 28% की दर से देय जी. एस. टी. की राशि बताइए।

Sol. Computation of taxable services of taxable goods by Mohini Beauty Parlour

(a) Taxable Services	
Facial, Manicure and Pedicure Charges	7,870
Bridal Makeup Charges	31,760
Hair Cutting and Shaving Charges	7,220
Plastic Surgery and Cosmetic Surgery Charges	23,650
Face and Beauty Treatment Charges	46,830
Hair Dyeing Charges	8,325
Fees for Counselling Services on Beauty	3,420
Face Care and Makeup Charges	10,740
Taxable value for services	1,39,815

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

(b) Taxable Goods -	
Supply of Cosmetics	47,235
Total Taxable Supply	1,87,050
Add - GST Payable Charged in Invoice	
(a) GST on Services ₹ 1,39,815 @ 18%	25,167
(b) GST on Goods ₹ 47,235 @ 28%	13,226
Total Amount Charged in Invoice	2,25,443

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम: वस्तु
एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

टिप्पणी 1 सेवा प्रदान करने हेतु किए व्यय एवं लागत की कोई कटौती नहीं मिलेगी। ब्यूटी पार्लर द्वारा सेवा और माल दोनों की पूर्ति की गई है, दोनों ही जी.एस.टी. में करयोग्य होगी।

5. अपना स्वीट्स जो कि मिठाई निर्माता एवं पूर्तिकर्ता का वार्षिक टर्नओवर 48 लाख रु. है। इसके लिए वह मावा, मैदा, शकर, घी तथा पैकिंग बॉक्स आदि के रूप में 25 लाख रु. की सामग्री खरीदता है। इन पर वह पूर्तिकर्ताओं को 3 लाख रु. जी.एस.टी. अलग से चुकाता है। मिठाई तैयार करने में उसकी अन्य लागत जैसे कारीगरों की मजदूरी, वेतन, बिजली दुकान के व्यय, संचालन व्यय आदि पर 25 लाख रु. व्यय आता है। मिठाई पर जी. एस. टी. की प्रभावी दर 12% है।

मिठाई पूर्तिकर्ता को कम्पोजिशन विकल्प अपनाने या न अपनाने के बारे में उचित परामर्श दीजिए। अपना निर्णय गणनात्मक आधार पर प्रस्तुत कीजिए।

Sol. पूर्तिकर्ता को कम्पोजिशन विकल्प प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि उसका वार्षिक टर्नओवर जी.एस.टी. सहित 48 लाख रु. है, जो कि कम्पोजिशन लिमिट में है। अब प्रश्न यह आता है कि उसके लिए कम्पोजिशन विकल्प अपनाना जी. एस. टी. की दृष्टि से लाभदायक होगा या नहीं, इसके लिए कर दायित्व की तुलनात्मक गणना करना आवश्यक होगी –

(I) कम्पोजिशन विकल्प नहीं अपनाने पर कर दायित्व

(i) इनपुट अर्थात् कच्चे माल पर चुकाया कर	3,00,000
(ii) करयोग्य टर्नओवर 48 लाख रु. पर 12% की दर से जी. एस. टी.	
$\frac{48,00,000 \times 12}{112}$	5,14,286
Less - कच्चे माल, पैकिंग आदि के क्रय पर चुकाए गए कर की इनपुट टैक्स क्रेडिट (3,00,000)	2,14,286
कुल कर भार	5,14,286

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

(II) कम्पोजिशन विकल्प अपनाने पर कर दायित्व

$$48,00,000 \times \frac{4}{100} = 1,92,000$$

नोट अतः कम्पोजिशन विकल्प ही श्रेष्ठ है।

6. एक निर्माता ने एक मशीन की पूर्ति के लिए निम्न शर्तों पर अनुबन्ध किया –

	रु.
1. मशीन का मूल्य	33,000
2. मशीन के परिक्षण के व्यय	640
3. पैकिंग व्यय	1,650
4. निर्मित मशीन को ट्रांसपोर्ट से भेजने के वास्तविक व्यय	870
5. डिजाइन एवं ड्राइंग चार्जेस (मशीन के मूल्य में शामिल)	1,950
6. जी. एस. टी. की दर	12%

कर प्राप्त योग्य मूल्य एवं देय जी. एस. टी. ज्ञात कीजिए। निर्माता ने मशीन निर्माण के लिए जो पूँजीगत सामान प्राप्त किया, उसमें 1,000 रु. जी.एस.टी. के शामिल हैं। इसके अलावा अन्य साधन सामग्री (Inputs) पर चुकाए गए जी.एस.टी. की राशि 790 रु. भी शामिल है।

Sol. Computation of Taxable Value and GST Payable

Transaction Value of Machine	3,300
Add - (i) Inspection Charges	640
(ii) Packing Expenses	1,650
(iii) Transportation Charges	870
Taxable Value	36,160
Add - GST @ 12%	4,339
Total Value Charged	40,499

टिप्पणी डिजाइन व्यय मूल्य में पहले से शामिल है, इसलिए अलग से नहीं जोड़े गए हैं।

Allowable Input Tax Credit and GST Payable

GST Payable on taxable supplies during the period	4,339
Less - Input tax credit (1000 + 790)	1,790
GST (Net)	2,549

7. श्रीराम एडवरटाइजर्स ने 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही में निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की –

1. टेलीविजन पर प्रसारण के विज्ञापन हेतु समय खण्ड (Time Slot) की पूर्ति 6,30,000 रु. एल.जी. लिमिटेड के लिए विज्ञापन तैयार करने हेतु 4,50,000 रु.

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

2. सार्वजनिक स्थानों पर बैनर के माध्यम से विज्ञापन 2,00,000 रु.
3. केनवासिंग विज्ञापन के लिए कमीशन 3,50,000 रु.
4. एफ. एम. रेडियो पर विज्ञापन हेतु समय खण्ड (Time Slot) की पूर्ति 3,60,000 रु.
5. दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु चार्ज 6,00,000 रु.

जी.एस.टी. के लिए करयोग्य सेवाओं का मूल्य एवं देय जी. एस. टी. ज्ञात कीजिए। उपरोक्त सभी चार्ज की राशियाँ कररहित हैं। प्रिन्ट मीडिया के लिए जी. एस. टी. की दर 5% एवं अन्य दरों में 18% है।

Sol. Computation of Value of Taxable Service and GST (Quarter ended on 30.9.20)

(1)	Supply of time slot advertisement in T.U.	6,30,000
(2)	Charges for preparation of advertisement	4,50,000
(3)	Advertisement via banner of public places	2,00,000
(4)	Commission charges for canvassing advertisement	3,50,000
(5)	Supply of time slot for advertisement on FM radio	3,60,000
(6)	Charges for advertisement in Dainik Bhaskar Newspaper	6,00,000
	Value of taxable services	25,90,000
Add	GST payable on taxable services	
	(i) Print media ₹ 6,00,000 @ 5%	
	(a) CGST @ 2.5%	15,000
	(b) SGST @ 2.5%	15,000
	(ii) Other services ₹ 19,90,000 @ 18%	
	(a) CGST @ 2.5%	1,79,100
	(b) SGST @ 2.5%	<u>1,79,100</u>
		3,88,200
		29,78,200

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

2.16 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1. (क) | 9. (क) | 17. (क) |
| 2. (ख) | 10. (क) | 18. (ग) |
| 3. (घ) | 11. (घ) | 19. (घ) |
| 4. (ख) | 12. (घ) | 20. (ख) |
| 5. (घ) | 13. (क) | 21. (क) |
| 6. (क) | 14. (ग) | 22. (घ) |
| 7. (ग) | 15. (ख) | 23. (घ) |
| 8. (ग) | 16. (क) | 24. (ग) |

2.17 सारांश (Summary)

जीएसटी के समय, स्थान और आपूर्ति के आधार पर कर की घटना को इन तीन अवधारणाओं द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें कर लगाने की आवश्यकता शामिल है या नहीं, यदि हाँ, तो किस प्रकार के कर लगाने की आवश्यकता है यानी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी आदि, और माल और सेवाओं के मूल्य कर योग्य। यदि वर्तमान में निर्धारित समय के भीतर चालान जारी किया गया था, तो वर्तमान स्थिति में, हमें 1 जांच की आवश्यकता है। निर्धारित समय आपूर्ति की तारीख से 30 दिन पहले यानी 31 जनवरी है। 20 जनवरी को चालान जारी किया गया था। इसका मतलब यह है कि चालान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया था।

नियत दिन के बाद प्राप्त माल के लिए निर्माता/डीलर द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है, जिस पर पिछले कानून के तहत पहले ही कर चुकाया जा चुका है। कोई भी दावा/अपील सेनवैट क्रेडिट, कर या ब्याज 1 जुलाई से पहले भुगतान की देय राशि पर वापसी के लिए लम्बित पिछले नियमों के अनुसार का निपटारा किया जाएगा।

पिछले कानून के तहत देय कोई भी राशि जीएसटी के बकाया के रूप में मानी जाएगी और जीएसटी प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाएगी।

जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय एक ही स्थान पर ऐसे सभी चालानों को दर्ज करने और करदाता के लिए डेटा को एकत्र करने के लिए एक महान समाधान लेकर आए हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, और कई करों को हटा दिया गया है। पूरा देश एक ही संरचना का उपयोग करके रिपोर्ट करेगा कि आप अपना व्यवसाय कहाँ और कैसे करते हैं।

टिप्पणी

डेटा की इतनी बड़ी बाढ़ से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा एक व्यापक आईटी प्रणाली तैनात की गई है। इसे GSTN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) कहा जाता है, जो विक्रेताओं और खरीदारों की सभी सूचनाओं को एक साथ प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत किए गए विवरणों का सहयोग करेगा और यहां तक कि भविष्य के संदर्भ और कभी भी सामंजस्य के लिए आपके लिए 3 रजिस्टर बनाए रखेगा।

चालान को ठीक से अपडेट करने के लिए, भारतीय करदाताओं और व्यवसायों को सरकार के साथ कुछ रिटर्न दाखिल करना होगा। इन रिटर्न को अनिवार्य रूप से दायर किया जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रति कोई भी गैर-अनुपालन, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति का कारण बन सकता है, इसके अलावा दंड और रुचियों को आकर्षित करना, आदि।

रिटर्न को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सभी लेनदेन एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और खरीदार और विक्रेता के बीच कोई लेन-देन नहीं हो पा रहा है। कहानी GSTR-1 से शुरू होती है। सारा डेटा जीएसटीएन में संग्रहित है, जिसे उपयोगकर्ता/करदाता कभी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें आपूर्तिकर्ता द्वारा उल्लिखित विवरण गलत हैं। इन मामलों में, जीएसटीआर-1 दाखिल करने के बाद डीलरों के लिए त्रुटियों या चूक में संशोधन करने की संभावना है। एक सामान्य परिदृश्य में, आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर किए गए विवरण को माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, फिर आपूर्तिकर्ता को उस प्रभाव के लिए एक सूचना प्राप्त होगी, जिसमें वह उसी में संशोधन कर सकता है। जहाँ प्राप्तकर्ता अनजाने में त्रुटि से अनजान चालान को स्वीकार करता है, तो आपूर्तिकर्ता को ऐसी त्रुटि और इसके सुधार का हवाला देते हुए न्यायिक प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। मामले के तथ्यों का पता लगाने के बाद, इस तरह की त्रुटि करने के लिए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को विकल्प देना होगा।

मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत कार्यालय को अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राजस्व के हितों की रक्षा के लिए, एक जीएसटी अधिकारी किसी भी सबूत के साथ कर देयता दिखाने वाले व्यक्ति के कर दायित्व का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अधिकारी मूल्यांकन आदेश आईडी भी जारी कर सकता है, जिसके पास यह प्रमाण है कि मूल्यांकन में देरी राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

कर दायित्व की गणना के लिए करदाता द्वारा जीएसटी का आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

आसान गणना के लिए निर्धारित को उसके आराम क्षेत्र के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं।

मूल्यांकन के हर विकल्प के साथ विचार करने के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं।

जीएसटी के तहत मूल्यांकन के अधिकांश प्रावधान वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के समान हैं।

2.18 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग: गारंटी सम्बन्धी दस्तावेज
- सेल्फ असेसमेंट: करदाता द्वारा स्वयं कर निर्धारण
- स्कूटनी असेसमेंट: अधिकारियों द्वारा की गई जाँच

2.19 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Question and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. जीएसटी के तहत आपूर्ति का समय क्या होता है?
2. रिवर्स चार्ज से आप क्या समझते हैं?
3. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है?
4. आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है?
5. जीएसटी गणना कैसे की जाती है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. जीएसटी के तहत मूल्यांकन को समझाइये।
2. जीएसटी भुगतान और रिफंड कैसे किया जाता है?
3. रिफंड के लिए कौनसा आवेदन किया जाता है तथा इसके लिये क्या शर्तें हैं?
4. जीएसटी के तहत करों के प्रकारों की व्याख्या कीजिये।

2.20 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. मेहरोत्रा एवं अग्रवाल, "माल और सेवा कर", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो. श्रीपाल सकलेचा, "जीएसटी एवं कस्टम कानून", सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, इंदौर।

इकाई 3 केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव (Central/State Goods and Services Tax Act: Maintenance of Accounts and Records)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

संरचना (Structure)

- 3.0 परिचय
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 GST उपकार्य एवं प्रक्रिया
 - 3.2.1 वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
 - 3.2.2 जी एस टी कैसे काम करेगा?
 - 3.2.3 जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होता है
 - 3.2.4 जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी?
- 3.3 सीजीएसटी एवं एसजीएसटी
 - 3.3.1 सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति और स्मारक
 - 3.3.2 सीजीएसटी अधिनियम 2017 का उद्देश्य
 - 3.3.3 सीजीएसटी अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएँ
 - 3.3.4 SGST अथवा राज्य माल और सेवा कर
 - 3.3.5 CGST और SGST के बीच अन्तर
- 3.4 जीएसटी शासन के तहत लेखों और अभिलेखों का रखरखाव
- 3.5 GST सम्मिश्रण योजना (कम्पोजिशन स्कीम)
 - 3.5.1 कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प कौन चुन सकता है?
 - 3.5.2 कौन कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकता है?
 - 3.5.3 कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं?
 - 3.5.4 कम्पोजिशन स्कीम को एक करदाता कैसे चुन सकता है?
 - 3.5.5 कम्पोजिशन डीलर को बिल कैसे उठाना चाहिए?
 - 3.5.6 कम्पोजिशन डीलर के लिए जीएसटी की दरें क्या हैं?
 - 3.5.7 कम्पोजिशन डीलर द्वारा जीएसटी भुगतान कैसे किया जाना चाहिए?
 - 3.5.8 कम्पोजिशन डीलर द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न क्या हैं?
 - 3.5.9 कम्पोजिशन स्कीम के क्या फायदे हैं?
 - 3.5.10 कम्पोजिशन स्कीम के नुकसान क्या हैं?
- 3.6 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न छूट
 - 3.6.1 जीएसटी से छूट प्राप्त सेवाओं की सूची
 - 3.6.2 जीएसटी से छूट के तहत आने वाले अन्य सामान और सेवाएँ
- 3.7 वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत मांग और वसूली (डिमांड और रिकवरी)
 - 3.7.1 डिमांड नोटिस जारी करना
 - 3.7.2 नियम 142 – आदेश और सूचना की सूचना
 - 3.7.3 नियम 143 – जब बकाया राशि में से रकम घटाकर टैक्स वसूला जाता है
 - 3.7.4 नियम 144 – नीलामी द्वारा कर की वसूली
 - 3.7.5 नियम 145 – तीसरे व्यक्ति से कर की वसूली
 - 3.7.6 नियम 146 – कर की वसूली के लिए डिक्री का निष्पादन
 - 3.7.7 नियम 147 – कर की वसूली के लिए चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की
 - 3.7.8 नियम 155 – कलेक्टर द्वारा कर की वसूली, आदि

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

- 3.7.9 नियम 156 – एक आपराधिक अदालत द्वारा वसूली
3.7.10 नियम 157 – जमानत से वसूली
3.7.11 नियम 158 – मासिक किस्तों में कर भुगतान और अन्य राशि का भुगतान
3.7.12 नियम 159 – अस्थायी रूप से सम्पत्ति की कुर्की
3.7.13 निष्कर्ष

- 3.8 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान
3.9 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
3.10 सारांश
3.11 मुख्य शब्दावली
3.12 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.13 सहायक पाठ्य सामग्री

3.0 परिचय (Introduction)

माल और सेवा कर (GST) घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है। वास्तव में, जीएसटी सरकार को राजस्व प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गन्तव्य-आधारित कर है, जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा।

कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अन्तिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरती है। पहला चरण है—कच्चे माल को खरीदना। दूसरे चरण में उत्पादन या निर्माण होता है। फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेयर हाउस की व्यवस्था होती है। इसके बाद, उत्पाद रिटेलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है और अन्तिम चरण में, रिटेलर आपको या अन्तिम उपभोक्ता को अन्तिम माल बेचता है।

3.1 उद्देश्य (Objectives)

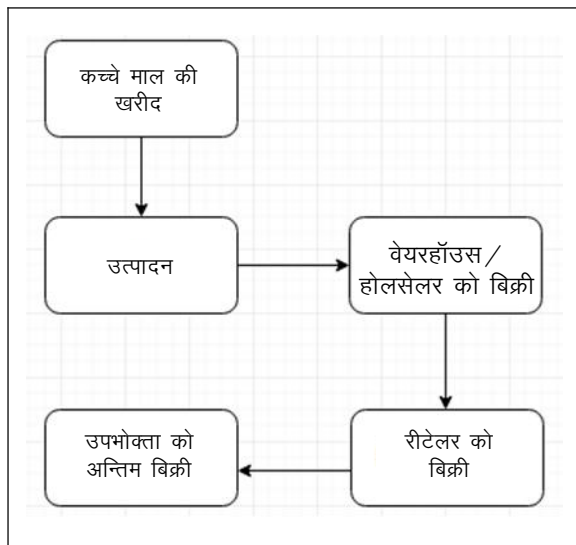
इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- GST की प्रक्रिया को समझ पाएंगे;
- GST के उपयोग और महत्व की विवेचना कर पाएंगे;
- CGST और SGST के मध्य के अन्तर को समझ पाएंगे;
- वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न छूटों से अवगत हो पाएंगे; तथा
- वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया से अवगत हो पाएंगे।

3.2 GST उपकार्य एवं प्रक्रिया (GST Subtasks and Process)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो वह ऐसा दिखेगा –



चित्र क्र. 3.1

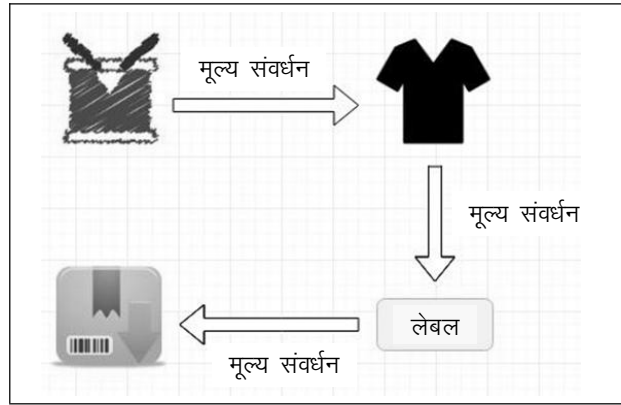
इन चरणों में जीएसटी लगाया जाएगा और यह एक बहुस्तरीय टैक्स होगा।

उदाहरण के लिए, मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है। इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है तो धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है, जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है। यहां मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है। इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है, जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ोत्तरी होती है।

इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है, जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जीएसटी लगाया जाएगा।

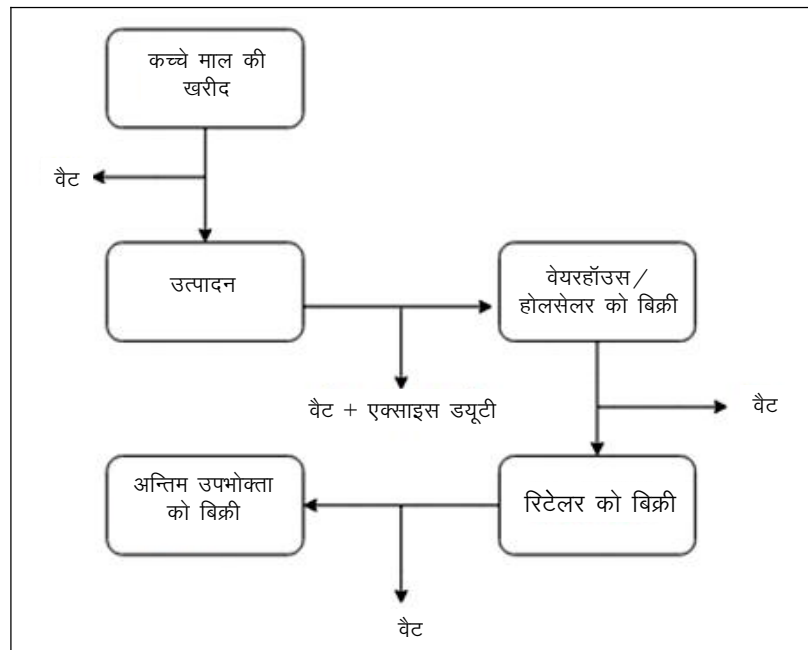
परिभाषा में एक और शब्द है, जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है – गन्तव्य-आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। इससे पहले, जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ये विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था। अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री



चित्र क्र. 3.2

तो, पहले टैक्स लेवी का स्वरूप इस तरह था –



चित्र क्र. 3.3

अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरी निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अन्तिम बिक्री हो रही है। चूंकि जीएसटी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा। लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अन्तिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गन्तव्य-आधारित कर है। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अन्तिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गन्तव्य-आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अन्तिम गन्तव्य पर एकत्र किया जाएगा, जो कि कर्नाटक है।

3.2.1 वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? (Why is the Goods and Services Tax so Important?)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो भागों में विभाजित है – प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह है, जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता दे सकता है। इसलिए ग्राहक उत्पाद की कीमत और वैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी उत्पाद को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च होता है।

यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह उत्पाद थोक व्यापारी से खरीदा था, तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए वह अपने ग्राहक को देयता दे देता है, जिसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। लेन-देन के दौरान दुकानदार के लिए अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक की देयता को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

3.2.2 जी एस टी कैसे काम करेगा? (How GST will Work?)

जीएसटी के अन्तर्गत 3 तरह के कर सम्मिलित हैं।

सीजीएसटी – जहाँ केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

एसजीएसटी – राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

आईजीएसटी – जहाँ अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी –

लेन-देन	नई प्रणाली	पुरानी व्यवस्था	व्याख्या
राज्य के भीतर बिक्री	सीजीएसटी + एसजीएसटी	वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर	राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा
दूसरे राज्य को बिक्री	आईजीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क/सेवा कर	अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

उदाहरण —

महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जी एस टी की दर 18% है, जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एस जी एस टी दर शामिल है। ऐसे मामलों में डीलर 1800 रुपए जमा करता है और इस राशि में 900 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रुपये चार्ज करना होगा। अब सी जी एस टी और एस जी एस टी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3.2.3 जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होता है (GST Implemented on All Business)

व्यवसायों में शामिल हैं — व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य समान कार्यवाही, इसकी प्रसार या प्रायिकता के बावजूद। इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल/सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है।

सेवाओं का मतलब वस्तु के अलावा कुछ भी है। यह संभावना है कि सेवाएँ और सामान एक अलग जीएसटी दर होगी।

जी एस टी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा

व्यक्तियों में शामिल हैं — व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी।

कृषि में फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु-अभिजनन क्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है।

3.2.4 जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी? (When a GST Resgistration is Needed?)

जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है। हालांकि, अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है।

एक पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा। करदाता राज्य में अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल (व्यापार ऊर्ध्वाधर) के लिए अलग-अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं।

निम्नलिखित मामलों में जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है —

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

कारोबार आधार

वित्तीय वर्ष में आपके कारोबार की सीमा 20 लाख रुपए से अधिक होने पर जी एस टी एकत्र करना और भुगतान करना होगा। (कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख है) यह सीमा जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होती है।

“कुल कारोबार” का मतलब सभी कर योग्य आपूर्ति, मुक्ति की आपूर्ति, वस्तुओं के निर्यात और/या सेवाओं और एक समान पैन वाले व्यक्ति की अन्तर-राज्य की आपूर्ति को सभी भारत के आधार पर गणना करने और करों को शामिल करने के लिए (यदि कोई हो) सी जी एस टी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत देय होगा।

अन्य मामले (कारोबार के बावजूद जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है)

- माल/सेवाओं की अन्तर-राज्य आपूर्ति करने वाले
- कोई भी व्यक्ति, जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल/सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
- कोई भी व्यक्ति, जो माल/सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
- रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहाँ सामान/सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पड़ता है।
- एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है।
- वितरक या इनपुट सेवा वितरक के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, वह सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर (इ-व्यवसाय)।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रान्डेड सेवाओं को छोड़कर)।
- एग्रीगेटर, जो अपने ब्रान्ड नाम के तहत सेवाएँ प्रदान करता है।
- भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुँच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- जहाँ केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है –
(क) सीजीएसटी (ख) एसजीएसटी
(ग) आईजीएसटी (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- जीएसटी किन व्यवसायों पर लागू होता है?
(क) व्यापार (ख) वाणिज्य
(ग) निर्माण (घ) उपरोक्त सभी

3.3 सीजीएसटी एवं एसजीएसटी (CGST and SGST)

GST कानून के तहत CGST का पूर्ण रूप केंद्रीय वस्तु और सेवा कर है। इसे सीजीएसटी अधिनियम 2017 के रूप में कहा जाता है। सीजीएसटी अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति और कर और इसके साथ जुड़े मामलों या कर से सम्बन्धित लेवी और कर के प्रावधान का प्रावधान किया गया है।

3.3.1 सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति और स्मारक (Origin and Memorial of CGST Act)

- CGST अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है।
- जम्मू और कश्मीर को संविधान के तहत कराधान पर अपनी विशेष शक्तियों के कारण, अपनी राज्य विधानसभा में जीएसटी को लागू करने की मंजूरी देने की आवश्यकता होगी।
- सीजीएसटी अधिनियम एक तारीख से लागू होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, अर्थात् नियत तारीख से।
- विभिन्न प्रावधानों को अलग-अलग तारीखों से लागू किया जा सकता है, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है।

3.3.2 सीजीएसटी अधिनियम 2017 का उद्देश्य (Objective of CGST Act 2017)

पूर्ववर्ती कराधान कानूनों के तहत, केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कुछ वस्तुओं का निर्माण, सेवा कर के रूप में कुछ सेवाओं का प्रावधान, केंद्रीय बिक्री कर के रूप में माल की अन्तर-राज्यीय बिक्री का प्रावधान किया।

इसी प्रकार, राज्य सरकारों ने मूल्य वर्धित कर के रूप में खुदरा बिक्री पर कर लगाया, राज्य में वस्तुओं का प्रवेश कर, विलासिता कर और खरीद कर

इत्यादि के अनुसार, तदनुसार करों की बहुलता है, जो एक ही आपूर्ति श्रृंखला पर लगाया जा रहा है।

पूर्ववर्ती कराधान कानूनों के तहत आने वाली कठिनाइयों को नीचे सूचीबद्ध किया जाएगा –

- केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों के रूप में करों की कैस्केडिंग राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों के मुकाबले निर्धारित नहीं है;
- राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कुछ करों की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा लगाए जा रहे अन्य करों के भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है;
- देश में अलग-अलग कर दरों और असमान कर प्रथाओं के साथ मूल्य वर्धित कर कानूनों की विविधता देश को अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित करती है; तथा
- टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का निर्माण जैसे कि चुंगी, प्रवेश कर, चेक पोस्ट, आदि, पूरे देश में व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। इसके अलावा, करदाताओं की रिटर्न, भुगतान, आदि की संख्या के रूप में अनुपालन की उच्च लागत में करों की बड़ी संख्या होती है।

उपर्युक्त कठिनाइयों के मद्देनजर, उपरोक्त सभी करों को एक एकल कर में रखा गया है, जिसे माल और सेवा कर कहा जाता है, जो आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिसमें निर्माण या आयात से शुरू होने वाली आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में सामान और सेवाएँ शामिल हैं।

इसलिए कोई भी कर जो माल या सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया था, अब माल और सेवा कर में परिवर्तित कर दिया गया है, जो एक दोहरी लेवी है, जहां केंद्र सरकार केंद्रीय के रूप में कर लगाएगी और कर वसूल करेगी। वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी अधिनियम 2017) और राज्य सरकार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी अधिनियम 2017) के रूप में कर लगाएगी और एकत्र करेगी।

3.3.3 सीजीएसटी अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of CGST Act 2017)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

- वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के सभी इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर कर लगाने के लिए;
- माल या सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराकर या दोनों का इस्तेमाल किया गया या व्यापार के दौरान या आगे उपयोग किए जाने के उद्देश्य से इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार को व्यापक बनाने के लिए;

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

- स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों पर दायित्व लागू करने के लिए, ऐसी दरों पर कर योग्य आपूर्ति (शुद्ध) के मूल्य का एक प्रतिशत से अधिक नहीं, अपने पोर्टल के माध्यम से माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से बाहर;
- पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय करों का स्व मूल्यांकन प्रदान करने के लिए;
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के ऑडिट के संचालन के लिए प्रदान करना;
- माल की बिक्री और बिक्री सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके कर के बकाया की वसूली के लिए प्रदान करने के लिए, कर लगाने वाले व्यक्ति की चल और अचल सम्पत्ति;
- अधिकारियों को निरीक्षण, खोज, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियाँ प्रदान करना;
- अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करना;
- प्रस्तावित विधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान करना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार को माल या सेवाओं या उपभोक्ताओं पर दोनों पर कर की कमी के लाभ से गुजरने के लिए मुनाफाखोरी-रोधी खंड प्रदान करना है; तथा
- माल और सेवा कर व्यवस्था के लिए मौजूदा करदाताओं के सुचारु रूप से संक्रमण के लिए विस्तृत संक्रमणकालीन प्रावधान प्रदान करना।

3.3.4 SGST अथवा राज्य माल और सेवा कर (SGST or State Goods and Services Tax)

SGST भारत में GST के कर घटकों में से एक है। एसजीएसटी अधिनियम का विस्तार राज्य माल और सेवा कर से है।

यह 'एक राष्ट्र-एक कर' की अवधारणा के साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी) के तहत तीन श्रेणियों में से एक है। एसजीएसटी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत आता है।

केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST), राज्य माल और सेवा कर (SGST) या एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) एक कर योग्य लेनदेन में लागू होगा या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि लेन-देन इंट्रा स्टेट है या एक अन्तर-राज्यीय आपूर्ति।

- वस्तुओं या सेवाओं की इंट्रा-स्टेट आपूर्ति तब होती है जब आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान यानी खरीदार का स्थान एक ही स्थिति में होता है। राज्य के भीतर आपूर्ति से जुड़े लेनदेन में, एक विक्रेता को खरीदार से CGST और SGST दोनों को इकट्ठा करना होता है। सेंट्रल

जीएसटी केंद्र सरकार के पास जमा हो जाता है और राज्य जीएसटी राज्य सरकार के पास जमा हो जाता है।

- वस्तुओं या सेवाओं की अन्तर-राज्य आपूर्ति तब होती है जब आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान विभिन्न राज्यों में होता है। इसके अलावा, माल या सेवाओं के निर्यात या आयात के मामलों में या जब एस ई जेड इकाई द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, तो लेनदेन को अन्तर-राज्य माना जाता है। दो राज्यों के बीच या राज्य के बाहर की आपूर्ति वाले लेनदेन में, एक विक्रेता को खरीदार से IGST एकत्र करना होता है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

3.3.5 CGST और SGST के बीच अन्तर (Difference between CGST and SGST)

अन्तर का बिंदु	सीजीएसटी	एसजीएसटी
सामग्री लेनदेन (माल और सेवाएँ)	इंट्रास्टेट (एक राज्य के भीतर)	इंट्रास्टेट (एक राज्य के भीतर)
द्वारा एकत्रित	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार
लाभकारी प्राधिकरण	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार
टैक्स क्रेडिट का उपयोग प्राथमिकता	CGST IGST ↓	SGST IGST ↓
क्रेडिट का गहन उपयोग	एसजीएसटी के खिलाफ सी.जी.एस.टी.  CGST और vice versa के खिलाफ IGST 	आईजीएसटी के खिलाफ एस.जी.एस.टी.  IGST और vice versa के खिलाफ IGST 

चित्र क्र. 3.4

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- CGST अधिनियम ————— राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है —
(क) दिल्ली (ख) ओडिशा
(ग) जम्मू और कश्मीर (घ) उत्तर प्रदेश
- एसजीएसटी के तहत एकत्रित की गई सभी कर आय ————— के लिए है —
(क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार
(ग) भारत सरकार (घ) गरीबों

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

3.4 जीएसटी शासन के तहत लेखों और अभिलेखों का रखरखाव (Maintenance of Accounts and Records under GST Regime)

1. हर जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति के रूप में सेंट्रल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 35 के नियम 56 के साथ पठित के तहत निर्धारित व्यापार के बारे में उनकी मुख्य स्थान पर सभी रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।
2. जीएसटी के तहत खातों और रिकॉर्ड को कौन बनाए रखता है?
यह निर्दिष्ट रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की जिम्मेदारी है –
 - मालिक यानी मैनुफैक्चरर्स, सर्विस सप्लायर और ट्रेडर।
 - माल के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले वेयरहाउस या गोदाम या किसी अन्य स्थान का संचालक।
 - हर ट्रांसपोर्टर।
3. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर निर्धारित सीमा से 2 करोड़ रु. अधिक है, उनके खातों का लेखा-जोखा कॉस्ट अकाउंटेंट या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
4. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को –
 - माल का उत्पादन या निर्माण
 - माल या सेवाओं की आवक और जावक आपूर्ति या दोनों
 - माल का स्टॉक
 - इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया
 - आउटपुट कर देय और भुगतान किया और
 - अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

सीजीएसटी अधिनियम के 35 (1), "पंजीकृत व्यक्ति ऐसे खातों और अन्य विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकता है और बनाए रख सकता है जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है"।
5. उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति आयात या निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं का एक बही खाता रखेगा और रख-रखाव करेगा या सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान आकर्षित करेगा, जिसमें चालान, आपूर्ति का बिल, आदि शामिल हैं। CGST नियम, 2017 के नियम 56 के अनुसार डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर और रिफंड वाउचर।

6. जीएसटी के तहत बनाए जाने वाले खातों और रिकॉर्डों की सूची।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

खाता/ रिकॉर्ड	जानकारी चाहिए	किसके द्वारा?
उत्पादित माल का रजिस्टर	खाते में एक कारखाने या उत्पादन घर में निर्मित सामानों का विवरण दैनिक आधार पर और किसी भी समय दिया जाना चाहिए।	प्रत्येक निर्धारित विनिर्माण गतिविधि की जानकारी देता है
खरीद रजिस्टर	सामानों के विनिर्माण के लिए एक कर अवधि के भीतर की गई सभी खरीद या सेवाओं का प्रावधान जिसमें आपूर्तिकर्ता, जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर/डिट, राज्य का नाम, खरीद की श्रेणी (इनपुट, इनपुट सेवा और पूंजीगत वस्तुएं), कर दर का विवरण शामिल हैं। और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के विभाजन के साथ कर राशि।	सभी निर्धारित द्वारा
बिक्री रजिस्टर	कर अवधि के भीतर की गई सभी बिक्री का लेखा जोखा ग्राहक के नाम, जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर/डिटेल, आपूर्तिकर्ता का स्थान, राज्य का नाम, बिक्री की श्रेणी (घरेलू और निर्यात), कर दर और कर राशि का विवरण होना चाहिए। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के विभाजन के साथ।	सभी निर्धारित द्वारा
स्टॉक रजिस्टर	इस रजिस्टर में दैनिक आधार पर या किसी भी समय उपलब्ध इन्वेंट्री का एक सही स्टॉक होना चाहिए और इस तरह के रजिस्टर में ओपनिंग बैलेंस, रसीद, आपूर्ति, खोए हुए सामान, चोरी, नष्ट, लिखे हुए या बंद किए गए तरीके के विवरण शामिल होंगे। उपहार या मुफ्त नमूना और कच्चे माल, तैयार माल, स्क्रेप और अपव्यय सहित स्टॉक का संतुलन	सभी निर्धारित द्वारा
इनपुट टैक्स क्रेडिट	इस रजिस्टर में दिए गए कर की दर और कर राशि की आवक के लिए प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण को बनाए रखना चाहिए (आवक, इनपुट सेवा और पूंजीगत वस्तुएं)	सभी निर्धारित द्वारा
आउटपुट कर देयता	इस रजिस्टर को इनपुट टैक्स क्रेडिट या नकद के खिलाफ समायोजित किए जाने वाले जीएसटी देयता के विवरण को बनाए रखना चाहिए।	सभी निर्धारित द्वारा
आउटपुट टैक्स अदा किया	इस रजिस्टर को एक विशेष कर अवधि के लिए भुगतान किए गए जीएसटी के विवरण को बनाए रखना चाहिए	सभी निर्धारित द्वारा
अग्रिम भुगतान/प्राप्त रजिस्टर	इस रजिस्टर में प्राप्त अग्रिमों, भुगतान, किए गए समायोजन और कर भुगतान/समायोजित उपचारों का विवरण रखना चाहिए।	सभी निर्धारित द्वारा
अन्य रिकॉर्ड्स निर्दिष्ट हैं	सरकार आगे अधिसूचना, अतिरिक्त रिकॉर्ड और खातों के रखरखाव के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकती है	सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट व्यवसाय

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

7. जीएसटी के तहत कर भुगतान/देय से सम्बन्धित रिकॉर्ड (Records Related to Tax Paid/Payable under GST) –

(अ) कर देय या भुगतान के लिए रिकॉर्ड

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति एक खाता रखेगा और बनाए रखेगा, जिसमें कर देय का विवरण शामिल है, जिसमें रिवर्स चार्ज के तहत देय कर, एकत्र किए गए और भुगतान किए गए, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है, साथ में टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स के एक रजिस्टर के साथ, वितरण चालान किसी भी कर अवधि के दौरान जारी या प्राप्त किया जाता है।

(ब) इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर

हर पंजीकृत व्यक्ति के पास जीएसटी के तहत 3 लेजर (ledger) होंगे जो पंजीकरण के समय स्वचालित रूप से उत्पन्न होंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा।

- **इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर** – यह लेजर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में काम करेगा। करदाता को अपने नकद खाता बही में पैसा जमा करना होगा (वॉलेट में पैसे जोड़ें)। पैसे का उपयोग कर भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर** – खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां तीन श्रेणियों यानी IGST, CGST और SGST के तहत परिलक्षित होगा। करदाता इस खाते में दिखाए गए शेष का उपयोग केवल कर के भुगतान (ब्याज, जुर्माना आदि के लिए नहीं) के लिए कर सकेगा
- **इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर** – यह खाता किसी करदाता की कुल कर देयता को दिखाएगा जो किसी विशेष महीने के लिए नेटिंग के बाद कर देगा। यह लेजर ऑटो-पॉपुलेटेड होगा।

8. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 56 (5) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति विशेष का विवरण रखेगा।

- (अ) उन आपूर्तिकर्ताओं के नाम और पूर्ण पते जिनसे उन्होंने अधिनियम के तहत कर लगाने के लिए सामान या सेवाएँ प्राप्त की हैं;
- (ब) उन व्यक्तियों के नाम और पूर्ण पते जिनके लिए उन्होंने माल या सेवाओं की आपूर्ति की है, जहां इस अध्याय के प्रावधानों के तहत आवश्यक है;
- (स) परिसर का पूरा पता, जहाँ माल उसके द्वारा संग्रहीत किया जाता है, जिसमें स्टॉक के विशेष भंडार के साथ पारगमन के दौरान संग्रहीत माल भी शामिल है।

यदि कोई कर योग्य सामान किसी वैध दस्तावेजों के कवर के बिना उप-नियम (5) के तहत घोषित किए गए लोगों के अलावा किसी भी स्थान पर संग्रहीत किया जाता है, तो उचित अधिकारी ऐसे सामानों पर देय कर की राशि का निर्धारण करेगा जैसे कि माल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई है।

9. गोदाम या गोदाम और ट्रांसपोर्टर्स के मालिक या ऑपरेटर द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड (Records maintained by the owner or operator of a warehouse or godown and transporters) –

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

- (अ) प्रत्येक व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 35 (2) के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड और खातों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यदि अधिनियम के तहत पहले से पंजीकृत नहीं है, तो अपने व्यवसाय के बारे में विवरण को फॉर्म जीएसटी ईएनआर में आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा। सीधे या एक सुविधा केंद्र के माध्यम से आयुक्त द्वारा अधिसूचित और, सुसज्जित विवरण के सत्यापन पर, एक अद्वितीय नामांकन संख्या उत्पन्न और उक्त व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।
- (ब) किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उप-नियम (1) के तहत नामांकित व्यक्ति को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नामांकित माना जाएगा।
- (स) प्रत्येक व्यक्ति जो उप-नियम (1) के तहत नामांकित है, जहाँ आवश्यक हो, आयुक्त द्वारा अधिसूचित एक सुविधा केंद्र के माध्यम से या तो आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से FORM GST ENR-01 में प्रस्तुत विवरण में संशोधन करें।
- (द) नियम 56 के प्रावधानों के अधीन, –
- (i) माल के परिवहन के व्यवसाय में लगे हुए किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रत्येक शाखा के लिए पंजीकृत माल और माल भेजने वाले की माल और सेवा कर पहचान संख्या के साथ-साथ उसके द्वारा परिवहन किए गए माल, परिवहन और वितरित किए गए माल के रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे।
- (ii) गोदाम या गोदाम के प्रत्येक मालिक या ऑपरेटर उस अवधि के सम्बन्ध में खातों की पुस्तकों को बनाए रखेंगे, जिनके लिए गोदाम में विशेष माल रहता है, जिसमें माल भेजने, आवाजाही, प्राप्ति और निपटान से सम्बन्धित विवरण शामिल हैं।
- (इ) गोदाम के मालिक या संचालक माल को इस तरह से संग्रहीत करेंगे कि उन्हें वस्तु-वार और मालिक-वार पहचाना जा सके और मांग पर उचित अधिकारी द्वारा किसी भी भौतिक सत्यापन या निरीक्षण की सुविधा मिल सके।
10. जीएसटी के तहत खातों की अवधारण के लिए अवधि (Period for retention of accounts under GST)
- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 36 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे खातों और रिकॉर्ड से सम्बन्धित वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से कम से कम 72 महीने (6 वर्ष) के लिए खातों और किताबों को रखना और बनाए रखना होगा।
- एक पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत के समक्ष अपील या संशोधन या किसी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

अन्य कार्यवाही के लिए पक्षकार है, चाहे वह उसके या आयुक्त द्वारा दायर किया गया हो, या अध्याय XIX के लिए अपराध की जांच कर रहा हो, इस तरह की अपील या संशोधन या कार्यवाही या जांच के अन्तिम निपटान के बाद, या उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए जो भी बाद में हो इस तरह की कार्यवाही से सम्बन्धित खाते और अन्य रिकॉर्ड की पुस्तकों को बनाए रखें।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

5. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे काम करेगा?
- (क) कैश मनी के रूप में (ख) इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में
- (ग) ठोस मुद्रा के रूप में (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
6. इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां किस श्रेणी के तहत परिलक्षित होगा?
- (क) IGST (ख) CGST
- (ग) SGST (घ) उपरोक्त सभी

3.5 GST सम्मिश्रण योजना (कम्पोजिशन स्कीम) (GST Composition Scheme)

करदाताओं के लिए GST के तहत कम्पोजिशन स्कीम एक सरल और आसान योजना है। छोटे करदाता जटिल जीएसटी औपचारिकताओं से छुटकारा पा सकते हैं और टर्नओवर की निश्चित दर पर जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना को किसी भी करदाता द्वारा चुना जा सकता है जिसका टर्नओवर रु. 1.0 करोड़ से कम है।

3.5.1 कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प कौन चुन सकता है?

(Who can Choose Composition Scheme Option?)

एक करदाता जिसका टर्नओवर 1.0 करोड़ रुपये से कम है * कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के मामले में, सीमा अब 75 * लाख रुपये है।

सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार, एक कम्पोजिशन डीलर दस प्रतिशत तक टर्नओवर या 5 लाख रुपये तक सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है, जो भी अधिक हो। यह संशोधन 1 फरवरी, 2019 से लागू हुआ। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने अपनी 32 वीं बैठक में 10 जनवरी 2019 * को सेवा प्रदाताओं के लिए इस सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

एक ही पैन के साथ पंजीकृत सभी व्यवसायों का कारोबार टर्नओवर की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

* CBIC ने थ्रेशोल्ड लिमिट को 1.0 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रु. 1.5 करोड़ कर दिया है

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

3.5.2 कौन कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकता है? (Who can't Choose Composition Scheme?)

निम्नलिखित लोग योजना का विकल्प नहीं चुन सकते हैं—

- आइसक्रीम, पान मसाला, या तंबाकू के निर्माता,
- अन्तर-राज्यीय आपूर्ति करने वाला व्यक्ति,
- एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, एवं
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यवसायी।

3.5.3 कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं? (What are the Conditions to Get the Benefits of Composition Scheme)

कम्पोजिशन स्कीम का चयन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

- कम्पोजिशन स्कीम का चयन करने वाले डीलर द्वारा किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।
- डीलर जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकता है।
- करदाता को रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत लेनदेन के लिए सामान्य दरों पर कर का भुगतान करना पड़ता है।
- यदि एक कर योग्य व्यक्ति के पास एक ही पैन के तहत व्यवसायों के विभिन्न खंड (जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किराने का सामान, आदि) हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से योजना के तहत ऐसे सभी व्यवसायों को पंजीकृत करना होगा या योजना से बाहर होना चाहिए।
- करदाता को अपने व्यवसाय के स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित हर नोटिस या साइनबोर्ड पर 'रचना कर योग्य व्यक्ति' शब्द का उल्लेख करना होगा।
- करदाता को उसके द्वारा जारी किए गए आपूर्ति के प्रत्येक बिल पर 'रचना कर योग्य व्यक्ति' शब्द का उल्लेख करना होगा।
- सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार, एक निर्माता या व्यापारी अब दस प्रतिशत तक कारोबार या 5 लाख रुपये तक की सेवाओं की आपूर्ति जो भी अधिक हो कर सकता है। यह संशोधन 1 फरवरी, 2019 से लागू होगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

3.5.4 कम्पोजिशन स्कीम को एक करदाता कैसे चुन सकता है? (How a Tax Payer can Select Composition Scheme?)

कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए एक करदाता को सरकार के साथ GST CMP-02 दाखिल करना होगा। इसे जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके ऑनलाइन किया जा सकता है।

यह अन्तरंगता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक डीलर को दी जानी चाहिए, जो कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहता है।

यहां GST पोर्टल पर फाइल सीएमपी – 02 के लिए एक कदम गाइड द्वारा कदम रखा गया है।

3.5.5 कम्पोजिशन डीलर को बिल कैसे उठाना चाहिए? (How Composition Dealer can Raise a Bill?)

एक कम्पोजिशन डीलर कर चालान जारी नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कम्पोजिशन डीलर अपने ग्राहकों से टैक्स नहीं वसूल सकता है। उन्हें अपनी जेब से कर चुकाने की जरूरत है।

इसलिए, डीलर को बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होगा।

डीलर को बिल के शीर्ष पर "रचना कर योग्य व्यक्ति का उल्लेख करना चाहिए, जो आपूर्ति पर कर जमा करने के योग्य नहीं है"।

3.5.6 कम्पोजिशन डीलर के लिए जीएसटी की दरें क्या हैं? (What are the Different Rates for Composition Dealer?)

निम्नलिखित चार्ट कम्पोजिशन डीलरों के लिए लागू टर्नओवर पर कर की दर बताते हैं:

संरचना योजना – लागू जीएसटी दरें			
व्यापार का प्रकार	सीजीएसटी	एसजीएसटी	संपूर्ण
निर्माता और व्यापारी (माल)	0.5%	0.5%	1.0%
शराब नहीं परोसने वाले रेस्टोरेंट	2.5%	2.5%	5.0%
अन्य सेवा प्रदाता	3.0%	3.0%	6.0%

दिनांक 01.01.2018 की अधिसूचना के अनुसार, व्यापारियों के मामले में कारोबार को 'माल की कर योग्य आपूर्ति का कारोबार' के रूप में परिभाषित किया गया है।

3.5.7 कम्पोजिशन डीलर द्वारा जीएसटी भुगतान कैसे किया जाना चाहिए? (How GST Should be Paid by Composition Dealer?)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

जीएसटी भुगतान किए गए आपूर्ति के लिए जेब से बाहर किया जाना है।

कम्पोजिशन डीलर द्वारा किए जाने वाले GST भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- की गई आपूर्ति पर जी.एस.टी.
- रिवर्स चार्ज पर टैक्स
- अपंजीकृत डीलर से खरीद पर कर*

* केवल सामान और सेवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों पर और साथ ही 1 फरवरी 2019 से प्रभावी पंजीकृत व्यक्तियों के अधिसूचित वर्ग पर लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, तब तक लागू नहीं होगा।

3.5.8 कम्पोजिशन डीलर द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न क्या हैं? (What are the Different Range of Returns Filed by Composition Dealer)

एक व्यापारी को तिमाही के अन्त के बाद महीने की 18 तारीख तक तिमाही रिटर्न GSTR-4 दाखिल करना होगा। इसके अलावा, अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक जीएसटीआर – 9 ए दाखिल करना होगा।

3.5.9 कम्पोजिशन स्कीम के क्या फायदे हैं? (What are the Benefits of Composition Scheme?)

कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करने के फायदे निम्नलिखित हैं :

- कम अनुपालन (रिटर्न, रिकॉर्ड की पुस्तकों को बनाए रखना, चालान जारी करना),
- सीमित कर देयता, एवं
- करों के रूप में उच्च तरलता कम दर पर है।

3.5.10 कम्पोजिशन स्कीम के नुकसान क्या हैं? (What are the Disadvantages of Composition Schemes?)

जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करने के नुकसान:

- व्यापार का एक सीमित क्षेत्र। डीलर को अन्तर-राज्य लेनदेन करने से रोक दिया जाता है।
- कम्पोजिशन डीलरों को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

- करदाता ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से छूट वाले सामान या सामान की आपूर्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए एक करदाता को सरकार के साथ ----- दाखिल करना होगा।
(क) GST CMP-01 (ख) GST CMP-02
(ग) GST CMP-03 (घ) GSTR-04
- कम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करने के फायदे हैं –
(क) कम अनुपालन (रिटर्न, रिकॉर्ड की पुस्तकों को बनाए रखना, चालान जारी करना)
(ख) सीमित कर देयता
(ग) कम दर पर करों के रूप में उच्च तरलता
(घ) उपरोक्त सभी

3.6 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न छूट (Various Deductions under GST)

पिछले अप्रत्यक्ष कराधान शासन के तहत, करदाता बड़ी कर छूट का आनंद ले रहे थे जो अब जीएसटी के तहत सीमित हैं।

केंद्र या राज्य सरकार को माल या सेवाओं को कर या तो पूर्ण या सशर्त से छूट देने का अधिकार है, जो अधिसूचना जारी करने के माध्यम से परिषद से सिफारिश पर सार्वजनिक हित में होना चाहिए।

3.6.1 जीएसटी से छूट प्राप्त सेवाओं की सूची (List of Rebate under GST)

जीएसटी से छूट (हेल्थ केयर सर्विसेज)

- नैदानिक प्रतिष्ठानों या चिकित्सा व्यवसायी या पैरामेडिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।
- एक (ए) में कवर के अलावा एक एम्बुलेंस में रोगियों के परिवहन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं।
- इस तरह के संरक्षण के सम्बन्ध में स्टेम सेल या किसी अन्य सेवाओं के संरक्षण के माध्यम से कॉर्ड ब्लड बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

4. सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालकों द्वारा जैव-चिकित्सीय कचरे के निपटान के उपचार या आकस्मिक चिकित्सा के लिए प्रक्रियाओं के माध्यम से नैदानिक स्थापना के लिए सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
5. पशु या पक्षियों की स्वास्थ्य देखभाल के सम्बन्ध में पशु चिकित्सा क्लिनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

जीएसटी से धर्मार्थ और धार्मिक क्षेत्र की छूट (Charitable and Religious Sector Exemption from GST)

1. चैरिटेबल गतिविधियों के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए (ए) के तहत पंजीकृत एक इकाई द्वारा सेवाएँ।
2. धार्मिक गतिविधियाँ –
 - (अ) धार्मिक समारोह का आयोजन
 - (ब) आम जनता के लिए धार्मिक स्थान के पूर्ववर्ती किराए पर लेना, स्वामित्व या धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एक संस्था द्वारा प्रबन्धित किया जाता है या तो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 12 एए या एक ट्रस्ट या 10 सी (23 सी के तहत पंजीकृत संस्था) के तहत पंजीकृत है। (v) या कुछ अपवादों के अधीन आयकर अधिनियम 10 के तहत कवर किया गया निकाय या प्राधिकरण।
 - (स) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुविधा प्राप्त धार्मिक यात्रा के सम्बन्ध में एक निर्दिष्ट संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ। (कैलाश मानसरोवर और हज यात्रा)

कानूनी क्षेत्र में जीएसटी से छूट (GST Exemption in Legal Sector)

1. पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख) तक कुल कारोबार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
2. कानूनी सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा एक वकील के रूप में अधिवक्ताओं या व्यक्ति की साझेदारी फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ –
 - कानूनी सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं की एक वकील या साझेदारी फर्म,
 - व्यवसाय इकाई के अलावा कोई भी व्यक्ति या
 - पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख) के कुल कारोबार के साथ एक व्यापार इकाई।
3. पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10 लाख रुपये) तक कुल कारोबार के साथ किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय इकाई के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी सेवाओं के माध्यम से एक वरिष्ठ वकील।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

कृषि सेवाओं से सम्बन्धित छूट (Rebates Related to Agricultural Services)

1. जीएसटी के तहत छूट पाने वाली कृषि सेवाएँ निम्नानुसार हैं –
 - (अ) पौधों की खेती
 - (ब) भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्चे माल, या अन्य इसी तरह के उत्पादों के लिए जानवरों के सभी जीवन-रूपों के पीछे
 - (स) घोड़ों के पालन-पोषण को छोड़कर।
2. या कृषि उत्पाद के माध्यम से –
 - (क) कृषि कार्य का सीधा सम्बन्ध खेती, कटाई, थ्रेशिंग, पौधों की सुरक्षा या परीक्षण सहित किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से है।
 - (ख) खेत श्रम की आपूर्ति।
 - (ग) प्रक्रिया एक कृषि फार्म में की जाती है, जिसमें झुकाव, छंटाई, कटाई, सुखाने, सफाई, ट्रिमिंग, धूप में सुखाना, फ्यूमिगेटिंग, इलाज, छंटाई, ग्रेडिंग, कूलिंग या बल्क पैकेजिंग और इस तरह के ऑपरेशन जैसे आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं करते हैं। कृषि उपज का उत्पादन करें लेकिन इसे केवल प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योग्य बनाएँ।
 - (घ) कृषि यंत्रों या खाली भूमि को किराए पर लेना या पट्टे पर देना, इसके उपयोग के लिए आकस्मिक संरचना के साथ या बिना।
 - (ङ) लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या कृषि उपज का भंडारण।
 - (च) कृषि विस्तार सेवाएँ अर्थात् अनुसंधान सेवाएँ।
 - (छ) कृषि उपज की बिक्री या खरीद के लिए कमीशन एजेंट द्वारा प्रदान की गई किसी भी कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड ऑफ सर्विसेज द्वारा सेवाएँ।
3. चावल के लदान, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भंडारण के माध्यम से सेवाएँ।
4. प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, फलों और सब्जियों की लेबलिंग के माध्यम से सेवाएँ जो उक्त फलों या सब्जियों की आवश्यक विशेषता इस को परिवर्तित या परिवर्तित नहीं करती हैं।
5. भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्चे माल, या अन्य इसी तरह के उत्पादों या कृषि उपज के लिए, घोड़ों के पालन को छोड़कर, पौधों की खेती और जानवरों के सभी जीवन रूपों के पालन के सम्बन्ध में एक मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करना।

परिवहन क्षेत्र से छूट (Exemption from Transport Sector)

1. यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ, जिनके साथ या उनके बिना सामान हैं –
 - (क) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच के अलावा एक वर्ग में रेलवे।
 - (ख) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे,

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

(ग) अन्तर्देशीय जलमार्ग

(घ) भारत स्थित स्थानों के बीच एक बर्तन (ई) में मुख्य रूप से पर्यटन उद्देश्य के अलावा सार्वजनिक परिवहन; तथा

(ड) मीटर वाली टैक्सी या ऑटो रिक्शा

2. इसके साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन –

(अ) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में स्थित हवाई अड्डे से जाने या समाप्त होने वाली।

(ब) गैर-एसी कोच गाड़ी, यात्रियों को परिवहन के लिए, रेडियो टैक्सी के अलावा, पर्यटन, संचालित दौरे, चार्टर या किराए पर।

(स) वातानुकूलित चरण गाड़ी के अलावा अन्य चरण की गाड़ी।

जीएसटी से माल की ढुलाई का परिवहन (Transportation of Goods from GST)

1. सड़क द्वारा माल के परिवहन से सम्बन्धित सेवाओं को जीटीए (गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी) या कूरियर एजेंसी की सेवाओं को छोड़कर कर से छूट दी गई है।

2. अन्तर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से परिवहन से सम्बन्धित सेवाएँ।

3. भारत के बाहर एक जगह से एक विमान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से सेवाएं भारत में निकासी के एक कस्टम स्टेशन तक।

4. रेल, वेसल और जीटीए द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं के सम्बन्ध में परिवहन –

(क) कृषि उपज

(ख) दूध, नमक और खाद्य अनाज, जिसमें फर्श, दालें, और चावल शामिल हैं

(ग) जैविक खाद

(घ) समाचार पत्र या पत्रिका समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत।

(ड) राहत सामग्री प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, आपदाओं, दुर्घटनाओं या दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए है।

(च) रक्षा या सैन्य उपकरण।

5. निम्न वस्तुओं के सम्बन्ध में एक माल परिवहन एजेंसी द्वारा परिवहन सेवाएँ कर से मुक्त हैं –

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

- (अ) माल जहाँ एक गाड़ी में ले जाए जाने वाले एक माल पर परिवहन के लिए लगाया गया माल एक हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं है। या
- (ब) माल, जहाँ एक ही खेप के लिए इस तरह के सभी सामानों के परिवहन के लिए प्रभारित विचार सात सौ पचास रुपये से अधिक नहीं है।
6. सेवा एक अपंजीकृत व्यक्ति को GTA द्वारा प्रदान की एक अपंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, सहित अन्य की तुलना में निम्न प्राप्तकर्ताओं, अर्थात् –
- (क) फैंक्ट्री अधिनियम, 194 के तहत पंजीकृत या शासित कोई भी कारखाना।
- (ख) भारत के किसी भी हिस्से में समय के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई भी समाज।
- (ग) लागू होने वाले किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित कोई सहकारी समिति।
- (घ) किसी भी निकाय की स्थापना किसी भी कानून के तहत या उसके लागू होने के समय के लिए।
- (ङ) किसी भी साझेदारी फर्म, चाहे वह किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं, जिसमें व्यक्तियों का संगठन भी शामिल है।
- (च) केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति।

जीएसटी से छूट अचल सम्पत्ति के किराये से सम्बन्धित है (GST Exemption Relates to Real Estate Rental)

- निवास के रूप में उपयोग के लिए आवासीय आवास के किराए के माध्यम से सेवाएँ।
- किसी होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब या कैपसाइट के माध्यम से जो भी आवासीय या लाजिंग प्रयोजनों के लिए नाम से पुकारा जाता है, 1000/— प्रति दिन या उससे कम कीमत वाले आवास की एक इकाई का टैरिफ घोषित किया जाता है।

मनोरंजन क्षेत्र से सम्बन्धित जीएसटी से छूट (GST Exemption Related to Entertainment Sector)

- संगीत, नृत्य या थिएटर के लोक या शास्त्रीय कला रूपों में प्रदर्शन के माध्यम से एक कलाकार द्वारा सेवाएँ अगर इस तरह के प्रदर्शन के लिए

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

लिया गया शुल्क 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है (ब्रान्ड एम्बेसेडर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लागू नहीं)।

- प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएँ –

- नाटक, बैले सहित सर्कस, नृत्य या नाट्य प्रदर्शन
- अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग इवेंट के अलावा कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट।

जहाँ प्रवेश के लिए विचार प्रति व्यक्ति 250/- रुपये से अधिक नहीं है।

- एक संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, या बाघ आरक्षित या चिड़ियाघर में प्रवेश के माध्यम से सेवाएँ।
- से सम्बन्धित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग के माध्यम से सेवाएँ –
 - कला या संस्कृति, या
 - कर अधिनियम की (12AA) के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा खेल।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित छूट (Banking and Financial Sector Related Discounts)

- के माध्यम से सेवाएँ –

- अब तक जमा, ऋण या अग्रिम का विस्तार ब्याज या छूट के माध्यम से किया जाता है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में ब्याज के अलावा)।
- बैंकों के बीच या विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों या बैंकों और ऐसे डीलरों के बीच विदेशी मुद्रा की बिक्री या खरीद।
- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से लेन – देन किए गए एकल लेनदेन में दो हजार रुपये तक की राशि के निपटान के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त बैंक द्वारा सेवाएँ।

जीएसटी से शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र की छूट (Education and Training Sector Exemption from GST)

- अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- एक शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली सेवाएं –
 - छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन।
 - केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रायोजित किसी भी मिड डे मील योजना सहित खानपान।
 - ऐसे शिक्षण संस्थान में सुरक्षा या सफाई या घर में रखने वाली सेवाएँ।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

- ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश या परीक्षा आयोजित करने से सम्बन्धित सेवाएँ; उच्च माध्यमिक तक।

स्पोर्ट्समैन द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स बॉडी को प्रदान की गई सेवाओं से सम्बन्धित छूट (Discounts Related to Services Provided to Sports Bodies Recognized by Sportsman)

- किसी मान्यता प्राप्त खेल निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ –
 - किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर के रूप में एक व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त खेल निकाय द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए।
 - एक और मान्यता प्राप्त खेल।
- फीफा अंडर – 17 विश्व कप 17 के तहत भारत में आयोजित किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।
- फीफा अंडर – 17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएँ।
- निर्धारित निकायों द्वारा आयोजित कुछ खेल आयोजनों के प्रायोजन के माध्यम से सेवाएँ।

सरकारी क्षेत्र में जीएसटी से छूट (GST Exemption in Government Sector)

- टोल शुल्क के भुगतान पर सड़क या पुल तक पहुंच के रास्ते से सेवाएँ।
- वार्षिकी के भुगतान पर किसी सड़क या पुल तक पहुँच के रास्ते।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। (RBI को सेवाएँ कर योग्य हैं)।
- भारत में स्थित एक विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएँ।

सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं से छूट (Exemption from Services Provided by the Government)

- केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित सेवाओं को छोड़कर –
 - डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा, और सीजी, एसजी या केंद्र शासित प्रदेश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली एजेंसी सेवाएँ।
 - एक विमान या एक पोत, एक बंदरगाह या एक हवाई अड्डे के अंदर या बाहर के सम्बन्ध में सेवाएँ।
 - माल या यात्रियों का परिवहन या

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

- उपर्युक्त प्रविष्टियों के तहत कवर की गई सेवाओं के अलावा कोई भी सेवा, किसी भी व्यावसायिक संस्था को प्रदान की जाती है।
- पंचायत को सौंपे गए किसी भी समारोह के सम्बन्ध में किसी भी गतिविधि के माध्यम से एक सीजी, एसजी, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण द्वारा सेवाएँ।
- तटरक्षक, एसजी, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए एक व्यापार इकाई के लिए तक बीस लाख रुपये के एक समग्र कारोबार के साथ वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती में (विशेष श्रेणी राज्य में दस लाख रुपये)
- सीजी, एसजी, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जहाँ ऐसी सेवाओं के लिए विचार पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं है।
- सीजी, एसजी, केंद्रशासित प्रदेश, या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण या प्रमाणीकरण के माध्यम से निर्धारित के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से सीजी, एसजी, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।
- अप्रैल 2016 से पहले एक व्यावसायिक इकाई को दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में काम करने या रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अनुमति देने के माध्यम से सीजी, एसजी, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।
- निर्धारित गतिविधियों के लिए एक व्यक्ति किसान को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अधिकार के असाइनमेंट के माध्यम से सीजी, एसजी, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।
- सीजी, एसजी, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ किसी भी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के माध्यम से जहाँ किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार 1 अप्रैल 2016 से पहले सौंपा गया था।
- सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ। CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकारी या CG, SG, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त विचार के खिलाफ CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए इकाई।
- CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश, या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
- आयात/निर्यात पर MOT के शुल्क के माध्यम से CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

- किसी अनुबंध के गैर-प्रदर्शन को सहन करने के तरीके से सीजी, एसजी, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ, जिनके लिए जुर्माना या परिसमापन के रूप में विचार करना देय हैं।

सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (Services Provided to the Government)

- कमीशन या मार्जिन के रूप में विचार के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गेहूँ, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से सीजी को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
- कमीशन या मार्जिन के रूप में विचार के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन, चीनी, खाद्य तेल, आदि की बिक्री के माध्यम से एसजी या केंद्र शासित प्रदेश को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
- केंद्रीय सरकार को GSTN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। या जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केंद्रशासित प्रदेश।
- सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। अनुच्छेद 243 जी किसी पंचायत या नगर पालिका को अनुच्छेद 243(w) को सौंपे गए किसी भी समारोह के सम्बन्ध में।
- किसी भी बीमा योजना के तहत CG, SG, केंद्रशासित प्रदेश को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए कुल प्रीमियम का भुगतान CG, SG या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है।
- किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए कुल व्यय CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।
- सेवाओं के साथ या सामान के बिना यात्रियों के परिवहन के माध्यम से तटस्थ के लिए प्रदान की, हवाई सेवा आरंभ करने या व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण के रूप में, एक क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए हवाई अड्डे पर समाप्त विचार के खिलाफ।

अन्य सरकारी क्षेत्र (Other Government Sector)

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत शासित व्यक्तियों को।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कर्मचारी भविष्य निधि के तहत शासित व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं।
- आईआरडीएआई द्वारा भारतीय बीमा अधिनियम, 1999 के तहत बीमाकर्ताओं को IRDA द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।

- SEBI द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ SEBI अधिनियम, 1992 के तहत प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए सुरक्षा के माध्यम से स्थापित की गई हैं।
- राज्य सरकारों की किसी भी पेंशन योजना के तहत योगदान के संग्रह के माध्यम से सेवाएँ।
- भारतीय रेलवे द्वारा परिसंपत्तियों के पट्टे की सेवाएँ।
- कृषि, सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।
- राज्य परिवहन उपक्रम को किराए पर देने के माध्यम से सेवाएँ, एक मोटर वाहन का मतलब बारह से अधिक यात्रियों या माल परिवहन एजेंसी, माल के परिवहन के साधन को ले जाना है।
- राज्य सरकार के औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सेवाएँ।
- विद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता द्वारा बिजली का संचरण या वितरण।
- अटल पेंशन योजना के तहत योगदान के माध्यम से सेवाएँ।
- कौशल विकास पहल योजना के तहत मूल्यांकन के माध्यम से सेवाएँ।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षण सेवाएँ।
- नीचे दी गई शर्तों के अधीन वित्त वर्ष में पचास लाख रुपये के कुल कारोबार तक इनक्यूबेटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ –
 - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हुआ है और
 - एक इनक्यूबेट के रूप में एक समझौते में प्रवेश करने की तारीख से 3 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीएसटी से छूट (GST Exemption in Construction Sector)

- निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग, स्थापना, पूरा करने, बाहर फिटिंग, मरम्मत रखरखाव, नवीकरण या परिवर्तन के शुद्ध श्रम अनुबन्धों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ –
 - नागरिक संरचना या
 - कोई अन्य मूल कार्य।
- हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण या वृद्धि से सम्बन्धित है।
- निर्माण, निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग के शुद्ध श्रम अनुबन्धों की सेवाएँ, एक आवासीय परिसर से सम्बन्धित एक एकल आवासीय इकाई से सम्बन्धित मूल कार्य की स्थापना।

जीवन/सामान्य बीमा क्षेत्र में छूट (Life/General Insurance Sector Rebate)

- जीवन बीमा व्यवसाय द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत वार्षिकी के माध्यम से प्रदान की भारत के पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत।
- निर्धारित योजनाओं के तहत सामान्य बीमा व्यवसाय की सेवाएँ।
- निर्धारित योजनाओं के तहत जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएँ।

एसईजेड को छूट (Discount to SEZ)

अधिकृत कार्यों के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा (7) के तहत एकीकृत कर योग्य देय के पूरे से विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई या एक डेवलपर द्वारा आयातित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के लिए छूट।

(एसईजेड के तहत आयात किए गए सामान के लिए, इस पर कोई आईजीएसटी या कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी)।

उन सेवाओं के लिए छूट जिसमें सेवा प्रदाता का स्थान गैर-कर योग्य क्षेत्र में है। (Exemption for services in which the service provider occupies a non - taxable area)

गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित सेवा प्रदाता से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त सेवाएँ—

- CG, SG, केंद्र शासित प्रदेश, एक स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण, एक वाणिज्य, उद्योग या कोई अन्य व्यवसाय या पेशा।
- धर्मार्थ गतिविधियों को प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12AA के तहत पंजीकृत एक इकाई
- एक व्यक्ति गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित है, लेकिन नीचे उल्लेख अपवादों के साथ: —
 - उपरोक्त दो प्रविष्टियों में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ।
 - प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त भारत में कस्टम स्टेशन तक भारत के बाहर एक जगह से एक पोत द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से सेवाएँ।

भारत के बाहर से RBI द्वारा प्राप्त छूट (Rebates Received by RBI from Outside India)

विदेशी मुद्रा सेवाओं के प्रबन्धन के सम्बन्ध में भारत के बाहर से आरबीआई द्वारा प्राप्त सेवाएँ।

इसके अलावा, जीएसटी छूट सूची पढ़ें।

टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

भारत के बाहर पूरी तरह से आयोजित एक दौरे के सम्बन्ध में एक विदेशी टूरिस्ट को टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

3.6.2 जीएसटी से छूट के तहत आने वाले अन्य सामान और सेवाएँ (Other Goods and Services Falling under GST Exemption)

- संपूर्ण या स्वतंत्र भाग के रूप में गोइंग कंसर्न के स्थानांतरण के माध्यम से सेवाएँ।
- भारत के बाहर आयोजित व्यवसाय प्रदर्शनी के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को एक आयोजक द्वारा सेवाएँ।
- अनिर्धारित निकाय या गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किसी भी कानून के तहत या अपने स्वयं के सदस्यों को शुल्क की प्रतिपूर्ति या अंशदान के माध्यम से सेवाएँ –
 - ट्रेड यूनियन के रूप में
 - किसी भी गतिविधियों को करने के प्रावधान के लिए जो माल और सेवा कर या की लेवी से छूट प्राप्त है
 - हाउसिंग सोसाइटी या आवासीय परिसर में अपने सदस्यों के सामान्य उपयोग के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से माल या सेवा की सोर्सिंग के लिए प्रति सदस्य 5000 रुपये प्रति रात्रि तक।
- निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से आईजी (भारतीय प्रबन्धन संस्थान) द्वारा सीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी पढ़ाई के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
- निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा सम्बन्धित क्षमताओं में मध्यस्थ सेवाएँ –
 - बिजनेस फॅसिलिटेटर या बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट एक बैंकिंग कंपनी के साथ जिसके ग्रामीण क्षेत्रों की शाखा में खाते हैं।
 - उपर्युक्त प्रविष्टि में उल्लिखित सेवाओं के सम्बन्ध में व्यवसाय सुविधा या व्यवसाय संवाददाता के मध्यस्थ के रूप में कोई भी व्यक्ति, या
 - एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बीमा कंपनी के लिए व्यापार सुगमकर्ता या व्यवसाय संवाददाता।
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।
- एक स्वतंत्र पत्रकार द्वारा समाचार एकत्र करने या प्रदान करने के माध्यम से सेवाएँ, भारत या भारत के संयुक्त समाचार पर भरोसा करती हैं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

- पुस्तकों, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञान को बढ़ाने वाली सामग्री या सामग्री के उधार के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाएँ।
- सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से सेवाएँ जैसे बाथरूम, वॉशरूम, शौचालय, मूत्रालय या शौचालय की सुविधा।
- नेपाल और भूटान (भूमि सम्बन्धी देशों) को माल से जुड़ी सेवाओं की आपूर्ति।
- परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एनपीसीआईएल को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के तहत पूरे केंद्रीय कर से भारी जल और परमाणु ईंधन की इंद्रा राज्य आपूर्ति से छूट।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

9. निम्न में से क्या जीएसटी से छूट प्राप्त सेवाओं की सूची में नहीं आता?
- (क) हेल्थ केयर सर्विसेज
 - (ख) परिवहन क्षेत्र
 - (ग) आइसक्रीम, पान मसाला, या तम्बाकू के निर्माता
 - (घ) धर्मार्थ और धार्मिक क्षेत्र

3.7 वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत मांग और वसूली (डिमांड और रिकवरी) [Goods and Services Tax (GST) under Demand and Recovery (Demand and Recovery)]

डिमांड का अर्थ है – उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने या प्राप्त करने की इच्छा, जब अधिक मांग होगी, तो बाजार में तेजी आएगी। यह एक ऐसी कार्रवाई है जो अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाती है। सरकार हर सामान और सेवा पर कर लगाती है। प्रत्येक व्यक्ति सामान खरीदने पर सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो सरकार को डिफॉल्टर से कर वसूलना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को विफल करने के लिए कर सरकार का मूल स्रोत है, जिसमें आर्थिक असंतुलन का कारण बनता है। सरकार बकाएदारों से कर वसूलने के लिए सख्त कदम अपनाती है।

3.7.1 डिमांड नोटिस जारी करना (To Issue Demand Notice)

डिमांड नोटिस एक नोटिस है, जो प्राधिकरण द्वारा माल और सेवा कर (GST) के तहत अपने करदाताओं को संचार करने के लिए भेजा जाता है।

धारा 73 — उस कर का निर्धारण करना जो लघु या नॉट पेड (जिसका भुगतान न किया गया हो) या रिफंडेड एररली (गलत रिफंड) है।

केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 73, उन करों के निर्धारण से सम्बन्धित है जो कम भुगतान किए गए हैं या भुगतान नहीं किए गए हैं या जो गलत तरीके से वापस किया गया है।

जब किसी भी कर को निर्धारिती द्वारा कम भुगतान किया गया हो या गलत तरीके से भुगतान नहीं किया गया हो या वापस नहीं किया गया हो और जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से उपयोग किया गया हो या किसी भी कारण से लाभ उठाया गया हो, जिसमें किसी भी विलफुल-मिसरिप्रेसेंटेशन या धोखाधड़ी या किसी भी दमन का कारण शामिल नहीं है इसकी चोरी के कारण कर और यह उचित अधिकारी के ध्यान में आता है, वह उसे कारण बताओ नोटिस भेजेगा कि वह ब्याज के साथ नोटिस में उल्लिखित कर की राशि का भुगतान क्यों न करे। वह निर्धारिती को उस दंड का भुगतान करने के लिए भी कहेगा, जो उस पर लगाया गया है।

समयावधि — उचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नोटिस धारा 73 के उप-धारा (10) के तहत आदेश जारी करने से तीन महीने पहले दिया जाएगा।

कथन की सेवा — जब उप-धारा (1) के तहत उचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस, वह उस व्यक्ति को एक बयान देगा जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। बयान में उन करों से सम्बन्धित सभी विवरण शामिल होंगे जो या तो कम भुगतान किए गए हैं, या भुगतान नहीं किए गए हैं, या गलत तरीके से रिफंड किए गए हैं या जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जाता है या ऐसी अवधि के लिए लाभ उठाया जाता है, जो उप-धारा (1) में वर्णित नहीं हैं।

बयान की सेवा को नोटिस की सेवा माना जाएगा, जब कर की अवधि जिस आधार पर निर्भर की गई है, वह निर्धारिती के लिए पिछले नोटिस की तरह ही होगी।

यदि जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह नोटिस जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि में उस कर पर ब्याज सहित कर का भुगतान करता है, तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और नोटिस से सम्बन्धित उस व्यक्ति के खिलाफ सभी कार्यवाही को पूर्ण माना जाएगा।

एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने के बाद जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उचित अधिकारी इसे ध्यान में रखेगा और ब्याज, करों और कर के 10% या 10,000 (जो भी अधिक हो) के बराबर जुर्माना निर्धारित करेगा।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

कर की वसूली के लिए अनुकूलन और सीमा (Optimization and Limits for Tax Recovery)

1. यदि मामला गैर-धोखाधड़ी से सम्बन्धित है, तो मामले को तीन साल की अवधि के भीतर स्थगित कर दिया जाएगा। सीमा की गणना प्रचलित वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि से की जाएगी।
2. यदि मामला निर्धारिती द्वारा प्राप्त गलत रिफंड से सम्बन्धित है, तो ऐसी परिस्थितियों में मामले को तीन साल की अवधि के भीतर स्थगित कर दिया जाएगा। तीन साल के लिए सीमा उस तारीख से शुरू होगी, जब किसी निर्धारिती के खाते में गलत रिफंड जमा किया गया था।
3. कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करना उचित अधिकारी द्वारा आदेश या मामले के जारी होने के फैसले की समय सीमा से तीन महीने पहले किया जाएगा।
4. निर्णय का क्रम उचित अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख से तीन साल के भीतर जारी किया जाएगा।

धारा 74 — उस कर का निर्धारण करना जो अल्प या अदायगी नहीं है या धनवापसी नहीं हुई है और धोखाधड़ी, विलफुल-गलत बयान या तथ्यों के दमन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है।

केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 74, उन करों के निर्धारण से निपटती है, जो कम भुगतान किए गए हैं या भुगतान नहीं किए गए हैं या जो कि गलत तरीके से वापस किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है या इसका किसी भी कारण से लाभ उठाया गया है। इसमें विलफुल-मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड आदि शामिल हैं।

जब किसी भी कर को निर्धारिती द्वारा कम भुगतान किया गया हो या गलत तरीके से भुगतान किया गया हो या वापस नहीं किया गया हो और जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से उपयोग किया गया हो या उसका लाभ उठाया गया हो, जिसमें विलफुल-मिसस्टेटमेंट या धोखाधड़ी या कर चोरी के कारण कोई दमन शामिल हो और यह उचित अधिकारी के ध्यान में आता है, वह उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा जिसने गलत तरीके से उपयोग किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है क्योंकि वह इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि उसे ब्याज के साथ नोटिस में उल्लिखित कर की राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। वह निर्धारिती को उस कर के बराबर दंड का भुगतान करने के लिए भी कहेगा, जो नोटिस में उस पर लगाया गया है।

समयावधि — उचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नोटिस धारा 73 के उप-धारा (10) के तहत आदेश जारी करने से छह महीने पहले परोसा जाएगा।

कथन की सेवा — जब उप-अनुभाग (1) के तहत उचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस, वह उस व्यक्ति को एक बयान देगा जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। बयान में उन करों से सम्बन्धित सभी विवरण

शामिल होंगे जो या तो कम भुगतान किए गए हैं, या भुगतान नहीं किए गए हैं, या गलत तरीके से वापस कर दिए गए हैं या जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया गया है या ऐसी अवधि के लिए लाभ उठाया गया है, जो उप-धारा (1) में वर्णित नहीं हैं।

बयान की सेवा को नोटिस की सेवा माना जाएगा, जब कर की अवधि जिस आधार पर निर्भर की गई है, वह निर्धारित के लिए पिछले नोटिस की तरह ही होगी।

जिस व्यक्ति के लिए कर प्रभार्य है, वह अपने आप पर या उचित अधिकारी द्वारा कर का निर्धारण करने के बाद, कर सहित ब्याज का 15% के बराबर कर का भुगतान कर सकता है। इसके बाद, उसे उस भुगतान के बारे में लिखित में उचित अधिकारी को सूचित करना होगा।

कर की वसूली के लिए अनुकूलन और सीमा

- जब मामला तथ्यों के दमन या धोखाधड़ी से निपटता है, तो मामले को पाँच साल की अवधि के भीतर स्थगित कर दिया जाएगा। सीमा की गणना प्रचलित वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि से की जाएगी।
- यदि मामला निर्धारित द्वारा प्राप्त गलत रिफंड से सम्बन्धित है, तो ऐसी परिस्थितियों में मामले को पाँच साल की अवधि के भीतर स्थगित कर दिया जाएगा। तीन साल के लिए सीमा उस तारीख से शुरू होगी, जब किसी निर्धारित के खाते में गलत रिफंड जमा किया गया था।
- कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करना उचित अधिकारी द्वारा आदेश या मामले के जारी होने के फैसले की समय सीमा से तीन महीने पहले किया जाएगा।
- निर्णय का आदेश उचित अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख से पाँच साल के भीतर जारी किया जाएगा।

माल और सेवा कर के तहत जुर्माना और ब्याज (Penalty and Interest under Goods and Services Tax)

अनु क्रमांक	हालात	सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 की धारा 73	केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 (दमन या धोखाधड़ी या गलत काम का मामला)
1.	कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले	कोई जुर्माना या नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और करदाता ब्याज सहित देय कर का भुगतान करता है।	कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और करदाता जुर्माना और ब्याज सहित देय कर का भुगतान करता है एक कर पर राशि का 15% की दर से

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम: लेखों एवं अभिलेखों का रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

2.	आफटरशो कारण नोटिस जारी किया जाता है	एक करदाता को देय कर के नोटिस के साथ 30 दिनों की अवधि के भीतर देय कर का भुगतान करना होता है, जो कि लागू ब्याज के साथ है और देय कर के भुगतान के बाद कोई जुर्माना नहीं होगा।	एक करदाता को ब्याज और जुर्माना 25% की दर के साथ देय कर का भुगतान करना आवश्यक है और भुगतान कारण बताओ नोटिस जारी करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर होना चाहिए।
3.	एक आदेश जारी होने के बाद	एक करदाता आदेश जारी होने के बाद भी अभियोजन से बच सकता है यदि वह समय पर ब्याज, कर या जुर्माना का भुगतान करेगा।	एक करदाता जुर्माना और देय राशि का 50% कर सहित ब्याज का भुगतान करता है। देय कर के भुगतान के बाद, कार्यवाही पूरी हो जाएगी।
4.	अन्य मामले	एक करदाता को देय राशि और कर या देय राशि के 10% के बराबर दंड और ब्याज के साथ कर की देय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। निर्णय के संचार से 30 दिनों के भीतर 10,000 (जो भी अधिक हो)।	करदाता को देय कर और देय कर राशि की 100% राशि के साथ देय कर का भुगतान करना होता है।

ध्यान दें (Pay Attention) –

- जब कोई कर जो स्व-मूल्यांकन किया जाता है या भुगतान किया जाता है, जो कर के रूप में एकत्र किया जाता है, तो देय तिथि से 30 दिनों के भीतर ब्याज के साथ भुगतान किया जाता है, जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।
- निर्णय में मांग की गई ब्याज, जुर्माना और कर की राशि नोटिस में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होगी। और, नोटिस में उल्लेखित मांग ही आधार होगा।

धारा 76 – कर जो वसूला जाता है लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है।

केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 76, उन करों से सम्बन्धित है, जो किसी व्यक्ति द्वारा एकत्र किए जाते हैं लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किए जाते हैं।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कर की राशि एकत्र करता है और उसने सरकार को इसका भुगतान नहीं किया है, तो सरकार को कर की राशि का भुगतान इस तथ्य के बावजूद करना होगा कि जिन वस्तुओं या सेवाओं पर कर एकत्र किया गया था, वे कर योग्य हैं या नहीं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

यदि कोई व्यक्ति, जो सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उस व्यक्ति को एक नोटिस दे सकता है जो उसे कारण बताने के लिए कहे कि वह नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान क्यों न करे और वह क्यों नोटिस में उल्लिखित राशि के बराबर जुर्माना नहीं देना चाहिए।

व्यक्ति उस राशि का भुगतान करेगा जो उचित राशि उसके अधिकारी द्वारा उसके प्रतिनिधित्व के बाद निर्धारित की जाएगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के बाद, सुनाई देने का अवसर लिखित में उसके अनुरोध पर उचित अधिकारी द्वारा व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।

कर की वसूली के लिए अनुकूलन और सीमा (Customization and Limits for Tax Recovery)

1. नोटिस जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सार्वजनिक अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।
2. जब अपीलीय अदालत ने सार्वजनिक कार्यालय द्वारा एक आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी, तब सीमा अवधि एक वर्ष की समय अवधि की गणना के उद्देश्य से रहने की अवधि को बाहर कर देगी।

3.7.2 नियम 142 – आदेश और सूचना की सूचना (Notice of Order and Notice)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) नियम, 2017 के नियम 142 आदेश के आदेश और नोटिस जारी करने से सम्बन्धित है, जिसे उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है, जिस पर कर चुकाने के लिए देयता लगाई गई है।

एक उचित अधिकारी के तहत नोटिस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक सारांश की सेवा करने के लिए आवश्यक है—धारा 73 (1) या धारा 74 (1) या धारा 76 (2) में फार्म जीएसटी डीआरसी-01, विवरण एक देय राशि बताते हुए।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC - 01 [See rule 142(1)]						
Reference No:				Date:		
To						
GSTIN/ID						
Name						
Address						
Tax Period -----				F.Y. -----		Act -
Section / sub-section under which SCN is being issued -						
SCN Reference No. -----				Date -----		
Summary of Show Cause Notice						
(a) Brief facts of the case						
(b) Grounds						
(c) Tax and other dues						
(Amount in Rs.)						
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (name of State)	Tax / Cess	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total						

एक उचित अधिकारी के तहत बयान के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक सारांश की सेवा करने के लिए आवश्यक है धारा 73 (3) या धारा 74 (3) में, फार्म जीएसटी डीआरसी-02 देय राशि का ब्यौरा बताते हुए।

FORM GST DRC -02 [See rule 142(1)(b)]						
Reference No:				Date:		
To						
GSTIN/ID						
Name						
Address						
SCN Ref. No. -----				Date -		
Statement Ref. No. ----				Date -		
Section /sub-section under which statement is being issued -						
Summary of Statement						
(a) Brief facts of the case						
(b) Grounds						
(c) Tax and other dues						
(Amount in Rs.)						
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (name of State)	Tax/ Cess	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total						

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

यदि कोई व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह धारा 73 (5) के अनुपालन में ब्याज और कर का भुगतान करता है, तो धारा 74 (5) के अनुपालन में ब्याज या जुर्माना, बयान या नोटिस से पहले उसे दिया जा सकता है, उन्हें FORM GST DRC-03 में उचित अधिकारी को बकाया राशि के बारे में सूचित करना आवश्यक है। जब एक उचित अधिकारी इस तरह की जानकारी प्राप्त करता है, तो वह डिफॉल्टर करदाता द्वारा किए गए भुगतान को स्वीकार कर लेगा और वह यह कहते हुए एक पावती जारी कर सकता है कि उसने करदाता द्वारा FORM GST DRC-04 में दिए गए भुगतान को स्वीकार कर लिया है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

FORM GST DRC - 03										
[See rule 142(2) & 142(3)]										
Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement										
1.	GSTIN									
2.	Name									
3.	Cause of payment									
	<<drop down>> Audit, investigation, voluntary, SCN, others (specify)									
4.	Section under which voluntary payment is made									
	<<drop down>>									
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue							Reference No.		Date of issue
6.	Financial Year									
7.	Details of payment made including interest and penalty, if applicable									
(Amount in Rs.)										
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Reasons, if any - <<Text box>>										
9. Verification -										
I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.										
Signature of Authorized Signatory										
Name _____										
Designation / Status -----										
Date -										

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC – 04 [See rule 142(2)]	
Reference No:	Date:
To	
_____ GSTIN/ID	
_____ Name	
_____ Address	
Tax Period -----	F.Y. -----
ARN -	Date -
Acknowledgement of acceptance of payment made voluntarily	
The payment made by you vide application referred to above is hereby acknowledged to the extent of the amount paid and for the reasons stated therein.	
Signature Name Designation	
Copy to -	

जब कोई व्यक्ति जिस पर कर का भुगतान करने की देयता लगाई गई है, वह धारा 73 (8) के तहत ब्याज, जुर्माना या कर के तहत धारा 74 (8) के तहत कर का भुगतान उस तारीख से 30 दिनों के भीतर करता है, जब नोटिस दिया गया था, व्यक्ति को इसके बारे में FORM GST DRC-03 में उचित अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है और FORM GST DRC-05 में आदेश जारी होने के बाद, उचित अधिकारी कार्यवाही समाप्त कर देगा।

FORM GST DRC- 05 [See rule 142(3)]	
Reference No:	Date:
To	
_____ GSTIN/ID	
_____ Name	
_____ Address	
Tax Period -----	F.Y. -----
SCN -	Date -
ARN -	Date -
Intimation of conclusion of proceedings	
This has reference to the show cause notice referred to above. As you have paid the amount of tax and other dues mentioned in the notice along with applicable interest and penalty in accordance with the provisions of section ----, the proceedings initiated vide the said notice are hereby concluded.	
Signature Name Designation	
Copy to - -	

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

जब कोई व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वह धारा 73 (9) या धारा 74 (6) या धारा 76 (3) के तहत खुद का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व FORM GST DRC-06 में हो सकता है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

FORM GST DRC - 06 [See rule 142(4)]		
Reply to the Show Cause Notice		
1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of Show Cause Notice	Reference No.	Date of issue
4. Financial Year		
5. Reply		
<< Text box >>		
6. Documents uploaded		
<< List of documents >>		
7. Option for personal hearing	Yes ☐	No ☐
8. Verification-		
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Signature of Authorized Signatory		
Name _____		
Designation / Status -----		
Date -		

जब आदेश जारी करना धारा 73 (9) या धारा 74 (9) या धारा 76 (3) के तहत सारांश में किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि यह FORM GST DRC-07 में हो। यह ब्याज, जुर्माना या कर का योग बताता है जो एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आदेश जारी करना एक रिकवरी नोटिस होगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC - 07

[See rule 142(5)]

Summary of the order

1. Details of order -

(a) Order no. (b) Order date (c) Tax period -

2. Issues involved - << drop down>>

classification, valuation, rate of tax, suppression of
turnover, excess ITC claimed, excess refund released,
place of supply, others (specify)

3. Description of goods / services -

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Amount deposited

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Signature
Name
Designation

जब एक उचित अधिकारी केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 161 के अनुपालन में आदेश को सही कर सकता है, तो यह उचित अधिकारी द्वारा FORM GST DRC-08 में किया जाएगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

FORM GST DRC - 08
[See rule 142(7)]

Reference No.: _____ Date: _____

Rectification of Order

Preamble - << Standard >> (Applicable for orders only)

Particulars of original order			
Tax period, if any			
Section under which order is passed			
Order no.		Date of issue	
Provision assessment order no., if any		Order date	
ARN, if applied for rectification		Date of ARN	

☐ Your application for rectification of the order referred to above has been found to be satisfactory;

☐ It has come to my notice that the above said order requires rectification;

☐ Reason for rectification -

<< text box >>

Details of demand, if any, after rectification

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

The aforesaid order is rectified in exercise of the powers conferred under section 161 as under:

<< text >>

To _____ (GSTIN/ID)

-----Name

----- (Address)

Copy to -

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

धारा 75 – कर निर्धारण के सम्बन्ध में सामान्य प्रावधान (Section 75: General Provision in Relation to Assessment of Tax)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75, कर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रावधानों से सम्बन्धित है।

जब अपीलीय अदालत धारा 73 (2) और धारा 73 (10) या धारा 74 (2) और धारा 74 (10) के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए, सार्वजनिक अधिकारी द्वारा नोटिस या आदेश जारी करने पर रोक लगाती है।

जब धारा 74 (1) के तहत वसीयत गलत होने या धोखाधड़ी से बचने या तथ्यों से बचने के लिए कर से बचने के लिए आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया था, जिसके खिलाफ अपीलीय न्यायालय या ट्रिब्यूनल में सार्वजनिक अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है और अदालत उन शुल्कों को धारा 73(1) के नोटिस के अंतर्गत हटा सकती है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

जब अपीलकर्ता कोर्ट या ट्रिब्यूनल किसी भी दिशा को पारित करता है और उस दिशा के सम्बन्ध में पारित करने के लिए एक आदेश की आवश्यकता होती है तो इस तरह का आदेश उस तारीख से दो साल के भीतर पारित किया जाएगा।

जब कोई प्रतिकूल निर्णय कर या दंड के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ सुनाया जाता है या जहां वह लिखित रूप में देता है, तो एक प्राधिकरण उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है। और अगर वह उचित अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है, तो उसकी सुनवाई स्थगित हो सकती है या उसे समय दिया जा सकता है।

जब कर, जुर्माना और ब्याज की राशि इस आदेश में उल्लिखित है, तो यह पूर्व सूचना में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, निर्णय या आदेश में आधार और नोटिस में आधार समान होना चाहिए।

यदि आदेश लघु/भुगतान नहीं किए गए कर में किसी भी ब्याज के बारे में बात नहीं करता है, तो करदाता अभी भी करें पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि अदालत एक न्यायिक निर्णय के साथ नहीं आता, तीन साल के तहत धारा 73 (10) या पांच साल के तहत धारा 74 (10) तो आगे बढ़ने से यह निष्कर्ष निकाला गया समझा जाएगा।

यदि अदालत ने धारा 73 या धारा 74 के तहत किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया है, तो उसी अधिनियम या चूक के लिए केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 के किसी प्रावधान के तहत उस व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

धारा 78 – रिकवरी की कार्यवाही कैसे शुरू की जाती है (Section 78: Recovery of Action to Start the Heart)

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2017 की धारा 78 में कोर्ट द्वारा आदेश के बाद कर का भुगतान नहीं करने के परिणामों के बारे में बात की गई है।

यदि किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और बाद में अदालत द्वारा उस व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, तो उस व्यक्ति को कर की पहली तारीख से तीन महीने के भीतर कर का भुगतान करना आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति तीन महीने के भीतर कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

धारा 78 का प्रावधान एक ऐसी स्थिति से सम्बन्धित है, जहाँ राजस्व की बिक्री में उचित अधिकारी को यह वांछनीय है कि व्यक्ति को उसके द्वारा निर्धारित तीन महीने से पहले कर का भुगतान करना चाहिए, फिर वह व्यक्ति को समय से पहले लिखित में उसके कारणों को दर्ज करने के बाद कर का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

धारा 79 – कर वसूली (Tax Recovery)

माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 79, कर की वसूली से सम्बन्धित प्रावधानों से सम्बन्धित है जब व्यक्ति सरकार को कर का भुगतान करने में विफल रहता है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

1. यदि कोई व्यक्ति सरकार को कर का भुगतान नहीं करता है, जिसे उसे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत भुगतान करना आवश्यक है, तो यह उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी तरीके से वसूल किया जाएगा –

- I. यदि उचित अधिकारी या कोई अन्य निर्दिष्ट अधिकारी उस धन को धारण कर रहा है जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चूककर्ता या अतिदेय के लिए अवैतनिक है, तो उचित अधिकारी द्वारा या किसी अन्य निर्दिष्ट अधिकारी को उस धन से कर की राशि काट लेंगे।
- II. यदि उचित अधिकारी या कोई अन्य निर्दिष्ट अधिकारी किसी माल के नियंत्रण में है, जो उस व्यक्ति से सम्बन्धित है, जिसे कर का भुगतान करना आवश्यक है, तो उस माल को उचित अधिकारी या किसी अन्य निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बेचा या हिरासत में लिया जा सकता है।
- III. यदि कुछ व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के पास उचित धन रखते हैं, तो उचित अधिकारी की तुलना में, उस व्यक्ति को कर के कारण सरकार द्वारा कर का भुगतान करने के लिए रखने की आवश्यकता हो सकती है, भले ही वह इस तथ्य के बावजूद कि धन के बराबर हो चाहे वह नियत कर के बराबर हो या उसके बराबर हो। एक व्यक्ति जिसे नोटिस पिछले नोटिस में जारी किया गया है वह नोटिस का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है, वह सरकार को देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि के सम्बन्ध में डिफॉल्टर माना जाएगा और उसे अधिनियम या केंद्रीय माल में निर्धारित परिणाम का पालन करना होगा। नोटिस जारी करने वाला उचित अधिकारी इसे रद्द कर सकता है या नोटिस में संशोधन कर सकता है या यहां तक कि वह नोटिस के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है। यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास करदाता के पैसे हैं डिफॉल्टर करदाताओं की ओर से कर, इसे सरकार द्वारा रसीद में उल्लिखित सीमा के कारण धन के सम्बन्ध में उस व्यक्ति द्वारा देयता से पर्याप्त और वैध निर्वहन के रूप में माना जाएगा। अभी, चूंकि धनराशि सरकार के खाते में जमा की गई है, इसलिए उसे करदाता को उसके देय धन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह खंड उस व्यक्ति को बनाता है, जिसे नोटिस जारी किया गया है, व्यक्तिगत रूप से उस सीमा तक उत्तरदायी है जिसके पास डिफॉल्टर

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

करदाता का पैसा है। यदि इस खंड के तहत जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है, वह उचित अधिकारी को साबित करता है और यदि उचित अधिकारी संतुष्ट है कि पैसा बकाया नहीं है या वह उस व्यक्ति के खिलाफ कोई धन नहीं रखता है, जो डिफॉल्टर करदाता है, तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा। सरकार उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी।

IV. उचित अधिकारी के पास इस धारा के तहत कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह चल या अचल हो, जबरदस्ती डिफॉल्टर करदाता से सम्बन्धित है, जब तक कि वह देय राशि का भुगतान नहीं करता है। सम्पत्ति के कुर्की या कब्जे के बाद भी, यदि भुगतान तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो सम्पत्ति प्राधिकरण द्वारा बिक्री हो सकती है। सम्पत्ति की बिक्री के बाद प्राप्त धन से कर देय होगा और किसी भी अतिरिक्त धन को करदाता को वापस प्रदान किया जाएगा।

V. उचित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के तहत एक प्रमाण पत्र भी तैयार कर सकता है और इसे जिले के कलेक्टर को भेज सकता है, जहाँ डिफॉल्ट करने वाले करदाता की सम्पत्ति उस व्यक्ति के कारण राशि निर्दिष्ट करती है और कलेक्टर उस व्यक्ति से राशि एकत्र करने के लिए स्थानांतरित करेगा जैसे कि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में।

VI. यदि मामले में, डिफॉल्टर उचित अधिकारी के अलावा अन्य अधिकार क्षेत्र में रहता है, तो उचित अधिकारी एक आवेदन दायर कर सकता है और इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और वह मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट राशि को वसूल करेगा जैसे कि राशि जुर्माने के रूप में जुर्माना के रूप में लगाया जाता है।

2. यदि सरकार को केंद्रीय माल और सेवा कर, 2017, या केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के तहत दिए जाने वाले कर, दंड या ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो वह अवैतनिक रहता है, तो संघ राज्य क्षेत्र कर या के उचित अधिकारी राज्य कर उन करदाताओं से उन बकाया को वसूल कर सकते हैं, जैसे कि वे बकाया केंद्र शासित प्रदेश कर या राज्य कर के हैं और फिर इसका श्रेय सरकार के खाते में जाता है।

3.7.3 नियम 143 — जब बकाया राशि में से रकम घटाकर टैक्स वसूला जाता है (Rule 143: When the Outstanding Amount of the Money Recovered by Reducing the Tax Charged)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 143 में उस वसूली प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जब सरकार द्वारा डिफॉल्टर करदाता से वसूले गए धन से कर की वसूली की जाती है।

FORM GST DRC – 09
[See rule 143]

To

Particulars of defaulter -

GSTIN –

Name -

Demand order no.:

Date:

Reference no. of recovery:

Date:

Period:

Order for recovery through specified officer under section 79

Whereas a sum of Rs. << ----->> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the <<SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act by the aforesaid person who has failed to make payment of such amount. The details of arrears are given in the table below:

(Amount in Rs.)

Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6
Integrated tax					
Central tax					
State/ UT tax					
Cess					
Total					

<< Remarks>>

You are, hereby, required under the provisions of section 79 of the <<SGST >> Act to recover the amount due from the << person >> as mentioned above.

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

जब एक डिफॉल्टर करदाता, जो सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, तब कर का भुगतान नहीं करता है, तो उचित अधिकारी निर्दिष्ट अधिकारी से, FORM GST DRC-09 में, उस धन से राशि निकालने के लिए कहेगा जो अवैतनिक है या नहीं धारा 79 (1) (क) के अनुपालन में ऐसे डिफॉल्टर व्यक्ति के खिलाफ।

निर्दिष्ट अधिकारी – निर्दिष्ट अधिकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय (प्राधिकरण) से सम्बन्धित सरकार का एक अधिकारी होता है। निर्दिष्ट अधिकारी निगम या एक बोर्ड या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र सरकार से सम्बन्धित सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले या आंशिक रूप से नियंत्रित कंपनी के अधिकारी हो सकते हैं।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

3.7.4 नियम 144 – नीलामी द्वारा कर की वसूली (Rule 144: Collection of Tax by Auction)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 144 में, उस स्थिति से सम्बन्धित है जहां उचित अधिकारी डिफॉल्टर व्यक्ति से कर वसूलने के लिए नीलामी द्वारा माल बेच सकता है।

जब कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो कर की राशि उस व्यक्ति के स्वामित्व वाले माल से वसूल की जाएगी। माल धारा 79 (1) (बी) के अनुपालन में बेचा जाएगा। उचित अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह बाजार मूल्य का अनुमान लगाए और बेचे जाने वाले आवश्यक सामानों की एक सूची बनाए और उस सामान को बेचने की प्रक्रिया शुरू करे जिसके माध्यम से खर्च किए गए व्यय के साथ कर राशि भी वसूल की जा सकें।

डिफॉल्टर करदाता से सम्बन्धित सामान नीलामी या ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। जब ई-नीलामी का तरीका अपनाया जाता है, तो FORM GST DRC-10 में एक नोटिस जारी किया जाता है, जो बिक्री करने के पीछे सम्पत्ति और उद्देश्य को प्रदर्शित करेगा। किसी भी स्थिति में, नीलामी की अन्तिम तिथि या बोली प्रस्तुत करने की तिथि नीलामी के लिए नोटिस जारी किए जाने के पंद्रह दिनों से पहले होगी।

यदि जिन वस्तुओं से कर की राशि वसूल की जानी आवश्यक है, वे खतरनाक प्रकृति की हैं और उस माल को बनाए रखने का खर्च उसके वास्तविक मूल्य से अधिक है तो उचित अधिकारी बिना किसी देरी के इसे बेच सकता है।

FORM GST DRC – 10
[See rule 144(2)]

Notice for Auction of Goods under section 79 (1) (b) of the Act

Demand order no.:
Period:

Date:

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs. and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

The sale will be by public auction and the goods shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The auction will be held on at.... AM/PM. In the event the entire amount due is paid before the date of auction, the sale will be stopped.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods shall be again put up for auction and resold.

Schedule

Serial No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Signature
Name
Designation

Place:
Date:

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

नीलामी में भाग लेने के उद्देश्य से पात्र होने के लिए सभी बोलीदाताओं को राशि का अनिवार्य जमा (प्री-बिड) करना होता है। यदि बोलीदाता माल प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो पूर्व-बोली जमा उन्हें वापस कर दी जाएगी। जहां एक सफल बोलीदाता जो नीलामी के बाद माल की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह जुर्माना के रूप में पूर्व-बोली जमा खो देगा।

जब कोई व्यक्ति नीलामी के माध्यम से माल प्राप्त करने में सफल होता है तो उस सफल बोलीदाता को FORM GST DRC-11 में नोटिस की आपूर्ति करने के लिए उचित अधिकारी का दायित्व होता है। वह उसे उस दिन से पंद्रह दिनों में माल का पूरा भुगतान करने के लिए कहेगा जब नीलामी आयोजित की गई थी। जब राशि पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की जाती है, तो उचित अधिकारी उसे सम्पत्ति हस्तान्तरित करेगा और एक प्रमाण पत्र फॉर्म जीएसटी डीआरसी – 12 में जारी किया जाएगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC – 11 [See rule 144(5) & 147(12)]

Notice to successful bidder

To,

Please refer to Public Auction Reference no. _____ dated _____. On the basis of auction conducted on _____, you have been found to be a successful bidder in the instant case.

You are hereby, required to make payment of Rs. _____ within a period of 15 days from the date of auction.

The possession of the goods shall be transferred to you after you have made the full payment of the bid amount.

Signature
Name
Designation

Place:

Date:

जहां डिफॉल्टर कर की वसूली के दौरान लगने वाली राशि सहित कर की सभी वसूली राशि का भुगतान करता है, तो उचित अधिकारी माल को जारी करने का आदेश देगा और वह नीलामी का संचालन नहीं करेगा।

यदि उचित अधिकारी को कोई बोली प्राप्त नहीं होगी, तो वह नीलामी का फिर से संचालन करेगा या बोली या कम भागीदारी के कारण नीलामी को गैर-प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

FORM GST DRC - 12
[See rule 144(5) & 147(12)]

Sale Certificate

Demand order no.:
References no. of recovery:
Period:

Date:
Date:

This is to certify that the following goods:

Schedule (Movable Goods)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable Goods)

Building No./ Flat No.	Floor No.	Name of the Premises/ Building	Road/ Street	Locality/ Village	District	State	PIN Code	Latitude (optional)	Longitude (optional)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity	Value
1	2	3	4

have been sold toatin public auction of the goods held for recovery of rupees in accordance with the provisions of section 79(1)(b)(d) of the <<SGST/UTGST/CGST/IGST/CESS>> Act and rules made thereunder on and the said (Purchaser) has been declared to be the purchaser of the said goods at the time of sale. The sale price of the said goods was received on The sale was confirmed on

Signature
Name
Designation

Place:
Date:

Place:
Date:

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

3.7.5 नियम 145 – तीसरे व्यक्ति से कर की वसूली (Rule 145: Recovery of Tax from Third Person)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 का नियम 145 उस स्थिति से सम्बन्धित है, जहां उचित अधिकारी तीसरे व्यक्ति से कर वसूलते हैं। तीसरा व्यक्ति डिफॉल्टर की ओर से कर का भुगतान करेगा।

फार्म जीएसटी डीआरसी-13 में एक नोटिस धारा 79 (1) (सी) के तहत तीसरे व्यक्ति को उचित अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो उसे नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC - 13

[See rule 145(1)]

Notice to a third person under section 79(1) (c)

To
The _____

Particulars of defaulter -

GSTIN -

Name -

Demand order no.:

Date:

Reference no. of recovery:

Date:

Period:

Whereas a sum of Rs. <<----->> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the <<SGST/UTGST/CGST/IGST>> Act by <<Name of Taxable person>> holding <<GSTIN>> who has failed to make payment of such amount; and/or

It is observed that a sum of rupees ----- is due or may become due to the said taxable person from you; or

It is observed that you hold or are likely to hold a sum of rupees ----- for or on account of the said person.

You are hereby directed to pay a sum of rupees ----- to the Government forthwith or upon the money becoming due or being held in compliance of the provisions contained in clause (c)(i) of sub-section (1) of section 79 of the Act.

Please note that any payment made by you in compliance of this notice will be deemed under section 79 of the Act to have been made under the authority of the said taxable person and the certificate from the government in **FORM GST DRC - 14** will constitute a good and sufficient discharge of your liability to such person to the extent of the amount specified in the certificate.

Also, please note that if you discharge any liability to the said taxable person after receipt of this notice, you will be personally liable to the State / Central Government under section 79 of the Act to the extent of the liability discharged, or to the extent of the liability of the taxable person for tax, cess, interest and penalty, whichever is less.

Please note that, in case you fail to make payment in pursuance of this notice, you shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and consequences of the Act or the rules made thereunder shall follow.

Signature
Name
Designation

Place:
Date:

तीसरे व्यक्ति द्वारा नोटिस में उल्लिखित राशि के भुगतान के बाद, जिसे उचित अधिकारी द्वारा उसे दिया जाता है, उसे FORM GST DRC-14 में उचित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो जिम्मेदारी का विवरण देगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

FORM GST DRC - 14
[See rule 145(2)]

Certificate of Payment to a Third Person

In response to the notice issued to you in **FORM GST DRC-13** bearing reference no. _____ dated _____, you have discharged your liability by making a payment of Rs. _____ for the defaulter named below:

GSTIN –
 Name -
 Demand order no.: _____ Date: _____
 Reference no. of recovery: _____ Date: _____
 Period: _____

This certificate will constitute a good and sufficient discharge of your liability to above mentioned defaulter to the extent of the amount specified in the certificate.

Signature
 Name
 Designation

Place:
 Date:

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
 सेवा कर अधिनियम:
 लेखों एवं अभिलेखों का
 रखरखाव
टिप्पणी

3.7.6 नियम 146 – कर की वसूली के लिए डिक्री का निष्पादन (Rule 146: Recovery by Execution of Decree)

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल, 2017 के नियम 146 में टैक्स वसूलने के लिए सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है।

जबकि चार्ज या गिरवी को लागू करने के लिए पैसे की बिक्री या भुगतान के लिए डिक्री का निष्पादन यदि डिफॉल्टर को इसके माध्यम से धन प्राप्त होता है तो उचित अधिकारी द्वारा FORM GST DRC-15 में एक अनुरोध अदालत में भेजा जाएगा।

स्व-अधिगम
 पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC-15 [See rule 146]		
APPLICATION BEFORE THE CIVIL COURT REQUESTING EXECUTION FOR A DECREE		
To The Magistrate /Judge of the Court of		
.....		
Demand order no.:	Date:	Period
Sir/Ma'am,		
This is to inform you that as per the decree obtained in your Court on the day of 20..... by(name of defaulter) in Suit No. of 20..., a sum of rupees ----- is payable to the said person. However, the said person is liable to pay a sum of rupees ----- under the provisions of the << SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act vide order number ----- dated -----.		
You are requested to execute the decree and credit the net proceeds for settlement of the outstanding recoverable amount as mentioned above.		
Place: Date:		
Proper Officer/ Specified Officer		

3.7.7 नियम 147 – कर की वसूली के लिए चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की (Rule 147: Recovery by Attachment of Running or Immovable Property)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 147 में डिफॉल्टर से कर की वसूली के साथ-साथ उससे जुड़ी अचल और चल सम्पत्ति कुर्क की जाती है।

डिफॉल्टर से सम्बन्धित सम्पत्ति की कुर्की या जब्ती होगी, उचित अधिकारी द्वारा डिफॉल्टर की अचल और चल सम्पत्ति बताते हुए एक सूची बनाई जाएगी। एक उचित अधिकारी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा और इसे जब्त या संलग्न करने का आदेश देगा। वह FORM GST DRC-16 में एक नोटिस पारित करेगा। बिक्री की सूचना उस अचल और चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा देगी जो देय राशि की वसूली के लिए आवश्यक है।

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियम, 2017 के नियम 151 में उन सम्पत्तियों के अटैचमेंट के तरीके का वर्णन किया गया है, जो किसी भी निगम,

स्क-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियमः
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

जब सम्पत्ति जो इस धारा के तहत संलग्न या जब्त की जाती है वह है –

1. अचल सम्पत्ति, तब न्यायालय के आदेश या निर्णय को अचल सम्पत्ति बिक्री की पुष्टि होने तक चिपका दिया जाएगा;

2. एक चल सम्पत्ति, फिर सम्पत्ति को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय XIV के प्रावधानों के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उसके द्वारा अधिकृत उचित अधिकारी या अन्य अधिकारी उस चल सम्पत्ति को कब्जे में ले लेंगे।

डिफॉल्टर करदाता से सम्बन्धित सामान नीलामी या ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। जब ई-नीलामी का तरीका अपनाया जाता है, तो FORM GST DRC-17 में एक नोटिस जारी किया जाता है, जो बिक्री करने के पीछे सम्पत्ति और उद्देश्य को प्रदर्शित करेगा।

यदि वसूली की राशि उत्पन्न करने के लिए जिस सम्पत्ति को बेचा जाना आवश्यक है, वह परक्राम्य लिखत या निगम का हिस्सा है, तो सार्वजनिक अधिकारी इसे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचने के बजाय इसे बेचने के लिए दलाल को देता है। ब्रोकर इसे बेच देगा और ऐसी बिक्री के माध्यम से उत्पन्न राशि का भुगतान सरकार को अपने कमीशन लेने के बाद कर की राशि का विस्तार करने के लिए करेगा। कर की वसूली और उसके कमीशन को राशि से कम करने के बाद, दलाल शेष राशि को साधन के मालिक को सौंप देगा।

नीलामी में भाग लेने के उद्देश्य से पात्र होने के लिए सभी बोलीदाताओं को राशि का अनिवार्य जमा (प्री-बिड) करना होता है। यदि बोलीदाता माल प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो पूर्व-बोली जमा उन्हें वापस कर दी जाएगी। जहां एक सफल बोलीदाता जो नीलामी के बाद माल की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह जुर्माना के रूप में पूर्व-बोली जमा खो देगा।

किसी भी स्थिति में, नीलामी की अन्तिम तिथि या बोली जमा करने की तारीख उस तारीख से पंद्रह दिन पहले होगी जब नोटिस नीलामी के उद्देश्य से जारी किया गया था। यदि जिन वस्तुओं से कर की राशि वसूल की जानी आवश्यक है, वे खतरनाक और खतरनाक प्रकृति की हैं और उस माल को बनाए रखने का खर्च उसके वास्तविक मूल्य से अधिक है तो उचित अधिकारी बिना किसी देरी के इसे बेच सकता है।

जब कोई व्यक्ति नीलामी के माध्यम से माल प्राप्त करने में सफल होता है तो उस सफल बोलीदाता को FORM GST DRC-11 में नोटिस की आपूर्ति करना उचित अधिकारी का दायित्व है। वह उसे उस दिन से पंद्रह दिनों में माल का पूरा भुगतान करने के लिए कहेगा जब नीलामी आयोजित की गई थी। जब राशि पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की जाती है, तो उचित अधिकारी उसे सम्पत्ति हस्तान्तरित करेगा और एक प्रमाण पत्र फॉर्म जीएसटी डीआरसी - 12 में जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र में सम्पत्ति के बारे में विवरण, बोली लगाने वाले के बारे में विवरण, जिस पर सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है, एक राशि का भुगतान किया जाता है और प्रमाणपत्र जारी करने के बाद अधिकार, ब्याज और शीर्षक जारी किया जाता है, जो सम्पत्ति में बोली लगाने वाले को हस्तान्तरित किया जाता है।

यदि मामले में, दो उच्चतम बोलीदाता हैं, जिनमें से एक सम्पत्ति का सह-मालिक है, तो सम्पत्ति उसे स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

जिस व्यक्ति को सम्पत्ति हस्तांतरित की जाती है, वह सरकार को एक राशि का भुगतान करेगा, जिसमें सम्पत्ति हस्तांतरण से सम्बन्धित कर, स्टाम्प शुल्क और शुल्क शामिल होंगे।

जहां डिफॉल्टर कर की वसूली के दौरान लगने वाली राशि सहित कर की सभी वसूली राशि का भुगतान करता है, तो उचित अधिकारी माल को जारी करने का आदेश देगा और वह नीलामी का संचालन नहीं करेगा।

यदि उचित अधिकारी को कोई बोली प्राप्त नहीं होगी, तो वह नीलामी का फिर से संचालन करेगा या बोली या कम भागीदारी के कारण नीलामी को गैर-प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है।

3.7.8 नियम 155 – कलेक्टर द्वारा कर की वसूली, आदि

(Rule 155: Recovery of Tax, etc. by the Collector)

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियम, 2017 के नियम 155, कलेक्टर, उपायुक्त या अन्य अधिकारियों द्वारा डिफॉल्टर से कर की वसूली की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

जिला या अन्य अधिकारियों के कलेक्टर या उपायुक्त करदाता से कर राशि की वसूली तब करेंगे जब उचित अधिकारी उन्हें FORM GST DRC-18 में एक प्रमाण पत्र जारी करके अधिकृत करेगा। यह नियम तब लागू किया जाता है जब कर की राशि धारा 79 (1) (ई) के अनुसार वसूल की जानी चाहिए। कलेक्टर या उपायुक्त डिफॉल्टर से एक प्रमाण पत्र में उल्लिखित राशि को वसूल करेंगे, जैसे कि भूमि राजस्व का बकाया।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

FORM GST DRC – 18 [See rule 155]	
To	
Name & Address of District Collector	
.....	
Demand order no.:	Date:
Reference number of recovery:	Date:
Period:	
Certificate action under clause (e) of sub-section (1) section 79	
I..... do hereby certify that a sum of Rs..... has been demanded from and is payable by M/s..... holding GSTINunder <<SGST/CGST/IGST/UTGST/CESS>> Act, but has not been paid and cannot be recovered from the said defaulter in the manner provided under the Act.	
<< demand details >>	
The said GSTIN holder owns property/resides/carries on business in your jurisdiction the particulars of which are given hereunder: -	
<<Description>>	
You are requested to take early steps to realise the sum of rupees ----- from the said defaulter as if it were an arrear of land revenue.	
Place:	Signature
Date:	Name
	Designation

3.7.9 नियम 156 – एक आपराधिक अदालत द्वारा वसूली (Rule 156: Recovery by a Criminal Court)

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 156 उस परिदृश्य से सम्बन्धित है, जहां एक उचित अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के माध्यम से कर वसूलने के लिए मजिस्ट्रेट पर देयता लगाएगा।

जब यह माना जाता है कि नियत कर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के माध्यम से जुर्माना या जुर्माना के रूप में एकत्र किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उचित अधिकारी द्वारा उसे दिए गए आवेदन के अनुपालन में काम करेगा। उचित अधिकारी द्वारा इस ओर किया गया एक आवेदन FORM GST DRC-19 में होगा। एक आवेदन प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट राशि की वसूली करेगा जैसे कि यह डिफॉल्टर पर उसके द्वारा लगाया गया एक अच्छा जुर्माना था।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

FORM GST DRC – 19
[See rule 156]

To,

Magistrate,

<<Name and Address of the Court>>

Demand order no.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

Application to the Magistrate for Recovery as Fine

A sum of Rs. << ----- >> is recoverable from <<Name of taxable person>> holding <<GSTIN>> on account of tax, interest and penalty payable under the provisions of the Act. You are requested to kindly recover such amount in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 of the Act as if it were a fine imposed by a Magistrate.

Details of Amount				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others				
Total				

Signature

Name

Designation

Place:

Date:

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

3.7.10 नियम 157 – जमानत से वसूली (Rule 157: Recovery from Surety)

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल, 2017 के नियम 157 के अनुसार, जब कोई अन्य व्यक्ति डिफॉल्टर के कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि किसी व्यक्ति को डिफॉल्टर की देय राशि के लिए जमानत दी गई है, तो इस अध्याय के तहत सभी कार्यवाही उसके खिलाफ शुरू की जाएगी जैसे कि उसने कर का भुगतान नहीं किया है।

धारा 77 – टैक्स जो गलत तरीके से इकट्ठा किया जाता है और जिसका भुगतान केंद्र या राज्य सरकार को किया जाता है

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2017 की धारा 77, उन करों से सम्बन्धित है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खाते में गलत तरीके से जमा किए जाते हैं।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति केंद्रीय कर और राज्य कर का भुगतान करता है या यदि वह केंद्रीय कर और केंद्र शासित प्रदेश कर का भुगतान करता है, तो उसे अन्तर-राज्यीय लेनदेन माना जाता है, लेकिन यह एक अन्तर-राज्यीय लेनदेन है, जो उसके द्वारा चुकाए गए कर की राशि से वापस किया जाएगा।

अब, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति अन्तर-राज्य लेनदेन को देखते हुए एकीकृत कर का भुगतान करता है, लेकिन जो उस व्यक्ति की तुलना में इंटर-स्टेट लेनदेन है, वह राज्य कर और केंद्रीय कर या संघ की राशि का भुगतान करने के लिए टेरिटरी टैक्स और सेंट्रल टैक्स उत्तरदायी नहीं है।

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान	वास्तविक लेन-देन	क्या है रिफंड?	अगर कोई दिलचस्पी है?
राज्य कर और केंद्रीय कर का भुगतान या संघ राज्य कर और केंद्रीय कर का भुगतान, लेन-देन को अन्तर-राज्य आपूर्ति माना जाता है	जहाँ एक वास्तविक लेनदेन एक अन्तर-राज्य आपूर्ति है	केंद्रीय कर और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 77 (1) के तहत राज्य कर और केंद्रीय कर या संघ कर या केंद्रीय क्षेत्र कर का रिफंड।	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 19 (2) के तहत एकीकृत कर भुगतान में कोई रुचि नहीं होगी।
अन्तर-राज्यीय आपूर्ति होने के लिए लेनदेन को देखते हुए एकीकृत कर का भुगतान	जहाँ एक वास्तविक लेन-देन एक अन्तर-राज्य आपूर्ति है	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 19 (1) के तहत एकीकृत कर का रिफंड।	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 77 (2) के तहत केंद्रीय/ राज्य कर और संघ/केंद्रीय कर पर कोई ब्याज नहीं होगा।

धारा 54 – कर वापसी

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54, रिफंड ऑफ टैक्स की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

यदि कोई व्यक्ति सरकार से किसी भी ब्याज और कर की वापसी का दावा करता है, तो वह उस फॉर्म के तहत निर्धारित तिथि से दो साल के भीतर प्राधिकरण को एक आवेदन लिख सकता है।

धारा 80 – मासिक किस्तों में कर भुगतान और अन्य राशि का भुगतान (Section 80: Monthly Installments in Tax Payments and Other Funds to Pay)

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 80, मासिक किस्तों के मोड का उपयोग करके कर के भुगतान से सम्बन्धित है।

यदि कोई व्यक्ति, जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, कर का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आयुक्त को एक आवेदन दायर करता

है या उसे कर या किसी देय राशि का भुगतान इस अधिनियम के तहत मासिक किस्तों में करने की अनुमति देता है, तो आयुक्त अनुमति दे सकता है।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 121 (डी) उन निर्णयों और आदेशों से सम्बन्धित है जो अपील योग्य नहीं हैं। आयोग के निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है जहां वह किस्तों में कर के भुगतान की अनुमति नहीं देता है या जहां वह कम किस्तों में कर के भुगतान की अनुमति देता है।

3.7.11 नियम 158 – मासिक किस्तों में कर भुगतान और अन्य राशि का भुगतान (Rule 158: Monthly Installments in Tax Payments and Other Funds to Pay)

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल, 2017 के नियम 158, देर से कर भुगतान करने के लिए अनुरोध के लिए या FORM GST DRC-20 में किस्तों के माध्यम से भुगतान करने का अनुरोध करता है।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

FORM GST DRC – 20 [See rule 158(1)]				
Application for Deferred Payment/ Payment in Instalments				
1. Name of the taxable person-				
2. GSTIN -				
3. Period _____				
In accordance with the provisions of section 80 of the Act, I request you to allow me extension of time upto ----- for payment of tax/ other dues or to allow me to pay such tax/other dues in -----instalments for reasons stated below:				
Demand ID				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others				
Total				
Reasons: -				
				Upload Document
Verification				
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.				
Signature of Authorized Signatory _____				
Name _____				
Place -				
Date -				

जब वह व्यक्ति जो किस्तों में कर का भुगतान करना चाहता है, तो मासिक भुगतानों में करों का भुगतान करने के लिए या कर का भुगतान करने की अवधि

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

के विस्तार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इस फॉर्म को फाइल करता है, आयुक्त न्यायिक अधिकारी से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। उस व्यक्ति की वित्तीय क्षमता, जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

जब आयुक्त उस व्यक्ति के अनुरोध पर विचार करेगा जो न्यायिक अधिकारी से रिपोर्ट लेने के बाद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो आयुक्त करदाता को मासिक किस्तों में कर का भुगतान करने और चौबीस किस्तों से अधिक का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है या उसे आगे प्रदान कर सकता है। कर का भुगतान करने का समय। आयुक्त फार्म जीएसटी डीआरसी-21 में एक आदेश जारी करके इसकी अनुमति दे सकते हैं:

FORM GST DRC - 21 <i>[See rule 158(2)]</i>	
Reference No << --- >>	<< Date >>
To	
GSTIN -----	
Name -----	
Address -----	
Demand Order No.	Date:
Reference number of recovery:	Date:
Period -	
Application Reference No. (ARN) -	Date -
 Order for acceptance/rejection of application for deferred payment / payment in instalments 	
This has reference to your above referred application, filed under section 80 of the Act. Your application for deferred payment / payment of tax/other dues in instalments has been examined and in this connection, you are allowed to pay tax and other dues by ----- (date) or in this connection you are allowed to pay the tax and other dues amounting to rupees ----- in ----- monthly instalments.	
OR	
This has reference to your above referred application, filed under section 80 of the Act. Your application for deferred payment / payment of tax/other dues in instalments has been examined and it has not been found possible to accede to your request for the following reasons:	
Reasons for rejection	
Place:	Signature Name Designation

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

जब देर से भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है –

1. जब करदाता इस अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा अधिनियम, 2017 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत राशि का भुगतान करने में पहले से ही चूक कर चुके हैं और इसके तहत कार्यवाही चल रही है।
2. जब इस अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा अधिनियम, 2017 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत किश्तों में कर का भुगतान करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।
3. पच्चीस हजार रुपये से कम में किश्तों में भुगतान करने के लिए अनुरोध।

धारा 81: जब सम्पत्ति का हस्तान्तरण शून्य माना जाता है

(Section 81: When the Property of the Transfer is Termed as Zero)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 81, से सम्बन्धित है –

यदि सरकार के राजस्व को ठगने के इरादे से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को बिक्री, विनिमय, बंधक या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करता है या सम्पत्ति पर शुल्क बनाता है, तो सम्पत्ति के किसी भी तरीके या सृजन द्वारा सम्पत्ति के हस्तांतरण को उस व्यक्ति द्वारा देय कर के सम्बन्ध में दावे के विरुद्ध माना जाएगा।

अपवाद – जब सम्पत्ति के हस्तांतरण और प्रभार का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है, तो इसे शून्य नहीं माना जाएगा –

1. नेक नीयत
2. कार्यवाही की पेंडेंसी के ज्ञान के बिना।
3. जब पिछली अनुमति उचित अधिकारी से ली गई हो।
4. बिना किसी ज्ञान के कि कर चुकाने के लिए उस पर देनदारी लगाई गई है।

धारा 82 – सम्पत्ति पर कर लगाया जाना (Section 82: Property to be Put to Tax)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 82 कहती है कि—

जब किसी व्यक्ति को सरकार को कर, जुर्माना या ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो यह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की सम्पत्ति पर पहला शुल्क होगा। इस धारा में कुछ भी **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016** में दिए गए प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

धारा 83 – सम्पत्ति के लिए अनंतिम अनुलग्नक (Section 83: Property and for Provisional Attachment)

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83, सम्पत्ति के अनुलग्नक के साथ अनंतिम रूप से सम्बन्धित है।

यदि आयुक्त की राय है कि सरकारी राजस्व के हितों की रक्षा के लिए करदाता की सम्पत्ति को बैंक खातों सहित अनंतिम रूप से संलग्न किया जाना चाहिए, तो वह सम्पत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न करने के लिए लिखित में आदेश दे सकता है। यह आदेश आयुक्त द्वारा दिया जाएगा जब धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के तहत कार्यवाही लंबित है।

3.7.12 नियम 159 – अस्थायी रूप से सम्पत्ति की कुर्की (Rule 159: Property Temporarily Attachment)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 159 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 के साथ पढ़ा जाता है।

जब आयुक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 के तहत बैंक खाते सहित अनंतिम रूप से करदाता की सम्पत्ति संलग्न करता है, तो वह सम्पत्ति के सभी विवरणों का उल्लेख करेगा और FORM GST DRC-22 में एक निर्णय पारित करेगा:

FORM GST DRC - 22 [See rule 159(1)]	
Reference No.:	Date:
To	
----- Name	
----- Address	
(Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority)	
Provisional attachment of property under section 83	
It is to inform that M/s ----- (name) having principal place of business at -- ----- (address) bearing registration number as ----- (GSTIN/ID), PAN ----- is a registered taxable person under the <<SGST/CGST>> Act. Proceedings have been launched against the aforesaid taxable person under section << --->> of the said Act to determine the tax or any other amount due from the said person. As per information available with the department, it has come to my notice that the said person has a -	
<<saving / current / FD/RD / depository >>account in your << bank/post office/financial institution>> having account no. << A/c no. >>;	
or	
property located at << property ID & location>>.	
In order to protect the interests of revenue and in exercise of the powers conferred under section 83 of the Act, I ----- (name), ----- (designation), hereby provisionally attach the aforesaid account / property.	
No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department.	
or	
The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission of this department.	
Signature Name Designation	
Copy to --	

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

जब कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति संलग्न सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करता है या वह राशि जिसे उसे भुगतान करने की आवश्यकता होती है और जो सम्पत्ति संलग्न है वह खतरनाक या खराब प्रकृति की है, तो सम्पत्ति को जारी करने का आदेश FORM GST DRC - 23 में होगा।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

FORM GST DRC - 23	
[See rule 159(3), 159(5) & 159(6)]	
Reference No.:	Date:
To	
----- Name	
----- Address	
(Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority)	
Order reference No. -	Date -
Restoration of provisionally attached property / bank account under section 83 Please refer to the attachment of << saving / current / FD/RD>> account in your << bank/post office/financial institution>> having account no. << ----- >>, attached vide above referred order, to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said accounts. Therefore, the said account may now be restored to the person concerned. or Please refer to the attachment of property << ID /Locality>> attached vide above referred order to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said property. Therefore, the said property may be restored to the person concerned.	
Signature Name Designation	
Copy to -	

यदि संलग्न सम्पत्ति खतरनाक या विनाशकारी प्रकृति की है और व्यक्ति कर, जुर्माना और ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आयुक्त सम्पत्ति का निपटान करने का आदेश देगा और बरामद की गई राशि को कर, दंड और ब्याज में समायोजित किया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति कुर्की के आदेश से असंतुष्ट है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है कि सम्पत्ति अटैच नहीं की गई है। कमिश्नर द्वारा उसे सुनाई जाने का अवसर प्रदान करने के बाद वह ऐसी सम्पत्ति जारी कर सकता है। इस तरह के रिलीज का आदेश FORM GST DRC-23 में हो सकता है।

यदि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि सम्पत्ति को अटैचमेंट से मुक्त किया जाना चाहिए, तो वह फार्म जीएसटी डीआरसी-23 में यह आदेश देगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

धारा 84 – अपील, संशोधन आदि में कर की वृद्धि और कमी।

(Section 84: Tax Increase or Decrease in Appeal Revision, etc.)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 84 उन मामलों से निपटती है, जिन पर सरकार का बकाया है

जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या सरकारी देय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को डिमांड नोटिस दिया जाता है, और आदेश संशोधन या अपील आदि में दायर किया जाता है, तो ऐसे मामले में –

1. जब सरकार द्वारा संशोधन, अपील, आदि बकाया राशि में वृद्धि की गई है, तो आयुक्त उस व्यक्ति को मांग का एक और नोटिस देगा जो कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक है। मांग की इस तरह की नोटिस में वृद्धि हुई सरकार की बकाया राशि या वसूली की कार्यवाही उस चरण से फिर से शुरू हो जाएगी, जहां संशोधन, अपील और अन्य कार्यवाही के निपटान से पहले इसे रोक दिया गया था। और बढ़ी हुई राशि के सम्बन्ध में मांग का कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
2. यदि किसी संशोधन, अपील या अन्य कार्यवाही में, सरकार पर बकाया घटाया जाता है, तो –
 - (अ) कमिश्नर करदाता को मांग का कोई नया नोटिस नहीं देंगे।
 - (ब) करदाता और अन्य अधिकारियों को सूचित करने के लिए आयुक्त कर्तव्य-बद्ध है कि कार्यवाही में राशि कम हो।
 - (स) यदि संशोधन की कार्यवाही से पहले करदाता को दी गई मांग की सूचना के कारण कोई वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है, तो अपील या किसी अन्य को निपटा दिया गया है, तो ऐसी वसूली की कार्यवाही उस राशि के विरुद्ध की जा सकती है।

3.7.13 निष्कर्ष (Conclusions)

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत मांग और वसूली सरकार द्वारा कर राशि की भरपाई के बारे में पूरी तरह से बात करती है जब कोई भी व्यक्ति माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान जान-बूझकर या बिना इरादे से करता है। सरकार हर डिफॉल्टर को कम वेतन या भुगतान न किए जाने की स्थिति में भुगतान करने का समय देती है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस डिफॉल्टर के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

10. CGST अधिनियम 2017 में इनपुट क्रेडिट का गलत उपयोग करने की दशा में कौन सी धारा लगाई जाती है?
- (क) धारा 71 (ख) धारा 72
- (ग) धारा 73 (घ) धारा 74
11. डिफाल्टर व्यक्ति से नीलामी द्वारा कर वसूली केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के किन नियम के अंतर्गत वसूली की जाती है?
- (क) नियम 144 (ख) नियम 148
- (ग) नियम 142 (घ) नियम 145

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

3.8 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान (Various Provisions under GST)

1. अनुपालन रेटिंग (Compliance Rating)

“अनुपालन रेटिंग” की नई अवधारणा को जीएसटी अधिनियम में पेश किया जाएगा। **मॉडल जीएसटी कानून की धारा 116** में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के आधार पर प्रत्येक करदाता की अनुपालन रेटिंग होगी। यह रेटिंग समय-समय पर अद्यतन की जाएगी और सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित की जाएगी। इस रेटिंग के सटीक मापदंडों को नियमों में प्रदान किया जाएगा।

जीएसटीएन को मापदंडों के आधार पर रेटिंग तय करने, उसके आवधिक अद्यतन और अद्यतन सूची के प्रकाशन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उच्च श्रेणी के कर योग्य व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार मिल सकते हैं। जबकि, जैसा कि रेटिंग को सार्वजनिक किया जाएगा, कम रेटेड कर योग्य व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो सकता है। “अनुपालन रेटिंग” की अवधारणा का इरादा कर योग्य व्यक्तियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है।

2. सूचना वापसी (Information Return)

जीएसटी में, प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को मासिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा। केवल उन मामलों में, जहां उन्होंने कम्पाउंडिंग स्कीम का विकल्प चुना है, रिटर्न फाइलिंग पीरियडिसिटी तिमाही होगी। **मॉडल जीएसटी अधिनियम की धारा 45** में रिटर्न की जांच और ऑडिट के लिए धारा 49 का प्रावधान है। जांच या ऑडिट का एकमात्र उद्देश्य उचित कर देयता का पता लगाना और कर-भुगतानकर्ता द्वारा बदले में स्वीकार किए गए स्व-मूल्यांकन किए गए कर की शुद्धता को सत्यापित करना है। उपयुक्त कर का पता लगाने के उद्देश्य से, अन्य प्राधिकारियों या एजेंसियों के साथ कर-चुकाने वाले की बाहरी जानकारी हमेशा मददगार साबित होती है। मॉडल जीएसटी कानून की धारा 117 एक कर योग्य

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

व्यक्ति, कुछ सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारियों, बैंकों और अन्य एजेंसियों द्वारा "सूचना रिटर्न" दाखिल करने का प्रावधान है। विशेष रूप से राज्य के वैट अधिकारियों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर अधिकारियों, आयकर अधिकारियों, बैंकिंग कंपनियों, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंजों, जीएसटीएन, आदि को आवधिकता के अनुसार और नियमों में दिए गए प्रारूप में सूचना रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी। कई कराधान कृत्यों के प्रशासन में ऐसी प्रथा प्रचलित है। उदाहरण के लिए आयकर विभाग बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पोस्ट-मास्टर्स आदि से वार्षिक सूचना विवरणी (फॉर्म नंबर 61 ए) मांगता है, विभिन्न ऐसी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी का उपयोग लेखा परीक्षा के मामलों के चयन के लिए किया जा सकता है और आगे के लिए उपयोगी हो सकता है।

3. आंकड़े एकत्र करने की शक्ति और उसका प्रकटीकरण (Data

Gathering Power and Its Disclosure)

कराधान कानूनों के उचित प्रशासन के लिए, सम्बन्धित आंकड़ों की जानकारी कर-प्रशासन के पास उपलब्ध होनी चाहिए। **मॉडल जीएसटी लॉ के सेक्शन 119** में विभिन्न एजेंसियों, संगठनों, व्यक्तियों आदि से आंकड़े एकत्र करने के लिए सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी या स्टेट जीएसटी कानूनों का संचालन करने वाले बोर्ड या आयुक्त शामिल हैं।

बोर्ड या आयुक्त पहले उन मामलों को अधिसूचित करेंगे, जिनके लिए आंकड़ों का संग्रहण आवश्यक है। बोर्ड द्वारा आयुक्त को ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रारूप, विवरण और अन्तराल प्रदान किया जाएगा।

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 120 बोर्ड/आयुक्तों पर धारा 119 के तहत एकत्रित जानकारी के प्रकटीकरण के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबंधों के लिए प्रदान करता है। बोर्ड या आयुक्त किसी भी व्यक्ति या कर योग्य व्यक्ति से सम्बन्धित किसी भी जानकारी का खुलासा उसकी सहमति के बिना रोक दिया जाता है। यह प्रतिबंध प्रमुख महत्व का है क्योंकि उपलब्ध कराई गई जानकारी में ऐसे विवरण शामिल हो सकते हैं जो सार्वजनिक किए जाने पर उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कर प्राधिकरण को प्रदान की गई जानकारी को विवादास्पद सम्बन्धों में प्रदान किया जा सकता है और इसलिए विश्वास की आवश्यकता होती है। सूचना प्रदाता के इस भरोसे और विश्वास की रक्षा के लिए, बोर्ड या आयुक्त को उसकी सहमति के बिना जानकारी का खुलासा करने के लिए रोक दिया जाता है। अनुभाग कर-प्रशासन अधिकारियों को इस तरह की जानकारी के सीमित उपयोग के लिए प्रदान करता है और इस तरह की जानकारी के विलक्षण प्रकटीकरण के लिए जुर्माना और कारावास प्रदान करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि, सार्वजनिक हित में या कई अन्य कारणों से, कभी-कभी कर व्यवस्थापकों को किसी विशेष व्यवसाय की प्रवृत्ति, विकास और राजस्व संग्रह आदि के सम्बन्ध में कुछ व्यापार और उद्योग के विश्लेषण का खुलासा करना आवश्यक होता है, इसलिए, अनुभाग भी समाप्त हो जाता है।

4. नमूने की माल की खरीद और परीक्षण (Purchase and Testing of Goods of Samples)

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

जीएसटी एक खाता आधारित कराधान प्रणाली है। आवक और जावक आपूर्ति के रिकॉर्ड के आधार पर आवधिक रिटर्न, प्रत्येक करदाता द्वारा भरा जाना आवश्यक है। इस रिटर्न को मॉडल जीएसटी कानून की धारा 44 के अनुसार स्व-मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। इस प्रकार कर की आत्म-जांच और आगे की लेखा परीक्षा, मूल्यांकन, संशोधन आदि पूरी तरह से खातों में कर-चालान की सटीक रिकॉर्डिंग पर निर्भर करते हैं। करदाता द्वारा कर-अनुपालन बढ़ाने के लिए जीएसटी में इस रिकॉर्डिंग की एक परीक्षण-परिकल्पना की गई है। धारा 121 में कर-प्राधिकारियों द्वारा माल की खरीद-फरोख्त का प्रावधान है। यह कर-अधिकारियों को यह जांचने में मदद करेगा कि क्या कर-भुगतानकर्ता चालान के तहत शामिल है या खातों की किताबों में इनवॉइस का लेखा-जोखा शामिल नहीं है, आदि। यह शक्ति एक महान निवारक है और इसके परिणामस्वरूप, सही टैक्स इनवॉइस के मुद्दे और रिकॉर्डिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसी तरह, उचित कर के कारण का आकलन करते समय, वस्तुओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में विवादों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कर अधिकारी हमेशा कर की उच्च दर के लिए वस्तुओं की व्याख्या करते हैं और कर-दाता कम दर पर इसका दावा करते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा और विश्लेषण और प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। वैट अधिनियम में उदाहरण के लिए, दवाओं पर कम दर से कर लगाया जाता है लेकिन कुछ रसायनों पर उच्च दर से कर लगाया जाता है। कभी-कभी विवाद होते हैं कि कुछ उत्पाद दवा है या नहीं। इसके लिए विशेषज्ञ की राय आवश्यक है इसलिए विशेषज्ञों द्वारा आगे के विश्लेषण और राय के लिए वस्तुओं के नमूने भेजने के लिए, नमूनों की रूपरेखा की आवश्यकता है। **मॉडल जीएसटी कानून की धारा 122** में नमूनों के इस आरेख के लिए कर प्राधिकरण की अनुमति है।

5. सबूत का बोझ (Burden of Proof)

प्रत्यक्ष कर कानूनों में यह एक सामान्य नियम है कि कर लगाने के लिए, टैक्स-प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, जबकि कर से छूट के लिए या कर योग्य टर्नओवर से कटौती के दावे के लिए, जिम्मेदारी हमेशा दावेदार कर-दाता पर होता है। **मॉडल जीएसटी कानून** में समान सिद्धांत का पालन किया जाता है और इस मुद्दे के बारे में धारा 123 में बात की जाती है।

6. लोक सेवक बनने के लिए जीएसटी प्राधिकरण (GST Authorization to become a Public Servant)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 में व्यक्ति को लोक सेवक बताया गया है। इस धारा के तहत एक खंड इस प्रकार है —

प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी भी सम्पत्ति को लेने, प्राप्त करने, रखने या खर्च करने, या सरकार की ओर से कोई

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करने या किसी राजस्व प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए, या जांच करने के लिए है। या सरकार के अन्य हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले पर रिपोर्ट करने के लिए, या सरकार के अन्य हितों से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज को प्रमाणित करने या रखने के लिए, या सरकार के हितों के संरक्षण के लिए किसी भी कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए।

जीएसटी कानून के तहत कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति उपरोक्त विवरण के तहत अच्छी तरह से कवर किए जा सकते हैं और इस प्रकार लोक सेवक हैं।

7. क्षतिपूर्ति (Compensation)

मॉडल जीएसटी कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति लोक सेवक होंगे। अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन और अधिनियम को लागू करते समय, जीएसटी अधिकारियों को निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए मॉडल जीएसटी कानून की धारा 125 अधिनियम के उद्देश्यों को ठीक से पूरा करने के लिए अधिकारियों को कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जीएसटी प्राधिकरण के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की अनुमति नहीं है, अगर उसने सद्भाव में काम किया है। यहां सद्भावना का मतलब है कि कोई भी अधिनियम पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि अधिनियम को संचालित करने और राजस्व की रक्षा करने के इरादे से किया गया है। उदा. यदि किसी डिफॉल्टर कंपनी के निदेशकों के नाम सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए जाते हैं, तो निदेशक कर-अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं।

8. सूचना का प्रकटीकरण (Disclosure of Information)

प्रत्येक करदाता, टीडीएस कलेक्टर, आईएसडी आदि को अधिनियम के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। कुछ सरकार या अर्ध अधिकारियों, एजेंसियों, बैंकों आदि को अधिनियम के तहत सूचना वापसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बोर्ड या आयुक्त को अधिनियम के तहत आंकड़े एकत्र करने का अधिकार है। विभिन्न एजेंसियों के विभिन्न व्यक्तियों की यह जानकारी जीएसटी अधिकारियों के पास उपलब्ध है और यह जानकारी अधिनियम की किसी भी कार्यवाही के अनुसार या आपूर्ति की जाती है। चूंकि यह जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है और इसके प्रकटीकरण से व्यावसायिक हित में बाधा आ सकती है, इसलिए इसे मॉडल जीएसटी कानून की धारा 126 के तहत गोपनीय माना जाता है। यह खंड उत्पादन के लिए पूछने या इस जानकारी के सम्बन्ध में प्रमाण देने के लिए अदालतों को भी रोक देता है।

लेकिन उपरोक्त जानकारी के प्रकटीकरण के लिए कुछ स्थितियों की आवश्यकता होती है जो इस तरह के प्रकटीकरण के लिए नक्काशीदार हैं।

उदाहरण के लिए –

- (अ) अदालत या ट्रिब्यूनल का खुलासा जहाँ अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही से उत्पन्न विवाद की सुनवाई चल रही है,

(ब) जीएसटी अधिकारी की जांच का संचालन करने वाले जांच अधिकारी का खुलासा,

(स) किसी सीए या अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का खुलासा आदि।

साथ ही, किसी भी जीएसटी अधिकारी द्वारा सूचना के विलक्षण प्रकटीकरण के लिए जुर्माना और कारावास प्रदान किया जाता है।

9. कुछ मामलों में व्यक्तियों की जानकारी का प्रकाशन (Publication of Information of Individuals in Certain Cases)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 127 में व्यक्तियों की जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को न्यायिक विवेक प्रदान किया गया है। कई बार, यह "नामकरण और छायांकन" अवधारणा का उपयोग करने के लिए स्थिति की मांग है। इस तकनीक का उपयोग बैंकों द्वारा व्यापक रूप से बकाएदारों से अपने बकाया की वसूली के लिए किया जाता है। फर्मों के निदेशकों/भागीदारों के नाम बैंक द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। जाहिर है, मॉडल जीएसटी कानून में भी यही अवधारणा अपनाई जाती है। इस प्रकार बार-बार डिफॉल्टर्स, टैक्स चोरों, फर्जी चालान जारी करने में शामिल व्यक्तियों आदि के नाम और जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखी जा सकती है। यह बकाएदारों से बकाया की वसूली की सुविधा प्रदान करता है और अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए हतोत्साहित करता है।

10. मूल्यांकन कार्य कुछ आधारों पर अमान्य नहीं होगा (The Evaluation Work will not be Invalid on Some Grounds)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 128 प्राधिकरण को प्रतिरक्षा प्रदान करती है ताकि तकनीकी या अनजाने में हुई गलतियाँ कानून की कार्यवाही खराब न हों। इसी तरह के प्रावधान लगभग सभी वैट अधिनियमों में उपलब्ध हैं।

उदाहरण –

यदि कर-दाता ने किसी पूर्व मामले में दी गई नोटिस का जवाब दिया है, तो अब वह समान तरीके से नोटिस की सेवा पर सवाल नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, नोटिस या आदेश में गलत खंड का उल्लेख तब तक कार्रवाई को रोकता नहीं है जब तक कि निर्धारित का पर्याप्त अधिकार प्रभावित न हो।

11. रिकॉर्ड से स्पष्ट गलतियों का सुधार (Correction of Obvious Mistakes from the Record)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 129 यह प्रदान करती है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट गणना, गलतियों या गलतियों को 6 महीने के भीतर ठीक किया जा सकता है। ये सुधारात्मक उपाय कर-भुगतानकर्ता के साथ-साथ कर-अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध हैं। लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को कर-अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, अगर इस तरह के सुधार किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

रहे हैं। किसी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी निर्णय, आदेश, सम्मन, नोटिस, प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज उसी प्राधिकरण द्वारा सुधारा जा सकता है। लेकिन मन के अनुप्रयोग में परिवर्तन, पहले से लिए गए सचेत निर्णय प्रभावित नहीं हो सकते हैं या बाद में सुधार के तहत बदल सकते हैं।

12. सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबन्ध (Restrictions on the Jurisdiction of Civil Courts)

उच्च न्यायालय में अपील करने और उच्चतम न्यायालय में अपील को छोड़कर, मॉडल जीएसटी कानून की धारा 130 जीएसटी कानून के तहत मुद्दों को तय करने के लिए सिविल अदालतों के लिए एक बार रखती है।

13. फीस का शुल्क (Fee Charges)

धारा 131 किसी भी आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि के लिए शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। नियमों में सटीक शुल्क प्रदान किया जाएगा।

14. नियम बनाने की शक्ति (Power to Make Rules)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 132 जीएसटी परिषद की सिफारिश पर नियम बनाने के लिए राज्य या केंद्र सरकार को सशक्त बनाती है। सरकार इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दे सकती है और अधिसूचना जारी करने की शक्ति भी शामिल करती है। किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए प्रदान की गई दंड रु 10,000 अगर यह अन्यत्र नहीं दिया जाता है।

धारा 132 किसी भी मामले के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए सामान्य शक्ति प्रदान करता है, लेकिन विशिष्ट विषय भी प्रदान करता है जिसके सम्बन्ध में नियम बनाए जा सकते हैं। उन 48 विषयों में पंजीकरण, रिटर्न, डीमंड पंजीकरण, मूल्यांकन और कर का संग्रह, बकाए की वसूली का तरीका, चार्ज और ब्याज का भुगतान, रिफंड, निरीक्षण और ऑडिट आदि शामिल हैं। बोर्ड या आयुक्त को मॉडल जीएसटी कानून की धारा 132 ए के तहत नियम बनाने का अधिकार है।

15. शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Powers)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 133 शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रदान करता है। यदि कोई हो, तो शर्तों के साथ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए।

16. जीएसटी अधिकारियों को निर्देश (Instructions to GST Officers)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 134 अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के उद्देश्य से बोर्ड या आयुक्त (सक्षम प्राधिकारी) को आदेश, निर्देश या निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। इस तरह के आदेश, निर्देश या निर्देश आम तौर पर परिपत्रों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। यह तथ्य स्थापित है कि ये परिपत्र प्रक्रियात्मक भाग में निचले अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं जहाँ तक अधिनियम के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है। हालांकि, कई अदालतों ने माना है कि इस तरह के कोई आदेश, निर्देश या निर्देश कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए निचले

अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं हैं। इस प्रकार उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश, आदेश या निर्देश मूल्यांकन या अपील में निर्णय लेते समय बाध्यकारी नहीं होते हैं। मॉडल जीएसटी कानून की धारा 134 एक ही बात करती है। मूल्यांकन या अपील जैसी कार्यवाही के लिए, अधिकारियों के पास स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक शक्तियां होती हैं।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव
टिप्पणी

17. नोटिस की सेवा (Service of Notice)

धारा 136 किसी भी निर्णय, आदेश, सम्मन, नोटिस आदि की सेवा के लिए तरीके प्रदान करता है। वैधानिक नोटिस, आदेश, सम्मन आदि की सेवा के लिए प्रक्रियात्मक कानून आमतौर पर CPC (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1860) से प्राप्त होता है। लेकिन मॉडल जीएसटी कानून में धारा 136 का प्रावधान संचार के सभी प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों को शामिल करता है, ताकि सेवा के किसी भी तरीके को अमान्य या अवैध घोषित न किया जाए।

18. बंद कर दौर (Locked Round)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 137 में प्रावधान है कि कर, ब्याज, जुर्माना, जुर्माना या देय किसी भी राशि की राशि और साथ ही वापस की जाने वाली किसी भी राशि को निकटतम रुपये में गोल किया जाना चाहिए।

19. नियमों के संशोधनों का प्रभाव। सूचनाएँ या आदेश (Effect of Amendments of Rules. Notifications)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 138 का प्रावधान आम तौर पर संशोधन के लिए पहले कानून की स्थिति की रक्षा के लिए किया जाता है, जब तक कि संशोधन स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं हो।

20. नियमों का संगठन, सूचनाएं आदि और संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष नियम रखना (Organization of Rules. Notifications. Etc. and Laying Rules before Parliament or State Legislature)

मॉडल जीएसटी कानून की धारा 139 में कहा गया है कि सभी नियमों, अधिसूचनाओं आदि को राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह खंड आगे कहता है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल ने किसी भी संशोधन का सुझाव दिया है या नियम या अधिसूचना को खारिज कर दिया है, तो इस तरह के संशोधन या विलोपन का प्रभाव संभावित होगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

12. उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने या प्राप्त करने की इच्छा है –
(क) डिमांड (ख) सप्लाई
(ग) आपूर्ति (घ) भुगतान
13. कर जो वसूला जाता है लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है, किसके अंतर्गत आता है?
(क) धारा 56 (ख) धारा 79
(ग) धारा 66 (घ) धारा 76
14. कर की वसूली के लिए चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की अंतर्गत आती है –
(क) नियम 146 (ख) नियम 147
(ग) नियम 148 (घ) नियम 149
15. जीएसटी एक ----- आधारित कराधान प्रणाली है।
(क) सबूत (ख) खाता
(ग) दंड (घ) मूल्यांकन

3.9 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1. (क) | 6. (घ) | 11. (क) |
| 2. (घ) | 7. (ख) | 12. (क) |
| 3. (ग) | 8. (घ) | 13. (घ) |
| 4. (घ) | 9. (ग) | 14. (ख) |
| 5. (ख) | 10. (घ) | 15. (ख) |

3.10 सारांश (Summary)

जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है। वास्तव में, जीएसटी सरकार को राजस्व प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गन्तव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अन्तिम उपभोग तक कई चरणों के

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

माध्यम से गुजरता है। पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना। दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है। फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेयर हाउस की व्यवस्था है। इसके बाद, उत्पाद रिटेलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है और अन्तिम चरण में, रिटेलर आपको या अन्तिम उपभोक्ता को अन्तिम माल बेचता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में कर देय होता है जो उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है।

GST कानून के तहत CGST का पूर्ण रूप केंद्रीय वस्तु और सेवा कर है। इसे सीजीएसटी अधिनियम 2017 के रूप में कहा जाता है। सीजीएसटी अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की इंटर-स्टेट आपूर्ति और कर और इसके साथ जुड़े मामलों या कर से सम्बन्धित लेवी और कर का प्रावधान किया गया है। कोई भी कर जो माल या सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया था, अब माल और सेवा कर में परिवर्तित कर दिया गया है, जो एक दोहरी लेवी है, जहां केंद्र सरकार केंद्रीय के रूप में कर लगाएगी और कर वसूल करेगी। वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी अधिनियम 2017) और राज्य सरकार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की इंटर-स्टेट आपूर्ति पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी अधिनियम 2017) के रूप में कर लगाएगी और एकत्र करेगी।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत मांग और वसूली सरकार द्वारा कर राशि की भरपाई के बारे में पूरी तरह से बात करती है, जब कोई भी व्यक्ति माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान जानबूझकर या बिना इरादे से करता है। सरकार हर डिफॉल्टर को कम भुगतान या भुगतान न किए जाने की स्थिति में भुगतान करने का समय देती है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस डिफॉल्टर के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी।

3.11 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- गन्तव्य: प्रयोजन, अभिप्राय।
- थ्रेशोल्ड: प्रवेशद्वार, प्रारंभ, शुरुआत।

3.12 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Question and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है तथा यह कैसे कार्य करता है?
2. सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति तथा मुख्य विशेषताएँ बताइये।
3. CGST और SGST के बीच अन्तर लिखिये।

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम:
लेखों एवं अभिलेखों का
रखरखाव

टिप्पणी

4. कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं?
5. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत मांग और वसूली को संक्षेप में समझाइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान लिखिये।
2. डिमांड और रिकवरी के अंतर्गत किन्हीं पाँच नियमों की चर्चा कीजिये।
3. कम्पोजिशन स्कीम क्या है विस्तार में समझाइये।
4. सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति को लिखिये।

3.13 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. मेहरोत्रा एवं अग्रवाल, "माल और सेवा कर", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो. श्रीपाल सकलेचा, "जीएसटी एवं कस्टम कानून", सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, इंदौर।

इकाई 4 एकीकृत सेवा कर अधिनियम 2017 (Integrated Services Tax Act 2017)

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

टिप्पणी

संरचना (Structure)

- 4.0 परिचय
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 IGST क्या है?
 - 4.2.1 आईजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति और शुरुआत
 - 4.2.2 IGST अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएँ
- 4.3 आईजीएसटी कानून का वर्गीकरण
 - 4.3.1 आईजीएसटी उदाहरण
 - 4.3.2 IGST मॉडल के प्रमुख लाभ
- 4.4 IGST अधिनियम 2017 के तहत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
 - 4.4.1 IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 का उद्धरण
- 4.5 आईजीएसटी के तहत लेवी और टैक्स का संग्रह
 - 4.5.1 आईजीएसटी की लेवी
 - 4.5.2 इंटर-स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स
 - 4.5.3 लेवी और संग्रह
- 4.6 IGST अधिनियम की धारा 5 के तहत IGST की छूट
- 4.7 IGST के तहत सेवा की आपूर्ति का निर्धारण
 - 4.7.1 सेवाओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करना
 - 4.7.2 GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान
- 4.8 शून्य रेटेड आपूर्ति
 - 4.8.1 परिचय
 - 4.8.2 जीएसटी में शून्य रेटेड आपूर्ति का रिफंड
 - 4.8.3 माल के निर्यात के लिए रिफंड प्रक्रिया
 - 4.8.4 सेज को सेवाओं और आपूर्ति के निर्यात के लिए रिफंड प्रक्रिया
 - 4.8.5 अनन्तिम वापसी
 - 4.8.6 शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट
 - 4.8.7 शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य वापसी
- 4.9 निल रेटेड, छूट, शून्य रेटेड और गैर-जीएसटी आपूर्ति के बीच अन्तर क्या है?
 - 4.9.1 निल रेटेड
 - 4.9.2 छूट दी गई
 - 4.9.3 गैर-जीएसटी
- 4.10 CGST, SGST और IGST के बीच अन्तर
- 4.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 4.12 सारांश
- 4.13 मुख्य शब्दावली
- 4.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 4.15 सहायक पाठ्य सामग्री

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

4.0 परिचय (Introduction)

जीएसटी कानून के अंतर्गत आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स है। इसे IGST एक्ट 2017 कहा जाता है।

IGST मॉडल का दायरा GST अधिनियम को अर्थ देता है, जिसमें से IGST घटकों में से एक है। IGST अधिनियम स्पष्ट करता है कि केंद्र IGST को लेवी देगा, जो कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के सभी अन्तर-राज्यीय लेनदेन पर CGST और SGST होगा, जो माल और सेवाओं की खेप या स्टॉक हस्तान्तरण के लिए उचित प्रावधान के साथ होगा।

राज्य के बाहर आपूर्ति करने वाला विक्रेता अपनी खरीद पर IGST, CGST और SGST के उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित करने के बाद IGST का भुगतान करेगा और निर्यात करने वाला राज्य केंद्र को IGST के भुगतान में इस्तेमाल किए गए SGST के क्रेडिट को हस्तान्तरित करेगा।

दूसरी ओर, आयात करने वाला डीलर अपने राज्य में अपने उत्पादन कर दायित्व का निर्वहन करते हुए IGST के क्रेडिट का दावा करेगा। केंद्र तब एसजीएसटी के भुगतान में उपयोग किए जाने वाले आईजीएसटी का क्रेडिट आयात करने वाले राज्य को हस्तान्तरित करेगा।

प्रासंगिक जानकारी केंद्रीय एजेंसी को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो क्लियरिंग हाउस तंत्र के रूप में कार्य करेगी, दावों का सत्यापन करेगी और सम्बन्धित सरकारों को धन हस्तान्तरित करने के लिए सूचित करेगी।

4.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- IGST की उत्पत्ति एवं विशेषताओं से अवगत हो पाएंगे;
- IGST के अन्तर्गत विभिन्न परिभाषाएं एवं उनके सम्बन्ध को समझ पाएंगे;
- IGST के अन्तर्गत लेवी एवं संग्रहण से परिचित हो पाएंगे;
- IGST के अन्तर्गत दी गई छूट से अवगत हो पाएंगे; तथा
- शून्य रेटेड आपूर्ति से परिचित हो पाएंगे।

4.2 IGST क्या है? (What is IGST?)

“एकीकृत माल और सेवा कर” (IGST) का अर्थ है कि इस अधिनियम के तहत अन्तर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी सामान और/या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर और इस उद्देश्य के लिए लगाया गया कर:

स्पष्टीकरण 1	भारत के क्षेत्र में आयात के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति को अन्तर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और/या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।
स्पष्टीकरण 2	वस्तुओं और/या सेवाओं के निर्यात को अन्तर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और/या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

टिप्पणी

एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) का मतलब अन्तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी सामान और/या सेवाओं की आपूर्ति पर IGST अधिनियम के तहत लगाया गया कर होगा।

एकीकृत जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर भी लागू होगा। मूल विचारधारा यह निर्धारित करती है कि भारतीय क्षेत्र में माल या सेवाओं के आयात के दौरान किसी भी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति अन्तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य को आपूर्ति करने के लिए मानी जाएगी और इसलिए यह IGST के लिए उत्तरदायी है।

ऐसे लेनदेन के लिए जो आयात और लेन-देन के सामान और सेवाओं के निर्यात के समान दिखते हैं, उन्हें अन्तर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति किया जाना माना जाएगा।

अन्तर-राज्यीय व्यापार शुरू होगा, इसलिए शामिल हैं:

- अन्तर-राज्यीय व्यापार के दौरान की गई आपूर्ति,
- भारतीय क्षेत्र में आयात (अन्तर-राज्य माना जाता है), एवं
- निर्यात (अन्तर-राज्य माना जाता है)।

इस प्रकार, एकीकृत जीएसटी अन्तर-राज्य लेनदेन और आयात के साथ-साथ माल और/या सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित निर्यात लेनदेन (अन्तर-राज्य लेनदेन माना जाता है) पर लागू होगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है?
 - (क) इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स
 - (ख) इंटरनेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स
 - (ग) इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स
 - (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. एकीकृत माल और सेवा कर के तहत आता है –
 - (क) अन्तरराज्यीय व्यापार
 - (ख) वाणिज्य
 - (ग) अन्तर-राज्यीय निर्माण
 - (घ) उपरोक्त सभी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

4.2.1 आईजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति और शुरुआत (Origin and Commencement of IGST Act)

अन्तर्राज्यीय व्यापार में माल की बिक्री पर जीएसटी के पूर्व केंद्रीय विक्रय कर व्यवस्था प्रचलित थी। राज्यों के मध्य निर्बाध्य माल और सेवाओं की पूर्ति के लिए IGST लागू किया गया है। यह दोहरे जीएसटी का दूसरा स्वरूप है जो कि माल और सेवाओं की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर लगाया जाता है। अन्तर्राज्यीय पूर्ति की दशा में बीजक में आधा भाग सीजीएसटी (CGST) एवं आधा भाग (SGST) के स्थान पर एकीकृत आईजीएसटी (IGST) के रूप में दर्शाया जाता है।

4.2.2 IGST अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएँ (Main Features of IGST Act 2017)

- अन्तर-राज्यीय लेनदेन पर निर्बाध आईटीसी श्रृंखला की निरंतरता।
- अन्तर-राज्य विक्रेता या खरीदार के लिए कर अपक्रंट या धन की पर्याप्त रुकावट का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- निर्यात राज्य में भुगतान किए गए करों के रिफंड का कोई दावा नहीं है, क्योंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग किया जाता है।
- स्व-निगरानी मॉडल।
- सुव्यवस्थित करने की गतिविधि अन्तर-राज्य डीलरों और केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित है, उनकी प्रक्रियाओं को तेजी से सुव्यवस्थित करने में सक्षम होना चाहिए।
- IGST मॉडल 'बिजनेस टू बिजनेस' के साथ-साथ 'बिजनेस टू कंज्यूमर' लेन-देन को एक खाते में ले जा सकता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

3. IGST अधिनियम निम्न में से किन राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है?
(क) दिल्ली (ख) ओडिशा
(ग) जम्मू और कश्मीर (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. IGST मॉडल 'बिजनेस टू बिजनेस' के साथ-साथ _____ लेन-देन को एक खाते में ले जा सकता है।
(क) 'बिजनेस टू डीलर' (ख) 'बिजनेस टू कंज्यूमर'
(ग) भारत सरकार (घ) गरीबों

4.3 आईजीएसटी कानून का वर्गीकरण (Classification of IGST Law)

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

टिप्पणी

IGST अधिनियम में निम्नलिखित 11 अध्याय, 33 धाराएँ और 8 परिभाषाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या (राज्य एवं केंद्र) दोनों को भारतीय गणतंत्र के साठवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है:

अध्याय I – प्राथमिक (Chapter 1 – Primary)

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement)

- (1) इस अधिनियम को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 कहा जा जाता है।
- (2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित होगा।
- (3) अधिनियम के कुछ प्रावधान 22 जून 2017 से एवं कुछ प्रावधान 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुए। इसमें 25 धाराएँ हैं। जीएसटी के सम्बन्ध में सामान्यता केंद्रीय माल एवं सेवाकर (GST) के प्रावधान लागू होते हैं इसलिए अधिनियम के केवल अन्तर्राज्यीय पूर्ति का स्थान निर्धारण, करारोपन, संग्रहण, कर विभाजन, आदि के प्रावधान अलग बनाये गए हैं।

2. परिभाषाएँ (Definitions)

इस अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो, –

एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 3, एवं 4 में अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस कर का प्रशासन उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो कि केंद्र एवं राज्य कर का प्रशासन करते हैं।

- (1) राज्य के भीतर माल या सेवाओं की पूर्ति (Intra-state or Inter-state Supply of Goods or Service or both) माल या सेवा की पूर्ति का स्थान राज्य के भीतर (Intra-state) माना जाएगा या अन्तर्राज्यीय (Inter-state) माना जाएगा, इसका निर्धारण निम्न प्रकार होगा –

1. माल की राज्य के भीतर पूर्ति (Intra-state Supply of Goods)

यदि माल का आपूर्तिकर्ता एवं माल का प्राप्तकर्ता दोनों स्थिति समान राज्य या समान संघ क्षेत्र में हो तो ऐसी पूर्ति राज्य के भीतर पूर्ति (Intra-state Supply) मानी जाएगी।

उदा. इन्दौर का एक व्यापारी भोपाल के व्यापारी को 5 लाख रुपये के माल की आपूर्ति करता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

2. राज्य के भीतर सेवाओं की पूर्ति (Intra-state Supply of Services)
किसी सेवा की पूर्ति राज्य के भीतर मानी जाएगी यदि सेवा के पूर्तिकर्ता का स्थान समान राज्य या समान संघ क्षेत्र में स्थित हो।
उदा. भोपाल का CA इन्दौर के क्लाइन्ट को सर्विस प्रदान करता है।
- (2) माल या सेवाएँ या दोनों की अंतरराज्यीय पूर्ति (Inter-state Supply of Goods or Services or both)
अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवा या दोनों की पूर्ति कब अन्तरराज्यीय पूर्ति (Intra-state Supply) मानी जाएगी, IGST की धारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान Act है –
 1. माल अन्तरराज्यीय पूर्ति (Inter-state Supply of Goods)
जब माल के पूर्तिकर्ता एवं माल की पूर्ति का स्थान दो अलग-अलग राज्यों या संघ क्षेत्रों या राज्य एवं संघ क्षेत्र में स्थित हो तो इसे माल की अन्तरराज्यीय पूर्ति कहेंगे। इस पर एकीकृत जीएसटी (IGST) देय होगा।
उदा. इन्दौर का व्यापारी मुम्बई के व्यापारी को 4 लाख रुपये का सामान बेचना है।
 2. सेवाओं की अन्तरराज्यीय पूर्ति (Inter-state Supply of Service)
जब सेवाओं का पूर्तिकर्ता एवं सेवा की पूर्ति का स्थान दो अलग-अलग राज्यों या संघ क्षेत्रों या राज्य एवं संघ क्षेत्र में स्थित हो तो इसे माल की अन्तरराज्यीय पूर्ति कहेंगे।
उदा. भोपाल का सी.ए. पूणे के क्लाइन्ट को 1 लाख रुपये की सेवा प्रदान करता है।
- (3) "भारत के सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 में परिभाषित सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमा है;
- (4) "व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों" ("Grammatical Variations and Cognitive Expressions"), जिसका अर्थ है भारत से बाहर भारत में सामान ले जाना;
 - (i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है;
 - (ii) सेवा प्राप्त करने वाला भारत के बाहर स्थित है;
 - (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर है;
 - (iv) ऐसी सेवा के लिए भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है; और
 - (v) सेवा के आपूर्तिकर्ता और सेवा के प्राप्तकर्ता केवल स्पष्टीकरण के अनुसार एक अलग व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं हैं, धारा 8 में 1;

टिप्पणी

- (5) 'व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों' के साथ 'माल का आयात', भारत से बाहर की जगह से भारत में सामान लाने का मतलब है;
- (6) एक एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच वस्तुओं या सेवाओं या दोनों, या प्रतिभूतियों की आपूर्ति की व्यवस्था या सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है, जो अपने स्वयं के खाते पर इस तरह के सामान या सेवाओं या दोनों या प्रतिभूतियों की आपूर्ति करता है;
- (7) "सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान" ("The Recipient of Services") –
जहाँ व्यवसाय के लिए एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे व्यवसाय के स्थापना का स्थान;
जहाँ व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;
जहाँ एक आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर प्राप्त की जाती है, चाहे व्यवसाय का स्थान या निश्चित स्थापना, आपूर्ति की प्राप्ति के साथ सीधे स्थापना का स्थान; तथा
ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थापना का स्थान;
- (8) "सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान" ("Place of Suppliers") –
जहाँ व्यवसाय के लिए आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे व्यवसाय के स्थापना का स्थान;
जहाँ व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;
जहाँ एक आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों से की जाती है, चाहे व्यवसाय का स्थान या निश्चित स्थापना, आपूर्ति के प्रावधान के साथ सीधे स्थापना का स्थान; तथा
ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थापना का स्थान;
- (9) "स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण, एक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो पंजीकृत नहीं है और वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के सम्बन्ध में ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुँच या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ प्राप्त नहीं कर रहा है।

टिप्पणी

स्पष्टीकरण; —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

- (i) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या
 - (ii) संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से अधिक भागीदारी;
- (10) वे कार्य, जिनमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप शामिल होता है और यह सुनिश्चित करना असंभव होता है। सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ शामिल हैं, जैसे —
- (i) इंटरनेट पर विज्ञापन;
 - (ii) क्लाउड सेवाएँ प्रदान करना;
 - (iii) दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से ई-बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर और अन्य इनटेंजिबल का प्रावधान;
 - (iv) कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी व्यक्ति को डेटा या जानकारी, पुनर्प्राप्ति योग्य या अन्यथा प्रदान करना;
 - (v) डिजिटल सामग्री फिल्म, टेलीविजन शो, संगीत
 - (vi) डिजिटल डेटा स्टोरेज; और
 - (vii) ऑनलाइन गेमिंग।

अध्याय II — प्रशासन (Chapter II – Administration)

1. अधिकारियों की नियुक्ति

बोर्ड ऐसे केंद्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है क्योंकि वह इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त समझता है।

2. कुछ परिस्थितियों में राज्य कर या संघ राज्य कर के अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना।

इस अधिनियम के प्रावधान पक्षपात के बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं, इस तरह के अपवादों और शर्तों के अधीन सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करेगी।

अध्याय III — टैक्स की छूट और वसूली (Chapter III – Tax Exemption and Collection)

1. लेवी और संग्रह (Levy and Collection)

- (1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, मानवों के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं के सभी व्यापार, केंद्रीय माल और

टिप्पणी

सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर, जो चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है एकत्र किया जा सकता है।

बशर्ते कि भारत में आयात किए गए माल पर एकीकृत कर लगाया जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा, जो उस समय उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य पर निर्धारित होता है, जब सीमा शुल्क पर शुल्क लगाए जाते हैं।

- (2) पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति पर एकीकृत कर इस तरह की तारीख से लागू किया जाएगा जैसा कि सरकार द्वारा सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।
- (3) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है या दोनों, ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा। इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे सामानों या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।
- (4) कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में एकीकृत कर या किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा, जो किसी पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकृत नहीं है, को प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा और इसके सभी प्रावधान अधिनियम ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होगा, जैसे कि वह ऐसे सामानों या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।
- (5) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं की श्रेणियाँ निर्दिष्ट कर सकती है, अन्तर-राज्य आपूर्ति पर कर, जिसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा, यदि ऐसी सेवाएँ इसके माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं, और सभी इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर पर लागू होंगे, जैसे कि वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्ता के लिए उत्तरदायी हैं।

बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की कर योग्य क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है, तो कर योग्य क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के पास कर योग्य क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है और उक्त क्षेत्र में उसका प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर कर का भुगतान करने के उद्देश्य से

टिप्पणी

2. कर से छूट देने की शक्ति (Power of Giving Exemption to Tax)

यह परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, आम तौर पर छूट, या तो बिल्कुल या ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती है, जिसमें माल निर्दिष्ट किया जा सकता है या सेवाओं या कर के पूरे या किसी भी हिस्से से किसी भी निर्दिष्ट विवरण को इस तरह की अधिसूचना से निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी किया जा सकता है।

यह परिषद की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में ऐसे आदेश में कहा जा सकता है। किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों पर कर के भुगतान से छूट, जो कर योग्य है।

उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा या उपधारा (2) के तहत आदेश, और इस तरह के हर स्पष्टीकरण के रूप में प्रभाव होगा, यदि यह हमेशा इस तरह की अधिसूचना या आदेश का हिस्सा था, जैसा कि मामला हो सकता है।

अध्याय IV – आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण (Chapter IV – Determination of Nature of Supply)

अन्तर-राज्यीय व्यापार

- (1) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, माल की आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान,
 - (2) भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयात किए गए माल की आपूर्ति, जब तक वे भारत के सीमा शुल्क सीमा को पार नहीं करते हैं, तब तक उन्हें अन्तर राज्यीय शुल्क ही देय होगा,
 - (3) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति,
- जब आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है और आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर है;
या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई द्वारा; या कर योग्य क्षेत्र में

4.3.1 आईजीएसटी उदाहरण (IGST Example)

बैंगलोर में पंजीकृत एक व्यापारी “Z” मुम्बई में पंजीकृत व्यापारी “X” को 10 लाख में सामान बेचते हैं। और “X” जयपुर के एक पंजीकृत डीलर “Y” को 011 लाख में सामान बेचता है।

यह पूर्ववर्ती कर कानूनों के विपरीत है, जहां यदि आपने चेन्नई से सामान खरीदा है, तो आप वहां कर का भुगतान करते हैं और फिर अपने राज्य में करते हैं

जिसमें आप अंततः इसे बेचते हैं। यह व्यापारियों को कर के बोझ को कम करके अपने अन्तर-राज्य व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है।

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

IGST पद्धति के संदर्भ में GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर-राज्यीय लेनदेन कैसे होंगे?

टिप्पणी

अधिकार प्राप्त समिति ने वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर-राज्य लेनदेन के कराधान के लिए IGST मॉडल को अपनाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। IGST मॉडल का दायरा यह है कि केंद्र IGST को वसूल करेगा जो कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के सभी अन्तर-राज्यीय लेनदेन पर CGST और SGST होगा। अन्तर-राज्य विक्रेता अपनी खरीद पर IGST, CGST और SGST के उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित करने के बाद IGST का भुगतान मूल्य संवर्धन पर करेगा। निर्यातक राज्य IGST के भुगतान में उपयोग किए गए SGST के क्रेडिट को केंद्र को हस्तान्तरित करेगा। आयात करने वाला डीलर अपने राज्य में अपने उत्पादन कर दायित्व का निर्वहन करते हुए IGST के क्रेडिट का दावा करेगा। केंद्र एसजीएसटी के भुगतान में उपयोग किए जाने वाले आईजीएसटी के क्रेडिट को आयात करने वाले राज्य को हस्तान्तरित करेगा। प्रासंगिक जानकारी केंद्रीय एजेंसी को भी प्रस्तुत की जाती है, जो एक क्लियरिंग हाउस तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

4.3.2 IGST मॉडल के प्रमुख लाभ (Major Benefits of the IGST Model)

- (क) अन्तर-राज्यीय लेनदेन पर निर्बाध आईटीसी श्रृंखला का रखरखाव।
- (ख) कर का कोई अग्रिम भुगतान या अन्तर-राज्य विक्रेता या खरीदार के लिए धन की पर्याप्त रुकावट नहीं।
- (ग) निर्यात राज्य में कोई वापसी का दावा नहीं है, क्योंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग किया जाता है।
- (घ) स्व निगरानी मॉडल।
- (ङ.) कम्प्यूटरीकरण का स्तर अन्तर-राज्य डीलरों तक ही सीमित है और केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से कम्प्यूटरीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।
- (च) जैसा कि सभी अन्तर-राज्य डीलरों को ई-पंजीकृत किया जाएगा और उनके साथ पत्राचार ई-मेल द्वारा किया जाएगा, अनुपालन स्तर में काफी सुधार होगा।
- (छ) मॉडल 'बिजनेस टू बिजनेस' के साथ-साथ 'बिजनेस टू कंज्यूमर' लेन-देन को भी ध्यान में रखता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

5. किन चीजों की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं के सभी अन्तर-राज्य कर की श्रेणी में आते हैं?
(क) कैश मनी (ख) इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट
(ग) डिजिटल सामग्री (घ) मादक शराब
6. धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, माल की आपूर्ति, जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान –
(क) दो अलग राज्य हों
(ख) दो अलग केन्द्रशासित प्रदेश हों
(ग) एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश
(घ) उपरोक्त सभी

4.4 IGST अधिनियम 2017 के तहत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions under IGST Act 2017)

IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 के अधिनियम में कई स्थानों पर उपयोग की जाने वाली विभिन्न शर्तों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार प्रस्तुत की गई हैं –

- (1) “निरंतर यात्रा” (“Continuous Journey”) का अर्थ है—एक यात्रा, जिसके लिए एक या एक से अधिक टिकट या चालान एक ही समय में जारी किए जाते हैं, या तो सेवा के एक आपूर्तिकर्ता या सेवा के एक से अधिक आपूर्तिकर्ता की ओर से अभिनय करने वाले एजेंट के माध्यम से, और जिसमें यात्रा के किसी भी चरण के बीच कोई रोक नहीं है, जिसके लिए एक या अधिक अलग टिकट या चालान जारी किए जाते हैं।
स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “स्टॉपओवर” शब्द का अर्थ एक ऐसी जगह है, जहाँ एक यात्री किसी अन्य संदेश को स्थानान्तरित करने के लिए या तो एक निश्चित अवधि के लिए अपनी यात्रा को भंग कर सकता है या बाद के समय में इसे फिर से शुरू करने के लिए अपनी यात्रा को तोड़ सकता है।
- (2) “सेवाओं का निर्यात” (“Export of Services”) का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति जब, –
 - (i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है;
 - (ii) सेवा प्राप्त करने वाला भारत के बाहर स्थित है;

टिप्पणी

- (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर है;
 - (iv) ऐसी सेवा के लिए भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है; तथा
 - (v) सेवा के आपूर्तिकर्ता और सेवा प्राप्त करने वाले केवल अनुभाग 8 में स्पष्टीकरण 1 के अनुसार एक अलग व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं हैं
- (3) "निश्चित स्थापना" ("Fixed Establishment") का अर्थ है एक स्थान (व्यवसाय के पंजीकृत स्थान के अलावा) जो कि सेवाओं की आपूर्ति करने या अपनी आवश्यकताओं के लिए सेवाओं को प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के संदर्भ में स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री की विशेषता है।
- (4) "सामानों का आयात" ("Import of Goods") का अर्थ है भारत के बाहर किसी अन्य देश से भारत में सामान लाना।
- (5) "सेवाओं का आयात" ("Import of Services") का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति, जहाँ—
- (i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है;
 - (ii) सेवा प्राप्त करने वाला भारत में स्थित है; तथा
 - (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में है।
- (6) "सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान" ("Place of Import of Goods") का अर्थ है, जहाँ प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा को प्राप्त किया जाता है।
- (7) जहाँ व्यवसाय के लिए एक स्थान पर आपूर्ति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे व्यवसाय के स्थापना का स्थान;
- (8) जहाँ व्यापार के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित स्थापना नहीं और), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;
- (9) जहाँ एक आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर प्राप्त होती है, चाहे व्यवसाय का स्थान या निश्चित स्थापना, आपूर्ति की प्राप्ति के साथ सीधे स्थापना का स्थान; तथा
- (10) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थापना का स्थान;
- (11) "सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान" ("Place of Supplier of Services") का अर्थ है, जहाँ से आपूर्तिकर्ता के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।
- (12) जहाँ व्यवसाय के लिए आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे व्यवसाय के स्थापना का स्थान;
- (13) जहाँ व्यापार के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित स्थापना नहीं और), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;

टिप्पणी

- (14) जहाँ एक आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों से की जाती है, चाहे व्यवसाय का स्थान या निश्चित स्थापना, आपूर्ति के प्रावधान के साथ सीधे स्थापना का स्थान; तथा
- (15) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थापना का स्थान;
- (16) "गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" ("Non-taxable Online Payer") का अर्थ है किसी भी सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण, एक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो पंजीकृत नहीं है और वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के सम्बन्ध में ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुँच या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ प्राप्त नहीं कर रहा है। व्यापार या पेशा, कर योग्य क्षेत्र में स्थित है।
- स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सरकारी प्राधिकरण" का अर्थ है एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय, —
- (i) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या
 - (ii) किसी भी सरकार द्वारा, नब्बे प्रतिशत के साथ स्थापित किया गया। इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से अधिक भागीदारी, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए।
- (17) "ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाओं" ("Online Information and Database Access or Retrieval Services") का अर्थ उन सेवाओं से है, जिनकी डिलीवरी इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मध्यस्थता की जाती है और जिसकी प्रकृति अनिवार्य रूप से स्वचालित आपूर्ति करती है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और अनुपस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए असंभव है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, जैसे —
- (i) इंटरनेट पर विज्ञापन;
 - (ii) क्लाउड सेवाएँ प्रदान करना;
 - (iii) दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से ई-बुक्स, फिल्म, संगीत, सॉफ्टवेयर और अन्य इंटेजिबल्स का प्रावधान;
 - (iv) कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी व्यक्ति को डेटा या जानकारी, पुनर्प्राप्ति योग्य या अन्यथा प्रदान करना;
 - (v) डिजिटल सामग्री (फिल्मों, टेलीविजन शो, संगीत और इस तरह) की ऑनलाइन आपूर्ति;
 - (vi) डिजिटल डेटा स्टोरेज; तथा
 - (vii) ऑनलाइन गेमिंग।

4.4.1 IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 का उद्धरण (Quotes of Section 2 of IGST Act 2017)

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

धारा 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

टिप्पणी

- (1) “निरंतर यात्रा” (“Continuous Journey”) का अर्थ है—एक ऐसी यात्रा, जिसके लिए एक या एक से अधिक टिकट या चालान एक ही समय में जारी किया जाता है, या तो सेवा के एकल आपूर्तिकर्ता द्वारा या सेवा के एक से अधिक आपूर्तिकर्ता की ओर से काम करने वाले एक एजेंट के माध्यम से, और जो यात्रा के किसी भी पैर के बीच कोई रोक नहीं है जिसके लिए एक या अधिक है अलग टिकट या चालान जारी किए जाते हैं।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “रोक” शब्द का अर्थ है। वह स्थान जहाँ कोई यात्री या तो किसी अन्य कन्वेक्शन में स्थानान्तरित हो सकता है एक निश्चित अवधि के लिए अपनी यात्रा को तोड़ने के लिए इसे बाद के बिंदु पर फिर से शुरू करें;

- (2) “सेवाओं का निर्यात” (“Export of Services”) का अर्थ है—किसी भी सेवा की आपूर्ति, जब

- (i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है;
- (ii) सेवा प्राप्त करने वाला भारत के बाहर स्थित है;
- (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर है;
- (iv) ऐसी सेवा का भुगतान आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्राप्त किया गया है परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सेवा;

तथा

- (v) सेवा के आपूर्तिकर्ता और सेवा प्राप्त करने वाले मात्र नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 1 के अनुसार एक अलग व्यक्ति की स्थापना, धारा 8;

- (3) “निश्चित स्थापना” (“Fixed Establishment”) एक जगह के पंजीकृत जगह के अलावा अन्य मतलब व्यवसाय, जिसे स्थायी और उपयुक्त की पर्याप्त डिग्री की विशेषता है, सेवाओं की आपूर्ति करने या प्राप्त करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के संदर्भ में संरचना और अपनी जरूरतों के लिए सेवाओं का उपयोग किया जाता है;
- (4) “माल और सेवा कर (राज्य के लिए मुआवजा) अधिनियम” (“Goods and Services Tax Act”) माल का मतलब और सेवा कर (राज्यों का मुआवजा) अधिनियम, 2017;
- (5) “सामानों का आयात” (“Import of Goods”) इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, भारत के बाहर एक जगह से भारत में सामान लाने का मतलब है;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- (6) "मध्यस्थ" ("Interrogators") का अर्थ है दलाल, एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जो भी हो नाम, जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की व्यवस्था या सुविधा प्रदान करता है, या प्रतिभूतियाँ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, लेकिन आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं करती हैं, अपने स्वयं के खाते पर ऐसी वस्तुएँ या सेवाएँ या प्रतिभूतियाँ;
- (7) "सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान" ("Recipient of Services") का अर्थ है, —
- (अ) व्यवसाय के ऐसे स्थापना का स्थान, जहाँ व्यापार की जगह पर एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है;
- (ब) ऐसी निश्चित स्थापना का स्थान, जहाँ व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित स्थापना कहीं और);
- (स) स्थापना का स्थान सबसे सीधे आपूर्ति की प्राप्ति से सम्बन्धित है; तथा
- (द) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, निवास के सामान्य स्थापना का स्थान प्राप्तकर्ता का;
- (8) "सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान" ("Place of Supplier of Services") का अर्थ है, —
- (अ) व्यवसाय के ऐसे स्थान का स्थान, जहाँ व्यापार की जगह से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए "ए" पंजीकरण प्राप्त किया गया है;
- (ब) ऐसी निश्चित स्थापना का स्थान, जहाँ व्यापार की जगह के अलावा अन्य जगह से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (एक निश्चित स्थापना कहीं और);
- (स) व्यवसाय या निश्चित स्थापना का स्थान, जहाँ एक से अधिक प्रतिष्ठान से आपूर्ति की जाती है;
- (द) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, निवास के सामान्य स्थापना का स्थान आपूर्तिकर्ता का;
- (9) "गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" ("Non Taxable Online Recipient") का अर्थ है—कोई भी सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी प्राधिकरण, एक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो पंजीकृत और प्राप्त नहीं है। किसी भी उद्देश्य के सम्बन्ध में ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के अलावा, कर योग्य में स्थित है क्षेत्र।
- स्पष्टीकरण।— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सरकारी अधिकार" का अर्थ है—एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय, —

टिप्पणी

- (i) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित, नब्बे फीसदी के साथ। इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से अधिक भागीदारी, किसी भी बाहर ले जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगरपालिका को सौंपा गया कार्य;
- (10) "ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ" ("Online Information and Database Access and Retrived Services") का अर्थ है।
- ऐसी सेवाएँ जिनकी डिलीवरी इंटरनेट या सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा की जाती है
- एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और जिसकी प्रकृति अनिवार्य रूप से उनकी आपूर्ति प्रदान करती है;
- स्वचालित और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप शामिल करना और सुनिश्चित करना असंभव है;
- सूचना प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ शामिल हैं, जैसे –
- (i) इंटरनेट पर विज्ञापन;
- (ii) क्लाउड सेवाएँ प्रदान करना;
- (iii) ई-बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर और अन्य इंटेन्जीबल्स का प्रावधान दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से;
- (iv) किसी व्यक्ति को डेटा या जानकारी, पुनर्प्राप्ति योग्य या अन्यथा प्रदान करना कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में;
- (v) डिजिटल सामग्री (फिल्में, टेलीविजन शो, संगीत) की ऑनलाइन आपूर्ति और जैसे);
- (vi) डिजिटल डेटा स्टोरेज; तथा
- (vii) ऑनलाइन गेमिंग।
- (11) "आउटपुट टैक्स", ("Output Tax") एक कर योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में, एकीकृत कर का मतलब है।
- इस अधिनियम के तहत वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति या दोनों द्वारा किए गए पर प्रभार्य उसे या उसके एजेंट द्वारा लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर उसके द्वारा देय कर को बाहर करता है;
- (12) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" ("Special Economic Zone") का अर्थ है वह क्षेत्र जो विकासकर्ता द्वारा किसी निर्माण विकास के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

7. सेवाओं का आयात "का अर्थ है, किसी भी सेवा की आपूर्ति, जहाँ –
(क) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है
(ख) सेवा प्राप्त करने वाला भारत में स्थित है
(ग) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में है
(घ) उपरोक्त सभी
8. केंद्रीय कर के तहत लगाया और वसूला जाने वाला कर है –
(क) केंद्रीय कर (ख) यात्रा कर
(ग) कम दर पर कर (घ) उपरोक्त सभी

4.5 आईजीएसटी के तहत लेवी और टैक्स का संग्रह (Levy and Collection of Tax under IGST)

आईजीएसटी के तहत कर के लेवी और संग्रह के बारे में विवरण यहाँ बताया गया है।

4.5.1 आईजीएसटी की लेवी (Levy under IGST)

इंटीग्रेटेड जीएसटी के तहत आईजीएसटी के तहत टैक्स का लेवी और कलेक्शन। आईजीएसटी के तहत कर की वसूली, आईजीएसटी के तहत कर का संग्रह, मॉडल आईजीएसटी अधिनियम के अध्याय III में लेवी और कर संग्रह (आईजीएसटी) के विचाराधीन प्रावधान प्रदान करता है। धारा 4 है, जो आईजीएसटी की लेवी के लिए चार्जिंग सेक्शन अधिनियम की धारा 6 के अनुरूप है।

एकीकृत माल एवं सेवाकर आरोपण एवं संग्रहण के लिए निम्न प्रावधान बनाए गए हैं –

1. केंद्रीय माल और सेवाकर की धारा 15 के अर्थात निर्धारित मूल्य पर मादक पदार्थों की पूर्ति को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर कर लगाया जाएगा।
2. इसके अंतर्गत 40% तक कर लगाया जा सकेगा वर्तमान में यह कर 3%, 5%, 72%, 78%, 28% की दरों से लगाया गया है।
3. यह कर पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू नहीं किया जाता है।
4. सरकार राज्य के भीतर वस्तु एवं सेवा की अन्तर्राज्यीय पूर्ति को धारा 6 के अंतर्गत कर मुक्त कर सकती है।

4.5.2 इंटर-स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST)

अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी आपूर्ति पर IGST लगाया जाएगा। आईजीएसटी देश के बाहर से भी माल या सेवाओं के आयात पर लागू होगा, जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 में इंगित किया गया है।

वैट के तहत क्रेडिट के साथ-साथ सेनवैट क्रेडिट को पहले के शासन से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक पर चुकाए गए शुल्क और टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होंगे, जहाँ ड्यूटी भुगतान करने वाले दस्तावेज उपलब्ध हैं, जो कि छूट वाले उत्पादों/सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सेट-ऑफ के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। कम समझा जाने वाला क्रेडिट उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास ड्यूटी देने वाले दस्तावेज़ नहीं हैं।

4.5.3 लेवी और संग्रह (Levy and Collection)

उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के सभी अन्तर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा; मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर, चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि सरकार की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है। काउंसिल और इस तरह से एकत्र किया जाना निर्धारित किया जा सकता है और कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि भारत में आयात होने वाले सामान पर एकीकृत कर लगाया जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा, जो उस समय इस अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य पर निर्धारित होता है जब सीमा शुल्क पर शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत सामान।

पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की आपूर्ति पर एकीकृत कर ऐसी तारीख से लागू किया जाएगा, जिसे सरकार की परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

9. आईजीएसटी देश के बाहर से भी माल या सेवाओं के आयात पर लागू होगा, जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ----- में इंगित किया गया है—

- | | |
|----------|----------|
| (क) 2016 | (ख) 2017 |
| (ग) 2018 | (घ) 2019 |

टिप्पणी

10. भारत में आयात होने वाले सामान पर एकीकृत कर लगाया जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की ----- के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा।

(क) धारा 3

(ख) धारा 5

(ग) धारा 5

(घ) धारा 7

4.6 IGST अधिनियम की धारा 5 के तहत IGST की छूट (Discount under IGST act Section 5)

वस्तुओं और एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) जो CGST और SGST के बराबर है और IGST अधिनियम के तहत वस्तुओं और IGST अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्दिष्ट IGST कर की लेवी, जो यह परिकल्पना करती है –

(1) प्रयोज्यता (Applicability): किसी भी अन्तर-राज्यीय व्यापार पर IGST लगाया जाएगा;

उदाहरण के लिए, दिल्ली में स्थित मशीनरी का डी लिमिटेड आपूर्तिकर्ता मुंबई में एम लिमिटेड को मशीनरी की आपूर्ति करता है। ऐसी आपूर्ति अन्तर-राज्य IGST के अधीन है।

(2) निर्धारित दरें (Fixed rates): दरें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्त के आधार पर अधिसूचित की जाएगी।

(3) आयातित माल पर आईजीएसटी (IGST on imported goods): भारत में आयात किए गए सामान पर एकीकृत कर होगा –

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार वैध, लगाया और एकत्र किया गया।
- उस समय जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत उक्त माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(4) मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

(5) पेट्रोलियम उत्पादों पर IGST (IGST on petroleum products): पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (पेट्रोल), नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल नामक पाँच पेट्रोलियम उत्पाद सरकार की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से जीएसटी की लेवी के तहत होंगे।

(6) रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी (IGST in reverse charge): माल और सेवा 9 की आपूर्ति की श्रेणियां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जिस पर प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर उत्पत्तिवर्तन लागू करेंगे।

टिप्पणी

- (7) अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से खरीद पर आईजीएसटी (IGST on purchase from unregistered supplier): कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में आईजीएसटी या एक आपूर्तिकर्ता द्वारा दोनों, जो पंजीकृत नहीं है, एक पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर भुगतान किया जाएगा, जो प्राप्तकर्ता है और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे सामान या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।
- (8) आईजीएसटी लेवी (IGST Levy): सरकार द्वारा उनके माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर आईजीएसटी के भुगतान के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश पर भी अधिसूचित किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान उन पर लागू होंगे। यदि वे इस अधिनियम के तहत कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं।
- (9) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियां निर्दिष्ट करें, जिस पर कर का भुगतान किया जाएगा।

इस तरह के सामान या सेवाओं या दोनों और सभी प्रावधानों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज आधार यह अधिनियम ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होगा जैसे कि वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है, इस तरह के सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

11. एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) जो ----- है।
- (क) CGST के बराबर
- (ख) SGST के बराबर
- (ग) CGST और SGST के बराबर
- (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
12. अधिसूचित दरें किसी भी स्थिति में ----- से अधिक नहीं होनी चाहिए—
- (क) 30% (ख) 40%
- (ग) 60% (घ) 50%

टिप्पणी

4.7 IGST के तहत सेवा की आपूर्ति का निर्धारण (Determination of Place of Supply under IGST)

आपूर्ति के स्थान निर्धारण की आवश्यकता –

- IGST अधिनियम की धारा 19 और CGST अधिनियम की धारा 70 के अनुसार कठिनाई हो सकती है।
- जहाँ गलत वर्गीकरण के आधार पर गलत करों का भुगतान किया गया है, करदाता द्वारा रिफंड का दावा किया जाएगा।
- साथ ही, आपूर्ति की जगह का सही निर्धारण हमें कर की घटनाओं को जानने में मदद करेगा। जैसे कि यदि आपूर्ति की जगह भारत के बाहर जगह के रूप में निर्धारित की जाती है, तो उस लेनदेन पर कर का भुगतान नहीं करना होगा।

4.7.1 सेवाओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करना (Determining the Place of Supply of Services)

जीएसटी गंतव्य आधारित कर यानी उपभोग कर है, जिसका अर्थ है कि कर लगाया जाएगा, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है और उस राज्य को प्राप्त होगा।

जीएसटी के तहत, कर के तीन स्तर हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी और 'निर्धारित आपूर्ति की जगह' पर आधारित है, इसलिए सम्बन्धित कर लगाया जाएगा। IGST लगाया जाता है, जहाँ लेनदेन अन्तर-राज्य है, और CGST और SGST उस स्थान पर लगाए जाते हैं जहाँ लेनदेन अन्तर-राज्य है। सेवाओं के लिए आपूर्ति की जगह समझने के लिए निम्नलिखित दो अवधारणाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं:

- सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान, एवं
- सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान।

आइए इन दो अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं क्योंकि वे सेवाओं की आपूर्ति के मामले में आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए आधार बनाएंगे।

अ.क्र.	मामला	सेवा का प्राप्तकर्ता स्थान
(अ)	जहाँ व्यवसाय के लिए एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है	व्यापार का ऐसा स्थान
(ब)	जहाँ व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (अन्यत्र एक निश्चित स्थापना)	ऐसी निश्चित स्थापना

टिप्पणी

(स)	जहाँ एक आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर प्राप्त होती है, चाहे व्यवसाय का स्थान या निश्चित प्रतिष्ठान	स्थापना की स्थिति सबसे सीधे आपूर्ति की प्राप्ति से सम्बन्धित है
(द)	ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में	प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थापना का स्थान;

अ.क्र.	मामला	सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान
(अ)	जहाँ व्यवसाय के लिए आपूर्ति की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है	व्यापार के ऐसे स्थापना का स्थान
(ब)	जहाँ व्यापार के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (अन्यत्र एक निश्चित स्थापना)	ऐसी निश्चित स्थापना का स्थान;
(स)	जहाँ एक से अधिक प्रतिष्ठानों से आपूर्ति की जाती है, चाहे व्यवसाय का स्थान हो या तय प्रतिष्ठान,	स्थापना के स्थान की आपूर्ति के प्रावधान के साथ सबसे सीधे सम्बन्ध है
(द)	ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में,	आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थापना का स्थान;

सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में लेनदेन मोटे तौर पर निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. घरेलू लेनदेन (Domestic Transactions)

ये ऐसे लेन-देन हैं, जहाँ दोनों पार्टियाँ यानी आपूर्तिकर्ता और साथ ही सेवा प्राप्त करने वाले भारत में हैं। घरेलू लेनदेन को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

सामान्य नियम (General Rules)

सामान्य तौर पर, सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा (प्राप्तकर्ता को पंजीकृत व्यक्ति होने की आवश्यकता है)। मामलों में, जहाँ एक अपंजीकृत व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है, आपूर्ति का स्थान निम्नलिखित होगा –

- सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान;
- अन्यथा, सेवा प्रदाता का स्थान।

2. अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन (International Transactions)

ये ऐसे लेनदेन हैं, जहाँ या तो सेवा प्राप्तकर्ता या प्रदाता भारत के बाहर है। ऐसे लेन-देन, जिनमें प्राप्तकर्ता और साथ ही प्रदाता भारत के बाहर हैं, वे यहाँ नहीं आते हैं।

टिप्पणी

सामान्य नियम (General Rules)

अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के रूप में व्यवहार की जाने वाली सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान –

- सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान,
- ऐसी स्थिति में, जहां सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान उपलब्ध नहीं है, आपूर्ति का स्थान आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

**4.7.2 GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान
(Place of Supply of Goods and Services under GST)**

1. आयात और निर्यात के अलावा जीएसटी में वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के प्रावधानों को सारांशित करें –

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होंगे, जो निम्नानुसार हैं –

अ.क्र.	माल की आपूर्ति की प्रकृति	आपूर्ति का स्थान
1	जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है, चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा या प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	उस समय माल का स्थान, जिस समय, माल की आवाजाही प्राप्तकर्ता को वितरण के लिए समाप्त हो जाती है
2	जहाँ माल प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा दिया जाता है, या तीसरे स्थान पर किसी व्यक्ति को शीर्षक के हस्तान्तरण के माध्यम से या अन्यथा, यह माना जाएगा कि तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त किया है	ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय का प्रमुख स्थान
3	जहाँ आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा माल की आवाजाही नहीं है	प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय ऐसे सामान का स्थान
4	जहाँ सामानों को इकट्ठा किया जाता है या साइट पर स्थापित किया जाता है	वह स्थान, जहाँ सामान इकट्ठा या स्थापित किया जाता है
5	जहाँ माल को जहाज, विमान, ट्रेन या मोटर वाहन की तरह वाहन पर चढ़ाया जाता है	जिस स्थान पर इस तरह के सामान को ले जाया जाता है, वहां तक पहुंच जाता है
6	जहाँ वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है उपखंड (2), (3), (4) और (5)	यह इस तरह से निर्धारित किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है

2. आयात और निर्यात के मामले में माल की आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के प्रावधानों को सारांशित करें –

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होंगे, जो निम्नानुसार हैं –

अ.क्र.	माल की आपूर्ति की प्रकृति	आपूर्ति का स्थान
1	आयात	आयातक का स्थान
2	निर्यात	भारत के बाहर का स्थान

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

टिप्पणी

3. घरेलू आपूर्ति के मामले में सेवाओं की आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के लिए प्रावधानों को तय करना –

- (i) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान घरेलू आपूर्ति के मामलों में लागू होंगे अर्थात् जहाँ सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान और सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में है। प्रावधान निम्नानुसार दिए गए हैं –

अ.क्र.	सेवा की प्रकृति	आपूर्ति का स्थान
1	अचल सम्पत्ति होटल आवास सहित सेवाओं से सम्बन्धित है	वह स्थान जिस पर अचल सम्पत्ति या नाव या पोत स्थित है या भारत के बाहर स्थित होने का इरादा है:
2	रेस्तरां और खानपान सेवाएँ, व्यक्तिगत सौंदर्य, फिटनेस, सौंदर्य उपचार और स्वास्थ्य सेवा	वह स्थान, जहाँ वास्तव में सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है
3	किसी कार्यक्रम या मनोरंजन पार्क में प्रवेश	वह स्थान जहाँ वास्तव में आयोजन होता है या जहाँ पार्क या दूसरी जगह स्थित होती है
4	एक संदेश बोर्ड पर सेवाएँ	यात्रा के लिए उस प्रस्थान के पहले निर्धारित बिंदु का स्थान
5	बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएँ	आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान यदि सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान उपलब्ध नहीं है
6	सरकार को विज्ञापन सेवाएँ	आपूर्ति का स्थान ऐसे राज्यों में से प्रत्येक में स्थित होगा जैसा कि कई राज्यों के अनुपात में होता है
7	दूरसंचार सेवाएँ	फिक्स्ड लाइन, सर्किट, डिश इत्यादि से सम्बन्धित सेवाएँ और आपूर्ति का स्थान ऐसे निश्चित उपकरणों का स्थान है। यह प्राप्तकर्ता के बिलिंग पते का स्थान है। प्रीपेड वाउचर की बिक्री के मामले में, आपूर्ति का स्थान ऐसे वाउचर की बिक्री का स्थान है। अन्य मामलों में, यह रिकॉर्ड में प्राप्तकर्ता का पता है

- (ii) उपरोक्त निर्दिष्ट 12 सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं के लिए, एक डिफॉल्ट प्रावधान निम्नानुसार निर्धारित किया गया है –

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

अ.क्र.	आपूर्ति का विवरण	आपूर्ति का स्थान
1	बी 2 बी	ऐसे पंजीकृत व्यक्ति का स्थान
2	बी 2 सी	(i) प्राप्तकर्ता का स्थान जहां रिकॉर्ड पर पता मौजूद है, और
		(ii) अन्य मामलों में सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान

4. सीमा पार आपूर्ति के सम्बन्ध में आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए प्रावधानों को तय करना।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान सीमा पार से आपूर्ति के मामलों में लागू होंगे, जहां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान या सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत से बाहर है।

प्रावधान निम्नानुसार दिए गए हैं –

- (i) सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों के सम्बन्ध में, आपूर्ति का स्थान एक विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। बाकी सेवाओं को एक डिफॉल्ट प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

अ.क्र.	सेवा की प्रकृति	आपूर्ति का स्थान
1	सामानों के लिए आपूर्ति की जाने वाली सेवाएँ, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी दूरस्थ स्थान से भौतिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है	वह स्थान, जहाँ वास्तव में सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है, वह स्थान जहाँ माल स्थित हैं
2	एक व्यक्ति को आपूर्ति की गई सेवाएँ और रिसीवर की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है	वह स्थान, जहाँ वास्तव में सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है
3	अचल संपत्ति सम्बन्धी	
	होटल आवास सहित सेवाएँ	वह स्थान, जिस पर अचल सम्पत्ति स्थित है
4	किसी ईवेंट का संगठन या प्रवेश	वह स्थान, जहाँ वास्तव में आयोजन होता है
5	यदि उक्त तीन सेवाओं को एक से अधिक स्थानों पर आपूर्ति की जाती है, अर्थात्,	
	(i) सामान और व्यक्ति सम्बन्धी अचल संपत्ति से सम्बन्धित घटना सम्बन्धी	
5.1	कर योग्य क्षेत्र में एक स्थान सहित एक से अधिक स्थानों पर	इसकी आपूर्ति का स्थान कर योग्य क्षेत्र में स्थान होगा जहाँ सेवा का सबसे बड़ा अनुपात प्रदान किया जाता है
5.2	एक से अधिक राज्यों में	प्रत्येक राज्य में प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य के अनुपात में इसकी आपूर्ति का स्थान प्रत्येक ऐसा राज्य होगा

टिप्पणी

6	बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, NBFC मध्यस्थ सेवाएं, वाहनों की सेवाओं को किराए पर लेना आदि।	सेवा के आपूर्तिकर्ता का स्थान
7	माल का परिवहन	माल के गन्तव्य का स्थान
8	यात्री परिवहन	वह स्थान, जहाँ यात्री निरंतर यात्रा के लिए कनवेंस पर घूमता है
9	एक संदेश पर सेवाएँ	यात्रा के लिए उस प्रस्थान के प्रस्थान का पहला निर्धारित बिंदु
10	ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ	सेवा प्राप्त करने वाले का स्थान

- (ii) उपरोक्त निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा बाकी सेवाओं के लिए, आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्त करने वाले का स्थान होगा। हालाँकि, यदि व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है, तो आपूर्ति का स्थान सेवा के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- ऐसे लेन-देन, जहाँ दोनों पार्टियाँ यानी आपूर्तिकर्ता और साथ ही सेवा प्राप्त करने वाले भारत में हैं –
 - सामान्य लेनदेन
 - व्यवसाय लेनदेन
 - प्रमुख लेनदेन
 - घरेलू लेनदेन
- वह स्थान, जहाँ वास्तव में सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है –
 - आपूर्ति का स्थान
 - सेवा की प्रकृति
 - आपूर्ति का विवरण
 - उपरोक्त में से कोई नहीं

4.8 शून्य रेटेड आपूर्ति (Zero Rated Supply)

किसी भी अर्थव्यवस्था में, सरकार अपने निर्यात को यथासंभव बढ़ाने की कोशिश करती है। इससे सरकार को देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार और भुगतान संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार व्यापारिक घरानों को कुछ राहत और लाभ प्रदान करती है। ऐसा ही एक जीएसटी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई गई राहत को शून्य रेटेड आपूर्ति कहा जाता है।

केंद्रीय सामान और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अनुसार, निम्नलिखित आपूर्ति को 'जीरो रेटेड आपूर्ति' माना जाता है –

टिप्पणी

- माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात;
- सामान या सेवाओं की आपूर्ति या विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई दोनों के लिए।

4.8.1 परिचय (Introduction)

एक पंजीकृत डीलर द्वारा निर्यात (माल या सेवा दोनों) या SEZ को आपूर्ति के रूप में की गई कोई भी आपूर्ति जीएसटी में शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए योग्य है। ऐसी आपूर्ति पर कर की दर 'शून्य' है या हम कह सकते हैं कि आपूर्ति कर मुक्त है।

एसईजेड के एक डेवलपर को आपूर्ति को जीएसटी में जीरो-रेटेड आपूर्ति के तहत कवर किया गया है क्योंकि इन आपूर्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाता है।

कुछ आपूर्ति हैं जिन पर जीएसटी की कोई घटना नहीं है। ऐसे सभी आपूर्ति मानदंडों के बीच अन्तर्निहित अन्तर को समझना महत्वपूर्ण है –

विवरण	NIL रेटेड आपूर्ति	गैर कर योग्य आपूर्ति	छूट की आपूर्ति	शून्य-रेटेड आपूर्ति
अर्थ	माल और सेवाएँ, जिन पर 0% GST लागू है	जिन वस्तुओं और सेवाओं पर GST बिलकुल नहीं लगाया गया है	आपूर्ति जो जीएसटी के भुगतान से छूट दी गई है	माल या सेवाएं जो एसईजेड को निर्यात या आपूर्ति की जाती हैं
इनपुट क्रेडिट उपलब्धता	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
जीएसटी प्रयोज्यता	जीएसटी के दायरे में आता है	GST के दायरे में नहीं आता है	जीएसटी के दायरे में आता है	जीएसटी के दायरे में आता है
उदाहरण	टैरिफ के साथ होटल आवास रु 1,000	मानव उपभोग के लिए शराब की आपूर्ति	अपंजीकृत डीलरों से आवक आपूर्ति	दक्षिण अफ्रीका को जूते का निर्यात

4.8.2 जीएसटी में शून्य रेटेड आपूर्ति का रिफंड (Zero Rated Supply Refund in GST)

जीरो रेटेड आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता रिफंड का दावा करने के हकदार हैं। रिफंड उन वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स के लिए होता है, जो इस तरह की जीरो-रेटेड आपूर्ति (गैर-कर योग्य और छूट वाली आपूर्ति सहित) के लिए उपयोग किए जाते हैं।

शून्य रेटेड आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति CGST अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प के तहत रिफंड का दावा कर सकता है –

- बॉन्ड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत IGST के भुगतान के बिना आपूर्ति – अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा वापसी।
- IGST के भुगतान के साथ आपूर्ति-IGST के भुगतान का दावा वापसी।

टिप्पणी

उदाहरण के लिए – एक निर्यातक दुर्घट्ट को जूते की आपूर्ति करता है और ऐसे जूते के उत्पादन में तलवों का उपयोग करता है। निर्यातक के पास तलवों की खरीद पर भुगतान किए गए GST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का एक विकल्प है।

रिफंड का दावा करने के लिए डीलर के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं –

I. डीलर बॉन्ड या LUT (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) के तहत निर्यात कर सकते हैं और टैक्स के संचित इनपुट क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकते हैं; या

II. डीलर आपूर्ति करते हुए और उसी के रिफंड का दावा करते हुए IGST का भुगतान कर सकता है।

इसलिए, डीलरों को उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी दो विकल्पों में से चुनने के लिए एक लचीलापन प्रदान किया जाता है।

4.8.3 माल के निर्यात के लिए रिफंड प्रक्रिया (Refund Process for Export of Goods)

जीएसटी कानूनों के तहत, निर्यात डीलरों के लिए रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। जीरो-रेटेड आपूर्ति के लिए, अलग से रिफंड आवेदन (GST RFD-01) दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। निर्यातक द्वारा दायर शिपिंग बिल अपने आप में धनवापसी का दावा है।

कानून निर्दिष्ट करता है कि शिपिंग बिल को दो शर्तों का पालन करते हुए संतोषजनक वापसी पर दावा माना जाता है –

I. निर्यात माल ले जाने वाले व्यक्ति को निर्यात मेनिफेस्ट दायर करना चाहिए; तथा

II. आवेदक को उचित रूप से GSTR-3 या GSTR-3B दाखिल करना चाहिए।

एक बार जब उपरोक्त दो दस्तावेज उचित रूप से दायर किए जाते हैं, तो रिफंड विभाग द्वारा संसाधित किया जाता है।

4.8.4 सेज को सेवाओं और आपूर्ति के निर्यात के लिए रिफंड प्रक्रिया (Refund Process for Export of Services and Supplies to SEZs)

IGST का भुगतान करने और वापसी का दावा करने का विकल्प हमेशा उपलब्ध होता है। इस मामले में, रिफंड का दावा फॉर्म GST RFD-01 में दर्ज करना होगा।

सेवाओं के निर्यातकों के लिए, रिफंड के दावे के साथ निम्नलिखित भी दायर किए जाने चाहिए –

टिप्पणी

I. एक बयान जिसमें संख्या और चालान की तारीख है; तथा

II. बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र

SEZ को माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को रिफंड के दावे के साथ निम्नलिखित फाइल करने की आवश्यकता होती है –

I. एक बयान, जिसमें संख्या और चालान की तारीख है; तथा

II. वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति का प्रमाण, जो एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अधिकृत है।

III. किए गए भुगतान का विवरण

IV. घोषणा कि SEZ या SEZ के डेवलपर ने आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया है।

4.8.5 अनन्तिम वापसी (Provisional Return)

SEZ के निर्यातक और आपूर्तिकर्ता अनन्तिम आधार पर 90% वापसी के हकदार हैं। वापसी के दावे के सात (7) दिनों के भीतर अनन्तिम वापसी प्रदान की जाती है। अनन्तिम वापसी की राशि सीधे दावेदार के बैंक खाते में जमा की जाती है।

अनन्तिम रिफंड से जुड़ी एक शर्त है। अनन्तिम वापसी की अनुमति नहीं दी जाती है यदि आवेदक को पिछले पांच (5) वर्षों के भीतर जीएसटी कानून या पहले के कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो।

4.8.6 शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit Facilities for Zero-rated Supply)

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अधीन जीरो रेटेड आपूर्ति करने के लिए इनपुट और इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है।

4.8.7 शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य वापसी (Return Eligible for Input Tax Credit for Zero Rated Supply)

नियम 89 के उप नियम (4) के अनुसार, इनपुट क्रेडिट टैक्स की वापसी निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दी जाएगी:

रिफंड राशि = (माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) × नेट आईटीसी के अन्तर्गत समायोजित कुल टर्नओवर।

स्पष्टीकरण –

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

- **रिफंड राशि** – स्वीकार्य अधिकतम धनवापसी
- **नेट आईटीसी** – इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा इनपुट और इनपुट सेवाओं पर लिया जाता है, जिसके लिए रिफंड का दावा उप नियमों 4 (ए) या 4 बी के तहत किया जाता है

टिप्पणी

जोड़ें	सेवाओं, जिनकी आपूर्ति के बाद, जिनका भुगतान शून्य हो
जोड़ें	प्रासंगिक अवधि से पहले किसी भी अवधि में अग्रिम में प्राप्त भुगतान, जिसके लिए आपूर्ति पूरी हो गई है
कम से	अग्रिम में प्राप्त भुगतान, जिसके लिए प्रासंगिक अवधि के दौरान आपूर्ति पूरी नहीं हुई है।

- **प्रासंगिक अवधि** – वह अवधि जिसके लिए दावा दायर किया गया है
(4 ए) आपूर्ति के मामले में, जिस पर आपूर्तिकर्ता ने अधिसूचना संख्या 48/2017-केंद्रीय कर दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 का लाभ उठाया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी, अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में लाभ उठाया है। वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य-रेटेड आपूर्ति करना, प्रदान किया जाएगा।
- (4 बी) आपूर्ति के मामले में, जिस पर आपूर्तिकर्ता ने अधिसूचना संख्या 40/201 जीम-केंद्रीय कर (दर) का लाभ उठाया है, दिनांक 23 अक्टूबर, 201 जीम या अधिसूचना संख्या 41/201 जीम-एकीकृत कर (दर) 23 तारीख अक्टूबर, 2017, या दोनों, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी, उक्त सूचनाओं के तहत प्राप्त वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राप्त इनपुट और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, जो इस तरह के निर्यात को बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में लिया गया है माल दिया जाएगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

15. जीएसटी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई गई राहत को कहा जाता है—
(क) अनन्तिम छूट (ख) शून्य रेटेड आपूर्ति
(ग) इनपुट क्रेडिट उपलब्धता (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।
16. SEZ के निर्यातक और आपूर्तिकर्ता अनन्तिम आधार पर —————
वापसी के हकदार हैं—
(क) 30% (ख) 40%
(ग) 60% (घ) 90%

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

4.9 निल रेटेड, छूट, शून्य रेटेड और गैर-जीएसटी आपूर्ति के बीच अन्तर क्या है? (What is the Difference between Nil Rated, Exempt, Zero-rated and Non-GST Supplies)

जीएसटी की शुरुआत के साथ, वस्तुओं और सेवाओं को निल रेटेड, छूट, शून्य रेटेड और गैर-जीएसटी आपूर्ति में वर्गीकृत किया गया है।

4.9.1 निल रेटेड (Nil Rated)

इस प्रकार की आपूर्ति 0% का जीएसटी आकर्षित करती है। इस तरह की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है। कुछ वस्तुओं को जो निल रेटेड हैं, उनमें अनाज, नमक, गुड़ आदि शामिल हैं।

4.9.2 छूट दी गई (Exempted)

इस आपूर्ति में वे आइटम शामिल हैं, जिनका उपयोग रोजमर्रा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चूंकि वे मूल आवश्यक हैं, इसलिए वे किसी भी GST को आकर्षित नहीं करते हैं। आप इस तरह की आपूर्ति पर किसी भी आईटीसी का दावा नहीं कर पाएंगे। कुछ उदाहरणों में रोटी, ताजे फल, दूध, दही आदि शामिल हैं।

विदेशों में और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) या एसईजेड डेवलपर्स को शून्य-रेटेड आपूर्ति शून्य-रेटेड आपूर्ति के अंतर्गत आती है। यह आपूर्ति 0% का GST आकर्षित करती है। ऐसी आपूर्ति के लिए, आईटीसी का दावा किया जा सकता है।

4.9.3 गैर-जीएसटी (Non-GST)

आपूर्ति जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, उन्हें गैर-जीएसटी आपूर्ति कहा जाता है। हालांकि, ये आपूर्ति राज्य या देश के अधिकार क्षेत्र के अनुसार जीएसटी के अलावा अन्य करों को आकर्षित कर सकती हैं। इस तरह की आपूर्ति के कुछ उदाहरणों में पेट्रोल, शराब आदि शामिल हैं।

आपूर्ति	जीएसटी लागू	आपूर्ति का प्रकार	आईटीसी के लिए पात्रता	उदाहरण
निल रेटेड	0%	रोजमर्रा आइटम	नहीं	अनाज, नमक, गुड़ आदि।
छूट प्राप्त	—	मूल आवश्यक	नहीं	ब्रेड, ताजे फल, ताजा दूध, दही, आदि।

शून्य रेटेड	0%	विदेशी आपूर्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) या एसईजेड डेवलपर्स को आपूर्ति	हाँ	—
गैर-जीएसटी	—	आपूर्ति जिसके लिए जीएसटी लागू नहीं है लेकिन अन्य करों को आकर्षित कर सकता है	नहीं	पेट्रोल, अल्कोहोल, आदि।

एकीकृत सेवा कर
अधिनियम 2017

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

17. विदेशों में एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र या एसईजेड (SEZ) की आपूर्ति आती हैं—

- (क) गैर GST आपूर्ति (ख) शून्य रेटेड आपूर्ति
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) दोनों में से कोई नहीं

18. वह आपूर्ति, जो GST के दायरे में नहीं आती, के अंतर्गत आती है—

- (क) गैर GST आपूर्ति (ख) शून्य रेटेड आपूर्ति
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) दोनों में से कोई नहीं

4.10 CGST, SGST और IGST के बीच अन्तर (Difference between CGST and IGST)

	सीजीएसटी	एसजीएसटी	IGST
अर्थ	CGST का मतलब है केंद्रीय कर और सेवा कर जैसे मौजूदा कर को बदलना, जैसे सेवा कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि और यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।	एसजीएसटी का अर्थ है राज्य वस्तु और सेवा कर, मौजूदा कर जैसे बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर इत्यादि को प्रतिस्थापित करना और यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।	IGST एकीकृत माल और सेवा कर को संदर्भित करता है और यह CGST और IGST का संयुक्त रूप है और यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
कर का संग्रह	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार
प्रयोज्यता	इन्ट्रा-स्टेट सप्लाय	इन्ट्रा-स्टेट सप्लाय	अन्तर-राज्यीय आपूर्ति
पंजीकरण	टर्नओवर 20 लाख (उत्तर पूर्वी राज्यों के)	टर्नओवर 20 लाख (उत्तर पूर्वी राज्यों के)	पंजीकरण अनिवार्य है

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

	लिए 10 लाख) तक कोई पंजीकरण नहीं	के लिए 10 लाख) तक कोई पंजीकरण नहीं	
रचना	कम्पोजिशन स्कीम के तहत डीलर 75 लाख तक के लाभ का उपयोग कर सकता है	कम्पोजिशन स्कीम के तहत डीलर 75 लाख तक के लाभ का उपयोग कर सकता है।	रचना योजना अन्तर राज्य आपूर्ति में लागू नहीं है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

19. IGST के अन्तर्गत करों का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है?
- (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार
- (ग) (क) और (ख) दोनों (घ) दोनों में से कोई नहीं
20. CGST और SGST में कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत डीलर
----- तक के लाभ का उपयोग कर सकता है –
- (क) 25 लाख (ख) 50 लाख
- (ग) 75 लाख (घ) 1 करोड़

4.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1. (ग) | 8. (क) | 15. (ख) |
| 2. (क) | 9. (क) | 16. (घ) |
| 3. (घ) | 10. (क) | 17. (ख) |
| 4. (ख) | 11. (ग) | 18. (क) |
| 5. (घ) | 12. (ख) | 19. (क) |
| 6. (घ) | 13. (घ) | 20. (ग) |
| 7. (घ) | 14. (क) | |

4.12 सारांश (Summary)

जीएसटी कानून के तहत आईजीएसटी फुल फॉर्म इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसे IGST एक्ट 2017 कहा जाता है।

टिप्पणी

IGST मॉडल का दायरा GST अधिनियम को अर्थ देता है जिसमें से IGST घटकों में से एक है। IGST अधिनियम स्पष्ट करता है कि केंद्र IGST को लेवी देगा जो कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के सभी अन्तर-राज्यीय लेनदेन पर ब्लैक और SGST होगा, जो माल और सेवाओं की खेप या स्टॉक हस्तान्तरण के लिए उचित प्रावधान के साथ होगा।

किसी भी अर्थव्यवस्था में, सरकार अपने निर्यात को यथासंभव बढ़ाने की कोशिश करती है। इससे सरकार को देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार और भुगतान सन्तुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार व्यापारिक घरानों को कुछ राहत और लाभ प्रदान करती है। ऐसी ही एक जीएसटी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई गई राहत को कहा जाता है—शून्य रेटेड आपूर्ति।

IGST GST की श्रेणी है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सभी अन्तराज्यीय आपूर्ति पर लगाए गए कर शामिल हैं। कर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है और निर्यात शून्य-रेटेड हैं।

GST अधिनियम IGST लेवी को नियंत्रित करता है।

GST शासन के तहत, एक एकीकृत GST (IGST) माल और सेवाओं की अन्तर-राज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 269 ए के तहत, अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाएगा, और इस तरह के कर संघ और राज्यों के बीच संसद द्वारा प्रदान किए गए तरीके से लगाए जाएंगे।

4.13 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- गणतंत्र : गणराज्य, प्रजातंत्र
- इन्टेंजिबल : अस्पृश्य, जिसे छुआ न जा सके

4.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Question and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है तथा ये कैसे कार्य करता है?
2. सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति तथा मुख्य विशेषताएँ बताइये।
3. CGST और SGST के बीच अन्तर लिखिये।
4. कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें हैं?

5. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत मांग और वसूली को संक्षेप में समझाइये।

टिप्पणी

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधान लिखिये।
2. डिमांड और रिकवरी के अन्तर्गत किन्हीं पाँच नियमों की चर्चा कीजिये।
3. कम्पोजिशन स्कीम क्या है विस्तार में समझाइये।
4. सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति को लिखिये।

4.15 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. मेहरोत्रा एवं अग्रवाल, "माल और सेवा कर", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो. श्रीपाल सकलेचा, "जीएसटी एवं कस्टम कानून", सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, इंदौर।

इकाई 5 तटकर : एक परिचय (Customs Duty – An Introduction)

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

संरचना (Structure)

5.0 परिचय

5.1 उद्देश्य

5.2 सीमा शुल्क का इतिहास

5.2.1 भारतीय सीमा शुल्क का इतिहास

5.2.2 कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य

5.2.3 सीमा शुल्क की लेवी की विधि

5.2.4 ई-संचित

5.3 कस्टम एक्ट, 1962 अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

5.4 सीमा शुल्क के प्रकार

5.4.1 अवधारणा की पृष्ठभूमि

5.4.2 हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड

5.4.3 भारत के सीमा शुल्क टैरिफ

5.4.4 आठ अंकों का कोड

5.4.5 मूल सीमा शुल्क (BCD)

5.4.6 अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD)

5.4.7 विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (SAD)

5.4.8 एंटी-डम्पिंग ड्यूटी/सेफगार्ड ड्यूटी

5.4.9 शिक्षा उपकर

5.4.10 एकीकृत माल और सेवा कर (IGST)

5.4.11 जीएसटी मुआवजा उपकर (GCC)

5.4.12 समाज कल्याण अधिभार (SWS)

5.4.13 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी

5.4.14 सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर

5.4.15 सुरक्षात्मक कर्तव्य

5.4.16 सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर

5.4.17 काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD)

5.5 सीमा शुल्क मूल्यांकन

5.5.1 सीमा शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

5.5.2 सीमा शुल्क मूल्यांकन पर तकनीकी जानकारी

5.5.3 लघु ऐतिहासिक अवलोकन

5.5.4 मूल सिद्धान्त तथा विधियाँ

5.5.5 नमूना सीमा शुल्क गणना

5.5.6 आयात के मूल्यांकन योग्य मूल्य के लिए सीमा शुल्क की गणना

5.6 सीमा शुल्क मूल्य

5.6.1 सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित करने के तरीके

5.6.2 परिभाषाएँ

5.6.3 मूल्यांकन की विधि का निर्धारण

5.6.4 समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य

5.6.5 समान सामानों का लेनदेन मूल्य

5.6.6 मूल्य का निर्धारण जहाँ नियमों 3, 4 और 5 के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है

5.6.7 डिडक्टिव वैल्यू

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- 5.6.8 संगणित मूल्य
- 5.6.9 अवशिष्ट विधि
- 5.6.10 लागत और सेवाएँ
- 5.6.11 आयातक द्वारा घोषणा
- 5.6.12 घोषित मूल्य की अस्वीकृति

- 5.7 आंकिक उदाहरण
- 5.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 5.9 सारांश
- 5.10 मुख्य शब्दावली
- 5.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 5.12 सहायक पाठ्य सामग्री

5.0 परिचय (Introduction)

‘सीमा शुल्क’ से तात्पर्य उन वस्तुओं पर लगने वाले कर से है, जब उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है। सीमा शुल्क लगाने के पीछे उद्देश्य किसी भी देश की माल की आवाजाही, विशेष रूप से निषिद्ध और प्रतिबन्धात्मक वस्तुओं के आवागमन को विनियमित करके, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, नौकरियों, पर्यावरण, निवासियों आदि की सुरक्षा करना है।

प्रत्येक वस्तु की एक पूर्वनिर्धारित दर होती है, जो विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें इस तरह के वस्तु का अधिग्रहण किया गया था, जहाँ इस तरह के सामान को बनाया गया था। साथ ही, जो कुछ भी आप पहली बार भारत में लाते हैं, उसे सीमा शुल्क नियमों के अनुसार घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको विदेश में खरीदी गई वस्तुओं और किसी भी उपहार को घोषित करने की आवश्यकता है, जो आप भारत के बाहर प्राप्त करते हैं।

5.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

- सीमा शुल्क से अवगत हो पाएंगे;
- कस्टम एक्ट से अवगत हो पाएंगे;
- GCC और SWS से अवगत हो पाएंगे; तथा
- विभिन्न प्रकार के उपकरणों को समझ पाएंगे।

5.2 सीमा शुल्क का इतिहास (History of Custom Duty)

टिप्पणी

यद्यपि हम वैश्वीकरण को एक आधुनिक घटना मानते हैं; इसकी गतिविधि की पहचान, मुक्त व्यापार क्षेत्रों से लेकर शुल्क दरों तक, सहस्राब्दियों तक रही है। प्राचीन ग्रीस के बंदरगाहों से चीन की महान दीवार तक, दुनिया भर में सीमा शुल्क गतिविधि के साक्ष्य की खुदाई की गई है।

प्रमाणों से ज्ञात होता है कि औद्योगिक वस्तुओं पर नियंत्रण और करों की जटिल प्रणाली औद्योगीकरण से पहले अच्छी तरह से अस्तित्व में थी। छोटी आबादी के बीच यह देखना आसान था कि विदेशी माल पर निर्भरता ऋण में डूबेगी और समुदाय को तनाव देगी।

विद्वानों का मानना है कि शुरुआती सीमा शुल्क वास्तव में स्वैच्छिक था, और यात्रा करने वाले व्यापारियों को विचारशील उपचार के लिए संप्रभुओं को रिश्वत के रूप में पेश किया गया था। समय के साथ, यह रिश्वत अनिवार्य हो गई। इसे 'कर्तव्य' कहा जाता था, एक विशेष राज्य में व्यापार के विशेषाधिकार के लिए शुल्क लिया जाता है। इस संग्रह को कर किसानों के लिए ही आउटसोर्स किया गया था, जो किसी भी तरह से हिंसा सहित आवश्यक साधनों का उपयोग करेगा – जो राजशाही के लिए एक आवश्यक राजस्व स्रोत बन गया था।

पहला लिखित सीमा शुल्क टैरिफ पल्मायरा (वर्तमान सीरिया) में विकसित किया गया था और इसे पत्थर में उकेरा गया था (अब भी वहीं है!)।

पल्मायरा की सीमा शुल्क (167 ई।)

एराबस्टर जारों में सुगन्धित तेल के ऊँट-लोड, आयात और निर्यात पर सात डिनेरी जैतून के तेल के प्रति ऊँट-लोड में चार बकरी के बैग, आयात और निर्यात पर दस डिनेरी शामिल हैं

नमकीन प्रावधानों के प्रति ऊँट-लोड, आयात और निर्यात पर दस डिनेरी

गधे द्वारा लाए गए नमकीन सामानों के लिए, सीमा शुल्क एजेंट आयात और निर्यात पर प्रति भार तीन मूल्य प्राप्त करेगा

कनाडा सीमा शुल्क टैरिफ (2016)

3301.13.00	00	आवश्यक तेल (टेरपिनलेस या नहीं), जिसमें समवर्ती और निरपेक्ष शामिल हैं; वसा में आवश्यक तेलों के सान्द्रता, निश्चित तेलों में, मोम में या जैसे, एंफ़लर्ज या मैक्रेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है; आवश्यक तेलों के निस्तारण के टेरेपेनिक उप-उत्पाद; जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल – खट्टे फल का आवश्यक तेल: – नींबू का	KGM	निःशुल्क
------------	----	--	-----	----------

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

1509.90.00	20	जैतून का तेल और इसके अंश, परिष्कृत या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं – अन्य – 18 किलो या उससे अधिक के कन्टेनर आकार में	KGM	निःशुल्क
------------	----	--	-----	----------

प्राचीन रोम ने पेशेवर सीमा शुल्क कार्यालय और अधिकारियों को पेश किया। पल्मायरा की टैरिफ वॉल के समान, कलाकृतियों (जैतून के तेल के आयातित जार) पर मिली व्यापारिक जानकारी में आधुनिक सीमा शुल्क घोषणाओं के समान शिलालेख थे।

रोमन युग के सीमा शुल्क डेटा	कनाडा सीमा शुल्क चालान (वर्तमान)
माल लदान का बंदरगाह	विक्रेता (नाम और पता)
लदान की तारीख	डायरेक्ट शिपमेंट की तारीख
शहर का नाम, जहाँ ड्यूटी का भुगतान किया गया था	अन्य सन्दर्भ
वजन	परेषिती
मूल्य	क्रेता का नाम और पता
गण #	स्थानान्तरण का देश
निर्माता	माल की उत्पत्ति का देश
अधिकारी जो सामान का वजन करते हैं	परिवहन मोड
शुल्क की राशि का भुगतान किया	बिक्री की शर्तें और भुगतान की शर्तें
	बस्ती की मुद्रा
	बन्डलों की संख्या
	वस्तुओं की विशिष्टता
	मात्रा
	विक्रय मूल्य
	कुल वजन

एक जटिल, विकसित फिल्टर के रूप में सीमा शुल्क की एक नई अवधारणा औद्योगिक युग की शुरुआत में शुरू हुई, जब राष्ट्रों ने राष्ट्रीय धन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में निर्यात को बढ़ावा दिया। जैसे-जैसे व्यापार बढ़ता गया, वैसे-वैसे प्रतिस्पर्धा होती गई और बाजार की ताकतों के साथ घरेलू श्रम की जरूरतों को संतुलित करने के लिए कानून की धाराएँ बन गईं। काउंटरवैलिंग ड्यूटी सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स और एंटी-डम्पिंग ड्यूटी के खिलाफ अनसोल्ड सरप्लस के लिए लगाई गई थी। निर्यात को धक्का देने के बेलगाम प्रयासों ने व्यापार युद्धों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जो शिपिंग को रोकते थे और परिणामस्वरूप आर्थिक दुर्घटनाओं, संरक्षणवाद के खतरों का खुलासा करते थे। युद्धों के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किए गए, और आज भी (कुछ हद तक) पारदर्शी सहयोग का युग जारी है।

प्रमुख प्रगति के बावजूद, सीमा शुल्क का सार न तो गायब हो गया है और न ही बदला गया है। सुरक्षा से लेकर पर्यावरण तक, स्थानीय बाजार की रक्षा करना हर निर्णय के पीछे प्रेरणा है, भले ही यह हमेशा आयातक के लिए स्पष्ट न हो।

5.2.1 भारतीय सीमा शुल्क का इतिहास (History of Customs Duty in India)

अपने वर्तमान रूप में कस्टम ड्यूटी 1786 से पहले की है, जब ब्रुअर्स ने कलकत्ता में पहला राजस्व बोर्ड का गठन किया था। 1808 में, भारत से माल के निर्यात और आयात के लिए एक नया व्यापार मंडल पेश किया गया था। एक बार फिर, 1859 में सीमा शुल्क कर्तव्य अधिनियम पेश किया गया था, जिसमें प्रान्तीय आयात कर्तव्यों को एक समान टैरिफ अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था और देश के भीतर सभी भारतीय क्षेत्रों पर लागू था।

बाद के वर्ष में कस्टम नीति में कई बदलाव हुए, और वे इस प्रकार हैं —

- 1878 में सरकार द्वारा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम पारित किया गया था।
- भारतीय टैरिफ अधिनियम 1894 में पारित किया गया था।
- एयर कस्टम्स को भारत एयरक्रॉफ्ट एक्ट 1911 के तहत कवर किया गया है।
- भूमि सीमा शुल्क अधिनियम 1924 में पारित किया गया था।

आजादी के बाद, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (सीए) के हकदार एक समेकित और संशोधित कानून द्वारा सागर सीमा शुल्क अधिनियम और अन्य सम्बद्ध अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार 1934 का अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (CTA) द्वारा निरस्त कर दिया गया था

शासी निकाय (Governing Body)

भारत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है।

माल (Good)

Section 12 के अनुसार भारत सीमा शुल्क अधिनियम की, कस्टम ड्यूटी माल पर लगाया गया है।

- वेसल्स, विमान और वाहन,
- स्टोर,
- सामान,
- मुद्रा और परक्राम्य लिखत, और
- किसी अन्य प्रकार की चल सम्पत्ति।

टिप्पणी

5.2.2 कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य (Objective of Custom Duty)

सीमा शुल्क, मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य के लिए लगाया जाता है –

- विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए आयात पर प्रतिबन्ध।
- भारतीय उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना।
- सरकार के नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माल के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना।
- निर्यात को विनियमित करना।
- विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अन्य कानूनों जैसे कि विदेशी व्यापार अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम आदि के साथ कानूनी प्रावधानों का समन्वय करना।

5.2.3 सीमा शुल्क की लेवी की विधि (Method of Levy of Custom Duty)

मूल रूप से सीमा शुल्क लगाने के तीन तरीके हैं –

1. **विशिष्ट कस्टम ड्यूटी** – विशिष्ट कस्टम ड्यूटी आयात या निर्यात की जाने वाली कमोडिटी की प्रत्येक इकाई पर लगाई जाने वाली ड्यूटी है। उदाहरण के लिए, आयातित कपड़े के प्रत्येक मीटर पर रु. 5 या आयातित प्रत्येक टीवी सेट पर रु. 500। इस मामले में, कमोडिटी के मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
2. **कस्टम ड्यूटी** – कस्टम ड्यूटी एक आयात या निर्यात की गई वस्तु के कुल मूल्य पर लगाया गया कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, 5% एफओबी मूल्य के कपड़े का आयात या 10% सी.एल.एफ. आयातित टीवी सेट का मूल्य एड-वेलोरेम कस्टम ड्यूटी के मामले में कमोडिटी की भौतिक इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
3. **यौगिक कस्टम ड्यूटी** – मिश्रित कस्टम ड्यूटी विशिष्ट और ad-valorem कस्टम कर्तव्यों का संयोजन है। इस मामले में, टैरिफ की गणना करते समय कमोडिटी के मूल्य के साथ, उदाहरण के लिए, एफओबी मूल्य का 5%, आयातित कपड़े का 50 पैसे प्रति मीटर।

सीमा शुल्क में कमी (Reduction in Customs Duty)

1991 से भारत की सीमा शुल्क दरों में गिरावट आ रही है। 1991-2 में 150% से घटकर 1997-98 में "पीक" दर नीचे आ गई है। अगले वर्ष अधिशेष को अधिभार के साथ उलट दिया गया था। यह गति 2001-2 में "शिखर" की दर 35% और 2002-3 में 30% की कमी के साथ फिर से शुरू हो गई है।

हाल ही हुए परिवर्तन (Recent Changes)

तटकर : एक परिचय

भारत सरकार ने रेफ्रिजरेटर, एयर-कन्डीशनर, फुटवियर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर फिटिंग, टेबलवेयर, गहने और कई अन्य सामानों की एक सारणी पर मूल सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। यह गिरते रुपये को कम करने और चालू खाते के घाटे को सीमित करने के प्रयास में किया गया था। यह निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। शुल्क में वृद्धि के साथ, इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उनकी मांग को कम करने, आयात को कम करने और फिर घरेलू निर्माताओं को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने की संभावना है।

टिप्पणी

5.2.4 ई-संचित (E-Sanchit)

हाल के वर्षों में, भारत ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कराधान प्रणाली में कई सुधार किए हैं। इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी तक, ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने e-SANCHIT लॉन्च किया है, जो पंजीकृत व्यक्तियों को अपने कस्टम से सम्बन्धित दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाता है। वर्ष 2018 15 मार्च से ई-SANCHIT पहले अनिवार्य है। केवल ICEGATE पंजीकृत उपयोगकर्ता ही e-SANCHIT लिंक का उपयोग करके e-SANCHIT लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

इस नई योजना के तहत, अपलोड किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का आकलन करने वाले अधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यहां उद्देश्य सीमा शुल्क एजेंसियों और व्यापार के बीच भौतिक इन्टरफ़ेस को कम करना और निकासी की गति को अधिकतम करना है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- माल के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर है —
 - आईजीएसटी
 - सीमा शुल्क
 - इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
- सीमा शुल्क की एक नई अवधारणा ————— की शुरुआत में शुरू हुई।
 - औद्योगिक युग
 - आधुनिक युग
 - द्वापर युग
 - उपरोक्त सभी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

3. भारतीय टैरिफ अधिनियम ————— में पारित किया गया था।

(क) 1874

(ख) 1864

(ग) 1884

(घ) 1894

5.3 कस्टम एक्ट, 1962 अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions under Custom Act, 1962)

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "सहायक प्राधिकारी" ("Assistant Authority") का अर्थ है कि कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी आदेश या निर्णय को पारित करने के लिए सक्षम है।

(2) "मूल्यांकन" ("Valuation") में अनन्तिम मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और किसी भी मूल्यांकन, जिसमें कर्तव्य का आकलन शून्य है;

(3) "सामान" ("Goods") में सभी सामान शामिल है लेकिन इसमें मोटर वाहन शामिल नहीं हैं;

(3A) "लाभकारी मालिक" ("Beneficial Owner") का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी ओर से माल आयात किया जा रहा है या निर्यात किया जा रहा है या जो आयात या निर्यात किए जा रहे माल पर प्रभावी नियंत्रण रखता है;

(4) "बिल ऑफ एंट्री" ("Bill of Entry") का अर्थ है प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल जो किसी अन्य देश के व्यापारी द्वारा प्रदान किया गया है;

(5) "बिल ऑफ एक्सपोर्ट" ("Bill of Export") Exports द्वारा सामान को भेजने के लिए प्रस्तुत किया गया बिल;

(6) "तटीय माल" ("Cost of Goods") का अर्थ है माल, आयातित सामानों के अलावा, भारत में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में ले जाया जाता है;

(7) (सीमा शुल्क या सीमा शुल्क के आयुक्त के प्रमुख), अध्याय XV के प्रयोजनों को छोड़कर, सीमा शुल्क के एक अतिरिक्त आयुक्त शामिल हैं;

(8) "कन्वेयन्स" ("Conveyance") में एक पोत, एक विमान और एक वाहन शामिल है;

(9) "सीमा शुल्क हवाई अड्डा" ("Customs Airport") का अर्थ है, धारा इस के खंड (क) के तहत नियुक्त कोई भी हवाई अड्डा, सीमा शुल्क हवाई अड्डा [और उस स्थान के खंड (एए) में नियुक्त स्थान शामिल है, जो हवाई माल दुलाई स्टेशन हो];

(10) "सीमा शुल्क क्षेत्र" ("Customs Area") का मतलब सीमा शुल्क स्टेशन [या एक गोदाम] का क्षेत्र है और इसमें कोई भी क्षेत्र शामिल है, जिसमें आयातित

सामान या निर्यात माल को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है;

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

(11) "सीमा शुल्क बंदरगाह" ("Customs Port") का अर्थ है, 7 खंड section (क) के तहत नियुक्त कोई भी बंदरगाह सीमा शुल्क बंदरगाह [और इसमें उस खंड के खंड (आ) के तहत नियुक्त स्थान शामिल है, जो अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो हो सकता है];

(12) "सीमा शुल्क स्टेशन" ("Customs Station") का अर्थ है—कोई सीमा शुल्क बंदरगाह, [सीमा शुल्क हवाई अड्डा, अन्तर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, विदेशी डाकघर] या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन;

(13) "ड्यूटिएबल गुड्स" ("Dutiable Goods") का अर्थ है कि कोई भी सामान जो शुल्क के लिए प्रभार्य है और जिस पर ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है;

(14) सामानों के सम्बन्ध में "प्रविष्टि" ("Entry") का अर्थ है, प्रविष्टि बिल, शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में की गई प्रविष्टि और धारा 15 के तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रविष्टि शामिल है;

(15) "परीक्षा", ("Examination") किसी भी सामान के सम्बन्ध में, इसमें माप और वजन शामिल है;

(16) "निर्यात", ("Export") इसकी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, भारत से बाहर भारत के बाहर एक जगह पर ले जाने का मतलब है;

(17) "निर्यात का सामान" ("Export of Goods") का अर्थ है कि कोई भी सामान जिसे भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाए;

(18) "निर्यातक", ("Exporter") निर्यात के लिए उनकी प्रविष्टि और निर्यात किए जाने के समय के बीच किसी भी समय किसी भी सामान के सम्बन्ध में, (कोई भी मालिक, लाभकारी मालिक) या खुद को निर्यातक के रूप में रखने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है;

(19) "विदेश जा रहे जहाज या विमान" ("Foreign Going Ship or Aircraft") का अर्थ उस समय के लिए किसी भी जहाज या विमान से है, जो भारत के किसी भी बंदरगाह या हवाई अड्डे और भारत के बाहर किसी भी बंदरगाह या हवाई अड्डे के बीच माल या यात्रियों की गाड़ी में लगे हों, चाहे किसी भी मध्यवर्ती बंदरगाह या हवाई अड्डे को है, और इसमें शामिल हैं —

- (i) किसी भी नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाली विदेशी सरकार का कोई भी नौसेना पोत;
- (ii) भारत के प्रादेशिक जल के बाहर मछली पकड़ने या किसी अन्य संचालन में लगे हुए कोई भी जहाज;
- (iii) किसी भी उद्देश्य के लिए भारत से बाहर किसी स्थान पर जाने वाला कोई भी जहाज या विमान;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(20) "माल" में शामिल हैं —

(क) जहाजों, विमान और वाहन;

(ख) स्टोर;

(ग) सामान;

(घ) मुद्रा और परक्राम्य उपकरण; तथा
किसी अन्य प्रकार की चल सम्पत्ति;

(21) "आयात", ("Import") इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, भारत से बाहर के स्थान से भारत में लाने का अर्थ है;

(22) "आयातित माल" ("Imported Goods") का अर्थ है कि भारत से बाहर किसी जगह से लाया गया कोई सामान, लेकिन इसमें वे सामान शामिल नहीं हैं, जिन्हें घरेलू खपत के लिए लाया गया है;

(23) "आयातक", ("Importer") किसी भी सामान के सम्बन्ध में किसी भी समय उनके आयात और उस समय के बीच जब वे घर की खपत के लिए मंजूरी दे दी जाती हैं, इसमें (कोई भी मालिक, लाभकारी मालिक) या खुद को आयातक के रूप में रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होता है;

(24) "बाजार मूल्य", ("Market Value") किसी भी सामान के सम्बन्ध में, भारत में व्यापार के साधारण परिस्थिति में माल की थोक कीमत से है;

(25A) "(NTT) नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल" ("National Tax Tribunal") का मतलब नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2005 (49 of 2005) की धारा 3 के तहत स्थापित है;

(25B) "यात्री नाम रिकॉर्ड जानकारी" ("Passenger Name Record Information") का अर्थ किसी भी विमान या पोत या वाहन के ऑपरेटर द्वारा तैयार किया गया है या किसी भी यात्री की ओर से बुक की गई प्रत्येक यात्रा के लिए उसका अधिकृत एजेंट है;

(26) "व्यक्ति—प्रभारी" ("Person Incharge") का अर्थ है —

(अ) एक पोत के सम्बन्ध में, पोत का मास्टर;

(ब) विमान के सम्बन्ध में, विमान के कमांडर या पायलट प्रभारी;

(स) रेलवे ट्रेन, कंडक्टर, गार्ड या अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में जो ट्रेन की मुख्य दिशा है;

(27) "निषिद्ध माल" ("Prohibited Goods") का अर्थ है किसी भी सामान का आयात या निर्यात, जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी निषेध के अधीन है, लेकिन उस समय कोई भी ऐसा सामान शामिल नहीं है, जिसके सम्बन्ध में शर्तें किसके अधीन हैं, माल आयात करने की अनुमति है या निर्यात के साथ पालन किया गया है;

(28) "उचित अधिकारी", ("Appropriate Authorities") इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, सीमा शुल्क का अधिकारी बोर्ड द्वारा उन कार्यों को सौंपा जाता है।

(29) "स्टोर" ("Store") का अर्थ है—किसी जहाज या विमान में उपयोग के लिए सामान और इसमें ईंधन और स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के अन्य लेख शामिल हैं, चाहे तत्काल फिटिंग हो या नहीं;

(30) "तस्करी", ("Trafficking") किसी भी सामान के सम्बन्ध में, किसी भी अधिनियम या चूक का मतलब है जो धारा 111 या धारा 113 के तहत इस तरह के माल को जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(31) "टैरिफ वैल्यू" ("Tariff Value") – आयातक देश भारत द्वारा आयात की गई वस्तुओं पर लगाया गया कर;

(32) "वाहन" ("Vehicle") का अर्थ है भूमि पर प्रयुक्त किसी भी प्रकार का वाहन और जिसमें एक रेलवे वाहन भी शामिल है;

(33) "गोदाम" ("Store Room") का अर्थ है धारा 5 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक सार्वजनिक गोदाम या धारा (5) के तहत लाइसेंस प्राप्त एक निजी गोदाम या धारा (5) के तहत लाइसेंस प्राप्त एक विशेष गोदाम;

(34) "भण्डार माल" ("Store Goods") का अर्थ है किसी गोदाम में जमा माल;

1. 1980 के अधिनियम 44, धारा 50 और पाँचवें अनुसूची, भाग I-1 (ए), खंड (1) से 11-11-1982 से प्रतिस्थापित।
2. "कलेक्टर (अपील)" (11-11-1982 से) के लिए 1995 के अधिनियम 22, धारा 51 (i) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. "गोल्ड (नियंत्रण)" (14-5-2003 से) के लिए 2003 के अधिनियम 32, धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. खंड (2) (8-4-2011 से) के लिए 2011 के अधिनियम 8, धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले क्लॉज (2), इस प्रकार था:
'(2) बी "मूल्यांकन" में अनन्तिम मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और मूल्यांकन का कोई आदेश शामिल है, जिसमें मूल्यांकन किया गया कर्तव्य शून्य है;'
5. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7), धारा 89 (31.03.2017 से) द्वारा डाला गया।
6. 1963 के अधिनियम 54 द्वारा प्रतिस्थापित, कुछ शब्दों के लिए धारा 5, (1-1-1964 से)।
7. 1995 के अधिनियम 22, खंड 51 (ii), खंड (7A) (26-5-1995 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित। इससे पहले खंड 7(ए) को 1980 के अधिनियम 44, धारा 50 और पाँचवीं अनुसूची, भाग I-1 (इ) (wef 11-10-1982) द्वारा डाला गया था।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

8. धारा 22 (ii), खंड 22 (ii) (26f-1995 से) के लिए अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित। इससे पहले खंड (8) अधिनियम 18 of 1992, धारा 109 (1) (wef 14-5-1992) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
9. "सीमा शुल्क आयुक्त" (6-8-2014 से) के लिए 2014 के अधिनियम 25, धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित। इससे पहले शब्द "सीमा शुल्क आयुक्त" 1995 के अधिनियम 22, धारा 50, "कलेक्टरों के कलेक्टर" (wef 26-5-1995) के लिए प्रतिस्थापित किए गए थे।
10. 2012 के अधिनियम 23, धारा 120 (28-5-2012 से प्रभावी) द्वारा डाला गया।
11. 2017 के अधिनियम 18, धारा 2 (wef 4-05-17) द्वारा डाला गया।
12. 1983 के अधिनियम 11 द्वारा, धारा 46 (13-5-1983 से प्रभावी)
13. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) द्वारा प्रतिस्थापित, "सीमा शुल्क हवाई अड्डा" (wef 31-03-2017) शब्दों के लिए धारा 89।
14. "आयात किए गए माल या डाक द्वारा निर्यात किए जाने के मामले में", 82% या "वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7)), खंड 89 (31-03-2017 से धारा) में उल्लिखित"।
15. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7), धारा 89, "किसी भी मालिक" शब्दों के लिए (wef 31-03-2017) द्वारा प्रतिस्थापित
16. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7), धारा 89, (31-03-2017 से) द्वारा डाला गया।
17. 1991 के अधिनियम 40, धारा 9 (wef 20-9-1991) द्वारा डाला गया।
18. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) द्वारा प्रतिस्थापित, "किसी भी मालिक" (wef 31-03-2017) शब्दों के लिए, धारा 89।
19. 1978 के अधिनियम 25, धारा 2, कुछ शब्दों के लिए (1-7-1978 से) द्वारा प्रतिस्थापित।
20. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7), धारा 89 (wef 31.03.2017) द्वारा डाला गया।
21. 2005 के अधिनियम 49, धारा 30 और अनुसूची, भाग VI-1 (28-12-2005 से लागू) द्वारा सम्मिलित।
22. 2007 के अधिनियम 22 द्वारा, धारा 94, "धारा 14 की उप-धारा (1)" (1-7-1978 से) के लिए प्रतिस्थापित।
23. वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) द्वारा प्रतिस्थापित, '116 (43)' गोदाम 'के लिए धारा 116 (i) का अर्थ है, धारा 57 के तहत नियुक्त एक सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक निजी गोदाम' (wef 14-05-) 2016)

24. "वेयरहाउसिंग स्टेशन" का मतलब है, एक जगह जिसे सेक्शन 9. के तहत वेयरहाउसिंग स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है।

तटकर : एक परिचय

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

4. NTT का अर्थ है –
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (क) नेशनल टैक्स टर्मिनल | (ख) नेशनल टैक्स टोलरेंस |
| (ग) नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल | (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं |
5. आयात व निर्यात में किसी भी सामान के सम्बन्ध में, किसी भी अधिनियम या चूक का मतलब है –
- | | |
|----------------|------------|
| (क) विनियम | (ख) तस्करी |
| (ग) आयातित माल | (घ) गोदाम |

टिप्पणी

5.4 सीमा शुल्क के प्रकार (Types of Customs Duty)

सीमा शुल्क को लगभग हर उस देश पर लगाया जाता है, जो किसी देश में आयात किया जाता है। इन्हें निम्न में विभाजित किया गया है।

5.4.1 अवधारणा की पृष्ठभूमि (Background of Accreditation)

एक राज्य में प्रवेश करते समय एक व्यापारी द्वारा राजा को अपने माल का एक हिस्सा देने का प्राचीन "रिवाज" आधुनिक राज्यों द्वारा सीमा शुल्क में औपचारिक रूप से दिया गया था। देश से बाहर निर्यात या निर्यात किए जाने वाले माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सीमा शुल्क का उपयोग करती हैं और माल के प्रवाह को विनियमित करने की एक विधि भी है।

सीमा शुल्क की गणना

सीमा शुल्क की गणना उन वस्तुओं के मामले में मूल्यांकन योग्य मूल्य के निर्धारण पर निर्भर करती है, जिनके लिए शुल्क लगाया जाता है, मूल्यांकन योग्य मूल्य अक्सर लेनदेन मूल्य या ब्रसेल्स परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन किया गया मूल्य है। भारत, विश्व सीमा शुल्क संगठन का एक सक्रिय सदस्य है और इसने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क सम्मेलनों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें हार्मोनाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम और टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) पर सामान्य समझौते आधारित वैल्यूएशन सिस्टम शामिल है।

5.4.2 हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (Harmonized System Code)

सीमा शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से उत्पादों को एक पहचान कोड दिया जाता है जिसे हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड के रूप में जाना जाता है। यह कोड ब्रसेल्स में

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

स्थित विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित और सौंपा गया है। 1990 के दशक में एचएस कोड की शुरुआत काफी हद तक पहले के मानक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (एसआईटीसी) की जगह ले चुकी है, हालांकि एसआईटीसी अभी भी सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में है। राष्ट्रीय टैरिफ को आकर्षित करने में, राजस्व विभाग अक्सर उत्पाद के एचएस कोड के संदर्भ में सीमा शुल्क की दर निर्दिष्ट करते हैं। कुछ देशों और सीमा शुल्क यूनिटों में, 6-अंकीय HS कोड स्थानीय रूप से आगे के टैरिफ वर्गीकरण के लिए 8 अंकों या 10 अंकों तक बढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार यूरोपीय संघ एक 8-अंकीय CN (संयुक्त नामकरण) और 10-अंकीय TARIFF कोड का उपयोग करता है।

5.4.3 भारत के सीमा शुल्क टैरिफ (Customs Tariff Fee of India)

भारत में, सीमा शुल्क शुल्क को भारतीय शुल्क अधिनियम, 1934 में अनुसूचियों के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम की पहली अनुसूची आयात शुल्क थी और दूसरी अनुसूची निर्यात शुल्क थी।

आयात अनुसूची सीमा शुल्क सहयोग परिषद के नामकरण पर आधारित थी, जिसे "ब्रुसेल्स टैरिफ नामकरण" (BTN) के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा, 28 फरवरी, 1986 के प्रभाव से, विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा अपनाए गए नामकरण प्रणाली (HSN) के हार्मोनाइज्ड सिस्टम के आधार पर उपरोक्त टैरिफ को संशोधित किया गया था। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर (HSN) जिसे अन्यथा "हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिटेल्स एंड कोड सिस्टम" के रूप में जाना जाता है विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया था और लगभग दो साल बाद 01.01.1988 से हार्मोनाइज्ड सिस्टम कन्वेंशन में लागू हुआ। इस अवधि के दौरान और 31 जनवरी, 2003 तक टैरिफ में 6 अंकों का कोड शामिल था।

5.4.4 आठ अंकों का कोड (Eight Digits Code)

भारत में सीमा शुल्क टैरिफ 28 फरवरी, 1986 से 31 जनवरी, 2003 की अवधि के दौरान एचएसएन के साथ संरेखित 6 डिजिट कोड बना रहा। हालांकि, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) ने संकलन के लिए 8 अंकों का कोड विकसित किया था। आयात/निर्यात डेटा और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति के लिए HSN आधारित 8 अंकों का कोड अपनाया था। इसलिए, व्यापार से सम्बन्धित सभी लेन-देन के लिए एक समान वर्गीकरण कोड को अपनाने के लिए व्यापार और उद्योग से मांग की गई थी। तदनुसार, 20 जनवरी, 2003 को भारत सरकार ने "सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003" को 1 फरवरी, 2003 से प्रभावी सीमा शुल्क अधिनियम में बदलाव करते हुए प्रख्यापित किया। इस प्रकार, 6 अंकों के कोड को 8 से बदल दिया गया। अंक वर्गीकरण कोड। अध्यादेश ने सरकार को अधीनस्थ कानून द्वारा पहली

अनुसूची में बदलाव लाने और प्रत्येक तारामंडल मद के खिलाफ माप की मानक इकाइयों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया।

तटकर : एक परिचय

5.4.5 मूल सीमा शुल्क (BCD) [Basic Customs Duty (BCD)]

टिप्पणी

यह शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 की पहली अनुसूची के तहत निर्धारित दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के संदर्भ में आयातित माल पर लगाया जाता है। दरें या तो मानक दर हैं या अधिमान्य दरों पर कुछ निर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में हैं।

मूल कस्टम ड्यूटी एक विशिष्ट दर पर माल के मूल्य पर लगाया जाने वाला शुल्क है। शुल्क विज्ञापन-वैलेरेम आधार की एक निर्दिष्ट दर पर तय किया गया है। यह शुल्क 1962 से लगाया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया था और आज सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार को किसी भी सामान को कर से मुक्त करने का अधिकार है।

5.4.6 अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) [Additional Limit Fee (CVD)]

यह शुल्क, जिसे आमतौर पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) के रूप में सन्दर्भित किया जाता है, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के सन्दर्भ में आयातित सामानों पर लगाया जाता है और भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर समान वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर है। ऐसे मामलों में जहाँ लेख को भारत में इतना उत्पादित या निर्मित नहीं किया जाता है, यह शुल्क ऐसी दर पर होगा जो कि कक्षा पर लगाया जा सकता है या उन लेखों का विवरण होता है जिनमें आयातित लेख है। यदि उत्पाद शुल्क की एक से अधिक दर है, तो लागू होने वाली दर सबसे अधिक होगी। इस शुल्क की गणना लैंडिंग शुल्क और मूल सीमा शुल्क सहित माल के मूल्य के कुल आधार पर की जाती है। अन्य कर्तव्यों जैसे-एंटी-डम्पिंग ड्यूटी, सुरक्षा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क 4% आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तम्बाकू को छोड़कर; निर्मित तम्बाकू विकल्प; खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम, इस कर्तव्य को जीएसटी के 01-07-2017 से लागू होने के बाद IGST में रखा गया है।

वेट एंड मेजर्स एक्ट (Weight and Measures Act), 1976 के मानकों के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए माल के मामले में, मूल्य का आधार खुदरा बिक्री मूल्य होगा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 ए के तहत अधिसूचित छूट के अनुसार कम छूट वाले माल के पैकेज पर घोषित किया जाएगा। 01.03.2001 से, पैक किए गए उपभोक्ता सामानों को भारत में उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के आधार पर इस शुल्क पर लिया जा रहा है और इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की गुणवत्ता मानकों और MRP लेबलिंग के अनुरूप होना आवश्यक है। जीएसटी की शुरुआत 01-07-2017 के बाद यह प्रथा बंद कर दी गई है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

मादक शराबों के मामले में, वर्तमान में अतिरिक्त शुल्क एक समान दर पर प्रभार्य है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में लागू अलग-अलग दरों के बावजूद निर्दिष्ट किया गया है।

स्थानीय करों जैसे सेवा कर, वैट और अन्य घरेलू करों के साथ आयात को बराबर करने के लिए, जो समय-समय पर लगाए जाते हैं, आयातित सामानों पर एक विशेष प्रतिकर शुल्क लगाया जाता है। इसलिए, भारत में उत्पादित या निर्मित माल के साथ एक समान ट्रेक पर आयात लाने के लिए लगाया जाता है। यह हमारे देश में निष्पक्ष व्यापार और प्रतियोगिता प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

5.4.7 विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (SAD) (Special Additional Duty)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (5) के तहत 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) केंद्रीय बजट 2005-2006 में लगाया गया था, ताकि बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर (वैट) और विभिन्न आन्तरिक करों को संतुलित किया जा सके। स्वदेशी वस्तुओं के लिए एक स्तर का खेल मैदान प्रदान करना है, जो इन करों को वहन करता है। यह 2006-2007 के बजट में सभी सामानों के लिए सामान्य रूप से बढ़ाया गया था। निर्माता अपने तैयार उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए इस अतिरिक्त शुल्क का क्रेडिट ले सकेंगे। अधिकांश वस्तुओं के मामले में, यह शुल्क IGST में 01-07-2017 से जीएसटी की शुरुआत के बाद उप-हो गया है।

5.4.8 एंटी-डम्पिंग ड्यूटी/सेफगार्ड ड्यूटी (ADD/SD) [Anti-Dumping Duty/Safeguard Duty (ADD/SD)]

घरेलू उद्योग को अनुचित चोट से बचाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट माल के आयात पर एंटी-डम्पिंग ड्यूटी या सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है। यह 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों में आयातित माल पर लागू नहीं होगा। माल के निर्यात पर, एंटी-डम्पिंग ड्यूटी केवल एक विशेष ब्रांड दर की कमी के कारण छूट योग्य है। सुरक्षित कर्तव्यों को निर्यात करने वाले देशों की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार जैसे डम्पिंग या सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें सबसे पसन्दीदा राष्ट्र प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात्, उन्हें विभिन्न देशों से आयात के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। 200 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनन्तिम सुरक्षा गार्ड ड्यूटी लागू रहेगी। सुरक्षित कार्रवाई का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब यह स्थापित किया गया हो कि आयात में अचानक वृद्धि के कारण या घरेलू उद्योग को गंभीर चोट लगने का खतरा है। टैरिफ बढ़ाकर एक सुरक्षित उत्पाद एक अस्थायी अवधि के लिए आयात को प्रतिबन्धित कर सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के घरेलू उद्योगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे स्थानीय घरेलू उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा

शुल्क लगाया जाता है। इसकी गणना हमारे स्थानीय उद्योगों को हुए नुकसान के आधार पर की जाती है।

तटकर : एक परिचय

अक्सर, घरेलू बाजार में कीमतों की तुलना में विदेशों से बड़े निर्माता बहुत कम कीमतों पर माल निर्यात कर सकते हैं। ऐसा डम्पिंग घरेलू उद्योग को पंगु बनाने या उनके अतिरिक्त स्टॉक को निपटाने के इरादे से हो सकता है। इसे 'डम्पिंग' कहा जाता है। इस तरह के डम्पिंग से बचने के लिए, केंद्र सरकार सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ए के तहत, ऐसे सामानों पर डम्पिंग के मार्जिन के लिए एंटी-डम्पिंग शुल्क लगा सकती है, यदि सामान अपने सामान्य मूल्य से कम पर बेचा जा रहा है। डब्ल्यूटीओ के समझौते के अनुसार इस तरह के एंटी डम्पिंग ड्यूटी की छूट अनुमत्य है।

टिप्पणी

5.4.9 शिक्षा उपकर (EC) (Education Cess)

2004-2005 के बजट में, सीमा शुल्क पर एक शिक्षा उपकर भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाया गया था। यह इस तरह के सामानों पर सीमा शुल्क (सुरक्षा शुल्क और डम्पिंग रोधी शुल्क को छोड़कर) के कर्तव्यों के कुल मिलाकर @ 2% है यह 9 जुलाई, 2004 को लागू हुआ। इस उपकर का कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, 2007-2008 के बजट में, केंद्र सरकार ने फिर से सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर एक माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर लगाया, जो भारत में आयात किए जा रहे सामान हैं। इस उपकर की दर एक प्रतिशत है, जो सीमा शुल्क के कर्तव्यों के कुल पर गणना की जाती है। यदि माल को ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है या शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभार्य है या बांड के तहत शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी जाती है, तो कोई उपकर देय नहीं होगा। आयातित वस्तुओं को इन उपकरणों से छूट दी गई है 02-02-2018 से वित्त विधेयक, 2018 को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

5.4.10 एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) [Integrated Goods and Services Tax (IGST)]

01-07-2018 से, जीएसटी शासन के तहत, अनुच्छेद 269 ए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है कि माल की आपूर्ति, या सेवाओं की, या दोनों भारत के क्षेत्र में आयात के दौरान माल की आपूर्ति माना जाएगा, या सेवाओं, या एकीकृत कर के लगान के लिए अन्तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के सम्मिलित किया जायेगा। इसलिए वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अन्तर-राज्य आपूर्ति माना जाता है और एकीकृत कर के अधीन किया जाता है। हालांकि सेवाओं के आयात पर IGST अधिनियम के तहत लगाया जा सकता है, माल के आयात पर IGST का शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाएगा, जो कस्टम शुल्क अधिनियम, 1975 के साथ अपंजीकृत, गैर-कर योग्य प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुँच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं (OIDAR) के आयात के सम्बन्ध में, भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता करें के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। या तो

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

आपूर्तिकर्ता को पंजीकरण लेना होगा या करों के भुगतान के लिए भारत में एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) डेवलपर या एक इकाई को अन्तर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और एकीकृत कर के लाभ के अधीन होगा।

सामानों के आयात को IGST अधिनियम, 2017 में भारत के बाहर की जगह से भारत में सामान लाने के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी आयातों को अन्तर-राज्य की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और तदनुसार लागू कस्टम ड्यूटी के अलावा एकीकृत कर लगाया जाएगा। IGST एक्ट, 2017 यह प्रावधान करता है कि भारत में आयात होने वाले सामानों पर एकीकृत कर लगाया जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाएगा, जब सीमा शुल्क के कर्तव्यों को लागू किया जाता है, तब बिंदु पर उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य पर। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उक्त वस्तुओं पर। माल पर एकीकृत कर लागू सीमा शुल्क अधिनियम (बीसीडी) के अतिरिक्त होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार तदनुसार एकीकृत कर के लेवी और आयातित वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है। तदनुसार, जो सामान भारत में आयात किए जाते हैं, वे मूल सीमा शुल्क के अलावा, भारत में इसकी आपूर्ति पर एक समान लेख पर IGST अधिनियम, 2017 के तहत ऐसी दर पर एकीकृत कर के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, एकीकृत कर लगाने के लिए माल का मूल्य, मूल्यांकन मूल्य, अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा शुल्क और किसी भी कानून के तहत उक्त माल पर कोई अन्य शुल्क प्रभार्य होगा जो समय के लिए लागू हो।

5.4.11 जीएसटी मुआवजा उपकर (GCC) (GST Compensation Cess – GCC)

GST शासन के तहत, IGST 01-07-2018 के तहत, GST क्षतिपूर्ति उपकर के अलावा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (राज्यों को मुआवजा) सेस अधिनियम, 2017 के तहत कुछ लक्जरी और अवगुण माल पर भी लगाया जाता है।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार तदनुसार एकीकृत कर के लेवी और आयातित वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है। तदनुसार, जो सामान भारत में आयात किए जाते हैं, वे मूल सीमा शुल्क के अलावा, भारत में इसकी आपूर्ति पर एक समान लेख पर IGST अधिनियम, 2017 के तहत ऐसी दर पर एकीकृत कर के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, एकीकृत कर लगाने के लिए माल का मूल्य, मूल्यांकन मूल्य, अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा शुल्क, और किसी भी कानून के तहत उक्त माल पर कोई अन्य शुल्क प्रभार्य होगा जो समय के लिए लागू हो।

उपकर लगाने के उद्देश्य से आयातित लेख का मूल्य, मूल्यांकन मूल्य, अधिनियम के तहत मूल मूल्य सीमा शुल्क, और किसी भी कानून के तहत माल पर

कोई प्रभार्य समय के लिए लागू किया जा सकता है। भुगतान किए गए एकीकृत कर को उपकर की गणना के उद्देश्य से मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा।

तटकर : एक परिचय

5.4.12 समाज कल्याण अधिभार (SWS) (Social Welfare Surcharge – SWS)

टिप्पणी

वित्त विधेयक, 2018 आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को समाप्त करते हुए, 02-02-2018 से, आयात किए गए माल पर सीमा शुल्क के कुल कर्तव्यों के 10% की दर से समाज कल्याण अधिभार लगाया गया है, प्रदान करने के लिए सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए। जो सामान शिक्षा उपकरणों से छूट दिए गए थे, उन्हें इस अधिभार से भी छूट दी गई है। इसके अलावा, कुछ निर्दिष्ट सामान, केवल सीमा शुल्क के कुल कर्तव्यों के 3% की दर से अधिभार को आकर्षित करते हैं।

5.4.13 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी (National Disaster Accidental Duty)

यह शुल्क वित्त अधिनियम के धारा 129 द्वारा लगाया जाता है। तम्बाकू, पान मसाला या किसी भी ऐसी वस्तु पर शुल्क लगाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कर की दर 10% से 45% तक भिन्न होती है और अलग-अलग कारणों से अलग-अलग दरें लागू होती हैं।

5.4.14 सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर (Education Cess on Customs Duty)

सीमा शुल्क के कुल कर्तव्यों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित दर पर लगाया जाता है। यदि माल को ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है या शून्य शुल्क के लिए प्रभार्य है या उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी जाती है, जैसे कि बॉड के तहत निकासी, तो कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा।

5.4.15 सुरक्षात्मक कर्तव्य (Protective Obligation)

टैरिफ कमीशन की स्थापना टैरिफ कमीशन अधिनियम, 1951 के तहत की गई है। यदि टैरिफ आयोग सिफारिश करता है और केंद्र सरकार संतुष्ट है कि भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो अनुशंसित दर पर सुरक्षात्मक सीमा शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ की धारा 6 के तहत लगाया जा सकता है। अधिसूचना में निर्धारित तिथि तक सुरक्षात्मक कर्तव्य मान्य होगा।

5.4.16 सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (Roads and Infrastructure Cess)

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस नामक सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क 02-02-2018 से

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

शुरू किया गया है। सीमा शुल्क की यह अतिरिक्त ड्यूटी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रभार्य के अन्य शुल्कों के अतिरिक्त है।

5.4.17 काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) (Countervailing Duty (CVD))

यह शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है जब कोई देश उन निर्यातकों को सब्सिडी का भुगतान कर रहा है, जो भारत को माल निर्यात कर रहे हैं। शुल्क की यह राशि उनके द्वारा भुगतान की गई सब्सिडी के बराबर है। यह शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 के तहत लागू है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

6. सीमा शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से उत्पादों को एक पहचान कोड दिया जाता है, जिसे ----- के रूप में जाना जाता है।
 - (क) मोनोपोलाइज़ सिस्टम कोड
 - (ख) वैल्यूएशन सिस्टम कोड
 - (ग) हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड
 - (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
7. घरेलू उद्योग को अनुचित हानि से बचाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट माल के आयात पर ----- लगाया जाता है—
 - (क) एंटी-डम्पिंग ड्यूटी
 - (ख) अतिरिक्त ड्यूटी
 - (ग) IGST
 - (घ) उपरोक्त सभी

5.5 सीमा शुल्क मूल्यांकन (Evaluation of Custom Duty)

आयातकों के लिए, सीमा शुल्क पर उत्पाद के मूल्य का आकलन करने की प्रक्रिया उन समस्याओं को प्रस्तुत करती है, जो वास्तविक शुल्क दर के रूप में गंभीर हो सकती हैं। सीमा शुल्क मूल्यांकन पर डब्ल्यूटीओ समझौता, सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए माल के मूल्यांकन के लिए एक निष्पक्ष, समान और तटस्थ प्रणाली का उद्देश्य है — एक प्रणाली जो वाणिज्यिक वास्तविकताओं के अनुरूप है, और जो मनमाने या काल्पनिक सीमा शुल्क मूल्यों के उपयोग को रेखांकित करती है। कमेटी फॉर ट्रेड्स वेल्यूशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स (सीजीटी) की समिति सीमा शुल्क मूल्यांकन पर विश्व व्यापार संगठन में काम करती है।

5.5.1 सीमा शुल्क की गणना कैसे की जाती है? (How Customs Duty is Calculated?)

टिप्पणी

सीमा शुल्क की गणना एक विशिष्ट या अॅड. वैलोरेम के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, इसकी गणना माल के मूल्य पर की जाती है। इस तरह के मूल्य को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमों, 2007 के अनुसार निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यदि माल के मूल्य की सच्चाई या सटीकता के बारे में संदेह हैं, तो ऐसी वस्तु का मूल्यांकन निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है। तरीका:

- **नियम 4 और 5** — तुलनात्मक मूल्य विधि, जो समान या समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य की तुलना करती है।
- **नियम 7** — डिडक्टिव वैल्यू मैथड, जो आयात करने वाले देश में इस तरह के बिक्री मूल्य का उपयोग करता है।
- **नियम 8** — गणना मूल्य पद्धति जो उत्पादन के देश में सामग्री, निर्माण और लाभ से सम्बन्धित लागतों को नियोजित करती है।
- **नियम 9** — फॉलबैक विधि जो उच्च लचीलेपन के एक तत्व के साथ पिछले तरीकों पर आधारित है।

5.5.2 सीमा शुल्क मूल्यांकन पर तकनीकी जानकारी (Technical Information Regarding Evaluation of Customs Duty)

विशिष्ट और अॅड. वैलोरेम सीमा शुल्क (Specialized and Ad Valorem Customs)

सीमा शुल्क ड्यूटी को विशिष्ट या अॅड. वैलोरेम शब्दों में या दोनों के मिश्रण के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक विशिष्ट कर्तव्य के मामले में, एक ठोस राशि को वस्तु के मात्रात्मक विवरण के लिए चार्ज किया जाता है, उदाहरण के लिए USD 1 प्रति आइटम या प्रति यूनिट। वस्तु के सीमा शुल्क मूल्य को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्तव्य शुल्क वस्तु पर नहीं बल्कि अन्य मानदंडों पर आधारित है। इस मामले में, सीमा शुल्क मूल्यांकन पर किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है और मूल्यांकन समझौता लागू नहीं होता है। इसके विपरीत, एक अॅड. वैलोरेम ड्यूटी एक वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। इस प्रणाली के तहत, सीमा शुल्क का मूल्यांकन शुल्क की अॅड. वैलोरेम दर (जैसे 5 प्रतिशत) से गुणा किया जाता है, ताकि किसी आयातित वस्तु पर देय शुल्क की राशि तक पहुंच सके।

परिभाषा (Definition)

सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के सीमा शुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए लागू एक सीमा शुल्क प्रक्रिया है। यदि शुल्क की दर विज्ञापन वैधता है,

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

तो सीमा शुल्क मूल्य एक आयातित वस्तु पर भुगतान किए जाने वाले ड्यूटी को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।

टिप्पणी

5.5.3 लघु ऐतिहासिक अवलोकन (Small Historical Overview)

अनुच्छेद VII GATT (Article VII GATT)

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद VII ने मूल्यांकन की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित किया। यह निर्धारित किया गया है कि आयातित माल के सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए मूल्य आयातित माल के वास्तविक मूल्य पर आधारित होना चाहिए, जिस पर ड्यूटी का मूल्यांकन किया जाता है, या माल की तरह, और राष्ट्रीय मूल के माल के मूल्य के आधार पर या मध्यस्थता पर आधारित नहीं होना चाहिए। हालांकि अनुच्छेद VII में "वास्तविक मूल्य" की परिभाषा भी शामिल है, फिर भी इसने सामानों के मूल्य निर्धारण के व्यापक तरीकों के उपयोग की अनुमति दी।

मूल्य की ब्रसेल्स परिभाषा (Brussels Definition of Price)

1950 के दशक में शुरू, सीमा शुल्क का मूल्यांकन कई देशों ने ब्रसेल्स डेफिनिशन ऑफ वैल्यू (बीवीडी) के अनुसार किया था। इस पद्धति के तहत, एक सामान्य बाजार मूल्य, जिसे "उस कीमत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे से स्वतंत्र बाजार में प्राप्त करेंगे," प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार कर्तव्य का मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्य से तथ्यात्मक विचलन केवल पूरी तरह से ध्यान में रखा गया था जहाँ घोषित मूल्य सूचीबद्ध मूल्य से अधिक था। डाउनवर्ड विविधताओं को केवल 10 प्रतिशत तक ध्यान में रखा गया था। इस पद्धति के कारण व्यापारियों में व्यापक असंतोष था, मूल्य परिवर्तन और फर्मों के प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में प्रतिबिंबित नहीं किया गया था, जब तक कि कुछ समय के बाद सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा नोटरी मूल्य को समायोजित नहीं किया गया था। नए और दुर्लभ उत्पादों को अक्सर सूचियों में कैद नहीं किया गया, जिससे "सामान्य मूल्य" का निर्धारण कठिन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी BVD का हिस्सा नहीं बना। यह स्पष्ट था कि एक अधिक लचीली और समान मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी, जो सभी देशों की प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी।

टोक्यो राउंड वैल्यूएशन कोड (Tokyo Round Valuation Code)

टोक्यो राउंड वैल्यूएशन कोड, या गैट के अनुच्छेद VII के कार्यान्वयन पर समझौता, 1979 में संपन्न हुआ, वास्तव में भुगतान किए गए या आयातित सामान के लिए देय कीमत के आधार पर सीमा शुल्क मूल्यांकन की एक सकारात्मक प्रणाली स्थापित की। "लेन-देन मूल्य" के आधार पर, यह वाणिज्यिक उद्देश्यों के अनुरूप, सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए माल के मूल्यांकन के लिए एक निष्पक्ष, समान और तटस्थ प्रणाली प्रदान करने का इरादा था। यह ब्रसेल्स डेफिनिशन ऑफ वैल्यू (BVD) में उपयोग किए जाने वाले "उल्लेखनीय" मूल्य से भिन्न है।

स्टैंड-अलोन समझौते के रूप में, टोक्यो राउंड वैल्यूएशन कोड पर 40 से अधिक अनुबंधित दलों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

तटकर : एक परिचय

नया समझौता (New Agreement)

उरुगुडा दौर के समापन के बाद GATT 1994 के अनुच्छेद VII के कार्यान्वयन पर WTO समझौते द्वारा टोक्यो दौर कोड को बदल दिया गया था। यह समझौता अनिवार्य रूप से टोक्यो राउंड वैल्यूएशन कोड के समान है और केवल ऐसे सामानों पर अंड. वैलोरेम शुल्क लगाने के उद्देश्य से आयातित माल के मूल्यांकन पर लागू होता है। इसमें माल के मूल्य के आधार पर निर्यात शुल्कों या कोटा प्रशासन का निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन से सम्बन्धित दायित्वों को शामिल नहीं किया गया है, और न ही यह आंतरिक कराधान या विदेशी मुद्रा नियंत्रण के लिए माल के मूल्यांकन के लिए शर्तें रखता है।

टिप्पणी

5.5.4 मूल सिद्धान्त तथा विधियाँ (Basic Principles and Methods)

यह अनुबंध निर्धारित करता है कि सीमा शुल्क मूल्यांकन निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, मूल्यवान होने वाले सामानों की वास्तविक कीमत पर आधारित होगा, जो आमतौर पर चालान पर दिखाया जाता है। यह मूल्य, अनुच्छेद 8 में सूचीबद्ध कुछ तत्वों के लिए प्लस समायोजन, लेनदेन मूल्य के बराबर है, जो समझौते में उल्लिखित मूल्यांकन के पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरीके का गठन करता है।

6 विधियाँ (6 Ways)

ऐसे मामलों के लिए जिनमें कोई लेन-देन मूल्य नहीं है, या जहाँ लेनदेन मूल्य सीमा शुल्क मूल्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ शर्तों के परिणामस्वरूप मूल्य विकृत हो गया है, अनुबंध सीमा शुल्क मूल्यांकन के पाँच अन्य तरीकों को लागू करता है, जिसमें लागू होने के लिए निर्धारित पदानुक्रमित क्रम। समझौते में निम्नलिखित छह विधियों पर विचार किया गया है:

विधि 1 – लेनदेन मूल्य

विधि 2 – समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य

विधि 3 – समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य

विधि 4 – डिडक्टिव विधि

विधि 5 – कम्प्यूटेड विधि

विधि 6 – पतन-वापस विधि

अन्य प्रावधान

विधियों 4 और 5 के अनुक्रम को आयातक के अनुरोध पर स्विच किया जा सकता है। इसके अलावा, समझौते में विकासशील देशों के विशेष और विभेदक उपचार और तकनीकी सहायता के प्रावधान हैं। चूँकि यह समझौता एकल डब्ल्यूटीओ

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

विधि 1 – लेनदेन मूल्य (Method 1 – Transaction Value)

लेनदेन मूल्य की परिभाषा (Definition of Transaction Value)

कीमत वास्तव में भुगतान या देय है, कुल भुगतान किया जाता है या खरीदार द्वारा आयातित सामान के लिए विक्रेता को या उसके लाभ के लिए किया जाता है, और खरीदार द्वारा आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में किए गए सभी भुगतान शामिल होते हैं। विक्रेता, या विक्रेता के एक दायित्व को पूरा करने के लिए खरीदार द्वारा तीसरे पक्ष को।

शर्तें पूरी करनी होंगी (Conditions Must be Met)

सीमा शुल्क मूल्य, लेनदेन मूल्य है, यदि निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया गया है –

बिक्री का साक्ष्य (Proof of Sale)

आयात के देश में निर्यात के लिए बिक्री का प्रमाण होना चाहिए (यानी वाणिज्यिक चालान, अनुबन्ध, खरीद आदेश, आदि)।

विवाद या उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं (No Restriction on Dispute or Usage)

खरीदार द्वारा माल के निपटान या उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, प्रतिबन्धों के अलावा अन्य –

- जो आयात के देश में कानून द्वारा लगाए गए या आवश्यक हैं;
- भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हैं, जिसमें सामान को फिर से बेचा जा सकता है;
- माल के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित न करें।

अतिरिक्त शर्तों के अधीन नहीं (Not Subject to Additional Conditions)

बिक्री या मूल्य शर्तों या विचारों के अधीन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मूल्य को माल के सम्बन्ध में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कुछ उदाहरण एनेक्स I, अनुच्छेद 1 : 1 (बी) में दिए गए हैं –

- विक्रेता इस शर्त पर आयातित माल की कीमत स्थापित करता है कि खरीदार भी निर्धारित मात्रा में अन्य सामान खरीदेगा;
- आयातित वस्तुओं की कीमत उस मूल्य या कीमतों पर निर्भर करती है, जिस पर खरीदार विक्रेता को अन्य सामान बेचता है;
- कीमत आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान के एक प्रकार के आधार पर स्थापित की जाती है।

पूर्ण मूल्य, जब तक ...

तटकर : एक परिचय

क्रेता द्वारा किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या माल के उपयोग का कोई भी हिस्सा विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा, जब तक कि अनुच्छेद 8 में प्रावधानों के अनुसार समायोजन नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणी

समायोजन के लिए पर्याप्त जानकारी (Adequate Information for Adjustment)

भुगतान या देय जैसे मूल्य, अनुच्छेद 8 के तहत किए जाने वाले विशिष्ट समायोजन को सक्षम करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है –

- कमीशन और दलाली, कमीशन खरीदने के अलावा
- पैकिंग और कंटेनर की लागत और शुल्क
- सहायता
- रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क
- बाद की आय
- परिवहन की लागत, बीमा और सम्बन्धित शुल्क आयात के स्थान तक अगर सदस्य सीआईएफ आधार पर मूल्यांकन करता है
- लेकिन नहीं: आयात (ड्यूटी, परिवहन, निर्माण) असेम्बली के बाद हुई लागत, (अनुबंध I, नोट 3 से अनुच्छेद 1)।

खरीदार और विक्रेता सम्बन्धित नहीं, (Buyer and Seller not Related)

खरीदार और विक्रेता सम्बन्धित नहीं हैं, लेकिन यहाँ तक कि अगर लेन-देन के मूल्य का उपयोग स्वीकार्य है, अगर आयातक यह प्रदर्शित करता है कि –

- सम्बन्ध मूल्य को प्रभावित नहीं करता था, या
- लेनदेन मूल्य एक परीक्षण मूल्य को बारीकी से दर्शाता है।

सम्बन्धित पार्टियाँ (Related Parties)

सम्बन्धित व्यक्तियों की परिभाषा समझौते के अनुच्छेद 15 में पाई गई है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को केवल तभी सम्बन्धित माना जाएगा जब –

- वे एक दूसरे के व्यवसायों के अधिकारी या निदेशक हैं;
- वे व्यापार में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त साझेदार हैं;
- वे नियोक्ता और कर्मचारी हैं;
- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों के बकाया मतदान स्टॉक या शेयरों का 5 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व रखता है, नियंत्रित करता है या रखता है;
- उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है (अनुच्छेद 15 को व्याख्यात्मक नोट कि समझौते के प्रयोजनों के लिए, एक

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

व्यक्ति को दूसरे को नियंत्रित करने के लिए समझा जाएगा जब पूर्व कानूनी या परिचालन की स्थिति में संयम या दिशा का उपयोग करने के लिए हो सकता है)।

- वे दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं; या
- वे एक ही परिवार के सदस्य हैं।
- ऐसे मामले, जहां सीमा शुल्क प्रशासन के पास घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने के कारण हैं।

लेनदेन मूल्य पद्धति पर आधारित सीमा शुल्क मूल्यांकन काफी हद तक आयातक से दस्तावेजी इनपुट पर आधारित है। अनुच्छेद 17 समझौते की पुष्टि करता है कि सीमा शुल्क प्रशासन को "स्वयं को किसी भी कथन, दस्तावेज या घोषणा की सच्चाई या सटीकता के रूप में संतुष्ट करने का अधिकार है।" सीमा शुल्क प्रशासन के मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक "निर्णय के बारे में जहाँ सीमा शुल्क प्रशासन को संदेह का कारण या घोषित मूल्य की सटीकता है"। पहले कदम के रूप में, सीमा शुल्क आयातक से आगे स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कह सकते हैं कि घोषित मूल्य वास्तव में आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान की गई या देय कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

यदि आगे की जानकारी के स्वागत के बाद (या प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में) अभी भी उचित संदेह मौजूद है, तो सीमा शुल्क तय कर सकते हैं कि लेनदेन मूल्य विधि के अनुसार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अंतिम निर्णय लेने से पहले, सीमा शुल्क को आयातक को अपने तर्क का संचार करना चाहिए, जो बदले में, प्रतिक्रिया देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, अंतिम निर्णय के तर्क को लिखित रूप में आयातक को सूचित किया जाना चाहिए।

विधि 2 – समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य (अनुच्छेद 2)

(Method 2 – Transaction Value of Similar Goods (Article 2))

लेन-देन मूल्य की गणना समान वस्तुओं पर उसी तरह की जाती है यदि माल हो –

- भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा सहित सभी मामलों में समान;
- उसी देश में उत्पादित माल के रूप में;
- और माल के निर्माता द्वारा उत्पादित किया जा रहा है।

उपयोग की जाने वाली इस विधि के लिए, माल को आयात के उसी देश को निर्यात के लिए बेचा जाना चाहिए, जैसा कि माल मूल्यवान है। माल को उसी समय या लगभग उसी समय निर्यात किया जाना चाहिए, जब माल का मूल्य निर्धारित किया जा रहा हो।

अपवाद (Exception)

तटकर : एक परिचय

कुछ अपवादों को स्वीकार किया जाता है, विशेष रूप से –

- जहां सामानों के उत्पादन के देश में एक ही व्यक्ति द्वारा उत्पादित समान सामान नहीं हैं, एक ही देश में एक अलग व्यक्ति द्वारा उत्पादित समान सामान को ध्यान में रखा जा सकता है।
- दिखने में मामूली अन्तर सामानों को प्रभावित नहीं करेगा, जो अन्यथा समान के रूप में परिभाषाओं के अनुरूप है।

परिभाषा आयातित वस्तुओं को शामिल करती है जो कि खरीदार को निशुल्क या कम लागत पर खरीदार द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग, कलाकृति आदि को शामिल करती है, आयात के देश में किया जाता है, जिसके लिए अनुच्छेद 8 के तहत कोई समायोजन नहीं किया गया है।

विधि 3 – समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य (अनुच्छेद 3)

(Method 3 – Transaction Value of Similar Goods (Article 3))

लेन-देन के मूल्य की गणना समान सामानों पर एक ही तरीके से की जाती है, यदि –

- घटक सामग्री और विशेषताओं के संदर्भ में मूल्यवान वस्तुओं के समान माल
- सामान जो समान कार्य करने में सक्षम हैं और माल के मूल्यवान होने के साथ व्यावसायिक रूप से विनिमेय हैं
- माल, जो उसी देश में उत्पादित माल के उत्पादक द्वारा उत्पादित किया जाता है। उपयोग की जाने वाली इस विधि के लिए, माल को आयात के उसी देश को बेचा जाना चाहिए, जैसा कि माल मूल्यवान है। सामानों का निर्यात उसी समय या लगभग उसी समय किया जाना चाहिए, जब सामानों का मूल्य निर्धारित किया जा रहा हो।

विधि 4 – डिडक्टिव वैल्यू (Method 4 – Deductive Value)

बेची गई सबसे बड़ी कुल मात्रा की कीमत से मूल्य में कटौती (Price cut from the Price of the Largest Total Quantity Sold)

समझौता यह प्रदान करता है कि जब आयातित वस्तुओं या समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो यह उस इकाई मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिस पर आयातित सामान या समान माल बेचा जाता है, आयात के देश में सबसे बड़ी कुल मात्रा में एक असम्बन्धित खरीदार। आयात करने वाले देश में खरीदार और विक्रेता सम्बन्धित नहीं होने चाहिए और बिक्री को मूल्य के सामान के आयात के समय या उसके बारे में होना चाहिए। यदि आयात के समय या उसके बाद कोई बिक्री नहीं हुई, तो माल के आयात के 90 दिनों के बाद बिक्री का उपयोग करने की अनुमति है।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

बेची गई सबसे बड़ी कुल मात्रा का निर्धारण (Determination of the Largest Total Quantity Sold)

टिप्पणी

अनुच्छेद 5.1 के तहत, इकाई मूल्य, जिस पर आयातित सामान या समान आयातित सामान सबसे बड़ी कुल मात्रा में बेचे जाते हैं, सीमा शुल्क मूल्य की स्थापना के लिए आधार होना चाहिए। सबसे बड़ी कुल मात्रा है, उस अनुच्छेद के लिए व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, जिस मूल्य पर इकाइयों की सबसे बड़ी संख्या असम्बन्धित व्यक्तियों को पहले व्यावसायिक स्तर पर बेची जाती है आयात के बाद ऐसी बिक्री होती है। सबसे बड़ी कुल मात्रा निर्धारित करने के लिए किसी दिए गए मूल्य पर सभी बिक्री को एक साथ लिया जाता है और उस मूल्य पर बेची जाने वाली वस्तुओं की सभी इकाइयों का योग किसी भी अन्य मूल्य पर बेचे गए माल की सभी इकाइयों के योग की तुलना में होता है। एक मूल्य पर बेची गई इकाइयों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है।

सबसे बड़ी कुल मात्रा पर कीमत से कटौती (Price Cut on Largest Total Quantity)

चूँकि डिडविटव वैल्यू की गणना में शुरुआती बिंदु आयात के देश में बिक्री मूल्य है, इसलिए उस मूल्य को सम्बन्धित सीमा शुल्क मूल्य को कम करने के लिए विभिन्न कटौती आवश्यक है –

- कमीशन आमतौर पर भुगतान किया जाता है या भुगतान करने के लिए सहमत होता है, लाभ और सामान्य व्यय का योग जोड़ा जाता है। बिक्री के सम्बन्ध में भी कटौती की जानी चाहिए;
- सामान्य परिवहन लागत और इसी बीमा को माल की कीमत से घटाया जाना चाहिए, जब ये लागत आम तौर पर आयात के देश के भीतर होती हैं;
- माल के आयात या बिक्री के कारण आयात के देश में देय सीमा शुल्क और अन्य राष्ट्रीय करों में भी कटौती की जानी है;
- लागू होने पर असेम्बली या आगे की प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया मूल्य।

विधि 5 – कम्प्यूटेड मान (Method 5 – Computed Values)

परिभाषा: उत्पादन लागत और लाभ और व्यय (Definition: Production Cost and Profit and Expense)

गणना की गई मूल्य, सबसे कठिन और शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली विधि, माल के उत्पादन की लागत के आधार पर सीमा शुल्क मूल्य का निर्धारण करती है, साथ ही लाभ और सामान्य खर्चों के लिए एक राशि जो आमतौर पर निर्यात के देश से बिक्री में परिलक्षित होती है, एक ही वर्ग या तरह के माल का आयात। संगणित मूल्य निम्नलिखित तत्वों का योग है।

उत्पादन लागत = सामग्री और निर्माण का मूल्य (Production Cost = Cost of Material and Construction)

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

आयातित माल के उत्पादन में कार्यरत सामग्री और निर्माण या अन्य प्रसंस्करण की सामग्री लागत या मूल्य। उदाहरण के लिए, कच्चे माल, जैसे लकड़ी, स्टील, सीसा, मिट्टी के वस्त्र, आदि शामिल होंगे; उत्पादन के स्थान पर कच्चे माल को प्राप्त करने की लागत; और एकीकृत सर्किट; पूर्वनिर्मित घटक जो अन्ततः इकट्ठे किए जाएंगे। निर्माण में श्रम के लिए लागत, असेम्बली के लिए कोई भी लागत शामिल होगी जब विनिर्माण प्रक्रिया के बजाय एक असेम्बली संचालन होता है, और अप्रत्यक्ष लागत जैसे कि कारखाना पर्यवेक्षण, संयंत्र रखरखाव, ओवरटाइम, आदि लागत या मूल्य जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

लाभ और सामान्य व्यय (Profit and General Expenditure)

लाभ और सामान्य व्यय आम तौर पर आयात की देश को निर्यात बिक्री में परिलक्षित होते हैं, उत्पादक देश में उत्पादकों द्वारा उसी वर्ग या तरह के सामान के निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी के आधार पर आयात करते हैं। उत्तरार्द्ध वाक्यांश का मतलब माल है, जो किसी विशेष उद्योग या उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल के एक समूह या श्रेणी के भीतर आते हैं और इसमें समान या समान सामान शामिल होते हैं। लाभ और सामान्य खर्चों की राशि को एक पूरे के रूप में लिया जाना चाहिए (अर्थात् दोनों का योग)। सामान्य खर्च में किराया, बिजली, पानी, कानूनी शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं।

अन्य खर्चों को जोड़ा जाए (Other Expenses be Added)

अन्त में, अन्य खर्चों को मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि आयात किए गए माल के परिवहन की लागत बंदरगाह या आयात करने के स्थान, लोडिंग, उतराई और हैंडलिंग शुल्क को माल के आयात या बंदरगाह के स्थान पर परिवहन से जुड़ा हुआ है।

विधि 6 – पतन-वापस विधि (Method 6 – The Fall - Back Method)

परिभाषा (Definition)

सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण "उचित साधनों और समझौते के सामान्य प्रावधानों, अनुच्छेद VII GATT और उपलब्ध आंकड़ों के आधार के अनुरूप है।

जब सीमा शुल्क मूल्य पिछले तरीकों में से किसी के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह उचित साधनों और समझौते के सामान्य प्रावधानों और GATT के अनुच्छेद VII के अनुरूप और आयात के देश में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सबसे बड़ी हद तक संभव है, यह विधि पहले से निर्धारित मूल्यों और उनके आवेदन में लचीलेपन की उचित डिग्री के साथ तरीकों पर आधारित होनी चाहिए।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

मानदंड जिनका उपयोग नहीं किया जाना है (Criteria which are not to be Used)

टिप्पणी

पतन—वापस विधि के तहत, सीमा शुल्क मूल्य पर आधारित नहीं होना चाहिए —

- आयात के देश में माल की बिक्री मूल्य (यानी आयात देश में निर्मित माल की बिक्री मूल्य);
- एक प्रणाली जो दो वैकल्पिक मूल्यों के उच्चतर सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए स्वीकृति प्रदान करती है (सबसे कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए);
- निर्यात के देश के घरेलू बाजार पर माल की कीमत (इस आधार पर मूल्यांकन प्रस्तावना में सिद्धान्त के खिलाफ जाएगा कि "मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग डम्पिंग से निपटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए");
- गणना मूल्यों के अलावा अन्य उत्पादन की लागत जो समान या समान वस्तुओं के लिए निर्धारित की गई है (आयात के देश में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन आना चाहिए);
- किसी तीसरे देश को निर्यात के लिए माल की कीमत (दो निर्यात बाजार हमेशा अलग माने जाते हैं और एक की कीमत दूसरे में सीमा शुल्क मूल्य को नियंत्रित नहीं करना चाहिए);
- न्यूनतम सीमा शुल्क मूल्य (जब तक कि एक विकासशील देश ने अपवाद नहीं लिया है, जो न्यूनतम मूल्यों के उपयोग की अनुमति देता है);
- मनमाने या काल्पनिक मूल्य (ये निषेध उन प्रणालियों पर लक्षित होते हैं, जो बाजार में वास्तव में होने वाली वास्तविक कीमतों में, वास्तविक बिक्री में, और वास्तविक लागतों में, आयात या बिक्री के कारण के रूप में उनके मूल्यों को आधार नहीं बनाती हैं);

विशेष और विभेदक उपचार (Special and Differential Treatment)

विकासशील देशों के लिए पांच साल के लिए समझौते के आवेदन की देरी (Delay of application of agreement for developing countries for five years)

अनुच्छेद 20.1 सम्बन्धित सदस्य के लिए विश्व व्यापार संगठन समझौते के बल में प्रवेश की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए समझौते के प्रावधानों के आवेदन में देरी के लिए विकासशील देश के सदस्यों को नहीं, टोक्यो दौर कोड के लिए पार्टी की अनुमति देता है।

समझौते के अन्य सभी प्रावधानों के आवेदन के बाद तीन साल के लिए गणना मूल्य पद्धति के आवेदन की देरी (Delay of application of the computed price method for three years after the application of all other provisions of the agreement)

अनुच्छेद 20.2 विकासशील देश के सदस्यों को, समझौते के अन्य सभी प्रावधानों के उनके आवेदन के बाद तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए गणना मूल्य

स्क-अधिगम
पाठ्य सामग्री

पद्धति के आवेदन में देरी के लिए टोक्यो दौर कोड के लिए पार्टी की अनुमति नहीं देता है। व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि विकासशील देश सदस्य, टोक्यो दौर कोड के लिए पार्टी नहीं, कुल 8 साल की गणना मूल्य विधि में देरी कर सकते हैं।

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

संक्रमण काल का विस्तार (Extension of transition)

अनुबंध के अनुबंध III के अनुच्छेद 1 में विकासशील देश के सदस्यों को अनुमति दी जाती है, जिनके लिए अनुच्छेद 20.1 में दिए गए समझौते के प्रावधानों के आवेदन में पांच साल की देरी, पांच साल की अवधि के अन्त से पहले अनुरोध के लिए अपर्याप्त है, एक विस्तार इस तरह की अवधि में, यह समझा जा रहा है कि सदस्य ऐसे मामलों में ऐसे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, जहां विकासशील देश सदस्य प्रश्न का अच्छा कारण दिखा सकते हैं।

न्यूनतम मूल्यों को बनाए रखने के लिए आरक्षण (Reservation to Maintain Minimum Prices)

अनुलग्नक III के अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान है कि विकासशील देश के सदस्य ऐसे नियमों और शर्तों के तहत सीमित और संक्रमणकालीन आधार पर आधिकारिक तौर पर स्थापित न्यूनतम मूल्यों की पहले से मौजूद व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आरक्षण कर सकते हैं, जैसा कि समिति द्वारा सहमति दी जा सकती है (भले ही न्यूनतम मूल्य हों समझौते के तहत निषिद्ध हैं)।

अनुच्छेद 4 के खिलाफ आरक्षण (Reservation against Article 4)

अनुलग्नक III का अनुच्छेद 3 विकासशील देश के सदस्यों को कटौतीकर्ता के आदेश को पलटने के लिए आयातकों के अनुरोध (समझौते के अनुच्छेद 4 के तहत अनुमति) से इनकार करने का अधिकार देता है।

डिडक्टिव विधि का विशेष अनुप्रयोग (Special Application of Deductive Method)

अनुलग्नक III के अनुच्छेद 4 से विकासशील देश के सदस्यों को छूट के तरीके के तहत माल के मूल्य के अधिकार की अनुमति मिलती है, भले ही माल आयात के देश में आगे की प्रक्रिया से गुजरा हो, चाहे आयातक अनुरोध करता हो या नहीं।

तकनीकी सहायता (Technical Support)

अनुच्छेद 20.3 के तहत विकसित देश सदस्य पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर, विकासशील देश के सदस्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इस आधार पर, विकसित देश के सदस्य तकनीकी सहायता के कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिसमें शामिल हो सकते हैं, अन्य बातों के साथ, कर्मियों का प्रशिक्षण, कार्यान्वयन के उपाय तैयार करने में सहायता, सीमा शुल्क मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी के स्रोतों तक पहुँच, और प्रावधानों के आवेदन पर सलाह करार।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

संस्थानों (Institutions)

सीमा शुल्क मूल्यांकन समिति (Customs Assessment Committee)

समझौते में सदस्यों में से प्रत्येक के प्रतिनिधियों से बना सीमा शुल्क मानदंड पर एक समिति की स्थापना की जाती है, सदस्यों को किसी भी सदस्य द्वारा सीमा शुल्क मूल्यांकन प्रणाली के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श करने का अवसर या समझौते के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए।

सीमा शुल्क मूल्यांकन पर तकनीकी समिति (Technical Committee on Customs Duty Valuation)

यह समझौता विश्व सीमा शुल्क संगठन के तत्वावधान में सीमा शुल्क मूल्यांकन पर एक तकनीकी समिति भी स्थापित करता है, जो तकनीकी स्तर पर, सुनिश्चित करने और समझौते की व्याख्या में एकरूपता के साथ है। तकनीकी समिति की जिम्मेदारियों में विशिष्ट तकनीकी मामलों पर सलाह देना शामिल है जैसा कि सदस्यों द्वारा अनुरोध या विवाद में एक पैनल द्वारा किया जाता है।

5.5.5 नमूना सीमा शुल्क गणना (Sample Customs Duty Calculation)

आयातित माल पर देय सीमा शुल्क की गणना कैसे करें?

		पुरानी विधि	जीएसटी से पहले
ए	मूल्यांकन योग्य मूल्य:	1,00,000	1,00,000
बी	बीसीडी @ 7.5% ए	रुपये। 7,500	रुपये। 7,500
सी	कुल ए + बी	रुपये। 1,07,500	रुपये। 1,07,500
डी	सीवीडी @ 16% सी	रुपये। 17,200	रुपये। 17,200
इ	ई सेस @ डी का 2%	रुपये। 344	रुपये। 0
एफ	HSE/उपकर @ D का 1%	रुपये। 172	रुपये। 0
जी	कुल (बी + एफ + इ + डी)	रुपये। 25,216	रुपये। 24,700
एच	E/उपकर @ G का 2%	रुपये। 504	रुपये। 494
आई	HSE/C @ G का 1%	रुपये। 252	रुपये। 247
जे	कुल (जी + आई + एच)	रुपये। 25,972	रुपये। 25,441
के	एसएडी @ 4% (ए + जे)	रुपये। 5039	रुपये। 5018
एल	कुल ड्यूटी (J + K)	रुपये। 31,011	रुपये। 30,459
एम	ड्यूटी की प्रभावी दर	31.011%	30.459%

5.5.6 आयात के मूल्यांकन योग्य मूल्य के लिए सीमा शुल्क की गणना (Calculation of Customs Duty for Suitable Value of Import)

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

आयात शुल्क निर्धारित करने के लिए सीमा शुल्क द्वारा मूल्यांकन योग्य मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है?

सीमा शुल्क की गणना आयात किए गए सामान के मूल्यांकन मूल्य के आधार पर की जाती है। आयात किए गए माल का मूल्यांकन मूल्य कैसे पाएँ? आयातित सामानों के मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना सरल और समझने में आसान है। मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करने का यह तरीका आयातकों और निर्यातकों को आयात शुल्क ज्ञात करने में मदद करता है।

सीमा शुल्क से सम्बन्धित क्रियात्मक प्रश्न हल करने सम्बन्धी नियम एवं चार्ट कर निर्वारण योग्य मूल्य की गणना।

Computation of Assessable Value

माल का बीजक मूल्य या संव्यवहार मूल्य (Invoice Price of Goods on Transaction Value)	—	—
जोड़ो (Add) — निम्न मर्दे —		
1. विदेशी विक्रेता द्वारा अपने एजेंट को कमीशन या आयातक द्वारा दी गयी दलाली (Commission to Agent of Seller or Brokerage by Importer)	—	
2. पैकिंग लागत (Cost of Packing)	—	
3. डिजाइन एवं विकास व्यय (Development of Design Charges)	—	
4. रॉयल्टी एवं लायसेंस शुल्क (Royalty and License Fees)	—	
5. विक्रेता को अन्य भुगतान या पूर्ति (Other Payment or Supply to Seller)	—	+ —
माल का जहाज लदाई मुक्त मूल्य (FOB) (Free on Board Value)		
जोड़ो निम्न — व्यय		
6. परिवहन लागत (वायु परिवहन की दशा में भाड़ा यदि FOB मूल्य के 20% से अधिक हो तो 20% तक) (Transportation Cost) (विदेशी से भारतीय बन्दरगाह तक)	—	

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

7. बीमा प्रीमियम (मार्गस्थ) (Insurance Premium)	—	+ —
प्रीमियम की वास्तविक राशि नहीं दी हो, तो (FOB) मूल्य का 1.125%		
लागत भाड़ा बीमा मूल्य (CIF)	—	
Add — लैन्डिंग चार्जेस मूल्य का 1% (Landing charges 1% of CIF Value)		+ —
कर निर्धारण योग्य मूल्य (Assessable Value)		—

ध्यान दें — कर निर्धारण योग्य मूल्य में निम्न शामिल नहीं करेंगे

1. बन्दरगाह से आयातकर्ता के कारखाने या गोदाम तक लाने के परिवहन व्यय।
2. भारत के स्थानीय कर, जैसे — गोदी शुल्क, ऑक्ट्राय आदि।

आयातित माल भारत में आने के पश्चात् स्थापना के व्यय या निर्यातकर्ता विदेशी विक्रेता द्वारा तकनीकी सहायता।

विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करना।

विदेशी मुद्रा की राशि × बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर (रिजर्व बैंक या आयातकर्ता को दर पर ध्यान नहीं देंगे)

कुल देय सीमा शुल्क की गणना का चार्ट

Chart for Calculating Duty Payable

(A) मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) आयातित माल के कर निर्धारण मूल्य (A.V.) पर निर्धारित दर से जैसे 10%	—
(B) अतिरिक्त सीमा शुल्क (Additional Customs Duty) या CVD कर निर्धारण मूल्य (A.V.) + मूल्य सीमा शुल्क (BCD) = योग पर उत्पाद शुल्क की मूल सहित दर पर जैसे 12%	+
शिक्षा उपकर की गणना हेतु सीमा शुल्क	—
(C) शिक्षा उपकर (Education Cess) कुल सीमा शुल्क (मूल + अतिरिक्त सीमा शुल्क) पर 3%	+ —
शिक्षा उपकर सहित सीमा शुल्क	—
(D) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (Special Additional Customs Duty) (A + B + C) = योग पर 4%	+ —
कुल देय सीमा शुल्क (Total Duty Payable)	—

(अ) Step I : BCD

मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty)

सूत्र : कर निर्धारण योग्य मूल्य × सीमा शुल्क की दर = मूल सीमा शुल्क की राशि

(ब) Step II : CVD

अतिरिक्त सीमा शुल्क (Additional or Countervailing Customs Duty)

यह शुल्क आयातित माल पर भारत में लागू उत्पाद शुल्क की दर (मूल उत्पाद शुल्क + शिक्षा उपकर) से निम्न राशि पर लगेगा

कर निर्धारण मूल्य एवं मूल सीमा शुल्क

सूत्र : $\frac{\text{का योग} \times \text{उत्पाद शुल्क की दर}}{100} = \text{अतिरिक्त सीमा शुल्क}$

नोट

- (i) प्रश्न में उत्पाद शुल्क की दर मूल दर (basic excise duty) दी हो उस दर से ही अतिरिक्त सीमा शुल्क ज्ञात करेंगे। 2013-14 से इस दर में शिक्षा उपकर जोड़कर सकल दर नहीं ली जाती है।
- (ii) यदि आयातित माल जैसा भारत में उत्पादित होने वाला माल उत्पाद शुल्क से मुक्त हो तो अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
- (iii) यदि आयातित माल ऐसा है, जिसके जैसा माल का भारत में उत्पादन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए कि उस पर अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगेगा, बल्कि ऐसे माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क उस दर से लगेगा, जो ऐसी प्रकृति के अन्य माल पर भारत में उत्पादन पर लगता हो।
- (iv) यदि विदेश से कोई कच्चा माल (अनिर्मित) या कृषि जन्य पदार्थ आयात किया गया है तो अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा क्योंकि भारत में उत्पाद शुल्क कारखाने में निर्मित माल पर लगता है।

(स) Step III : शिक्षा उपकर (Education cess) 3%

मूल सीमा शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क

सूत्र : $\frac{\text{का योग} \times 3\%}{100} = \text{शिक्षा उपकर}$

(द) Step IV : SAD

विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (Special Additional Duty)

कर निर्धारण मूल्य शिक्षा उपकर सहित कुल शुल्क

सूत्र : $\frac{(A+B+C) \text{ का योग} \times 4\%}{100}$

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

भारत में माल के आयात के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करने की विधि (Calculation of Customs Duty for Suitable Value of Import in India)

सरल शब्दों में, आयात के CIF मूल्य में जोड़ा गया 1% मूल्यांकन योग्य मूल्य है।

आपने USD 1000.00 एफओबी मूल्य के सामान का आयात किया है। यदि कोई डिज़ाइन और विकास शुल्क शामिल है, तो एक ही लागत जोड़ी जाती है – USD 100.00 कहते हैं। सीआईएफ मूल्य को खोजने के लिए, माल ढुलाई और बीमा लागत को जोड़ना है। एफओबी मूल्य का 20% माल के रूप में लिया जाता है। 200 USD का मतलब है। बीमा की गणना 1.125% – USD 13.00 (राउंड ऑफ) के रूप में की जाती है। CIF मूल्य की कुल राशि 1313.00 USD तक है। यदि कोई स्थानीय एजेंसी कमीशन शामिल है, तो सामानों के सीआईएफ मूल्य पर भी वही जोड़ा जाता है – एफओबी पर 2% – USD 20.00 कहते हैं तो कुल राशि 1333.00 USD तक काम करती है। 1333.00 USD का CIF मूल्य स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित होता है। विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर को समय-समय पर सीमा शुल्क और मुद्रों की अधिसूचना द्वारा तय किया जाता है। एक बार उक्त राशि पर 1% जोड़ने के बाद आपको मूल्यांकन योग्य मूल्य मिलेगा।

कृपया ध्यान दें, मैंने एफओबी के वितरण की शर्तों के तहत एक आयात पर उपरोक्त उदाहरण दिया है। उपरोक्त उदाहरण केवल सीमा शुल्क विभाग द्वारा अपनाई गई एक बुनियादी संरचना है। इसका मतलब है, अगर कोई डिज़ाइन और विकास शुल्क या कोई एजेंसी कमीशन शामिल नहीं है, तो ऐसी जानकारी का मूल्यांकन मूल्य की गणना करने के लिए छोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा, यदि खेप CFR, CIF, DAP, DDU, DDP या किसी अन्य टर्म्स पर है, तो आप वास्तविक भाड़ा राशि और बीमा राशि की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, माल और बीमा की ऐसी राशि बाजार मूल्य की तुलना में असामान्य राशि नहीं होनी चाहिए। आयातक या उनके कस्टम्स हाउस एजेंट द्वारा आयात मंजूरी प्रक्रिया के लिए सीमा शुल्क के साथ बिल दाखिल करते समय इन मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक रूप से उल्लेख किया जाता है।

प्रत्येक उत्पाद को सभी देशों द्वारा वैश्विक रूप से स्वीकृत आईटीसी कोड संख्या के साथ वर्गीकृत किया गया है।

मुझे उम्मीद है, मैं आसानी से समझने के लिए सरल भाषा में उदाहरण के साथ आयात के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना समझा सकता हूँ। क्या आपको माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना के बारे में इस विषय को जोड़ने के लिए अधिक जानकारी है? आयात सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के तहत आयात शुल्क निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना में अपना अनुभव साझा करें।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

8. टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के किस अनुच्छेद ने मूल्यांकन की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित किया?
- (क) अनुच्छेद IV (ख) अनुच्छेद V
(ग) अनुच्छेद VI (घ) अनुच्छेद VII
9. बेची गई सबसे बड़ी कुल मात्रा की कीमत से मूल्य में कटौती –
- (क) केंद्रीय कर (ख) डिडक्टिव वैल्यू
(ग) कम्प्यूटेड मान (घ) उपरोक्त सभी

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

5.6 सीमा शुल्क मूल्य (Customs Duty Value)

सीमा शुल्क द्वारा मूल्यांकन के रूप में आयातित वस्तुओं का मूल्य और आयात शुल्क और अन्य करों की मात्रा का आकलन करने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी गणना कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन सबसे पसंदीदा तरीका लेनदेन-मूल्य है (जो किसी विक्रेता को खरीदार द्वारा भुगतान की गई कीमत के अलावा) खरीदार द्वारा किए गए अन्य लागतों को शामिल करता है, जैसे पैकिंग लागत, लाइसेंस शुल्क या रॉयल्टी, और किसी भी अन्य राशि (जो) विक्रेता को प्राप्त होती है। यह सीमा शुल्क अधिकारी है (और आयातक, निर्यातक या कस्टम ब्रोकर नहीं), जिनके पास इस मूल्य को निर्दिष्ट करने में अन्तिम है, जिसे सीमा शुल्क आयात मूल्य भी कहा जाता है।

5.6.1 सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित करने के तरीके (Method for Determination of Customs Duty)

अपने माल के लिए सीमा शुल्क मूल्य की स्थापना के लिए छह तरीके उपलब्ध हैं।

आयात किए जाने वाले माल के सीमा शुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए इन छह तरीकों में से एक का उपयोग करें। आपको उन्हें सख्त पदानुक्रमित क्रम में उपयोग करना होगा।

विधि एक – लेनदेन मूल्य

यदि आपका आयात न्यूजीलैंड को निर्यात के लिए बिक्री का परिणाम है, तो लेनदेन मूल्य प्राथमिक विधि है। जब भी संभव हो, आपको पहले इस विधि का उपयोग करना चाहिए।

इसमें वह शामिल है, जो आपने आइटम के लिए भुगतान किया था (या भुगतान करेंगे), लेकिन इसमें ये भी शामिल हैं –

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- कमीशन और ब्रोकरेज फीस, कमीशन खरीदने के अलावा।
- पैकिंग और कंटेनर की लागत और शुल्क।
- किसी भी आइटम या सेवाओं का मूल्य, जो आपने मुफ्त में दिया।
- रॉयल्टी और लाइसेंस फीस।
- पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग से कोई भी आय, जिसे आपको विक्रेता को भुगतान करना होगा।
- किसी भी सामग्री, भागों और सेवाओं के मूल्य को आयात करने से पहले आइटम की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।

आप निम्नलिखित शुल्क घटा सकते हैं – यदि आपने उन्हें भुगतान किया है, और वे आपके आइटम की कीमत से स्पष्ट रूप से अलग हो गए हैं –

- परिवहन और बीमा लागत, जिसमें लोडिंग/अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्ज शामिल हैं, आइटम के निर्यात के बाद इसका देश छोड़ देता है।
- देश में आने पर वस्तु के निर्माण, रखरखाव या तकनीकी सहायता प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई भी।
- किसी भी देश सीमा शुल्क या अन्य देश कर।

लेनदेन मूल्य पद्धति का उपयोग करने के लिए

- आपके पास देश को निर्यात के लिए बिक्री का प्रमाण होना चाहिए, उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक चालान, अनुबन्ध या खरीद आदेश। यदि निर्यात के लिए एकाधिक बिक्री होती है, तो सीमा शुल्क मूल्य 'अन्तिम बिक्री' पर आधारित होता है, जो कि न्यूजीलैंड में प्रवेश करने से पहले माल होता है, और आपूर्ति श्रृंखला में पूर्व में हुई किसी अन्य बिक्री पर नहीं।
- खरीदार और विक्रेता के बीच किसी भी सम्बन्ध ने आइटम की कीमत को प्रभावित नहीं किया होगा।
- आइटम की कीमत या बिक्री किसी भी स्थिति या विचार के अधीन नहीं होनी चाहिए जहाँ एक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- बिक्री में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए कि खरीदार किस तरह से वस्तु का निपटान करेगा या उसका उपयोग करेगा, सिवाय उन के:
- कानून द्वारा लगाया गया;
- वह सीमा जहां वस्तु बेची जा सकती है; एवं
- कि आइटम के मूल्य पर पर्याप्त प्रभाव नहीं है।

जब आप लेनदेन मूल्य पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते हैं

उन वस्तुओं के उदाहरण, जहाँ आप लेनदेन मूल्य विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं –

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

- उपहार,
- मुफ्त नमूना,
- खेप पर कुछ भी,
- कंपनी शाखा द्वारा आयातित कुछ भी जो विक्रेता के लिए एक अलग कानूनी इकाई नहीं है, तथा
- आइटम जो एक भाड़े या पट्टे के अनुबन्ध के तहत आयात किए गए थे।

टिप्पणी

अन्य मूल्यांकन के तरीके

यदि आप लेनदेन मूल्य विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि निम्नलिखित चार में से कौन-सी विधि लागू होगी।

विधि दो –

एक ही समय (या लगभग) में देश में लाए गए समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य के आधार पर। इसके लिए आपके पास समान वस्तुओं के मूल्य का प्रमाण होना चाहिए।

विधि तीन –

यदि देश में आने के 90 दिनों के भीतर आयातित माल देश में बेचा जाता है तो लागू होता है। देश में आइटम का पुनर्विक्रय मूल्य सीमा शुल्क मूल्य तक कम हो जाता है, यदि आइटम शुरू में देश को निर्यात के लिए बेचा गया था।

विधि चार –

आयातित माल की उत्पादन लागत के आधार पर, लाभ और सामान्य खर्चों के लिए एक राशि। यह विधि आम तौर पर उन मामलों तक सीमित है जहां आपके पास निर्माता की फैक्टरी लागत और लाभ मार्जिन तक पहुँच है।

यदि आप इस विधि का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले हमारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

विधि पाँच –

यदि आप ऊपर दिए गए किसी भी तरीके का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप लचीले ढंग से व्याख्या कर सकते हैं – कारण के भीतर – अपने माल के लिए सीमा शुल्क मूल्य प्राप्त करने के लिए पिछले तरीकों में से एक, उदाहरण के लिए –

- देश में बिक्री होती है लेकिन माल के देश में आने के 110 दिन बाद होती है
- आइटम के आधार पर, वे कैसे आयात किए जाते हैं और आपके पास कौन से दस्तावेज़ हैं, आप इसके आधार पर उनके सीमा शुल्क मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम हो सकते हैं:

टिप्पणी

- वस्तुओं की वैध सूची मूल्य,
- एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से एक मूल्यांकन।

अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसी वस्तु का बीमा मूल्य स्वीकार्य नहीं है।

आपके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले तरीके

आप चुनकर सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते –

- देश में बनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य।
- एक प्रणाली, जो दो वैकल्पिक मूल्यों के उच्च के लिए देखती है।
- देश में आपके द्वारा निर्यात किए गए घरेलू बाजार में आइटम की कीमत।
- आइटम की उत्पादन लागत, उत्पादन मूल्यों का उपयोग करने के अलावा अन्य समान या समान वस्तुओं के लिए पहले से ही काम करती है।
- देश के अलावा किसी देश को वस्तु का विक्रय मूल्य।
- न्यूनतम सीमा शुल्क मूल्य।
- मनमाना या बना-बनाया मूल्य।

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 2007

{अधिसूचना सं 94/2007 – सीमा शुल्क (NT) अधिसूचना सं 91/2017 द्वारा यथा संशोधित – सीमा शुल्क (NT) दिनांक 26 वें सितंबर, 2017}

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन –

- (1) इन नियमों को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 2007 कहा जा सकता है।
- (2) वे अक्टूबर के 10 वें दिन लागू होंगे।
- (3) वे आयातित वस्तुओं पर लागू होंगे।

5.6.2 परिभाषाएँ (Definitions)

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

- (क) "गणना मूल्य" का अर्थ है नियम 8 के अनुसार, निर्धारित आयातित माल का मूल्य।
- (ख) "डिडक्टिव वैल्यू" का अर्थ है नियम 7 के अनुसार निर्धारित मूल्य।
- (ग) "एक ही वर्ग या तरह का माल", का अर्थ है आयातित माल जो किसी विशेष उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित आयातित माल के एक समूह या श्रेणी के भीतर हैं और इसमें समान माल शामिल हैं;

(घ) "समान माल" का अर्थ है आयातित माल –

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

- (i) जो सभी प्रकारों में समान हैं, जिनमें भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा शामिल हैं, क्योंकि माल में मामूली अन्तर को छोड़कर जिन वस्तुओं को महत्व दिया जाता है, जो माल के मूल्य को प्रभावित नहीं करते हैं;
- (ii) उस देश में उत्पादित जिसमें मूल्यवान माल का उत्पादन किया गया था; तथा
- (iii) एक ही व्यक्ति द्वारा उत्पादित, जिसने माल का उत्पादन किया, या जहाँ ऐसा कोई सामान उपलब्ध नहीं है, एक अलग व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल,
लेकिन भारत में किए गए इंजीनियरिंग, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना या स्केच के रूप में आयातित सामान शामिल नहीं होंगे जो खरीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आयातित सामानों पर मुफ्त में या कम लागत पर उपयोग के सम्बन्ध में उपयोग किए गए थे।
- (iv) "आयात करने की जगह" का अर्थ है सीमा शुल्क स्टेशन, जहाँ माल घर की खपत के लिए या गोदाम में जमा के लिए हटाए जाने के लिए लाया जाता है;

(ड.) "निर्मित" में विकसित, निर्मित और खनन शामिल हैं

(च) "समान सामान" का अर्थ है आयातित माल –

- (i) जो सभी तरह से एक जैसे नहीं हैं, उनमें विशेषताओं और घटक सामग्रियों की तरह हैं जो उन्हें समान कार्य करने में सक्षम बनाते हैं और गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और व्यापार चिह्न के अस्तित्व के सम्बन्ध में माल के साथ व्यावसायिक रूप से विनिमेय होने में सक्षम होते हैं;
- (ii) उस देश में उत्पादित जिसमें मूल्यवान माल का उत्पादन किया गया था; तथा
- (iii) एक ही व्यक्ति द्वारा उत्पादित जो माल का उत्पादन किया जा रहा है, या जहाँ ऐसा कोई सामान उपलब्ध नहीं है, एक अलग व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल,
लेकिन भारत में किए गए इंजीनियरिंग, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना या स्केच के रूप में आयातित सामान शामिल नहीं होंगे जो खरीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आयातित सामानों पर मुफ्त में या कम लागत पर उपयोग के सम्बन्ध में उपयोग किए गए थे।

(छ) "लेनदेन मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य है;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों को केवल "सम्बन्धित" माना जाएगा –

- (i) वे एक दूसरे के व्यवसायों के अधिकारी या निदेशक हैं;
- (ii) वे व्यापार में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त साझेदार हैं;
- (iii) वे नियोक्ता और कर्मचारी हैं;
- (iv) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों के बकाया मतदान स्टॉक या शेयरों का पाँच प्रतिशत या अधिक स्वामित्व रखता है, नियंत्रित करता है या रखता है;
- (v) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है;
- (vi) उन दोनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है;
- (vii) एक साथ वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं; या
- (viii) वे एक ही परिवार के सदस्य हैं।

स्पष्टीकरण I – "व्यक्ति" शब्द में कानूनी व्यक्ति भी शामिल हैं।

स्पष्टीकरण II – जो व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय से जुड़े हैं, वे एकमात्र एजेंट या एकमात्र वितरक या एकमात्र रियायतकर्ता हैं, जिनका वर्णन किया गया है।

5.6.3 मूल्यांकन की विधि का निर्धारण (Evaluation of Method of Determinations)

- (1) नियम 12 के अधीन, आयातित वस्तुओं का मूल्य नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा
- (2) उप-नियम (1) के तहत आयातित माल का मूल्य स्वीकार किया जाएगा: उसे उपलब्ध कराया –
 - (अ) प्रतिबंधों के अलावा खरीदार द्वारा माल के वितरण या उपयोग के रूप में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं जो –
 - (i) भारत में कानून द्वारा या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लगाया या अपेक्षित है; या
 - (ii) उस भौगोलिक क्षेत्र को सीमित करें जिसमें माल को फिर से बेचा जा सकता है; या
 - (iii) माल के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं करता है;
 - (ब) बिक्री या मूल्य कुछ शर्त या विचार के अधीन नहीं है, जिसके लिए मूल्य मूल्यवान माल के सम्बन्ध में निर्धारित नहीं किया जा सकता है;

टिप्पणी

- (स) खरीदार द्वारा माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय का कोई हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेता को नहीं मिलेगा, जब तक कि इन नियमों के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन नहीं किया जा सकता है; तथा
- (द) खरीदार और विक्रेता सम्बन्धित नहीं हैं, या जहाँ खरीदार और विक्रेता सम्बन्धित हैं, कि लेनदेन मूल्य नीचे उप-नियम (3) के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य है।
- (3) (a) जहाँ खरीदार और विक्रेता सम्बन्धित हैं, लेनदेन मूल्य को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि आयातित माल की बिक्री की परिस्थितियों की जाँच से संकेत मिलता है कि रिश्ते ने कीमत को प्रभावित नहीं किया था।
- (b) सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच एक बिक्री में, लेनदेन मूल्य को स्वीकार किया जाएगा, जब भी आयातक यह प्रदर्शित करता है कि माल के घोषित मूल्य को मूल्यवान माना जा रहा है, एक ही समय में या इसके बारे में ज्ञात निम्न मानों में से एक से निकटता से जुड़ा हुआ है।
- (i) भारत में असम्बद्ध खरीदारों की बिक्री में समान वस्तुओं या समान सामानों का लेनदेन मूल्य;
- (ii) समान वस्तुओं या समान सामानों के लिए कटौतीत्मक मूल्य;
- (iii) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए गणना किए गए मूल्य: बशर्ते कि तुलना के लिए उपयोग किए गए मूल्यों को लागू करने के लिए, देय खाते में व्यावसायिक स्तर, मात्रा स्तर, नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजन और बिक्री में विक्रेता द्वारा किए गए लागत के अनुसार समायोजन लिया जाएगा, जिसमें वह और खरीदार सम्बन्धित नहीं हैं;
- (c) इस उप-नियम के खंड (इ) के प्रावधानों के तहत स्थानापन्न मूल्यों की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (4) यदि मूल्य उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य नियम 4 से 9 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए निर्धारित किया जाएगा।

5.6.4 समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य (Transaction Value of Similar Items)

- (1) (a) नियम ३ के प्रावधानों के अधीन, आयातित माल का मूल्य भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने वाले समान माल का लेन-देन मूल्य होगा और उसी समय या इसके बारे में आयात किया जाएगा, जब माल मूल्यवान होगा;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

बशर्ते कि इस तरह के लेनदेन का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत अनन्तिम रूप से मूल्यांकन किए गए माल का मूल्य नहीं होगा।

- (b) इस नियम को लागू करने में, समान वाणिज्यिक स्तर पर बिक्री में समान वस्तुओं के लेन-देन मूल्य और काफी मात्रा में समान माल के रूप में मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (c) जहाँ उप-नियम (1) के खंड (इ) में उल्लिखित कोई बिक्री नहीं पाई जाती है, एक अलग वाणिज्यिक स्तर पर या अलग-अलग मात्रा में या समान मात्रा में बेचे गए समान सामान का लेनदेन मूल्य, अन्तर का हिसाब लेने के लिए समायोजित किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर या मात्रा या दोनों के कारण, का उपयोग किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे समायोजन प्रदर्शन किए गए सबूतों के आधार पर किए जाएंगे जो समायोजन की तर्कशीलता और सटीकता को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, चाहे ऐसा समायोजन मूल्य वृद्धि या;
- (2) जहाँ नियम और इन नियमों 10 के उप-नियम (2) में उल्लिखित लागत समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य में शामिल हैं, एक समायोजन किया जाएगा, अगर ऐसी लागतों और शुल्कों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर हैं मूल्य और परिवहन में अन्तर से उत्पन्न होने वाले सामानों का मूल्य और परिवहन के साधनों में अन्तर।
- (3) इस नियम को लागू करने में, यदि समान सामानों का एक से अधिक लेन-देन मूल्य पाया जाता है, तो सबसे कम ऐसे मूल्य का उपयोग आयातित वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

5.6.5 समान सामानों का लेनदेन मूल्य (Transaction Value of Similar Items)

- (1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, आयातित माल का मूल्य भारत को निर्यात के लिए बेचे गए समान सामानों का लेन-देन मूल्य होगा और उसी समय या इसके बारे में आयात किया जाएगा जब माल का मूल्य दिया जाएगा:

बशर्ते कि इस तरह के लेनदेन का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत अनन्तिम रूप से मूल्यांकन किए गए माल का मूल्य नहीं होगा।
- (2) उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के नियम 4 के खंडों, म्यूटिस म्यूटेंडिस के प्रावधान, समान के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं माल।

5.6.6 मूल्य का निर्धारण जहाँ नियमों 3, 4 और 5 के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है (Value Determination where the Rules 3, 4 and 5 can not Determine Value)

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

यदि आयातित वस्तुओं का मूल्य नियमों 3, 4 और 5 के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य नियम 7 के नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है, या जब नियम 8 के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

बशर्ते कि आयातक के अनुरोध पर, और उचित अधिकारी की मंजूरी के साथ, नियम 7 और 8 के आवेदन का क्रम उलट जाएगा।

5.6.7 डिडक्टिव वैल्यू (Deductive Value)

- (1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, यदि मूल्य या समान या समान आयातित सामान भारत में बेचे जाते हैं, तो उस स्थिति में, जिस समय या जिस समय मूल्य के निर्धारण के लिए घोषणा प्रस्तुत की जाती है, उस मूल्य के अनुसार मूल्य प्रस्तुत किया जाता है। आयातित माल उस इकाई मूल्य के आधार पर होगा जिस पर आयातित माल या समान आयातित सामान उन लोगों को सबसे बड़ी मात्रा में बेचे जाते हैं, जो भारत में विक्रेताओं से सम्बन्धित नहीं हैं, निम्नलिखित कटौती के अधीन –
 - (i) आयोग ने आमतौर पर भुगतान किया या भुगतान करने के लिए सहमत हो गया या आम तौर पर मुनाफे और सामान्य खर्चों के लिए किए गए परिवर्धन को उसी वर्ग या प्रकार के आयातित माल के भारत में बिक्री के सम्बन्ध में; या
 - (ii) भारत के भीतर परिवहन और बीमा और सम्बद्ध लागतों की सामान्य लागत; या
 - (iii) माल के आयात या बिक्री के कारण भारत में देय सीमा शुल्क और अन्य कर।
- (2) यदि आयात किए गए सामानों के समान या समान आयात किए गए सामानों की बिक्री समान मूल्य पर या उसके समान नहीं की जाती है, तो आयातित वस्तुओं का मूल्य उप-नियम (9) के प्रावधानों के अधीन होगा। उस इकाई मूल्य के आधार पर, जिस पर आयात किए गए सामान या समान आयात किए गए सामान भारत में बेचे जाते हैं, आयात करने के बाद सबसे शुरुआती तिथि पर लेकिन ऐसे आयात के बाद नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले।
- (3) (अ) यदि आयातित माल को न तो आयात किया गया है और न ही समान आयातित सामान भारत में आयातित रूप में बेचे जाते हैं, तो, मूल्य उस इकाई मूल्य पर आधारित होगा, जिस पर आयातित माल,

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

आगे की प्रक्रिया के बाद, बेचा जाता है, भारत में विक्रेता से सम्बन्धित नहीं हैं, जो लोगों के लिए सबसे बड़ी कुल मात्रा में।

- (ब) इस तरह के निर्धारण में, उप-नियम (1) के प्रसंस्करण (iii) से (iii) में मर्दों के लिए प्रदान किए गए मूल्य और (i) के लिए प्रदान की गई कटौती के लिए उचित भत्ता किया जाएगा।

5.6.8 संगणित मूल्य (Computed Value)

नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं का मूल्य एक गणना मूल्य पर आधारित होगा, जिसमें राशि शामिल होगी –

- (अ) आयातित माल के उत्पादन में कार्यरत सामग्री और निर्माण या अन्य प्रसंस्करण की लागत या मूल्य;
- (ब) लाभ और सामान्य खर्चों के लिए एक राशि जो आमतौर पर उसी वर्ग या तरह के सामानों की बिक्री में परिलक्षित होती है, जैसा कि मूल्यवान माल जो भारत में निर्यात के लिए निर्यात के देश में उत्पादकों द्वारा किए जाते हैं;
- (स) नियम 10 के उप-नियम (2) के तहत अन्य सभी खर्चों की लागत या मूल्य।

5.6.9 अवशिष्ट विधि (Residual Method)

- (1) नियम 3, जहाँ आयातित माल का मूल्य पूर्ववर्ती से कोई भी नियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मूल्य सिद्धान्तों और इन नियमों के और सामान्य प्रावधानों के अनुरूप उचित साधनों का उपयोग निर्धारित किया जाएगा पर भारत में उपलब्ध आंकड़ों का आधार;

बशर्ते कि निर्धारित किया गया मूल्य उस कीमत से अधिक न हो, जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय और स्थान पर वितरण के लिए सामान की बिक्री की जाती है, जैसे कि बिक्री के लिए या बेचने की पेशकश की जाती है, जब विक्रेता या खरीदार की कोई रुचि नहीं होती है। अन्य और कीमत का व्यवसाय बिक्री के लिए बिक्री या प्रस्ताव के लिए एकमात्र विचार है।

- (2) इस नियम के आधार पर कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा –
- (i) भारत में उत्पादित वस्तुओं का भारत में विक्रय मूल्य;
 - (ii) एक प्रणाली जो दो वैकल्पिक मूल्यों के उच्चतम के सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए स्वीकृति प्रदान करती है;
 - (iii) निर्यात के देश के घरेलू बाजार पर माल की कीमत;
 - (iv) गणना मूल्यों से इतर उत्पादन की लागत जो नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार समान या समान वस्तुओं के लिए निर्धारित की गई है;

- (v) भारत के अलावा किसी अन्य देश को निर्यात के लिए माल की कीमत;
- (vi) न्यूनतम सीमा शुल्क मूल्य; या
- (vii) मनमाना या काल्पनिक मान।

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

5.6.10 लागत और सेवाएँ (Cost and Services)

- (1) लेन-देन के मूल्य का निर्धारण करने में, वास्तव में भुगतान किए गए मूल्य या आयातित माल के लिए देय मूल्य में जोड़ा जाएगा, –
 - (क) वे खरीदार द्वारा किए गए हद तक निम्नलिखित हैं, लेकिन वास्तव में भुगतान या आयातित माल के लिए देय मूल्य में शामिल नहीं हैं, अर्थात् –
 - (i) कमीशन और दलाली, कमीशन खरीदने के अलावा;
 - (ii) प्रश्न में माल के साथ सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए एक के रूप में इलाज किया जाता है जो कंटेनरों की लागत;
 - (iii) श्रम या सामग्री के लिए पैकिंग की लागत;
 - (ख) मूल्य, निम्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपर्युक्त के रूप में उपयुक्त, जहां खरीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निः शुल्क आपूर्ति की जाती है या आयातित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के सम्बन्ध में कम लागत पर, उस सीमा तक इस तरह के मूल्य को वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् –
 - (i) आयातित वस्तुओं में शामिल सामग्री, घटक, भाग और समान आइटम;
 - (ii) आयातित माल के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, सिल्वर, गोल्ड और इसी तरह की वस्तुएं;
 - (iii) आयातित वस्तुओं के उत्पादन में खपत होने वाली सामग्री;
 - (iv) इंजीनियरिंग, विकास, कला कार्य, डिजाइन कार्य, और योजनाएँ और रेखाचित्र भारत की तुलना में कहीं और आयात किए गए सामानों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं;
 - (ग) आयातित माल से सम्बन्धित रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क जो खरीदार को भुगतान करने के लिए आवश्यक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, माल की बिक्री की शर्त के रूप में, इस हद तक कि रॉयल्टी और शुल्क वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में शामिल नहीं हैं।
 - (घ) विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले आयातित माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय के किसी भी हिस्से का मूल्य;

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

(ड) वास्तव में किए गए सभी अन्य भुगतान या आयात किए गए माल की बिक्री की स्थिति के रूप में विक्रेता को खरीदार द्वारा, या खरीदार द्वारा तीसरे पक्ष को इस तरह के भुगतान के लिए विक्रेता के दायित्व को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में शामिल नहीं हैं।

स्पष्टीकरण – जहाँ एक प्रक्रिया के लिए रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य भुगतान, चाहे पेटेंट या अन्यथा, खंड (ब) और (म) में निर्दिष्ट है, ऐसे शुल्क वास्तव में भुगतान किए गए या देय मूल्य के लिए जोड़े जाएंगे। आयातित माल, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के सामान को ऐसे सामान के आयात के बाद उक्त प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 के 52) की धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए और इन नियमों में, आयातित माल का मूल्य इस तरह के माल का मूल्य होगा, और इसमें शामिल होगा –

(अ) आयात किए गए माल के वितरण के साथ परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग शुल्क की लागत आयात के स्थान पर;

(ब) आयात के स्थान पर बीमा की लागत:

बशर्ते कि खंड (अ) में निर्दिष्ट लागत का पता नहीं चल रहा हो, ऐसी लागत माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त में बीस प्रतिशत होगी:

बशर्ते कि माल के बोर्ड मूल्य पर मुक्त पता लगाने योग्य नहीं है, लेकिन माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त का योग और खंड (ब) में निर्दिष्ट लागत का पता लगाने योग्य है, खंड (अ) में निर्दिष्ट लागत होगी ऐसी राशि का बीस फीसदी:

बशर्ते कि क्लॉज (ब) में निर्दिष्ट लागत का पता नहीं है, ऐसी लागत माल के बोर्ड मूल्य पर 1.125% मुफ्त होगी:

बशर्ते कि माल के बोर्ड मूल्य पर निः शुल्क पता लगाने योग्य नहीं है, लेकिन माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त का योग और खंड (अ) में निर्दिष्ट लागत का पता लगाने योग्य है, खंड (ब) में निर्दिष्ट लागत होगी ऐसी राशि का 1.125%:

बशर्ते कि हवा द्वारा आयात किए गए सामानों के मामले में, जहाँ खंड (अ) में निर्दिष्ट लागत का पता लगाया जाता है, ऐसी लागत माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त के बीस फीसदी से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि समुद्र या वायु द्वारा आयात किए जाने वाले सामान और भारत में किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन में स्थानान्तरित किए जाने के मामले में, इस तरह के परिवहन से जुड़े बीमा, परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज की लागत को बाहर रखा जाएगा।

क्लॉज (अ) में निर्दिष्ट आयातित माल के परिवहन की लागत में चार्टर्ड जहाजों पर जहाज के डिमार्ज चार्ज, लाइटरेज या बज चार्ज शामिल हैं।

- (3) वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में परिवर्धन, इस नियम के तहत वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक डेटा के आधार पर किया जाएगा।
- (4) इस नियम में दिए गए मूल्य के अलावा आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करने में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में कोई जोड़ नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी

5.6.11 आयातक द्वारा घोषणा (Declaration by Importers)

- (1) आयातक या उसका एजेंट प्रस्तुत करेगा –
 - (अ) आयातित माल के मूल्य से सम्बन्धित पूर्ण और सटीक विवरण का खुलासा करने वाला घोषणा पत्र; तथा
 - (ब) आयातित माल के निर्माता या निर्माता का एक चालान सहित कोई अन्य बयान, सूचना या दस्तावेज जहाँ सामान निर्माता या निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आयात किया जाता है, जैसा कि उचित अधिकारी द्वारा निर्धारण के लिए आवश्यक माना जाता है। इन नियमों के तहत आयातित वस्तुओं का मूल्य।
- (2) इन नियमों में निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह किसी भी कथन, सूचना, दस्तावेज या घोषणा के सत्य या सटीकता के रूप में खुद को संतुष्ट करने के लिए सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के अधिकार पर सवाल उठाने या कॉल करने के रूप में मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 में से 52) जब्त करने, जुर्माने और अभियोजन से सम्बन्धित प्रावधान उन मामलों पर लागू होंगे जहाँ गलत घोषणा, सूचना, बयान या दस्तावेज इन नियमों के तहत, सुसज्जित हैं।

5.6.12 घोषित मूल्य की अस्वीकृति (Disapproval of Declared Value)

- (1) जब उचित अधिकारी के पास किसी आयातित सामान के सम्बन्ध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने का कारण हो, तो वह इस तरह के सामान के आयातक को दस्तावेजों या अन्य सबूतों सहित आगे की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और यदि, ऐसा आगे प्राप्त होने पर जानकारी, या ऐसे आयातक की प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में, उचित अधिकारी को अभी भी घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता के बारे में उचित संदेह है, यह माना जाएगा कि ऐसे आयातित सामानों का लेनदेन

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

मूल्य प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नियम 3 का उप-नियम (1)।

- (2) किसी आयातक के अनुरोध पर, उचित अधिकारी, आयातक द्वारा आयात किए गए माल के सम्बन्ध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने के लिए आधार लिखने में अन्तरंग करेगा, और सुनाई देने का एक उचित अवसर प्रदान करेगा, पहले उप-नियम (1) के तहत अन्तिम निर्णय लेना।

स्पष्टीकरण— (1) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया गया है कि —

- (i) यह नियम अपने आप में मूल्य निर्धारण के लिए एक विधि प्रदान नहीं करता है, यह उन मामलों में घोषित मूल्य की अस्वीकृति के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया प्रदान करता है जहाँ उचित संदेह है कि घोषित मूल्य लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है; जहाँ घोषित मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, वह मान 4 से 9 के नियमों के अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए निर्धारित किया जाएगा।
- (ii) घोषित मूल्य को स्वीकार किया जाएगा, जहाँ उचित अधिकारी आयातकों के परामर्श से उक्त पूछताछ के बाद घोषित मूल्य की सच्चाई और सटीकता के बारे में संतुष्ट है।
- (iii) उचित अधिकारी के पास कुछ कारणों के आधार पर घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता पर संदेह उठाने की शक्तियां हो सकती हैं, जिनमें शामिल हो सकते हैं —
 - (क) महत्वपूर्ण उच्च मूल्य, जिस पर समान या समान माल आयात किया गया है या एक ही समय में तुलनीय मात्रा में तुलनीय वाणिज्यिक लेनदेन में मूल्यांकन किया गया था;
 - (ख) बिक्री में सामान्य प्रतिस्पर्धी मूल्य से असामान्य छूट या असामान्य कमी शामिल है;
 - (ग) बिक्री में विशेष एजेंटों तक सीमित विशेष छूट शामिल हैं;
 - (घ) विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, मूल के देश, निर्माण या उत्पादन के वर्ष जैसे मापदंडों में माल की गलत व्याख्या;
 - (ङ) ब्रान्ड, ग्रेड, विशिष्टताओं के मान की गैर-घोषणा जो मूल्य के लिए प्रासंगिकता है;
 - (च) धोखाधड़ी या हेरफेर किए गए दस्तावेज़।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

10. नियम 7 के अनुसार निर्धारित मूल्य—
- (क) डिडक्टिव वैल्यू (ख) गणना मूल्य
- (ग) समान मूल्य (घ) उपरोक्त सभी।
11. आयातित वस्तुओं के मूल्य में निम्नलिखित में से कौन से शुल्क या लागत शामिल नहीं होंगे, बशर्ते कि वे वास्तव में भुगतान किए गए मूल्य से अलग हों या आयातित आयात के लिए देय हों?
- (क) औद्योगिक संयंत्र
- (ख) आयात के बाद परिवहन की लागत
- (ग) भारत में क्रय या विक्रय पर
- (घ) उपरोक्त सभी।

5.7 आंकिक उदाहरण (Numerical Examples)

1. दिल्ली के एक भारतीय व्यापारी ने पुनः विक्रय हेतु अमेरिका की एक कम्पनी से 18 मार्च 2021 को 50 कम्प्यूटर 500 डॉलर प्रति कम्प्यूटर मूल्य पर आयात किये। अन्य जानकारी इस प्रकार है —
- (a) अमेरिका से भारतीय बन्दरगाह तक भाड़ा 200 डॉलर।
- (b) मार्गस्थ बीमा प्रीमियम 50 डॉलर।
- (c) पैकिंग व्यय 20 डॉलर प्रति कम्प्यूटर।
- (d) अमेरिकन कम्पनी के भारत स्थित एजेंट को विक्रय मूल्य पर 5% कमीशन रूपयों का भुगतान।
- (e) भारतीय बन्दरगाह से दिल्ली तक का परिवहन व्यय 5000 रु.।
- (f) दिल्ली में ऑक्ट्राय चुकाया 4000 रु.।

सीमा शुल्क की गणना के लिए करयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर 1 डॉलर = 42 रु. है।

देय सीमा शुल्क की राशि बताइए। मूल दर 10% है एवं भारत में कम्प्यूटर निर्माणदर 12% उत्पादन शुल्क लगता है। 4% विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क एवं 3% शिक्षा उपकर लगता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

Sol. Computation of Assessable value (Exchange Rate 1 Dollar = ₹ 42)

टिप्पणी

Particulars	Dollars	₹ (1×42)
Invoice Price (Transaction value) (500 × 50 computers)	25,000	10,50,000
Add -		
(i) Transportation charges	200	8,400
(ii) Insurance premium	50	2,100
(iii) Packing charges (20 × 50)	1,000	42,000
(iv) Commission 5% on transaction value		52,500
$10,50,000 \times \frac{5}{100}$		
CIF Value		11,55,00
Add - 1% Landing charges		11,550
Assessable Value		11,66,550

Calculation of Customs Duty

(a) Basic Customs Duty @ 10% on 11,66,550	1,16,655
(b) Additional Customs Duty @ 12% on 11,66,550 + 1,16,655 = 12,83,205	1,53,985
Customs Duty for Education Cess	2,70,640
(c) Education cess @ 3% on total customs duty (a + b) ₹ 2,70,640	8,119
Customs Duty Including Education Cess	2,78,759
(d) Special, additional duty @ 4% of 11,66,550 + 2,78,759 = 14,45,309	57,812
Custom Duty Payable	3,36,571

2. एक भारतीय आयातक ने 10,000 डॉलर का कच्चा माल दिसम्बर 2020 में आयात किया। इसके सम्बन्ध में निम्न जानकारी प्राप्त है –

- वस्तुओं के पैकिंग व्यय 200 डॉलर।
- वस्तुएँ वापसी योग्य कन्टेनर में भेजी गईं, जिनका मूल्य 600 डॉलर था।
- बीमा प्रीमियम 100 डॉलर।
- समुद्री भाड़ा 300 डॉलर।
- आयातक ने दलाल को 200 डॉलर कमीशन दिया, जिसने यह सौदा करवाया है।
- डॉलर की विनिमय दर 58.40 रु.।
- सीमा शुल्क 10% एवं 3% शिक्षा उपकर लगता है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

(h) भारत में इस प्रकार के माल पर पर 6.18% उत्पादन शुल्क (शिक्षा उपकर सहित) लगता है।

(i) विक्रय कर की पूर्ति के लिए विशेष सीमा शुल्क 5%।

आयातित वस्तु का कर निर्धारण मूल्य एवं देय सीमा शुल्क की राशि ज्ञात कीजिए।

तटकर : एक परिचय

टिप्पणी

Sol. Computation of Assessable Value (Exchange Rate 1 Dollar = ₹ 58.90)

Particulars	Dollars	₹ (1×58.90)
Transaction value of goods	10,000	5,84,000
Packing charges	200	11,720
Insurance premium	100	5,840
Sea weight	300	17,520
Commission	200	11,680
CIF Value		6,30,760
Add - 1% Landing charges		6,308
Assessable Value		6,37,068

Calculation of Customs Duty	
(a) Basic Customs Duty @ 10% on 6,37,068	63,707
(b) Additional Customs Duty @ 6.18% on 6,37,068 + 63,707 = 7,00,775	43,308
Customs Duty for Education Cess	1,07,015
(c) Education cess @ 3%	3,210
Customs Duty Including Education Cess	1,10,225
(d) 5% Special customs duty on 6,37,068 + 1,10,225 = 7,47,293	37,365
Total Customs Duty Payable	1,47,590

3. एक आयातक ने एक मशीन को अमेरिका से जनवरी 2021 में आयात के लिए आदेश दिया। मशीन का भारत में 5 मार्च 2021 को प्रवेश हुआ। मशीन का बीजक मूल्य 15,000 डॉलर था। अन्य जानकारियाँ निम्न प्रकार हैं —

- अमेरिका से भारतीय बन्दरगाह तक का भाड़ा 800 डॉलर था।
- भारतीय बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम चुकाई 12,000 रु.।
- डिजाइन एवं विकास व्यय 2,500 डॉलर थे, जो कि अमेरिका की एक कम्पनी को चुकाये गए।
- आयातक ने भारत में मशीनरी के विकास कार्य के लिए 60,000 रु. व्यय किये।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

- (e) भारतीय बन्दरगाह से आयातक के कारखाने तक मशीन को लाने के लिए भाड़ा व्यय 17,500 रु.।
- (f) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर 1 डॉलर 42 रु. था।
- (g) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14(3) के अन्तर्गत अधिसूचित विनिमय दर 1 डॉलर = 41.70 रु.।
- (h) बैंक द्वारा आयातक से वसूल की गयी दर 1 डॉलर = 41.5 रु.।
- (i) विदेशी निर्यातक का भारत में एक एजेंट है, जिसे बीजतम मूल्य पर भारतीय मुद्रा में 5% कमीशन दिया जाता है।
4. सीमा शुल्क की दर जनवरी 2021 में 10% थी जिसे 1 मार्च 2021 से घटा कर 5% कर दिया गया। भारत में निर्मित इसी प्रकार की मशीन पर उत्पादन शुल्क की मूल दर 12% है जिसे अधिसूचना द्वारा 24 जनवरी 2021 से 8% किया गया है।

कर निर्धारण मूल्य एवं देय सीमा शुल्क ज्ञात कीजिए। मूल्य वर्धित कर (वेट) की पूर्ति हेतु 4% की दर से विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया गया है। शिक्षा उपकर की दर 3% है।

Sol. Computation of Assessable Value for Importer of a Machine (March 2021)

Invoice Price of a Machine	15,000 Dollars
Add - Design to Development Charges	2,500 Dollars
Add - Ocean Freight	800 Dollars
Total C & F Value	18,300 Dollars
Conversion of C & F Value in Rupees Dollar × Notified Exchange Rate by Central Board of Excise & Custom	
$18,300 \times 41.7 = 7,63,110$	
So, C & F value in Indian Currency	7,63,110
Add - Insurance	
Add - Local agency commission paid in Indian Currency on Invoice value 5% of 15,000 Dollar = 750 Dollar	
Exchange 750×41.7	31,275
Total CIF Price	8,06,385
Add - 1% Landing charges 1% of CIF	8,064
Assessable Value	8,14,449

Calculation of Customs Duty

तटकर : एक परिचय

(a) Basic Customs Duty @ 5% on Assessable Value ₹ 8,14,449	40,722
(b) Additional Customs Duty on (8,14,449 + 40,722 = 8,55,171 × 8%)	68,414
Aggregate Customs Duty for Education	1,09,136
(c) 3% Education cess on ₹ 1,09,136	3,274
Total Duty including Education Cess	1,12,410
(d) 4% Special Customs Duty on 9,26,859 (AV 8,14,449 + total duty 1,12,410)	37,074
Total Duty Payable	1,49,484

टिप्पणी

5. एक व्यापारी ने अमेरिका से एक मशीन 25,000 डॉलर मूल्य की 19 दिसम्बर 2020 को आयात की। अन्य विवरण इस प्रकार हैं –

(a) अमेरिका से भारतीय बन्दरगाह तक भाड़ा	1,000 डॉलर
(b) बीमा शुल्क भारत में चुकाया	600 डॉलर
(c) विनिमय दर धारा 14(3) (a) (I) के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा घोषित	56 रु = एक डॉलर
(d) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर	56.10 रु = एक डॉलर
(e) कस्टम ड्यूटी को मूल दर।	10%
(f) यदि इसी प्रकार की मशीन भारत में बनायी जाती तो उत्पाद शुल्क की दर होती	12.36%
(g) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	4%
(h) शिक्षा उपकर	3%

आयातक एक मशीन विक्रेता है, जिसने मशीन को पुनः विक्रय के लिए आयात किया है। कुल देय सीमा शुल्क की राशि बताइए।

Sol. Computation of Assessable Value for Importer of a Machine (Mar. 2021)

Particulars	Dollars	₹ (1×56)
Invoice Price of Machine	25,000	14,00,000
Add -		
(i) Transportation Charges	1,000	56,000
(ii) Insurance Premium	600	33,600
CIF Value		14,89,600
Add - 1% Landing charges		14,896
Assessable Value		15,04,496

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

Calculation of Custom Duty

(a) Basic Customs Duty @ 10% on 15,04,496	1,50,450
(b) Additional Customs Duty @ 12.36%	2,04,551
15,04,496 + 1,50,450 = 16,54,946	
Customs Duty for Education Cess	3,55,001
(c) Education cess @ 3% on Total Customs Duty ₹ 3,55,00	10,650
Customs Duty Including Education Cess	3,65,651
(d) Special Additional Duty @ 4% of 15,04,496 + 3,65,651 = 18,70,147	74,805
Total Duty Payable	4,40,456

5.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (ख)
2. (क)
3. (घ)
4. (ग)
5. (ख)
6. (ग)
7. (क)
8. (घ)
9. (ख)
10. (क)
11. (घ)

5.9 सारांश (Summary)

‘सीमा शुल्क’ से तात्पर्य उन वस्तुओं पर लगने वाले कर से है, जब उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता है। प्रत्येक वस्तु की एक पूर्व निर्धारित दर होती है, जो विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें इस तरह के वस्तु का अधिग्रहण किया गया था, जहाँ इस तरह के सामान को बनाया गया था और ये सामान किस चीज से बने हैं। साथ ही, जो कुछ भी आप पहली बार भारत में लाते हैं, उसे सीमा शुल्क नियमों के अनुसार घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको किसी विदेशी देश में खरीदी गई वस्तुओं और

किसी भी उपहार को घोषित करने की आवश्यकता है, जो आप भारत के बाहर प्राप्त करते हैं।

तटकर : एक परिचय

एक जटिल, विकसित फिल्टर के रूप में सीमा शुल्क की एक नई अवधारणा औद्योगिक युग की शुरुआत में शुरू हुई, जब राष्ट्रों ने राष्ट्रीय धन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में निर्यात को बढ़ावा दिया। जैसे-जैसे व्यापार बढ़ता गया, वैसे-वैसे प्रतिस्पर्धा होती गई और बाजार की ताकतों के साथ घरेलू श्रम की जरूरतों को संतुलित करने के लिए कानून की धाराएँ बन गईं। काउंटरवैलिंग ड्यूटी सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स और एंटी-डम्पिंग ड्यूटी के खिलाफ अनसोल्ड सरप्लस के लिए लगाई गई थी। निर्यात को धक्का देने के बेलगाम प्रयासों ने व्यापार युद्धों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जो शिपिंग को रोकते थे और परिणामस्वरूप आर्थिक दुर्घटनाओं, संरक्षणवाद के खतरों का खुलासा करते थे। युद्धों के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किए गए और आज भी (कुछ हद तक) पारदर्शी सहयोग का युग जारी है।

टिप्पणी

प्रमुख प्रगति के बावजूद, सीमा शुल्क का सार न तो गायब हो गया है और न ही बदला गया है। हालांकि आज की एजेंसियाँ विभिन्न प्रकार के उपन्यास खतरों के लिए स्क्रीन करती हैं, सुरक्षा से लेकर पर्यावरण तक, स्थानीय बाजार की रक्षा करना हर निर्णय के पीछे प्रेरणा है, भले ही यह हमेशा आयातक के लिए स्पष्ट न हो।

उपकर लगाने के उद्देश्य से आयातित लेख का मूल्य, मूल्यांकन मूल्य, अधिनियम के तहत मूल मूल्य सीमा शुल्क, और किसी भी कानून के तहत माल पर कोई प्रभार्य समय के लिए लागू किया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में एक ही तरीके से। भुगतान किए गए एकीकृत कर को उपकर की गणना के उद्देश्य से मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा।

एक बार जब किसी मूल्य का निर्धारण उस तत्व के लिए किया जाता है, तो यह आवश्यक होता है कि आयातित सामानों का मूल्य निर्धारित किया जाए। विभिन्न संभावनाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मूल्य पहले शिपमेंट पर लागू किया जा सकता है यदि आयातक एक बार में पूरे मूल्य पर शुल्क का भुगतान करना चाहता है। एक अन्य उदाहरण के रूप में, आयातक अनुरोध कर सकते हैं कि मूल्य पहले शिपमेंट के समय तक उत्पादित इकाइयों की संख्या से अधिक हो। एक और उदाहरण के रूप में, वह अनुरोध कर सकता है कि मूल्य पूरे प्रत्याशित उत्पादन से अधिक हो, जहां उस उत्पादन के लिए अनुबन्ध या फर्म प्रतिबद्धताएँ मौजूद हों। उपयोग की जाने वाली विकृति का तरीका आयातक द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन पर निर्भर करेगा।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

5.10 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- रॉयल्टी: राजस्व, प्रभुत्व
- समावेशी: साथ रहना या होना
- डिडक्टिव: घटना
- सब्सिडाइज्ड: छूट

5.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Question and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. सीमा शुल्क अथवा तटकर क्या है? परिचय दीजिये।
2. कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य लिखिये।
3. हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड से आप क्या समझते हैं?
4. सीमा शुल्क की गणना कैसे की जाती है?
5. सीमा शुल्क मूल्य को परिभाषित कीजिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. भारतीय सीमा शुल्क का इतिहास लिखिये।
2. सीमा शुल्क के प्रकारों का वर्णन कीजिये।
3. कस्टम एक्ट, 1962 की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ लिखिये।
4. सीमा शुल्क मूल्यांकन की विधियाँ लिखिये।
5. सीमा शुल्क मूल्य के मूल्यांकन की विधि का निर्धारण कैसे किया जाता है? समझाइये।

5.12 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. मेहरोत्रा एवं अग्रवाल, "माल और सेवा कर", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. प्रो. श्रीपाल सकलेचा, "जीएसटी एवं कस्टम कानून", सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, इंदौर।

नोट

નોટ

नोट

नोट